कर्नाटक सरकार

समाज विज्ञान
Social Science

(परिष्कृत)

9

नौवीं कक्षा

भाग – 1

Hindi Medium

Part-I

©KTBS
Not to be republished

कर्नाटक पाठ्य पुस्तक सोसाइटी
100 फीट रिंग रोड, बनशंकरी तीसरा स्टेज,
बेंगलूरु – 560 085.

ಮುನ್ನುಡಿ

2005ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಚಿತವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯವಸ್ತುವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘವು 2010 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ರಚನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 12 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು 7 ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 1 ರಿಂದ 4 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು 5 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳಾದ ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿರುತ್ತವೆ.

2005ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

- ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಜೀವನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು
- ಕಂಠಪಾಠ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು
- ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುವುದು
- ಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಲಿಕಾ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು
- ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ನೀತಿಯನ್ವಯ ಮಕ್ಕಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು
- ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಇಂದಿನ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು
- ವಿಷಯಗಳ ಮೇರೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರದೃಷ್ಟಿಯ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು
- ಶಾಲೆಯ ಹೊರಗಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಯೋಜನೆ
- ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.

ನೂತನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ ವಿಧಾನಗಳಾದ ಅಂತರ್ಗತ ವಿಧಾನ (Integrated Approach), ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ (Constructive Approach) ಹಾಗೂ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ವಿಧಾನ (Spiral Approach) ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಠ್ಯವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಸ್ವಸ್ಥಸಮಾಜದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ.

5ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸತನವನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಯಾ ವಿಭಾಗದ ಇತಿಹಾಸ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಜನಜೀವನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಆ ವಿಭಾಗದ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯನಾಯಕರ ವಿಚಾರ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಎನ್‌ಸಿಎಫ್ 2005 ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಇತಿಹಾಸ, ಭೂಗೋಳ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು 8 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಅವಶ್ಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳಾದ ಇಸವಿಗಳು, ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕಾ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘವು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಕಲಾಕಾರರಿಗೆ, ಪರಿಶೀಲಕರಿಗೆ, ಸಂಯೋಜಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ ಮುದ್ರಕರಿಗೆ ತನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ಎಸ್. ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು

ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ
ಬೆಂಗಳೂರು

©KTBS Not to be republished

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನುಡಿ

ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಾಜದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ನಿಲುಕುವ ಹಾಗೆ ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಯುಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸರಳ ಶಬ್ದಗಳ ಜೋಡಣೆ, ಕಠಿಣ ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ, ವಿಷಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇಸವಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆಯೇ ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. 2005ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಆಧಾರದ ನೀತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಸದಸ್ಯರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ನೆರವಾದವರು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನಾಸಮಿತಿ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಪರಿಶೀಲನ ಸಮಿತಿ, ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ, ಅನುವಾದಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ.

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹೊರತರಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್. ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಲಸಚಿವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

ಡಾ. ಎಂ. ಕೊಟ್ರೇಶ್
ಎ.ಎಸ್. ದೀಕ್ಷಿತ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ.

©KTBS Not to be republished

ರಚನಾ ಸಮಿತಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಡಾ. ಎಂ. ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ತುಮಕೂರು-572103.

ಶ್ರೀ ಎ.ಎಸ್. ದೀಕ್ಷಿತ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ವಾಣಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-79

ಸದಸ್ಯರು :

ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಎನ್ ಅಕ್ಕಿ, ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಆಳ್ನಾವರ, ಧಾರವಾಡ ತಾ॥

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಒಂದನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು – 10.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ನಿಂಗಯ್ಯ, ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗುಬ್ಬಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ವಾಸುಕಿ, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಗಿರಿಜನ ಸನಿವಾಸ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಹನುಮಂತರಾವ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ.

ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ವಿದ್ಯಾವಾಹಿನಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು.

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಹೆಚ್. ಕುರಕುಂದಿ, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮಾಸಣಗಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾ॥, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಪರಿಶೀಲಕರು

ಡಾ. ರಾಜಾರಾಂ ಹೆಗಡೆ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಶಂಕರಘಟ್ಟ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

ಪ್ರೊ. ಟಿ.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಡೀನ್ (ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳು), ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು.

ಡಾ. ಶೌಕತ್ ಅಝೀಮ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

ಪ್ರೊ. ಪಿ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು.

ಡಾ. ಎಸ್.ಆರ್. ಕೇಶವ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ಕೆ.ಆರ್. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಜಯನಗರ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಯಡಿಯೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ

ಡಾ. ಎಂ.ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು.

ಡಾ. ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅನುವಾದಕರು

ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್ ಸಿಂಗ್, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಚಂದಗಾಲು, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಡಾ. ಪಿ.ವಿ. ಪದ್ಮಿನಿ, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ಎಸ್. ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮುಖ್ಯಸಲಹೆಗಾರರು

ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರಕುಮಾರ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮಣಿ ಸಿ., ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು :

ಶ್ರೀ ಎ.ಟಿ. ರಂಗದಾಸಪ್ಪ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು.

© KTBS Not to be republished

ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು

ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರೂ ಅರ್ಥಸಚಿವರೂ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ 2014–15 ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತಜ್ಞರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ಆಶಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ, ನೈತಿಕಮೌಲ್ಯಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿಕಸನ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕ ಮನೋಭಾವ, ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾಗುವಂತೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು" – ಇದು ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾದರಪಡಿಸಿದ ಆಶಯ.

ಆನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ 27 ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 24.11.2014 ರಂದು ಆದೇಶಹೊರಡಿಸಿತು. ಈ ಸಮಿತಿಗಳು ವಿಷಯವಾರು ಮತ್ತು ತರಗತಿವಾರು ಮಾನದಂಡಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ರಚಿತವಾದವು. ವಿವಿಧ ಪಠ್ಯವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಜ್ಞರು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಈ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಹೊಣೆಹೊತ್ತ ಈ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ 'ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯವಸ್ತುವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ನಂತರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ' ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು 24.11.2014ರ ಆದೇಶದಲ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆನಂತರ 19.09.2015 ರಂದು ಹೊಸ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ 'ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ' ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೊಂಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು 2016–17 ರ ಬದಲು 2017–18ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಇದೇ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಸಂಘಟನೆಗಳೂ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾಹಿತಿದೋಷ, ಆಶಯದೋಷಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸಮಿತಿಗಳಾಚೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಭಿಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ, ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಆನಂತರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಅರಿವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಕಡೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಾಲಾ (NCERT) ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಜೊತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೌಲನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಜ್ಞರ ಮೂರು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಿತಿಗಳು ನೀಡಿದ ತೌಲನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಂತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

© KTBS Not to be republished

ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಗಳು ಮಾಡಿರುವುದು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೇ ಹೊರತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಮಗ್ರ ರಚನೆಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟುಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗತ್ವ ಸಮಾನತೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಗ್ರತೆ, ಸಮಾನತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಹೀಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮೀರಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಬಯಸುತ್ತೇನೆ: ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಿತಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿಷಯವಾರು ಉನ್ನತ ಪರಿಶೀಲನ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡೆದು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ 27 ಸಮಿತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಮಸ್ತರನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಾಠಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನೆನೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಸಮಿತಿಗಳ ಕೆಲಸ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದುಡಿದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೂ ನೆನೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸಹಕರಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸರ್ವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ನರಸಿಂಹಯ್ಯ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ)
ಬೆಂಗಳೂರು-85

ಪ್ರೊ. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ
ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಸಮಿತಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ)
ಬೆಂಗಳೂರು-85

©KTBS Not to be republished

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಸಮಿತಿ

ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಪ್ರೊ. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಡಾ. ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೈಸೂರು.

ಸದಸ್ಯರು

ಡಾ. ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು,ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ಜೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ.

ಡಾ. ಎಚ್.ಡಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ.

ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಟಿ. ಬಾಗಲಕೋಟಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

ಪ್ರೊ. ಪಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು.

ಡಾ. ಬಿ. ಶೇಖರ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ತುಮಕೂರು.

ಶ್ರೀ. ಎ.ಎಸ್. ದೀಕ್ಷಿತ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ವಾಣಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀ. ಈರಣ್ಣ. ಎಂ. ಅಂಬಿ, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ತಡಕೊಡು, ಧಾರವಾಡ ತಾ. ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಡಿ.ಎನ್, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಉರಮಾರಕಸಲಗೆರೆ, ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಉನ್ನತ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ

ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ ಶೆಟ್ಟರ್, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ತನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

ಡಾ. ಎಂ.ಎಸ್. ತಳವಾರ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ದಶರಥ್ ನಾಯಕ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ.

ಡಾ. ಹಸೀನ್ ತಾಜ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅನುವಾದಕರು

ಡಾ. ಪದ್ಮಿನಿ ಪಿ.ವಿ, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಬಾಲಿಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ದಳವಾಯಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣ, ನಂಜನಗೂಡು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀ. ಅಶ್ವಥ್ಥ ನಾರಾಯಣ್, ನಿವೃತ್ತ ಹಿಂದಿ ಪ್ರೊ, ವಿ.ವಿ ಪುರಂ ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಲಹೆಗಾರರು

ಶ್ರೀ. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀಮತಿ. ನಾಗಮಣಿ ಸಿ., ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು

ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಟಿ.ಜಿ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು.

©KTBS Not to be republished

अनुक्रमणिका

क्रमांक	अध्याय	पृष्ठ संख्या
	इतिहास	
1	ईसाई और इस्लाम धर्म	1
2	मध्यकालीन भारत और राजनैतिक संक्रमण	8
3	धर्म प्रवर्तक और समाज सुधारक	23
4	विजयनगर और बहमनी साम्राज्य	29
	राजनीति शास्त्र	
1	हमारा संविधान	47
2	केंद्र सरकार	59
3	राज्य सरकार	70
	समाजशास्त्र	
1	परिवार	77
2	सामाजीकरण	83
	भूगोल	
1	हमारा राज्य कर्नाटक	88
2	कर्नाटक के प्राकृतिक विभाग	92
3	कर्नाटक की जलवायु मिट्टी, प्राकृतिक पेड-पैधे और जीवजन्तु	97
4	कर्नाटक के जल संसाधन	105
5	कर्नाटक की भू - संपदा (संपत्ति)	110
	अर्थशास्त्र	
1	प्रकृतिक संसाधन	119
2	भारत के मानव संसाधन	128
	व्यावहारिक अध्ययन	
1	व्यावहारिक प्रबंधन	135

©KTBS Not to be republished

इतिहास

अध्याय – 1

ईसाई धर्म तथा इस्लाम धर्म

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशो की जानकारी होगी –

- *ईसाई तथा इस्लाम धर्मों का प्रारंभ।*
- *ईसामसीह तथा मुहम्मद पैगम्बर का जीवन तथा शिक्षा।*
- *ईसाई तथा इस्लाम धर्मों का प्रचार तथा देन।*
- *ईसाई तथा इस्लाम धर्मों के भेद।*

©KTBS Not to be republished

विश्व के इतिहास में प्राचीन काल से कई धर्मों का जन्म और विकास देखा जा सकता है। इनमें हिंदू, जैन, बौद्ध तथा पारसी धर्म ईसा पूर्व शताब्दी से स्थापित हुए हैं और विश्व में विविध देशों में इनका प्रसार हुआ। ईसाई और इस्लाम धर्म ईसा की पहली शताब्दी के बाद स्थापित हुए फिर भी आज ये विश्व के प्रमुख धर्मों में गिने जाते हैं। इन धर्मों को सेमेटिक (मध्य एशियाई लोग सेमेटिक माने जाते हैं) धर्म कहा जाता है। ये दोनों धर्म मध्य एशिया में जन्म लेकर विश्व भर में भिन्न भिन्न राष्ट्रों में प्रचलित हुए।

ईसाई धर्म

ईसाई धर्म ईसा की पहली शताब्दी के आरंभ में रोमन साम्राज्य के प्रशासन के अधीन प्रांत पैलेस्टाइन के नजरत में स्थापितहुआ। इसके स्थापक ईसा मसीहा थे। ईसाई धर्म की स्थापना से पूर्व पैलेस्टाइन प्रांत के निवासी यहूदियों को काफी अंधविश्वास तथा रोमन साम्राज्य के कठोर प्रशासन द्वारा अनेक कष्ट सहने पड़े। ऐसी परिस्थिति में ईसा मसीह का जन्म हुआ और तत्पश्चात् इस धर्म की स्थापना की।

ईसा मसीह

ईसा मसीह का जीवन और शिक्षा

ईसा मसीह के बाल्यकाल के बारे में अधिक जानकारी के आधार पर ईसा मसीह का जन्म ईसा की पहली शताब्दी में जेरुसलेम के बेथलहेम नामक ग्राम में हुआ माना जाता है। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। इनके माता पिता मेरी तथा जोसेफ थे। ईसा मसीह को बाल्यकाल में व्यवस्थित शिक्षा नहीं प्राप्त हुई। फिर भी इन्होंने अपनी असाधारण ग्रहणशक्ति और बुद्धिमत्ता से अपार धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर यहूदियों के धर्म ग्रंथों, तत्वों का विवरण देकर आश्चर्य चकित कर दिया।

जीसस (ईसा मसीह) अपनी 30 वीं आयु में जॉन बप्तिस्त के प्रभाव में आए और उनसे दीक्षा प्राप्त की। जो विपदा में फँसे लोगों को ज्ञान दे कर उन्हें मानसिक रुप से चैन दिलाते थे। इस प्रकार ये उनका प्रेम प्राप्तकर मसीह या जन रक्षक के नाम से जाने गए। धीरे-धीरे जीसस अपनी सेवा भावना तथा अनुकंपा से सभी वर्ग के लोगों को आकर्षित कर जनप्रिय हो गए। क्रमशः वे लोगों की नज़र में देवत्व का स्थान पाने लगे। जिस का यहूदी सम्प्रदाय के लोगों ने विरोध किया इन्होंने रोमन साम्राज्य के राज्यपाल पांटियस पिलात से जीसस की शिकायत कर राजद्रोही होने का आरोप लगाया। तहकीकात के बाद जीसस को गोल्गोथ नामक पहाड़ पर एक शुक्रवार को सूली पर चढ़ा दिया गया। इस दिन को ईसाई समुदाय के लोग आजकल 'गुड फ्राइडे' के रुप में मनाते हैं।

दीक्षा (उपदेश) : ईसा मसीह ने अपनी 30 वीं आयु से 33 वे वर्ष की आयु तक पैलेस्टाइन प्रांत के कई भागों में घूमकर देवत्व के बारे में सरल शिक्षा दी। इस शिक्षा (दीक्षा) को प्रदान करके इन्होंने मानव समाज में शांति, करुणा की सशक्त बुनियाद डाली। इनकी दीक्षा इसप्रकार ये है -

1) ईश्वर एक है, दयामयी ईश्वर सभी जीवों का पिता है।
2) प्रत्येक में भाईचारे की भावना होनी चाहिए।
3) हम यदि विपदा में फँसे लोगों से प्रेम करेंगे तो वह ईश्वर से प्रेम के समान होगा।
4) दूसरों से कुछ भी अपेक्षा न रखते हुए हमें उनकी सेवा करनी चाहिए।
5) मानव की सेवा ईश्वर की सेवा के समान है।
6) मानव यदि अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करे, तो उसके लिए ईश्वर क्षमा करते हैं।
7) अपने शत्रु से तुम प्रेम करो, तुम्हारे प्रति बुरा चाहने वालों का तुम भला चाहो।

ईसाई धर्म का प्रसार : ईसा ने अपने जीवन काल में ही अपने तत्वों को विश्व के सभी स्थानों में पहुँचाया और इसके द्वारा विपत्ति में फँसे लोगों की मदद तथा रक्षा की जिम्मेदारी / दीक्षा अपने बारह शिष्यों को यह कार्य सौंपा। इन्हें अपोसल्स कहा जाता है। इनमें संत पीटर अत्यंत प्रमुख था जिसने रोम जाकर चर्च की स्थापना की और विश्व में चारों ओर प्रचारकों को भेज कर ईसाई धर्म के सुविचारों का प्रचार आरंभ किया। यह चर्च आज सम्पूर्ण जगत के कैथोलिक समुदाय का प्रभुत्व केंद्र है।

प्रारंभ में रोमन चक्रवर्तियों ने ईसाई धर्म के प्रचार में रुकावट नहीं डाली, इससे रोमन साम्राज्य में शीघ्र ही यह धर्म प्रचारित हो गया। किंतु पहली शताब्दी के बाद क्रमशः रोमन सम्राटों ने प्रचारकों को तंग करना शुरु किया और धर्म प्रसार में बाधा डाली। इसकी ओर ध्यान न देते हुए प्रचारकों ने अपना कार्य आगे बढ़ाया। तत्पश्चात् चौथी शताब्दी में प्रशासक काँस्टेंटाइन ने 313 ईस्वी में ईसाई धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रुप में स्वीकार किया। तब से यह धर्म शासकीय प्रोत्साहन पाकर रोम, ग्रीक, (यूनान),

©KTBS Not to be republished

मेसीडोनिया, एशियामाइनर में प्रचारित होने लगा। रोमन चर्च तथा धर्म प्रचारकों द्वारा चलाए गए मतांतर (मतपरिवर्तन) से यह अधिक ख्याति प्राप्त हुआ।

ईसाई धर्म की देन :

1) ईसाई धर्म ने विश्व को शांति और भाई चारे के तत्व को दिया।
2) चर्च तथा कुछ धर्म प्रचारकों ने शिक्षण केंद्रों की स्थापना की और शिक्षा के विकास में सहायता की।
3) ईसाई धर्म ने भवनों के निर्माण के लिए गोथिक शैली का परिचय कराया।
4) ईसाई धर्म प्रचारकों ने वैद्यकीय सेवाओं को विश्व में सर्वत्र विस्तरित किया।
5) स्त्रियों तथा दुर्बल समुदायों को शिक्षा प्रदान करने के कारण धनात्मक सामाजिक परिवर्तन हुए। इसे ही सबलीकरण कहा जाता है।

ईसाई धर्म के भेद (प्रकार) : 16 वीं शताब्दी तक रोमन कैथोलिक लोगों के अधिकार में स्थित ईसाई धर्म नवीन विभाग का कारण बना। धीरे-धीरे जनसामान्य तथा ईसाई दीक्षा से यह दूर हो गया। चर्च में पुरोहित (पादरी) तथा जमींदारों का दबदबा प्रारंभ हो गया। धर्म जनता के विरोध का लक्ष्य बनगया। इसकी पृष्ठभूमि में मार्टिन लूथर के नेतृत्व में जर्मनी में सुधार आन्दोलन प्रारंभ हुआ। प्रोटेस्टेंट नामक नवीन भेद (विभाग) का उदय हुआ। इससे ईसाई धर्म के दो भेद बने - (1) कैथोलिक, (2) प्रोटेस्टेंट।

भौगोलिक आविष्कार तथा यूरोप के तानाशाही राष्ट्रों ने नवीन भूभागों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। ये धीरे-धीरे राजनैतिक शक्ति के रुप में उभर कर आए। यह परिवर्तन भारत सहित अनेक राष्ट्रों में ईसाई धर्म के और अधिक बलशाली बनने और संघटित होने का कारण बना।

आपको ज्ञात रहे :

ईसाईयों का पवित्र ग्रंथ बाइबल है। इसके दो भाग हैं - (1) ओल्ड टेस्टामेंट, (प्राचीन आदेश - इच्छा पत्र), (2) न्यू टेस्टामेंट (नवीन आदेश - इच्छा पत्र)। यह प्रारंभ मे हिब्रू भाषा में लिखा गयाथा। इंग्लैंड के प्रथम जेम्स के काल में यह अंग्रेजी भाषा में अनुवादित हुआ। प्रथम भाग में यहूदियों की धार्मिक विश्वास संबंधी जानकारी है तो दूसरे भाग में जीसस के जीवन और शिक्षा संबंधी जानकारी है। यह विश्व में सबसे अधिक भाषाओं में अनुवादित ग्रंथों में से एक है।

©KTBS Not to be republished

इस्लाम धर्म

इस्लाम धर्म का प्रारंभ अरब देश में हुआ। यह पश्चिम एशिया का एक प्रायःद्वीपीय भाग है। यह भाग रेगिस्तान था जो कृषि के लिए अनुकूल नहीं था। अंतः अरबों ने घूमघूमकर जीवन प्रारंभ किया जहाँ उपजाऊ भूमि तथा जल उपलब्ध होता था वहाँ चले जाते थे। इस प्रकार स्थापित हुए प्रदेश ही मक्का और मदीना है।

आरंभ में अरब बहु देवता की पूजा करते थे। पत्थर, वृक्ष, जलस्रोतों को देवता रुप में पूजते थे। इनमें मक्का नगर का काबा शिला तथा उसके निकट 360 मूर्तियों को स्थापित कर पूजा करते थे। यह उनका अत्यंत प्रमुख धार्मिक केंद्र था।

आपको ज़्ञात रहे :

काबा - यह मक्का में स्थित पवित्र स्थान है। मुसलमान लोग प्रति दिन काबा की ओर मुख करके प्रार्थना करते हैं। तथा इस क्षेत्र की यात्रा को हज कहा जाता है।

मुहम्मद पैगम्बर का जीवन :

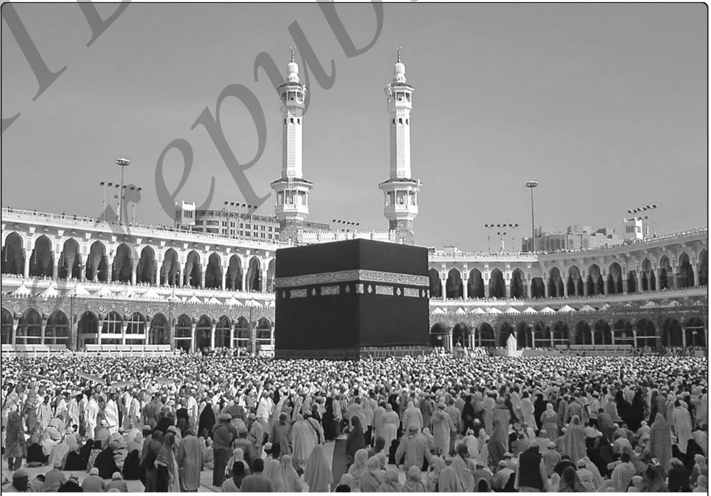

मक्का

इस्लाम धर्म के संस्थापक मुहम्मद पैगम्बर का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। इनके पिता अब्दुल्ला तथा माता अमीना थी। बाल्य काल में ही अपने माता-पिता को खोकर चाचा के आश्रय में बडे हुए। आरंभ में ये भेड़ चराते थे तत्पश्चात् चाचा के साथ व्यापार के लिए मक्का तथा सीरिया प्रदेशों को जाने लगे। तभी मक्का की धनिक विधवा खदीजा से इनका परिचय हुआ और उनके यहाँ नौकरी करने लगे। आगे उसी विधवा के साथ विवाह किया। उनके दो पुत्र और चार पुत्रियाँ थीं। कपडों के व्यापार के लिए मोहम्मद कई प्रदेशों को जाते थे तभी उन्हें वहाँ के ईसाई तथा यहूदी लोगों की धर्म सरलता और एक देवत्ववाद का परिचय मिला। जो उन्हें अरब के बहुदेवत्ववाद आराधना से उत्तम लगा। अरब की सामाजिक तथा धार्मिक कमियों को सुधारने के बारे में इन्होंने सोचना आरंभ किया। और मक्का के निकट हीरा नामक पहाड़ की तराई में जाकर ध्यानमग्न हो गए। ज्ञानोदय के बाद वे स्वयं को देवदूत कहने लगे। इनके तत्व शीघ्र ही लोगों को आकर्षित करने लगे और कई लोग इनके अनुयायी बन गए, वे कभी-कभी ध्यानमग्न होने

©KTBS Not to be republished

पर भी अपने अनुयायियों को कुछ संदेश देते थे। इन संदेशों को उनके शिष्य ईश्वर का संदेश मानकर इनका संग्रह करते थे। इस संग्रह को पुस्तक रुप में प्रकट किया गया। इस्लाम धर्म का ग्रंथ कुरान है।

पैगम्बर ने अपने तत्वों का प्रचार मक्का से आरंभ कर दिया। बहुदेवत्ववाद का विरोध करने वाले पैगम्बर का मक्कावासियों ने विरोधकर उनकी हत्या की योजना बनाई। इस विषय के कारण मक्का से मदीना को पलायन किया। इस घटना को हिजिरा (पलायन) कह कर मुसलमानों ने हिजिराशक नाम से पुकारा। (मुसलमानों का चंद्रमान कैलेंडर इसी आधार पर रचित है)।

मदीना के लोगों ने पैगम्बर का स्वागत किया और उनकी दीक्षा का अनुसरण किया। आठ वर्ष के बाद मक्का और मदीना के बीच युद्ध हुआ। मदीना के लोगों ने मक्का को पराजित किया। तब पैगम्बर ने मक्का में पुनः प्रवेश किया। तत्पश्चात् मक्कावासियों ने पैगम्बर के तत्वों को मानकर उनके द्वारा दी गई दीक्षा, धर्म को स्वीकार किया। धीरे-धीरे पैगम्बर के तत्व अरब प्रदेश के चारों ओर फैल गए। पैगम्बर की मृत्यु 62 ईस्वी में हुई।

इस्लाम धर्म की दीक्षा

इस्लाम का अर्थ है एक ही ईश्वर की शरण में जाना। मुस्लिम का अर्थ है ईश्वर का अनुयायी। इस धर्म की दीक्षा इस प्रकार है -

1) ईश्वर एक है। वही अल्ला है। अल्ला को प्रसन्न करने के लिए सरल प्रार्थना ही काफी है।

2) ईमानदारी और नीतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए।

3) दीन, दुर्बल जनों के प्रति करुणा तथा स्त्रियों के प्रति सम्मान होना चाहिए।

इस्लाम धर्म का आचरण

इस्लाम धर्म में ५ प्रमुख आचरण (पालन) है -

1) **कलीया** - अल्ला में मात्र विश्वास। मुहम्मद उनके प्रवादी (दूत) हैं।

2) **नमाज** - प्रति दिन 5 बार अल्ला के प्रति प्रार्थना करना।

3) **रोजा** - रमजान महीने में व्रत (उपवास) रखना।

4) **जकात** - अपनी आमदनी का निश्चित भाग गरीबों में दान करना।

5) **हज** - जीवन में एक बार मक्का की यात्रा करना।

©KTBS Not to be republished

इस्लाम धर्म का प्रचार

मुहम्मद पैगम्बर की मृत्यु के बाद धर्म प्रचार की जिम्मेदारी खलीफा ने उठायी। इन्हें पैगम्बर का उत्तराधिकारी कहा जाता है। इनके सच्चे प्रयास से केवल एक ही शताब्दी में इस्लाम धर्म पश्चिम के स्पेन से पूर्वी भारत तक प्रसारित हुआ। इसका प्रमुख कारण ये है :

1) इस्लाम धर्म की सरलता।

2) खलीफा के धर्म प्रचार संबंधी क्रिया कलाप।

3) इस्लाम धर्म वालों की श्रद्‌धा।

4) सुल्तानों की धार्मिक श्रद्‌धा एवं आस्था।

5) पूरक रुप से निर्मित राजनैतिक परिस्थितियाँ।

इस्लाम धर्म की देन

1) चिकित्सा के रुप में चेचक तथा अन्य रोगों के लिए औषधि और वैद्यकीय ग्रंथ की रचना।

2) विज्ञान और गणित में नवीन आविष्कार।

3) भूगोल और खगोलशास्त्र के बारे में विश्व को जानकारी देना।

4) कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में अपार देन है। इनकी कला की विशेषता रोमन, बाइजेन्टाइन तथा फारसी शैली का विश्व में काफी भवनों के निर्माण में अनुकरण के रुप में देखी जा सकती है।

इस्लाम धर्म के भेद

अन्य धर्मों के समय इस्लाम धर्म के भी अनेक भेद है। इनमें प्रमुख हैं – शिया, सुन्नी। मुहम्मद पैगम्बर के उत्तराधिकारी को खलीफा कहते हैं। मुहम्मद पैगम्बर के बाद खलीफा इस्लाम धर्म के धार्मिक और राजनैतिक प्रमुख कहलाए। अबूबकर प्रथम खलीफा थे।

©KTBS
Not to be republished

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों को पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए –

1. ईसा मसीहा का जन्म स्थान ______________ था।
2. ईसा मसीहा को जिस पहाड पर सूली पर चढाया गया वह पहाड था ______________ ।
3. मुहम्मद पैगम्बर का जन्म स्थान ______________ था।
4. इस्लाम धर्म का ग्रंथ ______________ है।
5. मुहम्मद पैगम्बर के उत्तराधिकारियो को ______________ कहते हैं।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर समूह चर्चा कर लिखिए।

1. ईसामसीह के जीवन के बारे में लिखिए।
2. ईसामसीह के उपदेशों की तालिका बनाइए।
3. ईसाई धर्म का प्रचार कैसे हुआ ?
4. मुहम्मद पैगम्बर के जीवन के बारे में लिखिए।
5. हिजिरा क्या है ?
6. इस्लाम धर्म के उपदेश कौन–कौन से हैं?

III. क्रिया कलाप

1. अपने शहर के चर्च तथा मस्जिद का दौरा कीजिए। वहाँ के धार्मिक पालन की जानकारी प्राप्त करें।
2. इस्लाम धर्म के सांस्कृतिक आचरण के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए।
3. इस्लाम धर्म के लोग रमजान का आचरण किस प्रकार करते हैं ?

IV. प्रदत्त कार्य :

1. ईसाई तथा इस्लाम धर्म के प्रचार के बारे में अपने अध्यापक की सहायता से एक निबंध लिखिए।

© KTBS Not to be republished

अध्याय – 2

मध्यकालीन भारत और राजनैतिक संक्रमण

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशो की जानकारी होगी –

- *उत्तर भारत में शासन करने वाले राजपूत घराने (वंश)।*
- *राजपूत राजाओं की साहित्य, कला और वास्तुकला क्षेत्रों को देन (योगदान)।*
- *तुर्कों का आगमन, मुहम्मद गजनी और मुहम्मद गोरी (मुसलमानों) के आक्रमणों के परिणाम।*
- *दिल्ली के सुल्तानों की राज्य स्थापना, प्रशासन और उनकी देन।*

12 वीं शताब्दी के उत्तरादुर्ध से 13 वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को भारतीय इतिहास का संक्रमणकाल माना जाता है। संक्रमण से तात्पर्य है किसी समाज का एक काल सीमा से दूसरे कालसीमा में प्रवेश करने को तैयार होने की सूचना देना। इस काल में भारतीय समाज की प्राचीन व्यवस्था मध्यकालीन व्यवस्था में शामिल हुई। छोटी-छोटी राज्य व्यवस्थाओं को तुर्कों ने (मुसलमानों) तोड़ा। इसी प्रकार उत्तरी भारत में शक्तिशाली केंद्रशासन व्यवस्था का साम्राज्य स्थापित हुआ। बाद में इस्लाम धर्म के प्रभाव और परिणाम स्वरुप धार्मिक क्षेत्रों में एक देवत्ववाद उपासना का प्रतिपादन किया गया। ये सभी गतिविधियाँ भारत में मध्ययुग के आरंभ होने के प्रमुख लक्षण हैं। मुसलमानों द्वारा भारत में स्थापित किये गये साम्राज्य का अध्ययन करने से पूर्व मुस्लमानों का आगमन, पूर्वी राज्यों में राजनैतिक पद्धति का परिशीलन आवश्यक है।

छोटे-छोटे राज्यों के राजाओं का शासन से तात्पर्य है कई राज्यों की राजनैतिक व्यवस्था। इस राजनैतिक व्यवस्था के अध्ययन को 9 वीं शताब्दी से 13 वीं शताब्दी के मध्यभाग तक पश्चिमी और उत्तरी भारत के कई भागों में शासन कर रहे राजपूत घरानों के शासन से प्रारंभ किया जा सकता है।

राजपूत घराने/वंश

स्थानेश्वर वर्धन घराने के शासन के बाद पश्चिमी और उत्तरी भारत के कई भागों पर मध्यकाल के आरंभ तक गुर्जर प्रतिहार, बुंदेलखण्ड के चंदेल, गढ़वाल, सोलंकी, परमार तथा चौहान राजपूत वंश के विविध घरानों के राजा थे। 12 वीं शताब्दी के अंत में उत्तरी भारत पर राजपूत वंश के पृथ्वीराज चौहान, जयचंद्र गढ़वाल, परमर्थिदेव चंदेलप्रबल राजा थे।

©KTBS Not to be republished

गुर्जर प्रतिहार : प्रतिहारों ने अपने कुछ शिलालेखों में रामायण काल के सूर्यवंश संबंधी क्षत्रिय लक्षण को अपने वंश का मूल स्थापक बताया है। किंतु प्राप्त आधारों के अनुसार नागभट्ट इस वंश का संस्थापक माना जाता है। कन्नौज उनकी राजधानी थी। प्रतिहारों ने सिंध प्रांत पर आधिपत्य जमाया और जब तब अरबों द्वारा हो रहे आक्रमण का सामना कर उन्हें भगाया। इस वंश के बलशाली शासक मिहिरभोज तथा महेंद्रपाल थे। जिन्होंने बंगाल के पाल को हरा कर बंगाल तक प्रतिहारों के साम्राज्य को विस्तृत किया। अरब प्रवासी सुलेमान ने मिहिर भोज के दरबार में आकर उस साम्राज्य की सुख शांति की प्रशंसा की है। महेंद्रपाल के बाद उसके पुत्र महिपाल के शासनकाल से प्रतिहारों का आधिपत्य अवनति की ओर मुड गया।

गह्डवाल (गढ़वाल) : इस घराने वंश के संस्थापक (वंश) चंद्र देव ने वाराणसी को प्रमुख केंद्र रखकर उत्तरी भारत के कई भागों पर शासन किया। इस वंश के एक और राजा गोविंद चंद्र ने पालों को हराकर मालवा तथा मगध तक गहडवाल के आधिपत्य का विस्तार किया। कलिंग और उडीसा के राजाओं को हराया। कश्मीर, गुजरात और चोल राजाओं ने गोविंद चंद्र के साथ मिलकर उत्तम बंधुत्व निभाया।

परमार वंश : ये प्रतिहारों की अवनति के बाद मालवा प्रांत में राजनैतिक रुप से प्रवेश करने लगे। राष्ट्रकूट के सामंत उपेंद्र कृष्णराज ने इस वंश की स्थापना की। इनकी राजधानी धारानगर थी। परमार वंश के प्रमुख राजा भोज ने कल्याणी, चालुक्य, कलिंग, गंग तथा उत्तर के कोंकण को हराकर परमार राज्य का विस्तार किया। आगे चलकर चालुक्यों के विरुद्ध उन्हें हार माननी पडी। राजनैतिक रुप से हार-जीत दोनों का अनुभव करने वाले राजा भोज सांस्कृतिक क्षेत्र में वास्तव में विजयी सम्राट रहे। वे स्वयं कवि थे। इसके बाद के राजा दुर्बल होने के कारण परमार वंश अवनति की ओर मुड गया।

सोलंकी वंश : प्रथम मूलराज इस वंश का संस्थापक था। इस वंश का प्रथम भीम ख्यातिप्राप्त था फिर भी गजनी से सोमनाथपुर मंदिर की सुरक्षा न कर सका। इसके बाद द्वितीय मूलराज तथा वीर धवल वाघेल समर्थ राजा हुए। द्वितीय मूलराज ने मुहम्मद गजनी को माउन्ट आबू के निकट हराया। इस वंश के शासन में ख्यात जैन पंडित हेमचंद्र ने देशीमाला शब्दकोश की रचना प्राकृत भाषा में की। अलाउद्दीन खिलजी के काल में उसके सेनापति उलघखान और नुसरत खान ने कर्णदेव को हराकर सोलंकी राज्य को दिल्ली मुल्तान के साम्राज्य में मिला दिया।

©KTBS Not to be republished

चंदेल वंश : बुंदेलखण्ड में उदित हो रहे चंदेल वंश का प्रसिद्ध शासक ढ़ंग था। आरंभ में चंदेल प्रतिहारों के मांडलिक (कर देने वाला राजा) थे। परमारों के पतन के बाद ढ़ंग ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया। परमारों के साम्राज्य का पूर्णभाग अपने वश में कर पाल तथा अद्र को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया। महाराजाधिराज की पदवी प्राप्त कर ढ़ंग ने मुसलमानों विरुद्ध लड रहे हिन्दूशाही राजा जयचंद्र को सैनिक सहायता प्रदान की। किंतु राजपूत राजाओं में परस्पर द्वेष, एकता की कमी के कारण इस राज्य को खिलजी सुलतानों ने जीत लिया।

चौहान वंश : यह वंश राजपूतों का प्रमुख वंश है। इसका प्रारंभ 7 वीं शती में ही हो चुका था। राजस्थान के अजमेर में यह वंश अपने शासन को प्रारंभ कर चुका था। फिरभी चौहानों को 12 वीं शताब्दी तक पश्चिम भारत में प्रबल राजा के रुप में मान्य बनाने वाले अजयराज, चतुर्थ विग्रह राज तथा तृतीय पृथ्वीराज थे। पराक्रमी पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड के चंदेलों को हराकर महोबा तथा कलिंजर को अपने वश में कर लिया। घोर साम्राज्य को सिंधप्रांत की ओर विस्तृत करना चाहने वाले शासक मुहम्मद गोरी का सामना कर पृथ्वीराज ने तराइन के मैदान में उसे हरा कर भगाया। इस युद्ध में आहत मुहम्मद गोरी गोर (घोर) वापस चला गया किंतु अगले ही वर्ष दिल्ली की तरफ अपनी सेना लेकर आया। पूर्व में हुए तराइन के मैदान में ही युद्ध कर पृथ्वीराज को उसने हराया। पृथ्वीराज राजपूतों के शौर्य पराक्रम का प्रतीक है।

पृथ्वीराज चौहान

राजपूतों की देन : प्राचीन काल के अंतिम चरण तथा आरंभिक मध्य काल तक टिके राजपूत वंश ने अपने शासन काल में धर्म, कला, संस्कृति को उदारता से प्रोत्साहन दिया। राजपूत राजा स्वतः विद्वान थे। भोज, मुंज आदि राजाओं ने अनेक साहित्य कृतियों की रचना की। मुंज राजा ने पद्मगुप्त, हलायुध नामक कवियों को आश्रय दिया था। राजा भोज के काल में शांतिसेना, प्रभाचंद्र सूरी, घनपाल नामक जैन पंडितों ने आश्रय पाया। जयदेव का गीतगोविंद, भारवी का किरातार्जुनीयम्, भृतहरि का रावणवध, महेंद्रपाल की काव्य मीमांसा इनके काल की रचनाएँ हैं। राजशेखर द्वारा रचित नाटक बाल रामायण तथा कर्पूरमंजरी, भवभूति कृत महावीरचरित तथा उत्तररामचरित, प्रागैतिहासिक

© KTBS Not to be republished

रचनाओं में कल्हण कृत राज तरंगिणी, जयनिक कृत पृथ्वी राजविजय तथा हेमचंद्र का कुमारपालचरित महत्व पूर्ण रचनाएँ है। राजपूत राजओं की जीवन चरित्र संबंधी रचनाएँ पृथ्वीराज रासो चंदबरदायी तथा भोज प्रबंध बल्लाल नामक कवियों द्वारा रची गयी। इस काल में गुजराती, राजस्थानी, हिंदी भाषाओं की अभिवृद्धि हुयी। राजपूतों के शिक्षा केंद्रों नालंदा, काशी, विक्रमशिला, उज्जयिनी को प्रोत्साहन मिला।

राजपूत राजाओं ने उत्तर भारत के चित्तौड, मांडु, रणथंभौर, जोधपुर तथा ग्वालियर में विशाल दुर्ग का निर्माण किया। जयपुर, ग्वालियर, उदयपुर के राजमहल, माउन्ट आबू के दिलवाडा मंदिर, विमला वसायी, लूना वसायी मंदिर सुंदर कलाकृति से परिपूर्ण हैं। चंदेलों ने मध्यप्रदेश के खजुराहो के कंडरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। इनके काल में निर्मित देवालयों में शिव तथा विष्णु के मंदिर अधिक हैं।

माउन्ट आबू का जैन मंदिर

इन्होंने चित्रकला को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। चित्रकला शैली को राजस्थानी शैली तथा पहाडी शैली के रुप मे वर्गीकृत किया गया। मेवाड, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर तथा बूनी में राजस्थानी शैली की चित्रकला देखी जा सकती है। खसोली, जम्मू, गढ़वाल, में पहाडी शैली की चित्रकला देखी जा सकती है। इस प्रकार भारतीय इतिहास में राजपूतों को विशेष स्थान प्राप्त हुआ।

मुसलमानों का आगमन

राजपूत राजाओं द्वारा स्थापित छोटे-छोटे राज्यों के पतन के बाद उत्तर भारत में मुसलमानों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस्लाम धर्मी मुसल्मानों के आधिपत्य की स्थापना ज्ञात थी। अरबों ने 8 वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही सिंध प्रांत को अपने वश में करने का

Not to be republished © KTBS

प्रयास किया था परन्तु वे सफल न रहे। फिर भी इसके बाद सिंध प्रांत मुसलमानों के निरंतर आक्रमण के दबाव में था। ये मुसलमान एशिया के भू भागों में स्थित मंगोलिया में इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले खानाबदोश आदिवासियों से संबंधित थे। इस से जुडे अल्फतगीन नामक मुसलमान ने अफगानिस्तान के गजनी प्रदेश में 963 के मुसलमान तथा राजपूत राजाओं के बीच युद्ध आरंभ हुआ।

मुहम्मद गजनी : अलफ्तगीन के बाद सन् 999 में गजनी के सिंहासन पर बैठ कर मुहम्मद ने भारत पर सत्रह बार चढाई की। इसके आक्रमण से प्रसिद्ध गुजरात का सोमनाथ, मंदिर नष्ट हो गया। पूरे पश्चिमी भारत के राजपूत राज्य जर्जर हो गये। इतना ही नहीं राजपूत राजा एकजुट होकर मुसलमानों का सामना भी न कर सके। राजपूतों को राजनैतिक तथा सैनिक दुर्बलता को जानकर ही मुहम्मद हर बार आक्रमण कर विजयी होता रहा। मुहम्मद ने लगभग सत्रह बार आक्रमण किया और काफी स्वर्णाभूषण, सम्पत्ति को गजनी ले गया। यद्यपि उसने भारत में साम्राज्य स्थापना नहीं की फिर भी उसके आक्रमण से मुसलमानों के भारत आगमन (प्रवेश) का मार्ग बन गया। इसी तरह परस्पर द्वेष और शत्रुता से दुर्बल राजपूतों की शक्ति क्षीण होती गई।

मुहम्मद गोरी : अफगानिस्तान के गोर प्रांत शांसबानी वंश के आगमन से मुसलमानों का प्रबल गजनी वंश अंत हो गया। इस वंश का शासक गयासुद्दीन मुहम्मद गोर राज्य के सिंहासन पर आरुढ हुआ। इसने अपने भाई मुजहिद्दीन मुहम्मद को भारत में मुसलमानों का आधिपत्य जमाने भेजा। इसे इतिहासकार मुहम्मद गोरी कहते हैं। इसने मुहम्मद से पूर्व गजनी मुहम्मद के समय से मुसलमानों के अधीन स्थित सिंध प्रांत प्रदेश को अपने वश में करने लिए मुल्तान पर आक्रमण कर अपनी पहली सेनानायक यात्रा आरंभ की। गुजरात के अनिलवाडा पर आक्रमण किया। यहाँ तब उसे पराजय का मुँह देखना पडा। इस पराजय के बाद मुहम्मद ने अपनी योजना बदली और पेशावर में घुसकर उसे जीत लिया। तत्पश्चात् लाहौर के खुसराव मल्लिक मुहम्मद के शरणार्थी हो गए। लाहौर को केंद्र बनाकर मुहम्मद उत्तरी भारत के मैदान की ओर घुसा। सहज ही दिल्ली में शासन कर रहे चौहानों के राजा पृथ्वीराज तृतीय ने इनका सामना किया। सन् 1191 में तराइन क्षेत्र में हुए युद्ध में इन्होंने मुहम्मद को पराजित किया।

गोर की ओर वापस लौटे मुहम्मद ने पुनः अपार युद्ध की तैयारी कर तराइन में द्वितीय बार सन्

©KTBS Not to be republished

1192 में राजपूतों के साथ युद्‌ध किया। इस बार मुसलमानों के तीरंदाज विजयी हुए। मुसलमानों की शीघ्र चाल की अश्वसेना, ने धीमी गति वाले राजपूतों की गजसेना को तितर-बितर कर दिया। प्रथम तराइन युद्‌ध में राजपूतों को विजय दिलाने वाले गोविंदराव तथा भोला दोनों मारे गए। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया गया। बंदी पृथ्वीराज को शरणागत रखकर कुछ दिनों तक मुहम्मद ने शासन आगे चलाया। भारत में उसके द्वारा विजयी प्रदेशों पर शासन के लिए उसने गुलामों को नियुक्त किया और वापस लौटते समय मुहम्मद गोरी की हत्या हो गयी।

राजनैतिक परिणाम :

गोरी की विजय राजनैतिक रुप से कई महत्वपूर्ण परिणामों को जन्म देती है। 12 वीं शताब्दी तक के छोटे-छोटे राज्यों में बँटे राजनैतिक व्यवस्था में फूट पडी। दिल्ली में काफी अधिकार प्राप्त सुल्तानों के वश में स्थित केंद्र सरकार अस्तित्व में आयी। परिणामस्वरुप हर्ष के बाद सम्पूर्ण उत्तर भारत में एक अधिकार पद्‌धति लागू हुई।

प्रशासन पद्‌धति पूर्व के राजपूत राज्यों से भिन्न थी। सभी अधिकारियों की नियुक्ति तथा रद्‌द करने का अधिकार सुल्तानों को था। सेनाप्रशासन स्थिर रुप में पूर्व की तरह न था। सैनिकों की नियुक्ति सीधे सुल्तान ही करते थे। और रद्‌द करने को सुल्तानों की दृढ़ता के बाद भारत का 8 वीं शताब्दी के बाद वाह्य जगत से जो संबंध टूट गया था पुनः जुड गया।

दिल्ली सल्तनत

मुहम्मद के जाने के बाद उसके गुलामों ने मुसलमानों द्वारा अधिकृत भू भागों पर अपना अधिकार दृढ़ करना प्रारंभ कर दिया। इन गुलामों में एक मुहम्मद का विश्वासपात्र उसके निकट कुतुबुद्‌दीन ऐबक ने चौहानों की राजधानी दिल्ली को केंद्र स्थान बना लिया। कुतुबुद्‌दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। ऐबक से प्रारम्भ हुए मुसलमान प्रशासन को खिलजी, तुगलक, सैयद तथा लोदी वंश ने मुगल वंश के आगमन तक आगे बढ़ाया।

गुलाम वंश : मुहम्मद गोरी द्वारा जीते गए भारत के भू-भाग के उनके उत्तराधिकारी सभी गुलाम ही थे। दिल्ली में मुसलमानों का आधिपत्य स्थापित करने वाला कुतुबुद्‌दीन ऐबक भी गुलाम ही था। इसके उत्तराधिकारी भी गुलाम ही थे। इसलिए इनके प्रशासन काल को गुलाम वंश का शासन काल कहा गया। इस गुलाम वंश के सुल्तानों में ऐबक के अतिरिक्त इल्तमश, रजिया सुल्ताना तथा बल्बन प्रमुख थे।

©KTBS Not to be republished

कुतुबुद्दीन ऐबक

इसने भारत में दिल्ली सुल्तानों के प्रशासन की दृढ बुनियाद डाली। अफगानिस्तान के मुसलमान कुतुबुद्दीन को बचपन में ही इनके अभिभावकों ने निशापुर के खाजी को गुलाम के रुप में बेच दिया था। ऐबक को फारसी, अरबी भाषा की शिक्षा मिली थी साथ ही तीरंदाजी, घुड्सवारी तथा सौनिक प्रशिक्षण भी प्राप्त था। गजनी के राज्यपाल मुहम्मद गोरी ने इसे गुलाम के रुप में खरीद लिया था। ऐबक ने गजनी में ही अपने शौर्य (वीरता) से मुहम्मद गोरी का ध्यान आकर्षित कर लिया था। इसने द्वितीय तराइन युद्ध के बाद भारत पर आक्रमण की जिम्मेदारी प्राप्त की। ऐबक मुहम्मद गोरी के काल में उत्तर भारत का उत्तराधिकारी बना। गोरी की मृत्यु के बाद उसने स्वतंत्र रुप से शासन किया।

कुतुबमीनार

आपको ज्ञात रहे :

कुतुबमीनार दिल्ली में स्थित भारत की अत्यंत ऊँची मीनार है। इस का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया और इल्तमशने पूर्ण किया। यह 225 फुट ऊँचा है। इस पर सूक्ष्म शिल्पकारी है। पाँच मंजिली इस मीनार में सीढियाँ भी हैं।

ऐबक ने दिल्ली के कुवैत-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। इसने वहीं कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। इनके दरबार में निजामी तथा पख-ए-मुदब्बीर नामक विद्वान थे। ताजुल मासीर नामक कृति में ऐबक के बारे में जानकारी मिलती है।

इल्तमश :

इल्बरी वंश का इल्तमश कुतुबुद्दीन का गुलाम था। यह ग्वालियर का शासक था जो ऐबक का उत्तराधिकारी बना।

इल्तमश का सुल्तान बनना गजनी के राजा ताजुद्दीन यिद्लीज और सिंध के नासिरुद्दीन कबाच को

©KTBS Not to be republished

गवारा न था इसलिए वे उसके विरुद्‌ध उठ खडे हुए। इल्तमश ने इन्हें पराजित कर अपना स्थान दृढ किया और इसके बाद रणथंभौर, मांडोर (मुंडेर), ग्वालियर, भीला, अजमेर, बनारस, कन्नौज स्थानों को अपने वश में किया। भारत पर सर्वप्रथम बार मंगोलों ने चंगेजखाँ के नेतृत्व में आक्रमण किया। इल्तमश ने इन्हे बुरी तरह पराजित कर वापस भेजा। इन उपलब्धियों को देख बगदाद के खलीफा ने इल्तमश को अधिकृत रुप से, अधिकार सम्मति का पत्र दिया।

इल्तमश ने राज्य को कई प्रातों (खंडों) में विभाजित किया। प्रशासन चलाने के लिए इक्तादारों को नियुक्त किया। प्रशासनिक मामलों से संबंधित सलाह - सूचनाएँ देने के चालीस सरदारों का दल (समिति) गठित किया। प्रधानमंत्री और न्यायाधीश सुल्तान को सलाह देते थे। इल्तमश में स्वर्ण और रजत (सोने-चाँदी) के सिक्के चलाए। कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में कुतुबमीनार निर्माण का जो कार्य प्रारंभ हुआ उसे इल्तमश ने पूर्ण किया।

रजिया सुल्ताना

इल्तमश के पुत्र रुकनुद्‌दीन फिरोज के असमर्थता के कारण उसकी पुत्री रजिया बेगम अपने पिता की उत्तराधिकारी बनी। दिल्ली के सिंहासन पर आसीन होने वाली यह पहली महिला थी। रजिया ने सुलताना की उपाधि प्राप्त कर, पुरुषों की तरह वेश-भूषा धारण कर युद्‌ध में भाग लिया। रजिया ने सिंध से लेकर बंगाल तक के प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित किया। रजिया के शासन से ईष्यालु प्रांतीय अधिकारियों ने जगह जगह दंगे करवाए और रजिया की हत्या करवा दी।

घियास उद्दीन बलबन

दिल्ली में बलबन इल्तमश का गुलाम था। बलबन में स्वामिनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और अपने सद्-गुणों से 'तुर्की के गुलाम समिति' का सदस्य बन गया। रज़िया सुलताना के दरबार में इसकी नियुक्ति 'अमीर-ए-शिकार' नामक पद पर की गई। रजिया सुल्ताना की हत्या के बाद उपस्थित राजनैतिक परिस्थिति में तुर्कों के सरदारों ने बलबन का समर्थन किया। बलबन दिल्ली के सिंहासन पर आरुढ़ होकर सुल्तान बन गया।

बलबन ने खराब प्रशासन चलानेवाले सरदारों पर अपनी पकड़ को मज़बूत किया जो कि आज्ञाकारी नहीं थे। बलबन ने ऐसे सरदारों को अपने नियंत्रण में लिया। मंगोलों के आक्रमणों को रोककर राज्य में बलबन ने कानून-व्यवस्था को संभाला। दरबार में बलबन ने रीतिरिवाजों और शिष्टाचारों पर बल दिया। बलबन दिखावे के लिए फारसी शैली की वेशभूषा पहनता था। वह स्वयं को अल्लाह का प्रतिनिधि मानकर उसने निरंकुश राजप्रभुत्व की व्यवस्था को जारी किया। बलबन ने अनुभवी और विश्वास के योग्य अपने सेनापति के नेतृत्व में अपनी सेना का पुन: संघटन किया। जो लोग राज्य से जागीर पाकर

© KTBS Not to be republished

अपनी सेवाएँ राज्य को नहीं देते थे ऐसे परिवारों से बलबन ने भूमि वापस ले ली। मंगोलों के आक्रमणों को रोकने के लिए वायुव्य दिशा में सीमा क्षेत्र के पास किले का निर्माण करवाया। बलबन एक दक्ष प्रशासनिक अधिकारी भी था। बलबन के बाद, कैकुबाद गद्धी परर बैठा लेकिन वह अपने वजीर के हाथों ही मारा गया। इस प्रकार गुलाम वंश का शासन समाप्त हो गया।

खिलजी वंश (1290–1320)

जलालुद्धीन ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसमें मृदुस्वभाव और दूसरों को क्षमा करने का गुण था। इस वजह से सरदारों ने अपनी स्थिति को मजबूत करके अन्दर ही अन्दर षड़यंत्र रचने लगे। कुछ समय बाद अलाउद्धीन जलालुद्धीन की हत्या करके दिल्ली का सुलतान बन गया।

अलाउद्धीन खिलजी

अलाउद्धीन बचपन में जलालुद्धीन के आश्रय में पला था। अलाउद्धीन शूर-वीर योद्धा था। इसने सेनापति और राज्यपाल के पद पर रहकर काम किया था। सेनापति की हैसियत से इसने मालवा, भिल्सा और देवगिरि पर आक्रमण करके अपार संपत्ति को लूटा था। अपने मार्गदर्शक और आश्रयदाता जलालुद्धीन की हत्या की, इस प्रकार हत्या और लूटपाट का मार्ग अपनाकर अलाउद्धीन खिलजी दिल्ली का सुलतान बन गया।

अलाउद्धीन ने मंगोलों के आक्रमणों का न सिर्फ मुँह तोड़ जवाब दिया उसने उत्तर और दक्षिण भारत के राजाओं को हराकर अत्यधिक धन-संपत्ति को लूटा। इसने गुजरात के वाघेला वंश के राजा कर्णदेव, रणथंभोर के हमीरदेव, चितौड़ के राजा भीम सिंह को हराया था। इसके अतिरिक्त मालवा, बूंदी, मांडोर और टोंक राज्यों को जीत लिया।

दक्षिण भारत में इसके सेनापति मलिक काफर ने सफलतापूर्वक अनेक प्रदेशों को जीता। अलाउद्धीन ने देवगिरि, वारंगल, द्वारसमुद्र और मदुरै पर आक्रमण करके उनके अवनति का स्वयं कारण बन गया। अलाउद्धीन ने जिन राज्यों को जीता था, उन्हें अपने राज्य में विलीन न करके केवल उन क्षेत्रों से अपार मात्रा में संपत्ति को लूटा। अलाउद्धीन के तीसरे बेटे का नाम कुतुबुद्धीन मुबारक था उसने चार वर्ष तक शासन किया था। बाद में खुसरो नामक सैनिक से उसकी हत्या हो गई। आगे चलकर गाजी मलिक (घियासुद्धीन तुगलक) ने खुसरो की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की।

©KTBS Not to be republished

प्रशासनिक सुधार :

अलाउद्धीन खिलजी ने प्रशासन में सुधार करने के लिए कुछ कदम उठाए। सरकार की तरफ से दिए जानेवाले इनाम, भूमि और सहायता धनराशि को रद्द कर दिया गया। दक्ष जासूसी व्यवस्था को अपनाया। मद्यपान, मादक नशीली वस्तुओं की बिक्री, चौसर का खेल को अलाउद्धीन खिलजी ने निषेध कर दिया। सरदारों को आपसी महफिल, सार्वजनिक लोगों के साथ स्नेहसमारोह और अंतर्जातीय विवाह का निषेध कर दिया गया। अलाउद्धीन ने अपनी प्रजा से अधिक मात्रा में कर वसूल करने के लिए अपने सरदारों को आदेश दिया।

आपको इस बात को जानकारी रहे : दो - आब

दो नदियों के बीच के प्रदेश को दोआब कहते है। उदाहरण-गंगा यमुना दो आब ।

सैनिक सुधार : सैनिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, शखास्त्र, घोड़े और नकद रुप में दिए जाने वाले वेतन देने की जिम्मेदारी सैनिक मंत्री को दिया गया था। प्रत्येक सैनिक और घोड़ों के बारे में जानकारी रखने के लिए रजिस्टर रखे गए। घोड़ों पर मुद्रा (दागना) लगाने की पद्धति को अलाउद्धीन ने जारी किया था। महात्वपूर्ण क्षेत्र की रक्षा के लिए अनेक किले बनाये गए। सैनिक अपने वेतन संबंधी विषयों पर किसी भी प्रकार की शिकायत को सीधे सुल्तान को ही कर सकते थे।

वाणिज्यिक सुधार : अलाउद्धीन खिलजी ने जीवन निर्वाह करने के लिए आवश्यक वस्तुएँ जैसे धान्य, खाद्य तेल, चीनी, नमक और वस्त्र आदि के कोमतों को बहुत कम लाभ पर मूल्य निर्धारित किया था। व्यापार करनेवालों को निर्धारित मूल्य पर ही वस्तुओं को बेचना चाहिए ऐसा आदेश दिया। बाज़ार पर नियंत्रण रखने के लिए 'सहना-ए-मण्ड़ी' नामक उन्नत अधिकारी को नियुक्त किया। धोखा करने वाले लोगों के लिए कठोर दण्ड दिया जाता था।

तुगलक वंश (1320-1399) : तुगलक वंश की स्थापना घियासुद्धीन ने की थी। इस वंश में मुहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ तुगलक प्रमुख थे। घियासुद्धीन ने कुछ प्रशासनिक नीतियों द्वारा शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए कानून व्यवस्था पर भी बल दिया। मंगोलों के आक्रमणों को रोकने के लिए सीमाक्षेत्र पर सुरक्षा बढ़ायी। किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया और भूमि कर को कम किया। ड़ाक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए घोड़ों और पैदल ड़ाक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए घोड़ों और पैदल ड़ाक कर्मचारी से काम लिया जाता था। दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक किले का निर्माण करवाया। वारंगल, और मदुरै नगरों को धियासुद्धीन ने अपने कब्जे में कर लिया। गुजरात और बंगाल में कानून-व्यवस्था को संभाला।

©KTBS Not to be republished

मुहम्मद बिन तुगलक

मुहम्मद बिन तुगलक को फारसी और अरबी भाषाओं में पांडित्य था। वह गणित, भौतिक विज्ञान, वैद्य शास्त्र, फारसी काव्य, खगोल शास्त्र आदि विषयों में निपुण था। इसने अत्यधिक ज्ञात प्राप्त किया था फिर भी उसके व्यक्तित्व में अनेक दोष थे। मुहम्मद बिन तुगलक में व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, संयम और सहनशीलता, मानसिक संतुलन, दूर दृष्टि आदि गुणों का अभाव था। वास्तविक फैसला करने की शक्ति तुगलक में नहीं थी।

प्रशासनिक सुधार

कर व्यवस्था में सुधार : तुगलक ने अपने साम्राज्य के भूमि कर से सम्बन्धित भूमि की सभी जानकारी वाला अधिकृत पुस्तक की व्यवस्था की थी। तुगलक ने कृषि विभाग की भी स्थापना की थी। जिस जगह पर खेती नहीं की जाती थी उस जगह पर भी खेती करने का आदेश दिया गया था। किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की। फिर भी दोआब क्षेत्र के किसानों को इसके शासन काल में अधिक भूमि कर देना पडता था।

इस बात की जानकारी रहे :

कर

1) खरज - मुस्लिमेतर लोगों पर भूमि-कर

2) उश्र - मुस्लिम वर्ग पर कृषि कर

3) जकात - मुस्लिम लोगों पर संपत्ति कर

4) जजिया - हिंदुओं पर धार्मिक कर

राजधानी का स्थानांतरण : मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित करके मध्य भारत में स्थित देवगिरि को अपनी राजधानी चुना। तुगलक द्वारा ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि उसके अत्यंत विशाल साम्राज्य की राजधानी केंद्र भाग में रहे। दूसरा कारण यह था कि विदेशी आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा करना। तुगलक की योजना अच्छी तो थी राजधानी का स्थानांतरण करने के लिए आवश्यक बातों को तुगलक ने ध्यान में नहीं रखा था। इस वजह से अनगिनत लोग मुसीबत में फंस गए थे।

सांकेतिक सिक्कों का प्रयोग : तुगलक ने सिक्कों के क्षेत्र में भी सुधार किये थे। तुगलक ने सोने के सिक्कों को जारी किया जिसे दिना नाम दिया गया था, चाँदी के सिक्कों को भी जारी किया गया जिसे अदली कहा गया था। उन सिक्कों को कलात्मक रुप से सजाया गया था। कुछ वर्ष के बाद ताम्र और पीतल के सांकेतिक सिक्कों को जारी किया गया। सिक्के पर टंकन करने की बात सरकार का एकाधिकार नहीं थी। इसलिए जन सामान्य द्वारा टंकन करने के कारण यहाँ अव्यवस्था फैल गई। मंहगे प्रशासनिक प्रयोग, भीषण अकाल, राजधानी स्थानांतरित करना, पुन: स्थानांतरण करने के कारण तुगलक का राज्य खजाना खाली हो गया।

दक्खन की नीति : मुहम्मद तुगलक ने दक्खनी भाग में अपने जीते हुए प्रदेशों पर अपना शासन चलाया। हैदराबाद के नज़दीक में स्थित काकतीयों के वारंगल को अपने वश में कर लिया। होयसल की

©KTBS Not to be republished

राजधानी द्वारसमुद्र को ध्वंस कर दिया गया। दक्षिण भारत में स्थित मदुरै को जीतकर उसके प्रशासनिक देखरेख के लिए जलालुद्धीन ने हसनशाह को राज्यपाल के रुप में नियुक्त किया। इस प्रकार भारत में विशाल साम्राज्य स्थापित करनेवाले दिल्ली के सुलतानों में मुहम्मद-बिन-तुगलक प्रथम व्यक्ति थे। मुहम्मद तुगलक में दूर दृष्टि का अभाव था, उसने बड़ी संख्या में सैनिकों को भर्ती करके सबसे बड़ी फौज़ का संघटन किया था। मुहम्मद तुगलक ने अपने कार्य काल में साम्राज्य का विस्तार नहीं किया था। व्यर्थ में धन खर्च करके राज्य के खजाने को नष्ट पहुँचाया था। इसके अंतिम ग्यारह वर्ष के कार्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में सताईस दंगे हुए। इसके फलस्वरुप विजयनगर और बहमनी जैसे नए राज्यों का उदय हुआ।

मुहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोजशाह तुगलक दिल्ली के सुलतान बनें, इनके कार्यकाल के दौरान प्रजा के हित के लिए अनेक नए कार्यक्रम लागू किये गए। प्रजा की सहायता करने के उद्देश्य से फिरोज़शाह तुगलक ने उनके द्वारा प्राप्त 'तकावी' ऋणों का माफ कर दिया। मुहम्मद तुगलक के आक्रमणों से चोट खाये हुए नागरिकों को मुआवज़ा दिया गया। निजि क्षेत्र के खानों पर और सिंचाई की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए कर संग्रह किया जाता था। जिसके साथ लगभग 20 कर रद्द किए गए।

फिरोज़शाह तुगलक ने नए नगरों की स्थापना, मस्ज़िद, मदरसा नहरों और बाँधों का निर्माण करवाया। जौनपुर, फतेहबाद, हिस्सार, फिरोजपुर और फिरोज़ाबाद जैसे नगरों की स्थापना की। जौनपुर तत्कालीन प्रसिद्ध विद्या केन्द्र था। पर्यटकों की सुविधा के लिए अनेक संख्या में धर्मशालाएँ बनवायीं।

सय्यद वंश (1414-1451) - तुगलकों के बाद सैयद वंश आगे आया।

खिजर खान सय्यद जो मुल्तान का राज्यपाल था, उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दोआब, बियास और ग्वालियर पर अपना अधिकार स्थापित किया। राज्य में होने वाले दंगों को शांत किया। लोगों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिए कदम उठाया। मुहम्मद शाह, अल्लाउद्धीन और आलम शाह इस वंश के प्रमुख सुल्तान थे। आलम शाह को बहलोल लोदी ने हराकर सय्यद वंश के शासन काल का अंत कर दिया ।

लोदी वंश (1451- 1526)

दिल्ली के सुलतानों को श्रेणी में लोदी वंश का स्थान अंत में आता है। बहुलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी इस वंश के सुलतान थे। सिकंदर लोदी ने बिहार, बंगाल धौलपुर और चंदेरी नगरों को अपने वश में कर लिया। दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए सिकंदर लोदी ने कठोर कदम उठाए।

सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी अदक्ष सुलतान था। इसके शासन काल में आलम खान और दौलत खान राज्यपाल थे जिन्होंने अफगानियों को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार बाबर ने भारत पर 1526 ई. में आक्रमण किया। इसी पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल शासन काल का प्रारंभ किया ।

© KTBS Not to be republished

दिल्ली के सुलतानों की देन

प्रशासनिक प्रणाली : दिल्ली के सुल्तान निरंकुश शासक थे। वे सेना के प्रमुख होने के साथ-साथ न्यायाधीश भी थे। सुलतान के प्रशासनिक कार्य कुरान के कानून के अनुसार चलते थे। प्रशासन व्यवस्था में सरदार अमीर और उलेमा वर्गों का प्रभाव अधिक था । केन्द्र सरकार में प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए सैन्य विभाग, विदेश मंत्रालय का विभाग, पत्र-व्यवहार विभाग, दान-धर्म और दत्तक विभागों के काम काज को देखने के लिए अधिकारी और मंत्रीगण नियुक्त थे। राज्यों को अनेक प्रांतों में विभाजन किया गया था। प्रशासनिक व्यवस्था में शिकदार, अमीन और चौकीदार प्रमुख थे। कर संग्रह, शांति व्यवस्था बनाये रखना, शिक्षा प्रदान करना, स्वच्छता बनाये रखना आदि इनके प्रमुख कर्तव्य थे ।

सुलतानों के कार्यकाल के दौरान खराज (भूमि कर) जकात, उशु, खम्स (युद्ध में लूटी गई संपत्ति पर कर) और जज़िया, जिस संपत्ति का कोई वारिसदार नही होता था उस पर कर, आयात कर, मकान पर कर आदि आय के प्रमुख स्रोत थे। कर संग्रह करने के लिए अधिकारी नियुक्त किये गए थे। खाजी लोग प्रांतों में और नगरों मे न्याय करने के विषय में सुलतान के सहायक होते थे।

सामाजिक व्यवस्था : सुल्तानों के प्रशासन के समय में मुसलमान और हिन्दु समुदाय के नागरिकों को परंपराओं के विश्वास तथा आचरण की स्वतंत्रता थी। प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में कई सुधार हिंदू भक्त संतों तथा मुस्लिम समाज के सूफीसंतो द्वारा किये गए। सुल्तानों के प्रशासनिक प्रारंभिक काल में तुर्की के सरदार को ही शासन के उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। तुर्कियों का जोर कम होने पर खिलजी तथा तुगलक वंश ने प्रशासन में इस्लाम धर्म में परिवर्तित तथा सेवा मनोवृत्ति वाले शिक्षित तथा हिंदुओं को उच्च पद प्रदान किए, इससे इस काल के गण्य मान लोगों को भारतीय वेशभूषा, आहार, पेय, संगीत आदि सांस्कृतिक तत्व भी ज्ञात हुए। कर विभाग में हिंदू भी अधिकारी तथा कारकून के रुप में नियुक्त हुए।

सुल्तानों के शासन काल में गुलामगिरि पद्धति व्यापक रुप से विकसित हुई। युद्ध में पकड़े गए शत्रु सैनिकों को गुलाम के रुप में नियुक्त किया जाता था। राजमहल में अनेक महिलाएँ गुलाम थीं। स्त्रियों का दर्जा ऊँचा नहीं था। परदा और बाल विवाह की पद्धति प्रचलित थी। ऊँचे दर्जे की महिलाएँ ललित कला में भाग लेती थीं। ग्रामीण महिलाएँ कृषि और घरेलू काम काज में व्यस्त रहती थीं।

आर्थिक व्यवस्था : जनसामान्य पर करों का भार अधिक था। परिवहन संपर्क की स्थिति ठीक न होने के कारण वस्तुओं की कीमतें एक जैसी हर जगह नहीं थीं। कृषि आमदनी का मूलस्रोत था। सोने-चाँदी से सम्बन्धित कामकाज, कपड़ों पर डिज़ाइन बनाना, वस्त्र तैयार करना, रंग चढ़ जैसे कुटीर उद्योग उस समय में भी प्रचलित थे।

©KTBS Not to be republished

परिवहन संपर्क में सुधार हुआ। गुजरात से लेकर बंगाल तक सड़क मार्ग निर्माण हुआ। विदेशी व्यापारी मध्यकाल के सभी छोटे बडे-नगरों के बाजारों में आते थे। और यहीं रह जाते थे। इससे कुशल कारीगरों को प्रोत्साहन मिलता था। भारत की हस्तकलाकौशल की वस्तुएँ यूरोप के बाजारों में जाने लगीं। दिल्ली तथा अन्यप्रमुख नगरों में सुल्तान तथा गण्य व्यापारी सोने-चाँदी के आभूषण तथा रेशमी वस्त्र के कारखाने चलाते थे।

साहित्य : विदेशी लेखकों और इतिहासकारों ने सुलतानों के दरबार में आश्रय पाया था। उनकी रचनाएँ अरबी और फारसी भाषाओं में थीं। मुहम्मद गजनी के दरबार में अलबरुनी नामक प्रसिद्ध विद्वान था। अलबरुनी दार्शनिक, गणितज्ञ, भूगोलशास्त्री और साहित्यकार था। भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विषयों को ध्यान में रखकर 'तारीख-उल-हिंद' नामक कृति की रचना अलबेरुनी ने की थी। उत्बी नामक विद्वान ने अरबी भाषा में तारीखि-इया-मिनि, हसन निजामिने, ताजुलमासिर नामक ग्रंथों की रचना की थी। मिन्हाज-उस-सिराज ने तबखत-ई-नासिरी कृति की रचना की। अमीर खुसरो ने छह प्रमुख ग्रंथों की रचना की है जिनमें उन्होंन हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति के बारे में जानकारी दी है। इन्हें भारत का तोता नाम से पुकारा गया था। जियायुद्धीन नामक लेखक ने तारीख-ए-फिरोज़ शाही और फिरोज़ तुगलक, पुतुहत-ए-फिरोज़शाही नामक कृतियों को रचा था।

कला और वास्तुशिल्प : दिल्ली के सुलतानों ने भारत में 'इण्ड़ो-इस्लामिक' नामक नई शैली के वास्तुशिल्प का परिचय कराया था। गोपुर, कमान, गुंबज और मिनार इस शैली के मुख्य लक्षण थे। दिल्ली के सुलतानों ने किले, मस्ज़िद, राजमहल, सार्वजनिक भवन, मदरसा और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। इण्डो-इस्लामिक शैली के उदाहरण इस प्रकार हैं : दिल्ली का खुवत-उलइस्लाम मस्ज़िद, कुतुब मिनार, अलै दरवाज़ा, जमैत खाना।

अलाई दरवाजा

खुवत-उल-इस्लाम मस्जिद

©KTBS Not to be republished

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों को पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए –

1) गुर्जर प्रतिहार राजपूत राजवंश के स्थापक का नाम .... था ।
2) पृथ्वीराज चौहान ने तरैन के पहले युद्ध में .... को हराया था ।
3) मुहम्मद गोरी के प्रमुख सेनापति का नाम .... था ।
4) दिल्ली के सुलतानों में शासन करनेवाली प्रथम महिला .... थीं।
5) खिलजी वंश का प्रसिद्ध सुलतान .... था ।
6) तुगलक के काल में राजधानी को दिल्ली से .... में स्थानांतरित किया गया।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

1) राजपूत राजाओं ने साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान दिया था ?
2) इल्तमश को प्रशासनिक पद्धति के बारे में लिखिए।
3) अल्लाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों के बारे में लिखिए।
4) मुहम्मद-बिन-तुगलक द्वारा जारी किये गए प्रशासनिक सुधार के बारे में लिखिए।
5) दिल्ली के सुलतानों का कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में क्या योगदान था ?

III. गतिविधियाँ

1) भारत के मानचित्र में राजपूत राज्यों को दर्शाइए।
2) भारत के मानचित्र में दिल्ली के सुलतानों द्वारा जीते गए स्थानों को दर्शाइए।

IV. परियोजना कार्य

अध्यापक के मार्गदर्शन में दिल्ली के सुल्तानों के स्मारकों के चित्र और जानकारी संग्रह करके फाइल तैयार कीजिए।

© KTBS
Not to be republished

अध्याय – 3

धर्म प्रवर्तक और समाज सुधारक

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशो की जानकारी होगी –

- *भारत के धार्मिक प्रवर्तकों का परिचय तथा प्रतिपादित तत्व और उपदेश।*
- *शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, बसवण्णा का जीवन और उपदेश।*
- *द्वैत, अद्वैत और विशिष्टा द्वैत के सिद्धान्त।*

कर्नाटक के सामाजिक, धार्मिक, इतिहास में 8वीं शताब्दी से 13 वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षो की अवधि अत्यंत प्रमुख है। इस अवधि में तीन वैदिक धर्मों के पालक-पोषक-प्रवर्तक आचार्य शंकर, मध्व तथा रामानुज ने जीवन बिताया था। तीन प्रमुख वेदान्त की शाखाएँ अद्वैत, द्वैत तथा विशिष्टाद्वैत के सिद्धान्त का प्रसार हुआ। साथ ही जाति तथा लिंग पर आधारित असमानता का विरोध कर बसवेश्वर ने कल्याण में सामाजिक क्रांति को प्रारंभ किया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुल, धर्म, तथा लिंग भेद के अतिरिक्त वर्ग के लोगो की ईश्वर की शरण में जाने का उपदेश देकर भक्ति मार्ग द्वारा समाज और धर्म का पुनःचेतन दिया।

शंकराचार्य तथा अद्वैत सिद्धान्त :

शंकराचार्य का जन्म केरल के कालडी ग्राम में नम्बूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता शिवगुरु और माता आर्याम्बा थे। बचपन से ही प्रखर बुद्धि क्षमता वाले शंकर अपनी सातवीं वर्ष की आयु में ही सभी सूत्रों में पांडित्य प्राप्त कर लिया था। गोविंद भगवत्पाद नामक गुरु द्वारा आपने वेद-शास्त्र का अध्ययन किया।

शंकराचार्य

शंकर ने उपनिषद तथा ब्रह्मसूत्रों का गहराई से अध्ययन कर अद्वैत सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। अद्वैत का अर्थ है एक। इसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा अलग नहीं है। दोनों एक है। ब्रह्म ही सत्य है। शेष जगत् मिथ्या है।

©KTBS Not to be republished

संसार एक माया है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। ज्ञानमार्ग से संसार की माया को समझकर परम सत्य रूपी ब्रह्म में अपनी जीवात्मा को विलीन करना चाहिए। तभी सबको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शंकर ज्ञान मार्ग के प्रवर्तक रहे।

जीवात्मा का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। यह शंकर ने प्रतिपादित किया था। जिसे 'मैं ही ब्रह्म हूँ' या 'अहं ब्रह्मास्मि' सूत्र प्रतिपादित कर सभी जीवात्मा में चेतन के श्रेष्ठ होने का प्रतिपादन किया और इसकी पृष्ठभूमि मे समानता का उपदेश दिया। ब्रह्म ही सत्य है, वह निर्गुण है। उसका कोई आकार नहीं है। लक्षण नहीं है। इस तत्व को प्रति पादित किया।

शंकराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ : शंकरभाष्य, आनन्द लहरी, सौंदर्य लहरी, शिवानन्द लहरी, विवेक चूड़ामणि, प्रबुद्ध सुधाकर और दक्षिणामूर्ति स्तोत्र आदि शंकराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ हैं। इसके अलावा शंकराचार्य द्वारा रचित 'भज गोविन्दम' स्तोत्र अत्यंत लोकप्रिय है।

शंकराचार्य ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा करते हुए और समस्त भारत में यात्रा करके अपने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अपने अद्वैत सिद्धांत का प्रचार करने के उद्देश्य से भारत की चार दिशाओं में मठों को स्थापना की। शंकराचार्य ने भारतीय चिंतन को नया रुप और चैतन्य प्रदान किया ।

शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ इस प्रकार से हैं:

1) बद्रीनाथ - ज्योतिरमठ 2) द्वारका - कालिका पीठ 3) पुरी - गोवर्धन पीठ
4) श्रृंगेरी - शारदा पीठ 5) कंची - कामकोटी पीठ

रामानुजाचार्य - विशिष्टाद्वैत

रामानुजाचार्य

रामानुजाचार्य का जन्म चेन्नै के पास स्थित श्री पैरंबुदूर नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव सोमयाजी और माता का नाम कातिमति था । तत्कालीन दक्षिण भारत का प्रसिद्ध विद्याकेन्द्र कंची में था। इस विद्याकेन्द्र में यादव प्रकाश से वेद उपनिषदों को शिक्षा पायी और वेद-उपनिषदों के बारे में गहरा अध्ययन किया। बाद में श्रीरंग नामक स्थान में जाकर वहाँ मठ के पीठाधीश बने। शैव धर्मावलंबी चोल राजा रामानुजाचार्य को कष्ट पहुँचाता था। तब रामानुजाचार्य परेशान होकर होयसल राज्य में आये। उस समय कर्नाटक के होयसल राजा विष्णुवर्धन ने इनका अपने यहाँ स्वागत किया। तत्पश्चात राजा बिट्टिदेवा वैष्णव संप्रदाय में अपना मत परिवर्तन कर विष्णुवर्धन कहलाए, ऐसी मान्यता है। राम ानुजाचार्य ने मेलुकोटे में जाकर चेलुवनारायण मन्दिर का निर्माण करवाया ।

©KTBS Not to be republished

रामानुजाचार्य ने आम जनता को मुक्ति मार्ग दिखाने के लिए अत्यंत निष्ठापूर्वक काम किया। रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को 'विशिष्टाद्वैत' कहा जाता है। रामानुजाचार्य ने बताया था कि जीव और प्रकृति ब्रहम के अधीन है। आत्मा और परमात्मा एक काल में एक नहीं हो सकते हैं। रामानुजाचार्य ने प्रतिपादित किया कि जगत् ब्रह्म का भक्त रूप है और जगत इहसत्य है। इसका प्रतिपादन किया। मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति और शरणागत होना अत्यंत आवश्यक है। जात पात की भावना का खंड़न किया। भक्ति तत्व को प्राप्त करने के लिए सभी जाति के लोगों को उपदेश दिया। इच्छा और आकांक्षाओं को मन में न रखते हुए भगवान की शरण में जाने के लिए लोगों को उपदेश दिया कि भक्ति मार्ग से मोक्ष पाया जा सकता है। रामानुजाचार्य ने शास्त्रों का अध्ययन करके अनेक ग्रंथों की रचना की। वेदांत संग्रह, वेदांत सार, वेदांत दीपिका और श्री भाष्य नामक ग्रंथों की रचना की थी। रामानुजाचार्यके महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम 'गीताभाष्य' था जिसमें उन्होंने भक्ति सिद्धांत को प्रमुखता प्रदान की थी।

उत्तर भारत के संत रामानंद और रैदास रामानुजाचार्य के सिद्धांतों से प्रभावित थे। इससे उत्तर भारत में भक्ति मार्ग की प्रगति के लिए रास्ता आसान बन गया। विजयनगर के तुलुवा और अरवीडू के राजा भी वैष्णव पंथ के अनुयायी बन गये।

आपको इसको जानकारी रहे

दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख वैष्णव मठ

1) यतिराज मठ – मेलुकोटे और श्री पेरम्बदूरु
2) परकाल (ब्रहम तत्र) – मैसूर
3) अहोबला मठ – अहोबला (गुण्टूरु, आंध्र प्रदेश)
4) अहोबला मठ – श्री रंगम
5) अहोबला मठ – सुचींद्रम

© KTBS Not to be republished

मध्वाचार्य – द्वैत

मध्वाचार्य

मध्वाचार्य का जन्म कर्नाटक के उडुपि के पास पाजक नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम मध्वगेह भट्ट और माता का नाम वेदावती था। मध्वाचार्य विष्णु के परम भक्त थे। कहा जाता है कि मध्वाचार्य ने बचपन में ही अदभुत पांडित्य दिखाया था। अच्युतप्रेक्षक नामक गुरु से वेद और उपनिषदों का ज्ञान हासिल किया। इसी गुरु ने मध्वाचार्य को संन्यास दीक्षा प्रदान की थी। गुरु के पास पढाई करते समय ही मध्वाचार्य ने स्वतंत्र रुप से अपने ज्ञान शक्ति का विकास किया और धर्मशास्त्र से सम्बन्धित वाद-विवाद

में अपने गुरु को ही हराया था। इन्होंने 'द्वैत सिद्धांत' का प्रतिपादन किया था। द्वैत का अर्थ है कि जीव और परमात्मा अलग-अलग हैं।

मध्वाचार्य ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए तीर्थयात्रा प्रारंभ की और अनेक स्थानों पर चर्चा में भाग लिया। मध्वाचार्य ने मिट्टी के ढेर से श्री कृष्ण की मूर्ति पहचान कर उसे उडुपि में प्रतिष्ठापित किया और श्री कृष्ण की पूजा के लिए अष्ठ मठों को स्थापना की।

> **आपको इस बात को जानकारी रहे :**
> **आठ मठ –** *पलिमारु, अदमारु, कृष्णापुर, पुत्तिगे, सोदे, काणेयूर शिरुरु, पेजावर मठ।*

श्री मध्वाचार्य मानते थे कि यह संसार माया नहीं है। यह संसार भी परमात्मा के समान सत्य है। इनमें ईश्वर स्वतंत्र है। शेष जगत मिथ्या है। परमात्मा और जीवियों का स्वामि-सेवक जैसा संबंध है। विष्णु अथवा नारायण अकेले एकमात्र व्यक्ति सर्वोत्तम हैं। विष्णु को भक्ति से पूजने से ही आत्मोद्धार अथवा मुक्ति संभव है।

मध्वाचार्य की रचनाएँ : गीताभ्यास, गीता तात्पर्य निर्णय, महाभारत तात्पर्य निर्णय, विष्णु तत्व निर्णय भागवत तात्पर्य निर्णय, सूत्र भाष्य, मायावाद का खण्डन आदि।

मध्वाचार्य के सिद्धांत का प्रचार करनेवाले उनके मुख्य शिष्यों के नाम इस प्रकार हैं – पद्मनाभ तीर्थ, नरहरि तीर्थ, विजयेन्द्र तीर्थ, वादिराज तीर्थ।

बसवेश्वर

बसवेश्वर

मध्यकालीन कर्नाटक के समाज सुधारकों में प्रमुख प्रवर्तकों में बसवेश्वर भी एक हैं। वैदिक मूल धर्म से जुडे असंख्य धार्मिक आचरण विधानों को छोड कर मानवीय मूल्यों पर आधारित सरल वीरशैव सिद्धान्त का बसवेश्वर तथा उनके अनुयायी शरण ने प्रचार-प्रसार किया।

बसवेश्वर वर्तमान के विजयपुरा जिले के बसवन बागेवाडी के मादरस तथा मादलांबिका के पुत्र थे। जाति व्यवस्था के कट्टर विरोधी बसवेश्वर ने अपने यज्ञोपवीत (उपनयन) संस्कार के बाद यज्ञोपवीत को निकाल फेंका और कूडल संगम की ओर चलपडे। यहाँ शैवगुरु के सान्निध्य में लिंग दीक्षाप्राप्त कर ध्यान साधना की।

©KTBS Not to be republished

अपनी कार्य दक्षता से बसवेश्वर कलचुरी के राजा बिज्जला के खजानची (कोषाध्यक्ष) बने। उच्च पद पर आसीन होने पर भी धन, अधिकार, अधिपत्य इनमें से किसी से भी वे विचलित नहीं हुए। अपने सम्पूर्ण जीवन को समाज तथा धर्म संबंधी अनिष्ठ पद्धतियों को दूर करने में लगाया। समाज तथा धर्म के पुनरचेतन को जोडा। इस सामाजिक, धार्मिक, आंदोलन को बसवेश्वर ने मंगलखेडी में आरंभ किया। शिव के शरणार्थी को जाति भेद नहीं करना चाहिए। आत्मा की परिशुद्धता रुपी भक्ति ही शिव में एकाकार होने का सही मार्ग है इसका प्रतिपादन किया। प्रत्येक को मेहनत कर खाना चाहिए। ऐसे स्वावलंबी तत्व को प्रतिपादित किया।

इन्होंने कहा कि वृत्ति में बडा-छोटा नहीं होता। अपने कायक तत्व (कर्मठशील) द्वारा लोगों में काम करने की प्रवृत्ति जगायी। शरीर ही मंदिर है। इसका प्रचार करने वाले बसवण्णा इसे अनुष्ठान में लाने के लिए प्रयत्नशील रहे। ऐसी संवेदना आज भी हमारे समाज के लिए मार्गदर्शक है।

बसवेश्वर ने बीदर जिले के बसव कल्याण में 'अनुभव मंटप' नामक एक शरण आध्यात्म संस्था प्रारंभ किया। जाति और लिंग भेद न करते हुए वहाँ सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समस्याओं के बारे में चर्चा की जाती थी। अंतरंग और बहिरंग दोनों शुद्ध होने चाहिए। वही सत्य है इसका प्रचार करने वाले शरण के आध्यात्मिक चिंतन, उनके चालचलन द्वारा उनके अंग रूप में वचन के रुप में उजागर हुए। सामान्य जन को भी समझने योग्य वचनों में शरण ने जीवन का संदेश दिया जो एक आन्दोलन बन गया। उन्होंने सरल कन्नड भाषा का प्रयोग कर अपने आन्दोलन को जनता की ओर प्रकट किया।

सभी मानव समान है, जन्म से कोई अस्पृश्य नहीं है। किंतु आचरण, चाल-चलन द्वारा अस्पृश्य होते हैं, ऐसा वचनों में कहा गया। उन दिनों के समाज में अपनी जडें जमा चुके कई भेदभावों को, गलतियों को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। इस वचन आंदोलन में जातिभेद रहित सभी अनुयायियों ने एक जुट होकर भाग लिया। इनमें प्रमुख थे - अल्लमप्रभु अक्कमहादेवी, सिद्धरामा, मोलिगे मारय्या, अंबिगर चौड़य्या, मड़िवाला माचय्या, मादार चन्नय्या, हरलय्या और किन्नरी बोमय्या आदि भक्तों के वचनों को लिखकर प्रचार भी किया। कुल मिलाकर समानता के आशय को सिद्धांत रूप देने वाले बसवेश्वर थे।

इसे आप जानें :

बसवण्णा ने अपने एक वचन में इस प्रकार कहा है - (अनुवाद रुप इस प्रकार है) चोरी मत करो, हत्या मत करो, झूठ मत बोलो, आत्म प्रशंसा मत करो, दूसरों की निंदा मत करो, दूसरो की घृणा मत करो। यही अंतस्थल की शुद्धि है, यहि हमारी प्रतिष्ठा की राज है, उपयुक्त सिद्धांत के पालन से कूड़ल संगम देव की कृपा हम पर रहती है।

©KTBS Not to be republished

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों को पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए –

1. शंकराचार्य का जन्म केरल के .... में हुआ था।
2. संसार माया है, केवल ब्रह्म ही सत्य है, ऐसा प्रतिपादन .... ने किया था।
3. रामानुजाचार्य के शिष्य .... कहलाए।
4. द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले .... थे।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

1. अद्वैत सिद्धांत के बारे मे विवरण दीजिए।
2. रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन से हैं ? उनके पंथ को किस नाम पुकारा गया है ?
3. रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।
4. मध्वाचार्य ने किन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था ?
5. बसवेश्वर के कायक (काम करने) सिद्धांत के बारे में लिखिए।
6. अनुभव मंटप का प्रारंभ किसने किया था ?
7. शंकराचार्य द्वारा रचित ग्रंथों के नाम लिखिए।

III. क्रियाकलाप

1. किसी एक पीठ का दौरा करके वहाँ प्रचलित सांस्कृतिक अथवा सामाजिक सेवाओं के बारे में लिखिए।
2. विविध वचनों को संग्रह करके एक समूह में उसका वाचन करके उसकी व्याख्या कीजिए।
3. बसवण्णा जैसे अन्य संतों के चित्र संग्रह कीजिए।

IV. परियोजना कार्य

1. अध्यापक की सहायता से द्वैत और अद्वैत सिद्धांतों के बारे में निबंध लिखिए।
2. स्थानीय वचन लिखने वाले कवियों को अपनी पाठशाला में आमंत्रण करके उनसे वाचन करवाइए।

© KTBS Not to be republished

अध्याय – 4

विजयनगर और बहमनी राज्य

इस अध्याय से निम्न लिखित अंशों की जानकारी मिलती है –

- *विजयनगर और बहमनी राज्यों को स्थापना*
- *विजयनगर और बहमनी राज्यों पर शासित राजवंश*
- *श्रीकृष्णदेवराय की उपलब्धियाँ और देन*
- *बहमनी साम्राज्य की सांस्कृतिक देन*
- *बहमनी साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ*

भारत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना नव महत्वपूर्ण की घटना का युग था। दक्षिण भारत के राजवंश इस प्रकार से हैं – देवगिरि के यादव, वारंगल के काकतीय, मधुरे के पाण्ड्य, द्वारसमुद्र (हलेबीडु) के होयसला और तंजावूर के चोल। ये सब राजवंश अल्लाउद्धीन खिलजी के आक्रमण से चोट खाकर दुखी थे। इसके फलस्वरुप सर्वत्र राजनैतिक अस्थिता, शोक और धार्मिक हिंसा से उत्पीड़न की स्थिति फैली थी। ऐसी परिस्थिति में हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा करने का दायित्व विजयनगर साम्राज्य ने स्वयं संभाला।

हक्का–बुक्का ने 1336 ई. में तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तटीय भाग में इस राज्य की स्थापना की। (आगे) चलकर हंपी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बनी। इसी पृष्ठ भूमि में प्रमुख राजघराने (राजवंश) उत्तर भारत में दिल्ली सुल्तान, कृष्णा गोदावरी के मुखज भाग में उडीसा के गजपति तथा उत्तर दक्षिण में बहमनी रहे। इन सभी का सामना करके विजयनगर साम्राज्य का विकास होना था।

विजयनगर साम्राज्य पर शासित चार राजवंश

संगम | सालुव | तुलुवा | अरवीडु

संगम वंश (1336–1486) का प्रसिद्ध राजा हरिहर (प्रथम) बुक्कराया, हरिहर (द्वितीय) और प्रौढदेवराया। हरिहर (प्रथम) ने विजयनगर साम्राज्य का विकास किया। पहाड के बीच में अनेक मजदूरों की सहायता से खुदाई और समतल मैदान बनाकर नई राजधानी (हंपी) की अभिवृद्धि की गई ।

Not to be republished ©KTBS

बुक्कराय

मदुरै के सुलतान को पद से हटाकर बुक्का के पुत्र कंपण्णा ने साम्राज्य का विस्तार किया। इस दिग्विजय के बारे में गंगा देवी द्वारा रचित 'श्री मधुराविजयम' जी कि संस्कृत की रचना है इससे अधिक जानकारी मिलती है। कोण्डवीडू के रेड़ियों को हराकर पेनुगोण्ड़ा प्रदेश को बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। बुक्का ने जैन और वैष्णवों के बीच के धार्मिक झगड़े को सर्वधर्म समन्वय नीयि को ऊपर उठाया, ऐसी बातें श्रवणबेलगोला के शिलालेखों से पता चलती हैं। राजधानी में किला बनवाया, मन्दिरों का निर्माण करवाया, कृषि से संबंधित क्रियाकलापों को अधिक प्रोत्साह दिया गया। बुक्का ने चीन देश के मिंग वंश के सम्राट के दरबार में अपने राजदूत को भेजा।

हरिहर (द्वितीय)

बुक्कराया का पुत्र हरिहरा (द्वितीय) ने अपने 27 वर्ष के कार्यकाल के दौरान बृहत प्रदेशों को अपने राज्य में मिला लेने के कारण विजयनगर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया। हरिहरा (द्वितीय) ने कोण्डवीडु, कर्नूल, नेल्लूरु के किलों (Forts) को जीता था। बहमनी सुल्तान मजाहिद की मृत्यु के बाद के काल में इसने अपने राज्य को गोवा के उत्तरी भाग कोंकण के तटीय क्षेत्र को भी अपने क्षेत्र में मिला लिया। 1398 ई. में. इसने कृष्णा नदी के उत्तरी भाग में स्थित पांगल के किले की अपने वश में कर लिया।

देवराय (द्वितीय) (प्रौढदेवराय) शक संवत (1424-1446)

संगम वंश के श्रेष्ठ राजाओं में देवराया (द्वितीय) (प्रौढ़देवराया) प्रमुख है। इसने 'गज बेंटेकारा' (हाथी का शिकारी) नामक उपाधि प्राप्त की थी । देवराया (द्वितीय) ने ओडीशा के गजपति कपिलेन्द्र को हराकर कोण्डवीडु को जीत लिया। देवराया

आपको इसकी जानकारी रहे

वेदों के भाष्य लेखन इनके शासन के दौरान पूर्ण हुए। इसलिए हरिहर को 'वैदिक मार्गस्थापनचार्य' नामक उपाधि दी गई है। अपने साम्राज्य के 26 प्रमुख नगरों में मंडी (सप्ताह में एक दिन चलनेवाला बाजार) कन्नड में की व्यवस्था किया था।

क्या आपको यह पता है ?

निकोलो कोटी नामक इटली देश का पर्यटक विजयनगर में आया था। उसने विजयनगर के बारे में रोचक वर्णन किया था। राजधानी 60 मील के त्रेज्यिा क्षेत्रफल तक फैला था ।

आपको इस बात को जानकारी रहे:

पर्शिया देश का राजदूत अब्दुल रज़ाक 1443 ई के अप्रैल के अंतिम दिनों में विजयनगर की राजधानी में था । इसके वैभव से प्रभावित होकर उसने इस प्रकार कहा था– ''विजयनगर जैसे नगर को मैंने अपनी आँखों से और न ही सुना है क्योंकि इसके समान नगर संसार में और कहीं''

©KTBS Not to be republished

(द्वितीय) ने सीमा से लगे प्रदेशों के नेताओं को गुप्त स्थान में रखकर उत्तर–पूर्ती सीमा क्षेत्र को कृष्णा नदी तक राज्य का विस्तार किया । बाद में केरल राज्य को जीतकर और श्रीलंका देश से उपहार प्राप्त किये। इस कारण से इन्हें 'दक्षिण पथ का चक्रवर्ती' माना गया है। इन सारी विजयों के कारण विजय नगर साम्राज्य श्रीलंका से गुलबर्गा तक और तेलंगाना से मलबार तक और तेलंगाना से मलबार तक अपने राज्य का विस्तार किया ।

देवराया (द्वितीय) ने अपने पुराने शत्रु अहमद शाह को बीजापुर तक पीछा किया और मुदगलव बंकापुर को अपने कब्जे में कर लिया। देवराया (द्वितीय) का सेनापति लक्कण्णा दण्डेश ने अपनी नौ सेना की सहायता से अपने राज्य का विस्तार किया।

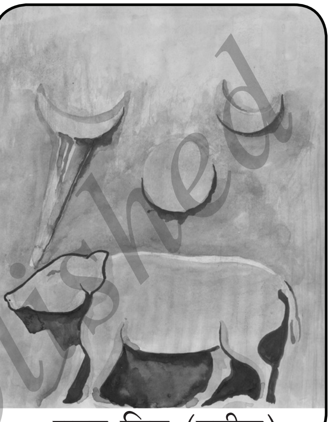
राज्य चिह्न (प्रतीक)

इस राजा में धार्मिक–सहिष्णुता को भावना थी। इसने अपनी राजधानी में मस्जिद का निर्माण किया था। जैन और वैष्णव मन्दिर भी बनवाये गए। यह राजा स्वयं एक कवि था। इसने अपने दरबार में संस्कृत कवि ड़िमड़िम और कन्नड़ कवि लक्कणा दण्ड़श के आश्रय दिया था। देवराया के काल में वीरशैव पंथ और साहित्य का पुनर्जागरण हुआ। 1446 ई0 में देवराया (द्वितीय) की मृत्युकेबाद दुर्बल राजा सिंहासन पर बैठे और इसके साथ ही संगम वंश का शासन समाप्त हो गया।

कृष्णदेवराय (शक् संवत 1509 – 1529)

कृष्णदेवराय

कृष्णदेवराय तुलुवा राजवंश केथे। नरसनायककी द्वितीय पत्नी नागलांबिका के पुत्र कृष्णदेवराय विजयनगर के राजाओं में अत्यंत श्रेष्ण माने जाते हैं। इनके शासन केदौरान विजयनगर साम्राज्य सफलता को पराकाष्ठा पर पहुँचा था। कृष्णदेवराय ने बीस वर्षतक शासन किया था। भारत के प्रसिद्ध राजा जैसे अशोक समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन आदि थे ऐसे सम्राटों को सूची में कृष्णदेवराय का भी नाम आता है। कृष्णदेवराय जब राजा बने थे तब उन्हें हर तरफसे जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा था। यूरोप केलोग नए जलमार्ग से भारत में आकर अपने उपनिवेश स्थापना करने लगे। उत्तर के मुगल भी दक्षिणी राज्यों के अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए प्रयत्नशील रहे। बहमनी राज्य के पाँच शाही राज्यों के संघ ने नया रुप धारण कर कृष्णदेवराय

©KTBS Not to be republished

केविरुद्ध युद्ध करने केलिए उतावले हुए। इसके अतिरिक्त उम्मत्तूरु और उडीसा के राजा भी वैमनस्य एवं घृणा की दृष्टि से विजयनगर को देखने लगे थे।

कृष्णदेवराय की सैन्य उपलब्धियाँ

राबर्ट स्यूयेल के कथनानुसार कृष्णदेवराय अत्यंत पराक्रमी, चतुर सैनिक और कुशल राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने जो युद्ध लड़े थे उन सब में विजय प्राप्त की थी और विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया था। कृष्णदेव राय के सिंहासनासीन होने तक आंतरिक कलह के कारण विजयनगर के कानून की सुव्यवस्था भंग हो चुकी थी। सन् 1510 से 1521 तक का प्रशासन दीर्धकालीन आक्रमण, युद्ध हुए। ये युद्ध बहमनी, बिजापुर के आदिलशाही, अहमनगर की निजामशाही, गोलकुंडा की कुनुबशाही, उडीसा का गजपति तथा गाँव के सामंतों द्वारा चलाए गए। सन् 1509 में यूसुफ आदिलशाह ने अन्य शाही घरानो के साथ मिलकर विजयनगर पर युद्ध की घोषणा की। युद्ध में बिजापुर के आदिलशाह की मृत्यु हो गयी इस समय कृष्णदेवराय ने रायचूर के दो आब को अपने वश में कर लिया। साथ ही कृष्णदेवराय ने बंदी मुहम्मद शाह को मुक्त कर बहमनी का राजा बना दिया। इस प्रकार इसने यवनराज्य का प्रतिष्ठापक आचार्य की पदवी धारण की। इस युद्ध ने अब तक अवनति के पथ पर बढ बहमनियों की शक्ति को पूर्ण रुप से नाश कर दिया। तत्परचात् उम्मत्तूर के अधीनस्थ सामंत गंगाराय के विरुद्ध आक्रमण हुए। यह भाग श्रीरंगपट्टण प्रांत को मिलादिया गया।

कृष्णदेवराय द्वारा की गई चढाई में उडीसा के गजपति के साथ किया गया युद्ध प्रमुख था। यह युद्ध सन् 1512 से 1518 तक लम्बे समय तक चला। तथा कोंडवीडु विजयवाडा तथा कोंडपल्लि को अपने वश में कर लिया। ये उडीसा के गजपति प्रताप रुद्रदेव के दक्षिणी भाग हैं। उडीसा के गजपति ने आत्मसमर्पण कर अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेवराय से कर दिया। बिजापुर के इस्माइल आदिलशाह ने सन् 1520 में रायचूर पर कब्जा कर लिया। रायचूर के लिए विजयनगर और बिजापुर के सुल्तान के बीच घनघोर युद्ध हुआ। पुर्तगालियों ने विजयनगर की सहायता पहले की थी पुर्तगलियों ने कृष्णदेवराय को गोवा को वश में करने में मदद की थी। युद्ध में रायचूर कृष्णदेवराय के वश में आया। इस का प्रशासन विजयपुर उत्तर में गोदावरी तथा कृष्णा नदी, पूर्व में बंगाल की खाडी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर तक विस्तृत हुआ।

कृष्णदेवराय ने युद्ध करने को निपुणता के साथ-साथ वे एकसमर्थ प्रशासनिक अधिकारी भी थे। इनसे द्वारा रचित 'आमुक्तमाल्यदा' जो तेलुगु रचना है, पता चलता है कि राज्य के प्रशासन के मामले में उन्हें व्यवहारिक ज्ञान अधिक था। कृषि के विकास के लिए सिंचाई की सुविधाओं का

©KTBS Not to be republished

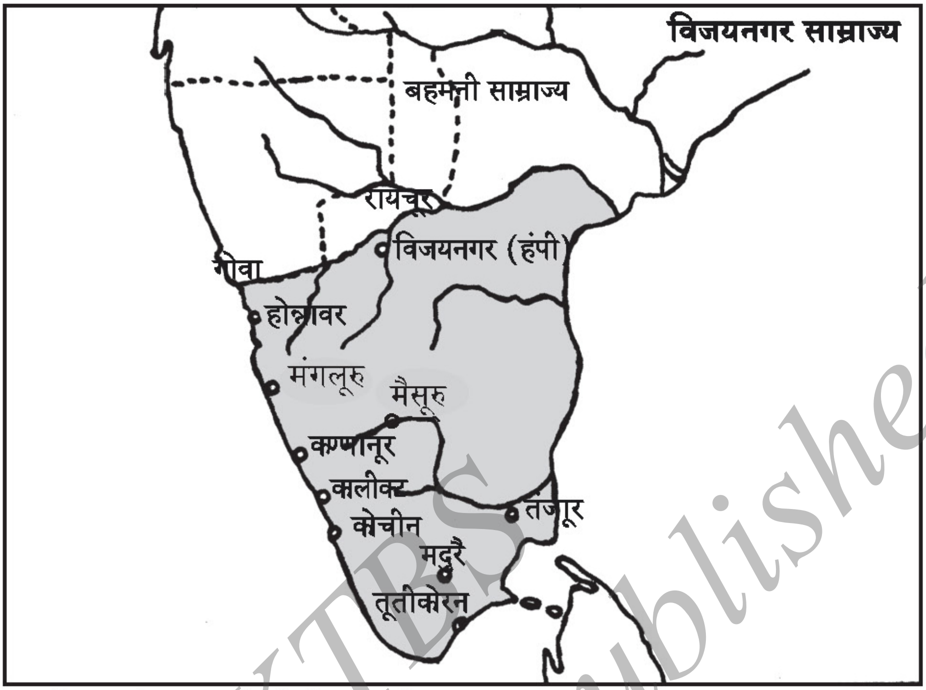

प्रबंध किया गया था। पुर्तगालियों के साथ संबंध बनाकर विदेशी व्यापार के बढ़ाया। विवाह करने के विषय में जो पहले कर लगाया जाता था उसे हटा दिया गया। कृष्णदेवराय कला, साहित्य और धर्मक संरक्षण करते थे। कृष्णदेवराय स्वयं एककवि थे, उन्होंने 'जांबवती कल्याण' नामक नाटकसंस्कृत भाषा में रचना की थी। उनके दरबार में अल्लसानि पेद्दन्ना, नंदि तिम्मन्ना, धूर्जट और रामकृष्ण इत्यादि कवि थे।

गतिविधियाँ

तेनाली रामकृष्ण की बुद्धिमत्ता से संबंधित कथाएँ पढिए।

कृष्णदेवराय ने हंपी में कृष्ण भगवान का मन्दिर बनवाया था। इन्होंने अपने शासन काल में और भी अनेकमन्दिरों का निर्माण करवाया था साथ ही हंपी के विरुपाक्ष मन्दिर का महा रंगमंडप का निर्माण करवाया था। सभी धर्म और पंथ के लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता थी। ये विचार पुर्तगाली पर्यटक पायेस और बर्बोसा के हैं। कृष्णदेवराय को प्रतिष्ठा और सामर्थ्य की प्रशंसा की गई है।

विजय नगर साम्राज्य का पतन

कृष्णदेवराय के बाद अच्युतराय और सदाशिवराय ने शासन चलाया था। कृष्णदेवराय का दामाद अरबीडु वंश केरामराय ने प्रशासन के अपने नियंत्रण में लिया। रामराय ने अपने 23 वर्ष के कार्यकाल केदौरान अनेकयुद्ध जीतकर साम्राज्य की प्रतिष्ठा को ऊँचा उठाया फिर भी विजयनगर के अनेक शत्रुओं की सृष्टि हो गई।

©KTBS Not to be republished

दक्खन प्रदेशों केराज्य समय-समय पर विजयनगर राज्य पर आक्रमण करते थे। बदली लेने के उद्देश्य से रामराय ने विजयापुरा और गोल्केण्ड़ा राज्यों पर अपना कब्जा कर लिया। ऐसी स्थिति में दक्खन केसुल्तानों और विजयनगर के बीच में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। दक्खन के सुलतान विजयनगर साम्राज्य के प्रगति और समृद्धि के देखकर ईष्र्या और द्वेष की भावना से ओतप्रोत थे। तब दक्खन राज्यों के बीच में जो भी राजनीतिक मतभेद थे, सुलतानों ने परस्पर बातचीत के जरिये उन मतभेदों के भुला दिया।

1565 ई. में चार राज्यों के संघ के सेनाओं ने मिलकर विजयनगर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में रामराय की सेना हार गई। रामराय की हत्या कर दी गई। दक्खन राज्य की सेनाओं ने विजयनगर को अपार संपत्ति के जमकर लूटा। फलस्वरुप साम्राज्य की राजधानी हंपी का नुकसान हुआ। इतना ही नहीं हंपी पूर्णरुपसे जर्जर स्थिति में पहुँच गया। इतना होने केबाद भी पेनुकोण्ड़ा, चंद्रगिरि आखिर में वेल्लूर पर आरवीडु वंश का शासन 1646 ई तक चला। विजयनगर के अधीनस्थ सामंती सरदार स्वतंत्र हो गए। ये सामंती सरदार कर्नाटक में मैसूर, केलदी, चित्रदुर्गा के क्षेत्रों को देखरेख करते थे।

ज्ञात रहे

विजय नगर साम्राज्य में पेनुगोंडा चंद्रगिरि, पड्डे बीडु तिरूवाडी (तिरुवाकुरु) मुलुवायी (मुलबागिलु) सातलिगे (शिवमोग्गा प्रदेश) और मंगलूरु प्रमुख प्रांत थे।

क्या आप जानते है?

- *होन्नम्मा नाम को महिला देवराय द्वितीय को दरबारी के आस्थान में संवाददाता थी।*
- *विजय नगर काल में अत्यत जनप्रिय खेल कुश्ती था। हरियक्क उस समय की प्रसिद्ध महिला कुश्ती खिलाडी थी।*
- *आज के मैसूरु दशहरा तथा उन दिनो के विजयनगर साम्राज्य के दशहरे के त्योहार के बारे में तुलना कीजिए और विश्लेषण कीजिए।*

विदेशी पर्यटक

विजयनगर साम्राज्य के काल के बारे में जानने में विदेशी पर्यटकों के कथन प्रमुख सहायक रहे हैं। इस काल में असंख्य पर्यटक विजयनगर आये थे। इन पर्यटकों के कथन विजयनगर के राजनैतिक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा समकालीन अन्य राजघरानों के बारे में जानकारी देते हैं। विजयनगर को आये प्रमुख पर्यरकों में हरिहर प्रथम इब्नबनू ता (मोटक्को, प्रौढदवरायः निकोलो-डी-कोटी (वेनीशिया), अब्दुल रज़ाक (फारस), निकेटन (रुस), नरसिंह द्वितीयः लोडेविको दि. वर्तेया (इटली), कृष्णदेवरायः बार्बोसा (पुर्तगाल), डोयिंगो पयास (पुर्तगाल), अच्युतदेवरायः न्यूनीज (पुर्तगाल), रक्कसतंगडी युद्ध के बाद सीज़र फेड्रिक (वेनिस), प्रथम राजा वेंकट के निधन के बाद न्याडरस (इंग्लैंड) प्रमुख थे। इनमें युरोपीय जनों के अधिक होने का कारण है - यूरोप से व्यापार के लिए पूर्व देशों के जलमार्ग को ज्ञात कर लिया गया था। साथ ही धीरे धीरे अरबों के कब्जेमें स्थित विदेशी व्यापार पुर्तगालियों के वश में आ गया।

©KTBS Not to be republished

ज्ञात रहे

बंकापुरा, भट्कल, गोवा, शिवन समुद्र, राचयूर, कंची, चिदंबरम्, मदुरै, रामेश्वरम् इस काल के प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहे। विदेशी व्यापार भी उत्तम स्तर पर था। जावा - मुमात्रा, बोर्नियो, चीन, अरेबिया, फारस (पार्शिया), पूर्वी अफ्रीका, अबीसीनिया, पुर्तगाल देशों के साथ प्रमुख रुप से व्यापारिक संबंध रहे। गोवा, चोल, होन्नावर, बारकोरु, मंगलूर, नीलेश्वर, भट्कल, कल्लिकोटे, मचलीपट्टण, विशाखपट्टण, इनके प्रमुख बंदरगाह थे। विदेशियों को वस्त्र, चावल, लोहा, चीनी, तथा मसालों के पदार्थ निर्यात होते थे। घोडे, हाथी तथा ताँबा, मूँगा, पारा, सिंदूर, चाइनासिल्क तथा वेल्वेट के कपडे प्रमुख रुप से आयात की जाती थी।

सांस्कृतिक योगदान

प्रशासन : विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था परंपरागत रुप से आगे बढ़ी। राजा अपने बड़े बेटे के ही अपना उत्तराधिकारी चुनते थे। विजयनगर को प्रशासन पद्धति विकेन्द्रकृत अधिकार से संपन्न केन्द्र सरकार थी। मंत्री, सेनाधिकारी, प्रांत के अधिनस्थ सामंती सरदार अथवा नायक राजा को प्रशासन कार्य में सहायता करते थे। तिम्मारसराय प्रधानमंत्री था। साम्राज्य में राज्य, नाडु और ग्राम थे जिनकी अपनी प्रशासनिक इकाई की व्यवस्था थी।

न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में राजा के पास परम अधिकार थे। प्रांतों में प्रांताधिकारी ही इस बारे में अपना फैसला सुनाते थे। सजाएँ उग्र होती थीं। ग्राम, प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम घटक थे, वहाँग्रामसभाएँ प्रशासन चलाती थीं। गौड़ा, कर्णम (शानभोग) और तलवार ग्राम प्रशासन की सहायता करते थे। नाडुओं मेंनाड़गौड़ा और नगरों में पट्टण स्वामी प्रशासन चलाते थे।

विजयनगर में शक्तिशाली सेना थी। स्थायी दल, सामंती सेना और सुसभ्य (यह राजा की अंगरक्षक टुकडी थी) सेना तीन विभागों में विभाजित थी। पैदल सेना, अश्व दल, गज दल और तोपखाना आदि सेना के प्रमुख भाग थे। 1368 ई0. से तोपखाने का युद्ध में इस्तेमाल होने लगा था। बृहत आकार के अनेक हाथी थे। अरब देश के घोड़े विजयनगर के आकर्षण थे। सेना में नौ सैनिक बल भी थी। किसी भी जाति का व्यक्ति सेना में भर्ती होकर उच्च पद प्राप्त कर सकता था। वक् कलिगा, शिकारी (आखेल) बन गए। युद्ध में किले और दुर्ग की प्रमुख भूमिका थी।

©KTBS Not to be republished

सामाजिक व्यवस्था : समाज चार वर्णों को व्यवस्था में विभाजित था। पेशे पर आधरित जाति व्यवस्था प्रचलित थी। कुशलकर्मी, लोहार, सुनार, बढई, जुलाहा, धोबी ये सब अधिक संख्या मे थे। समाज में बाल विवाह, सती प्रथा और देवदासी पद्धति प्रचलित थी। सामान्यत: एक पत्नी को प्रथा अधिक थी फिर भी धनवान और राजा लोग बहुपत्नियों को स्वीकार कर सकते थे। समाज में स्त्रियों का स्थान ऊँचा था। विजयनगर में महिला पहलवान भी थे। साथ ही महिला पहरेदारों को भी देखा जा सकता था। होली, दीपावली और दशहरा जैसे त्योहारों को सार्वजनिक रुप से मनाया जाता था। दशहरा त्योहार को हंपी में राजा की देखदेख में धूमधाम से मनाया जाता था। संगीत और नृत्य समाज में अत्यधिक लोकप्रिय थे।

> **गतिविधियाँ**
>
> *प्राचीन काल के रुपये-पैसे और सिक्के अथव चित्रों का संग्रह कीजिए।*

आर्थिक व्यवस्था : विजयनगर आर्थिक दृष्टि से समृद्ध साम्राज्य था। किसान फसल के कुल उत्पादन का एक चौथाई भाग($^1/_4$) सरकार को कर के रुप में देते थे। वृत्ति कर, गृह कर, पथ कर, वाणिज्य कर, बाज़ार मंड़ी कर, आयात और निर्यात कर, सामंतों से प्राप्त किये जाने वाला काला धन-ये सब राज्य के अन्य आमदनी का मूलस्रोत थे। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी। विजयनगर के किसान रवी और खरीफ फसल उगाते थे। जौ, रागी, धान, बाजरा, उड़द दाल तिल, मूंगफली, कपास और गन्ना, नारियल प्रमुख से मुख्य फसल थीं। विजयनगर के राजाओं ने तालाब और नहरों को बनाकर कृषि सिंचाई को बढ़ावा दिया। भूमि पर पांच तरीके से अधिकार बनाया जा सकता था। वे इस प्रकार से हैं लगान, ठेका, कर (नजराना), हफ्ता और सीमा।

विजयनगर साम्राज्य के काल में औद्योगिक और वाणिज्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। काली मिर्च, लवंग, इलायची आदि मसाला पदार्थ, नमक, कच्चा लोहा, हीरा कलखण्ड़, कस्तूरी, चंदन, सुगंधद्रव्य आदिवस्तुओं का निर्यात किया जाता था। वस्त्र बुनना प्रमुख उद्योग था। सोने के सिक्के, गद्याण और पगोड़ा, चांदी के सिक्के ताँबे के सिक्के, पैसे आदि प्रचलित थे।

> **आपको इस बात की जानकारी रहे :**
>
> *ईसाई हो या फिर यहूदी हो, मुसलम ान हो या फिर हिन्दू हो बिना किसी आतंक से इस राज्य में जी सकता है –*
>
> *बर्बासा, विदेशी पर्यटक*

भटकल, होन्नावर, मंगलूरु विजयनगर के प्रमुख बंदरगाह थे। अरब, चीन और पुर्तगाल के विदेशी व्यापारी साम्राज्य के संपर्क में थे।

©KTBS Not to be republished

आपको जानकारी रहे :

अनंतपुर जिले के गुत्ति के समीप वज्रकरुर नामक स्थान हीरों (Diamonds) का केन्द्र था। क्यालीकट में नील मणि अत्यधिक माषा में मिलती थी। भटकल भी कच्चे लोहे का केन्द्र था। पुलिकाट में गुलाबी फूलों से सुगंधित द्रव्य तैयार किया जाता था। फैजेसन एक पुर्तगाली यात्री के अनुसार सप्ताह में एक दिन चलनेवाला बाजार (मण्डी) कन्नड में सन्ते साम्राज्य के सभी छोटे-बड़े नगरों और कसबों, ग्रामों में आयोजित किये जाते थे। प्रमुख रुप से सात बाजार-मण्डियों के नाम इस प्रकार से हैं - विरुपाक्ष, कृष्णा, पानसुपारी वरदराजय्या, अच्युत, विट्ठल और माल्यवंत आदि।

धार्मिक व्यवस्था : विजयनगर साम्राज्य में सभी धमाँ को प्रोस्ताह दिया जाता था। श्री वैष्णव और जैन धर्मावलंबियों ने अपने अपने मतभेदों को भुलाकर परस्पर आदर से जीवन बिताने का वातावरण विजयनगर में था। विजयनगर साम्राज्य पर प्रारंभ में जिन्होंने शासन किया था वे शैव और वीरशैव पंथी थे और इसका संरक्षण करते थे। बाद में जिन्होंने विजनगर पर शासन किया था वे वैष्णवमत के उपासक थे।

विजयनगर में मुसलमानों के लिए मस्जिदों और दरगाहों का निर्माण करवाया गया था। पुर्तगालियों से व्यापार में वृद्धि करके विजयनगर के राजाओं ने न सिर्फ ईसाई धर्म को प्रोस्ताह दिया बल्कि उन्हें गिरजाधरों का निर्माण करने के लिए अनुमति भी दी।

साहित्य : साम्राज्य में कानून और व्यवस्था तथा शांति का वातावरण था। साथ ही आर्थिक प्रगति होने के कारण साहित्य का विकास भी अच्छी तरह से हुआ। कन्नड़, संस्कृत, तेलुगु और तमिल भाषा में साहित्य की रचना होने लगी।

रत्नाकरवर्णी द्वारा रचित 'भरतेश वैभव', - चामरस द्वारा रचित 'प्रभुलिंगलीले, कुमारव्यास द्वारा रचित 'गदुगिना भारता' कन्नड़ भाषा के मुख्य काव्य थे। भीमकवि ने पालकुरिके सोमनाथ की तेलुगु कृति 'बसव पुराण' को कन्नड़ भाषा में लिखा है। वीरशैवों के वचनों का संग्रह ग्रंथ, 'शून्य संपादने' की रचना हुई। लक्कण्णादडेश का 'शिवतत्व चिंतामणि' के अलावा कन्नड में मानव वेद्यशास्त्र, पशु वैद्य, काव्य शास्त्र, ज्योतिब्य, पाकशास्त्र जैसे ग्रंथों की रचना हुई। पुरंदरदास, कनकदास, श्रीपादराय, व्यासराय ने दास साहित्य को समृद्ध किया । कनकदास द्वारा रचित 'मोहन तरंगिणी', 'नला चरिते' 'हरिभक्चसारा' और 'सामधान्य चरिते प्रमुख दास साहित्य हैं।

संस्कृत भाषा में विद्यारण्य की 'शंकर विजय' और 'सर्वदर्शन संग्रह' की रचना हुई। इनके नारायण आचार्य ने 'वेदार्थ प्रकाश' नामक वेदभाष्य और आयुर्वेद सुधानिधि, पुरुषार्थ सुधानिधि जैसे

©KTBS Not to be republished

अनेक पुस्तकों की रचना की थी। कंपणाराय की पत्नी गंगादेवी ने 'मधुराविजयम' नामक कृति की रचना की थी। यह कृति कंपणा की अन्यराज्यों पर आक्रमण की यात्रा और वहाँ के तीर्थ क्षेत्रों के वर्णन की जानकारी देता है।

देवराय (द्वितीय) के दरबारी कवि श्रीनाथ ने 'कविचक्रवर्ती' नामक उपाधि प्राप्त की थी। कृष्णदेवराय के काल में अष्टदिग्गज प्रसिद्ध कवि थे। अल्लसानि पेद्दन्ना को मनुचरितमु तिमण्णा को 'पारिजातापहरणम', तेनाली रामकृष्ण की पांडुरंग माहात्म्यमु प्रमुख कृतियाँ थीं।

परमज्योतियर, वीर राघवर, मंड़लपुरुष, ज्ञान प्रकाश, हरिहरा आदि तमिल कवि कृष्णदेवराय के दरबार में थे। परमज्योतियर कवि ने 'तिरुवलयाड़ल पुराणम' नामक कृति रचना की थी। विजयनगर शासन काल में संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और तमिल भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाता था।

कला और वास्तुशिल्प

> **गतिविधियाँ**
>
> *हंपी दर्शन के लिए पर्यटन आयोजन और वहाँ के मंदिर और भवनों के बारे में जानकारी संग्रह करो।*

विजयनगर के राजाओं ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं वे स्मरण के योग्य हैं। इसलिए इन सम्राटों को वास्तुकला का महान पोषक कहा जाता है। इनके शासन काल में मन्दिर, राजमहल, किले, गोपुर, मुहमटप, सार्वजनिक इमारतें, तालाब और उसके पास का चबूतरा, नहरें, बाँध आदि का निर्माण करवाया गया।

विजयनगर की कला को प्रमुख विशेषताएँ : विजयनगर के राजाओं ने चालुक्य, चोल और होयसला की वास्तुशैली के नमूनों को पहले की तरह आगे बढ़ाया। इनकी शैली के प्रधान लक्षण यह था कि विशाल सभा मंटप अथवा कल्याण मंटप (शादी-समारोहों के आयोजन के लिए बनाया गया लंबा-चौड़ा हॉल) में बहु संख्या में स्तंभ पंक्तिबद्ध रुप से ऊपरी छत को सहारा देते थे। मन्दिरों के ऊँचे-ऊँचे गोपुर थे। गोपुर डिज़ाइनदार थे। इस कला में अलंकार के बजाय भव्यता, रुद्रता और गंभीरता की भावनाओं को अधिक महत्व दिया गया था। ये लोग भवनों के निर्माण के लिए मजबूत कणशिला पत्थर का इस्तेमाल करते थे।

विजयनगर के प्रमुख मन्दिर :

इनके काल में निर्मित मन्दिर, हंपी, श्रृंगेरी, तिरुपति, कंची, लेपाक्षि, कार्कला, मूडबिद्री, भटकल, चिंदबरम. कालहस्ती, नंदी, श्रीशैल, कोलार आदि क्षेत्रों में देख जा सकता है।

श्रृंगेरी विद्याशंकर मन्दिर भी विजयनगर काल के प्रारंभ में बनाया गया था। इस मन्दिर का डिज़ाइन भी अपने आप में अपूर्व और अद्वितीय है। विजयनगर में अत्यंत प्राचीन मन्दिर

©KTBS Not to be republished

हंपी का विरुपाक्ष देवालय है। इस मंदिर के सामने विशाल प्रांगण है। यहाँ के स्तंभों पर अद्भुत नक्काशी और अंदरुनी छत पर सुंदर अलंकार किया गया है।

हंपी में स्थित विजय विट्ठल मन्दिर श्रृंगारमय एवं कलात्मक काम के लिए मशहूर है। इस मन्दिर के स्तंभ सप्त स्वरों की उत्पत्ति करते है, यहाँ के विशाल कल्याण मंडप, पत्थर पर नक्काशी करके बनाया गया रथ इस मंदिर की शोभा बढ़ाता है।

आपको इस बात की जानकारी रहे –

इनके द्वारा बनवाये गए मन्दिर, भवनों और बजाये गए मूर्तियों का उल्लेख करते हुए इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने माना था कि ''द्राविड़ शैली का श्रेष्ठ विकसित रुप है'' इस प्रकार वर्णन किया था।

विजय विट्ठल मंदिर

हंपी का विरूपाक्ष मंदिर

कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित महानवमी टीला हंपी में स्थित है। यहाँ पर नवरात्रि उत्सव मनाया जाता था। कमल महल, गजशाला, रानी का स्नानगृह इण्ड़ो-मुस्लिम शैली की उत्तम इमारतें हैं। लक्ष्मी नरसिम्हा, चने का गणेश, सरसो का गणेश, उद्यान, वीरभद्र की मूर्तियाँ आकर्षक हैं। विजय के काल का हंपी का किला सात मजबूत वृताकार दीवार की स्थिति में था। वर्तमान में केवल चार वृताकार दीवार ही शेष हैं।

पत्थर का रथ

संगीत और नृत्य : विजयनगर के राजाओं ने ललित कलाएँ जैसे संगीत, नृत्य, नाटक और यक्षगान आदि कलाओं को पोषण करके विकास किया। कलाकारों के राजमहल और मन्दिरों में आदर किया जाता

© KTBS Not to be republished

था। पुरंदर दास और कनकदास ने अपने भजन कोर्तनों के द्वारा कर्नाटकसंगीत के अमूल्य योगदान दिया है। नर्तकियाँ अलंकृत वेशभूषा में मन्दिरों और राजमहल में नृत्य प्रदर्शन करती थीं।

विजयनगर साम्राज्य का अंत

विजयनगर के इतिहास में सन् 1565 में हुआ रक्कस-तंगडी युद्ध अत्यंत निर्णायक युद्धों में से एक था। इससे विस्तृत साम्राज्य का अंत हो गया और दक्षिणी भारत का राजनैतिक इतिहास ही बदल गया (कृष्णदेवराय की मृत्यु के उपरांत अधिकार के लिए आंतरिक संघर्ष होने लगे। तत्पश्चात् राजा अच्युतदेवराय की मृत्यु से पुनः अधिकार संबंधी आंतरिक युद्ध का मार्ग खुल गया। सदाशिवराय के सिंहासनासीन होने पर भी प्रशासन दायाद रामराय के हाथों में था। रामराय ने अपने अधिकार काल में युद्ध तथा साम्राज्य विस्तार किया फिर भी कई शत्रु उत्पन्न हो गए। रामराय की नीति ने दक्कन के सुल्तानों को एक कर दिया।

बहमनी राज्य

चौदहवीं शताब्दी में भारत के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव ही बहमनी राज्य का उदय था। इसे 1347 ई0, में अल्लाउद्धीन हसन गंगुब्रहमनशाह ने इसे स्थापित किया था। 1347 से 1527. तक बहमनी और 1686 तक शाही राजवंश ने शासन किया था। इस राजवंश में महम्मद शाह (प्रथम), महम्मद शाह (द्वितीय), फिरोजशाह, यूसुफ आदिलखान, इब्राहिम आदिलशाह (द्वितीय), इब्राहिम आदिल शाह (द्वितीय) प्रमुख थे।

बहमनियों के राजनैतिक इतिहास को दो स्तरों में देखा जा सकता है। प्रथम स्तर में (1346-1422) गुलबर्गा राजधानी था। इसके प्रमुख स्पर्धी तेलंगाना और विजयनगर के राजा थे। आठ सुल्तानों ने शासन किया। शियाबुद्धीन अहमद ने राजधानी को बीदर स्थानांतरित किया। बहमनियों के अंत तक बीदर राजधानी रही।

महम्मद गवाँ (1411-1481) :

> **ज्ञात रहे -**
>
> *गवाँ को शासक मुहम्मद तृतीय द्वारा प्रदान किया गया 'माननीय' शब्द - 'ख्वाजा-ए-जहान' और मल्लिक उल्तजार था।*

1347 ई0. से लेकर 1426 ई0. तक कलबुर्गीबहमनी राज्य कै राजधानी थी। इस अवधि के दौरान महम्मद गवान ने निष्ठापूर्वक एवं निस्वार्थ भावना से शासन किया। इस राज्य का प्रधानमंत्री बनकर इन्होंने राज्य के सफलता की ऊँचाईयों तकपहुँचाया। इन्होंने काहिरा (कैरो) में इस्लाम धर्मशात्र और कानून शास्त्र का अध्ययन किया था। ये अरबी और फारसी भाषा के विद्वान थे। इन्होंने बहमनी सुल्तान हुमायूँ, निजामशाह और महम्मद शाह (तृतीय) के शासन काल के दौरान मंत्री

©KTBS Not to be republished

बनकर और प्रधानमंत्री के पद पर रहकर अपनी सेवाएँ राज्य के अर्पित किया। इन्होंने कई राज्यों पर जीत हासिल की थी। इनका प्रशासन साफ-सुथरा होने केकारण राज्य को प्रतिष्ठा बढने लगी। गवान ने गोव, कोंकण और बेलगावि के अपने वश में कर लिया। बाद में ओडिसा पर हमला करकेवहाँ के केंड़वीडुप्रदेश पर अपना कब्जाकर लिया। 1481 ई0, में कंची पर हमला कर्के अपार धन-संपति प्राप्त की। राज्य क सर्वांगीण विकस के लिए महम्मद गवान ही कारण थे। ईष्य एवं शत्रुत्व के कारण दुश्मनों ने षडयंत्र रचकर इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर इनका सिर कट ड़ाला। इसकेबाद राज्य दुर्बल स्थिति में पहुँचकर पाँच भागों में बंट गया।

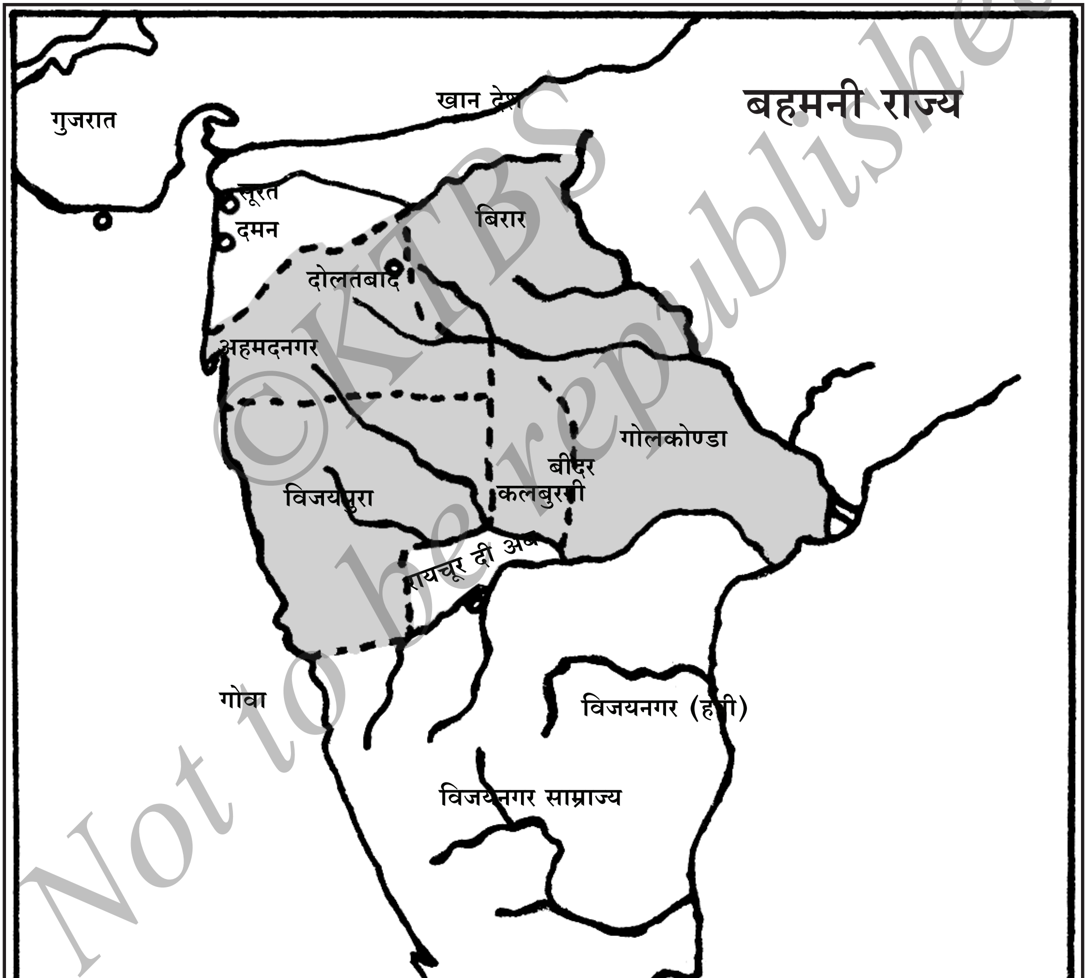

Not to be republished ©KTBS

बहमनी राज्य का पांच भागों में विभाजन (1518)

अहमदनगर	विजयपुरा	बिरार	बीदर	गोलकोंड़ा
(निजामशाही)	(आदिलशाही)	(इमादशाही)	(बरीदशाही)	(कुतुबशाही)

इब्राहिम आदिल शाह (द्वितीय –1580–1627) :

आदिल शाही राजाओं में सर्वश्रेष्ठइब्राहिम (द्वितीय) थे। जब उनकी उम्र नौ वर्ष की थी तब वे राज सिंहासन पर बैठे थे। इन्होंने 47 वर्ष प्रशासन कार्य में अपना समय बिताया। इस दौरान प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएँ भी घटीं। राजनीतिक दृष्टि से विजयपुरा के इन्होंने वैभव के उतुंग शिखर पर पहुँचाया। इन्होंने दक्षता से प्रशासनिकव्यवस्था के सँभाला था। कला, साहित्य और शिक्षण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति का क्षेत्र इन्हें ही जाता है।

'किताब–ए–नवरस' नामकग्रंथ में इन्होंने गणेश, सरस्वति और नरसिम्हा की स्तुति करते हुए पुस्तकलेखन आरंभ किया था, यही इस ग्रंथ की विशेषता है। इस पुस्तकमें महम्मद पैगंबर की भी स्तुति की गई है। यह ग्रंथ इब्राहिम की विद्वता, प्रतिष्ठा, धार्मिक उदारता के बारे में साक्ष्याधार है।

बहमनी सुल्तानों का सांस्कृतिक योगदान

बहमनी और शाही सुल्तानों ने लगभग दो शताब्दियों तक कर्नाटक में शासन किया। समस्त कर्नाट में शासन किया। समस्त कर्नाटक और तमिलनाडु के तंजावूर तक इनका राज्य विस्तृत था। ये लोग प्रशासन के इस्लाम धर्म के शास्त्र अनुसार चलाते थे।

आपको यह ज्ञात रहे –

इब्राहिम आदिल शाह (द्वितीय), महिपति दास के प्रवचनों से आकर्षित होकर उन्हें दरबार में खाजामदार अधिकारी केरुप में नियुक्त किया। महिपति दास की भागवत भक्तिरस दीवान बादशाह के अमतस्थल में गर कर गई।

प्रशासन : प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्र, प्रांतीय और ग्राम प्रशासन नामक तीन विभाग थे। राजस्व, न्याय और सैन्य प्रशासन भी अस्तित्व में थे। केन्द्र सरकार में सुलतान ही प्रशासन का मुख्य अधिकारी माना जाता था। मंत्रिमंड़ल को 'मज्लिस–ए–इल्वित' नाम से पुकारा जाता था। उच्च अधिकारी जैसे सेनापति, उकोमा औ अमीर (पद) ये सब सुलतान केमित्र संबंधी हुआ करते थे।

महम्मद गवाँ ने राज्य में पहले जो चार 'तरफ (प्रांत) थे उन्हें आठ घटकों में विभाजित किया। प्रांतों को 15 सरकारों में विभाजित किया गया था। सूबेदार नामक अधिकारी, सरकार में मुख्य

©KTBS Not to be republished

प्रशासनिकअधिकारी हुआ करते थे। सरकार के परगना में बांटा गया था। कोतवाल, देशमुख और देसाई नामक अधिकारी, परगना के मुख्य अधिकारी होते थे।

प्रशासन के आखिरी इकाई ग्राम थे। जहाँ पटेल, कुलकर्णी और चौकीदार नामक अधिकारी थे। ग्राम की प्रशासनिक इकाई स्वायत्त संस्था होती थी।

राजस्व, सैन्य और न्याय प्रशासन : अमीर-ए-जुम्लारु राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी थे। भूमि पर लगाये जानेवाला का राज्य की आमदनी का मूल स्रोत था। किसानों के उनकेफसलों केकुल उपज का एक तिहाई से आंधा भाग, भूमि कर के तौर पर वसूल किया जाता था। मकान, खनन, तंबाकु घास के लंबे-चौड़खेत और व्यापार, वृत्ति कर के मिलाकर 50 भिन्न-भिन्न तरह के कर वसूले जाते थे। कर के रुप में जो धन लोगों से वसूला जाता था उससे राजमहल, युद्ध, अंगरक्षक भवन और किलों का निर्माण करवाया जाता था।

बहमनी राज्य अपनी सैनिक शक्ति के बल पर चलता था। सेना पर अत्यधिक खर्च किया जाता था। इस राज्य में चार विविध वर्ग की सेनाएँ थीं। स्थायी सेना, युद्ध काल में नियुक्त किये जानेवाले सैनिकों की फौज़, धर्मयुद्ध के लिए बनायी गई सैन्य बल, सुलतान और किलों की रक्षा के लिए प्रहरी बल आदि की व्यवस्था थी। पैदल सेना, अश्वदल, गजदल और तोपखाना सेना के प्रमुख विभाग थे। आदिलशाही के राज्य के अनेक किलों में बिजापुर के किले अधिक मज़बूत थे।

सुल्तान राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश था । वह रीतिरिवाज, परंपर और इस्लाम धर्म के अनुसार न्याय पालन करता था। खाजी वर्ग और वरिष्ठ अधिकारियों का समूह सुल्तान को न्याय-फैसला करने के काम में सहयोग देते थे। इनके दक्ष प्रशासन के कारण राज्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में राज्य प्रगति कर पाया था।

आपको यह ज़ात रहे

यूसुफ आदिल शाह की पत्नी बीबिजी खानम, दिलश आगह चाँद बीबी, शहर बानु बेगम इस राज घराने की प्रख्यात म हिलाएँ थीं।

आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाएँ :

कृषि ग्रामीण जावन का मुख्य उद्योग था। बुनकर वर्ग, तेल निकालने वालों का वर्ग, चीनी और गुड़ तैयार करना, बढई वर्ग, कुम्हार, सुनार और मूर्तिकार, शिल्पकला आदि उद्योग अस्तित्व में थे।

धाबोल, राजापुर, चोल और गोवा में बंदरगाह थे। रेशम, शराब सोना-चाँदी, सीसा, काँच और घोड़ों का प्रमुख रुप से आयात किया जाता था। व्यापार और नौकरी-पेरो से संबंधित संघ-संस्थाएँ अस्तित्व में थी। होन्नु नामक सोने का सिक्का, लारी, टंक नामक चाँदी के सिक्के अस्तित्व में थे।

समाज में संयुक्त परिवार की व्यवस्था अत्यधिक थी जिसमे पितृप्रधान कुटुंब ही अधिक थे। जाति पद्धति और बहुपत्नी अपनाने की प्रथा प्रचलित थी। भक्तिपंथ के हरिदासों ने और मुस्लिम सूफी संतों ने, दोनों समुदाय में प्रेम और सौहार्दता की भावना को फैलाने का प्रयत्न किया था। मुस्लिम समाज में सुनि, शिया, सय्यद, शेख और पटान अलग-अलग वर्ग थे। मुस्लिम स्त्रियों में परदा पद्धति को प्रथा अस्तित्व में थी।

©KTBS Not to be republished

शिक्षा, कला और वास्तुशिल्प :

इनकी शैक्षणिक नीति इस्लाम संस्कृति का विकास करती थी। मकतब नामक पाठशालाएँ थीं। ये मस्जिदों के नियंत्रण में थीं। मक्तबसा में अक्षर ज्ञान, धर्म, कानून, काव्य और अलंकारशास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था। मदरसा उच्च शिक्षा के केन्द्र थे। महम्मद गवान स्वयं एक विद्वान थे। वे इस्लाम और कानून की शिक्षा की प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा (मदरसा) महविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह 242 फुटलबा और 222 फुट चौड़ा, 56 फुट ऊँचा भवन था। यह तीन मंजिला भवन दक्खनी शैली में बनाया गया था। यहाँ 3000 हस्त प्रति लिपियों का ग्रंथालय भी था। यहाँ भवन विद्यार्थियों, अध्यपकों और धार्मिक लोगों के लिए ठहरने के लिए स्थान भी था। यहाँ खगोलशास्त्र, व्याकरण गणित, तत्वशास्त्र, इतिहास और राजनीति शास्त्र का अध्ययन भी कराया जाता था।

बहमनी सुल्तानों ने इण्ड़ो सार्सैनिक शैली के वास्तुशिल्प का विकास किया। अली आदिल शाह (प्रथम) द्वारा निर्मित जामिया मस्जिद इस काल में भी एक प्रमुख स्मारक है। इन स्मारकों से आदिलशाही विश्वविख्यात हुए थे। विश्व की श्रेष्ठ इमारतों में विजयापुरा में स्थित गोलगुम्बज एक है। गोलगुम्बज का क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट है। इसके चार कोनों में सात मंजिला मीनार है। इसकेबीच बृहत आकार का गुंबज है।

गोलगुंबज : हमारे कर्नाटक राज्य में गोलगुबज है। इसे महम्मद आदिलशाह ने बनवाया था। इस इमारत केकाम को शुरुवात 1626 में प्रारंभ होकर 1656 ई0 में समास हुआ था। इसकी ऊँचाई लगभग 5 मीटर है। इसी इमारत में विशाल गुंबज हैं। चार गुंबजों केनीचे चार स्तभ हैं। इन स्तंभों में ऊपर चढ़ने के लिए सीढियाँ बनाई गयी है। गुंबज के गोलाकर दीवार के पास बहुत धीमी आवाज़ में यदि बात कियेजाये तो दूसरे स्तंभ में कान लगाकर आवाज़ सुनी जा सकती है। यही इस इमारत की सबसे बड़ी विशेषता है।

गोलगुंबज

Not to be republished ©KTBS

आपको ज्ञात रहे – पारिभाषिक शब्द

अमात्य	–	राजा के विविध कार्यों में सहायक मंत्री
रायसम्	–	सचिवालय के सचिव
रायसस्वामी	–	मुख्य सचिव
लिपिक (मुंशी)	–	हिसाब–किताब का अधिकारी
महलप्रधान	–	राजमहल का पर्यवेक्षक
कार्यकर्ता	–	राजा के कार्यों को करने वाला
अमरनायक / नायंकर पद्धति	–	विजयनगर के राजाओं के अधीन अनेक नायक राजा को युद्ध में सहायता करते थे। इनकी सेवाओं को मान्य कर राजा उन्हें भूमि को दान में / भेंट देते थे। जहाँ के अपना अधिकार चलाते थे। यह प्रदेश अमर कहलाता था।
आयगार पद्धति	–	अर्थात् प्रत्येक कृषि उत्पादक अपने वार्षिक उत्पादन का एक हिस्सा गौडा, पटवारी, बढई, धोबी, पहरेदार, ज्योतिषी, चमार, सुनार, लोहार, प्याऊ, कुम्हार और नाई (इज्जाम) नामक 12 समूहों को देना होता था। गाँवों से संबंधित प्रशासन में इन सभी की भूमिका प्रमुख थी।
अफाकी (विदेशी)	–	ईरान, ट्रांस्थाक्सोनिया और ईराक से स्थानांतरित लोग।
वकील–ए–सल्तनत	–	प्रधान मंत्री
अमीर–ए–जुम्ला	–	आर्थिक मंत्री, राजस्व निर्वाहक
मुस्ताफा–उल–मुल्क	–	सहायक आर्थिक मंत्री
नाजिर–ए–अशारफ	–	विदेशमंत्री
मुफ्ती	–	कानून व्यवस्थापक
दबीर	–	सचिव
कोतवाल	–	सार्वजनिक रक्षक
तरफ	–	प्रांत, और उनके प्रमुख तरफदार
अमीर–उल–उमार	–	मुख्य सेनाधिकारी
खासा–ए–सुल्तानी	–	सुल्तान के अंतर्गतस्थित कार्यालय
देशमुख और देसाई	–	परगना राजस्व निर्वाहक

©KTBS
Not to be republished

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए –

1. विजयनगर साम्राज्य की स्थापना .... वर्ष में हुई थी।
2. 'मधुर विजय' ....कवयित्री की रचना है।
3. प्रौढदेवराय के मंत्री का नाम .... था।
4. आमुक्त माल्यदा कृति तेलुगु भाषा में .... ने लिखी थी ।
5. 'किताब-ए-नवास' इस पुस्तक की रचना.................... ने की थी ।
6. बीदर में मदरसे का निर्माण .... ने करवाया था ।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

1) विजयनगर साम्राज्य पर शासन करनेवाले चार राजवंशों के नाम लिखिए।
2) देवराया (द्वितीय) की उपलब्धियों के बारे में लिखिए।
3) अर्थव्यवस्था और समाज के प्रति विजयनगर को देन के बारे में लिखिए।
4) कृष्णदेवराय ने अधिकार प्राप्ति के समय में किन-किन समस्याओं का सामना किया ?
5) विजयनगर काल की कला और वास्तुशिल्प के बारे में लिखिए।
6) महम्मद गवान बहमनी राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री था। कैसे ?
7) बहमनी सुल्तानों को प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्व के बारे में लिखिए।
8) बहमनी सुल्तानों की शिक्षा, कला और वास्तुशिल्प के बारें में लिखिए।

III. क्रियाकलाप

1) हंपी के विविध स्मारकों के चित्रों का संग्रह कीजिए।
2) हंपी स्थित महानवमी टीला में विजयदशमी मनाने के बारे में विविध ग्रंथों का अध्ययन कीजिए।
3) तेनाली रामकृष्ण की कहानियाँ अपने वरिष्ठ अध्यापक से सुनिए और लिखिए।

IV. परियोजना कार्य

1) हंपी नगर का दौरा करके वहाँ के स्मारकों के बारे लिखिए।
2) हंपी में विजयनगर काल की बाजार की व्यवस्था के बारे में निबंध लिखिए।

© KTBS Not to be republished

राजनीति शास्त्र

अध्याय-1

हमारा संविधान

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करेंगे

- *संविधान की रचना, संविधान की रूपरेखा समिति*
- *संविधान की प्रस्तावना।*
- *संविधान के लक्षण ।*
- *मूलभूत अधिकार, कर्तव्य, राज्य निर्देशक के तत्व ।*

स्वतंत्रता के बाद भारत को अनेक समास्याओं का सामाना करना पडा। उनमें मुख्य रूप से पाकिस्तान से स्थानातंरित निराश्रितों को पुनर्वास की व्यवस्था करना, संस्थानों का विलीनीकरण और देश के लिए सशक्त संविधान व कानून की रचना था। सरदार पटेल जी ने बडी सफलता से इस का निर्वाह किया। देश के व्यवस्थित प्रशासन के लिए कानून की आवश्यकता के संदर्भ में समर्थ संविधान की आवश्यकता थी। इसकी रचना भली भँति की गयी संविधान की रचना, उसके लक्षण और उसमें इस प्रस्तावित मूलभूत अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

आप को जानकारी रहे– कैबिनेट नियोग :
लार्ड पेथिक लारेन्स भारत के व्यवहार सचिव, सर स्टाफोर्ड क्रिप्स वाणिज्य निगम के अध्यक्ष ए.वी. अलेक्जेडर नौकासेना के प्रमुख रहे।

भारतीय संविधान रचना सभा: एक राष्ट्र के मूलभूत कानून को संविधान कहा जाता है । संविधान प्रशासन व्यावस्था को सीमा प्रदान करता है । संविधान की रचना से संबंधित मोतीलाल नेहरू समिति की सिफारिश तथा 1939 के राष्ट्रीय काँग्रेस के करांची अधिवेशन के निर्णय प्रेरक तत्व थे। संविधान की रचना के लिए केबिनेट आयोग की सिफारिश के अनुरुप 1964 में भारतीयों की रचना सभा बनायी गयी। इस सभा मे 389 सदस्य थे। भारत जब दो भागो में बाँटागया तब स्वंतत्रता के बाद 299 सदस्य थे। मैसूरु संस्थान से 7 सदस्य नामांकित थे।

डाँ बी. आर अंबेडकर

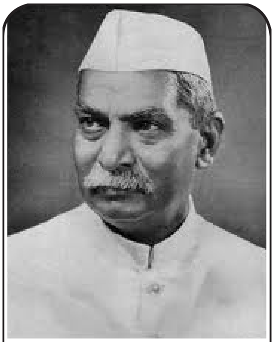

डॉ राजेद्रंप्रसाद

संविधान की रचना सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में हुआ । यह एक ऐतिहासिक घटना है। सच्चिदानंद सिन्हा प्रभारी अध्यक्ष रहे। 11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेंद्रप्रसाद को अध्यक्ष

© KTBS Not to be republished

तथा टी.टी कृष्णमचारी को उपाध्यक्ष चुना गया। संविधान की रचना में कई लोगो ने कार्य किया । इन में जवहरलाल नेहरु, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डाँ बी.आर अंबेडकर, मौलाना अबुलकलाम आजाद, सी राज गोपालाचारी के.एम. मुंशी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, कर्नाटक के एस. निजलिगंप्पा, के.सी.रेड्डी, केंगल हनुमंतय्या, टेकूरु सुब्रह्मण्यम, आदि ने भाग लिया था।

रूपरेखा रचना समिति :

संविधान की रचना सभा में राष्ट्र संबंधी विषयों का विस्तृत परिशीलन करने हेतु 22 समितियों, 5 उपसमितियों को रखा गया। इन में प्रमुख थी–रुपरेखा समिति। डाँ बी आर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे इनके द्वारा संविधान की रचना के लिए अपूर्व योगदान को आधार बनाकर इन्हे 'संविधान शिल्पी' कहा गया। इस रुपरेख समिति में एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, मुहम्मद सादुल्ला, सी माधावराव, अल्लाडि कृष्णस्वामी अय्यर, के. एम. मुन्शी, टी. टी. कृष्णमाचारी आदि विशेषज्ञ थे।

संविधान की रचना :

संविधान रचना सभा के रचना कार्य की पूर्ति में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन लगे। रचना सभा की समितियाँ लगातार कार्य कर रही थी और अनेक सदस्यों द्वारा निरुपण के बाद इसपर चर्चा की गई। तत्पश्चात संविधान का प्रारुप तैयार हुआ जिसमे ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू 1909, 1919 तथा 1935 के अधिनियम, संसदीय व्यवस्था, अमेरिका के विल ऑफ राइटस के सामाजिक निर्देशक तत्वों को अपनाने का निर्णय जो अंतिमरुप से 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी को लागू हुआ । इस दिन को हम गणंतत्र दिवस के रुप मनाते हैं।

आप को याद रहे :

1930 जनवरी 26 को लाहोरे अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा को भारत ने वीकार किया। इसके स्मरणार्थ नवीन सविधान का 26 जनवरी 1950 को लाव् किया गया ।

संविधान की प्रस्तावना :

भारतीय संविधान की अपनी ही प्रस्तावना है। इस प्रस्तावाना में संविधान के मूलतत्व, विचार धारा योग्यता, आदि सम्मिलित हैं। संविधान की रूपरेखा, मूल्य, सिद्धान्त उद्देश्यों का सारांश संविधान की प्रस्तवना में है। यह हमारी आकांक्षाओं का द्योतक हैं। इसमें आदर्श तत्व है।

यह प्रस्तावना दिसंबर 13, 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तावित वस्तुपरक संकल्पों को संविधाना की रचना सभा जनवरी 22, 1947 को स्वीकार की गई। उस वक्त अभी देश का विभाजन नहीं हुआ था। 1947 अगस्त में स्वतंत्रता के बाद इन उद्देश्यों में थोडा परिवर्तन करके अनुमोदित करलिया गया। इस निर्णय में भारत के स्वातंत्र्य, गणरज्य, नागरिक लोगों का परमाधिकार सम्मिलित है। जनता को सामजिक, आर्थिक, तथा राजनैतिक न्याय दिलाने के बारे में कहा गया है।

© KTBS Not to be republished

हमारे
भारतीय संविधान की प्रस्तावना

भारतीय नागरिक होने के नाते हम भारत को एक परमाधिकार समाजवादी मानते हैं ।

(समाजवादी सर्वधर्म, सामानता पदों को 1976 के 42 वा परीष्करण के अनुसार मिलामा गया है।

सर्वधर्म समानता (धर्मनिरपेक्ष) लोकतंत्रात्मक गणराज्य की रचना तथा सभी नागरीकों को सामाजिक, आर्थिक और राजकीय न्याय, तथा विचार, अभिर्व्यी, विश्वास, धर्मश्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता स्थानमान और अवसर तथा समानता की प्रात्ती और र्व्यो का गौरव, राष्टीय एकता, अखंडता तथा लोगों में भ्रातृत्व की भावना बढाने, श्रद्धा पूर्वक दृढ संकल्प करके. हामरी संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अंगीकृत तथा अधिनियमित करके अत्मार्पित किया है।

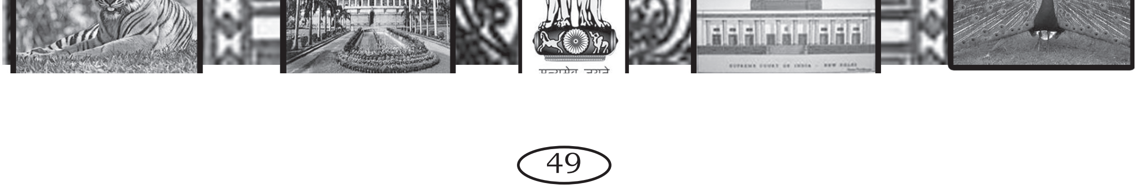

©KTBS
Not to be republished

हमारे संविधान की प्रस्तावना अत्यंत अर्थपूर्ण है। यह देश की राजनैतिक पद्धति के चित्रण को दर्शाता है। यह संविधान की मार्गदीपिका है। कुछ लोग इसे संविधान का आभूषण कहते हैं तो के. एम. मुंशी ने इसे राजनैतिक कुंडली कहा है।

हम भारत के नागरिक : भारत का संविधान भारतीयों से रचना की गयी है। भारत के नागरिक होने के नाते हम सब भारतीय है ऐसी भावना से हर एक की इच्छा आस्था की रक्षा के लिए प्रयास करेंगे।

सार्वभौम राष्ट्र : भारत विश्व के किसी राष्ट्र के अधीन में न रहकर परमाधिकार राष्ट्र है। विश्व के कोई भी गुट में शामिल न होकर अपना ही स्वतंत्र विदेशांग नीति, अलिप्त नीति, योजना पद्दतियों का अनुसरण करके आंतरिक और बाह्य परीमाधिकारों को प्राप्त किया है।

समाजवादी : सुखी और सामाजवादी राष्ट्र का निर्माण भारतीय संविधान का प्रमुख लक्ष्य है। जो समाजवादी तत्वों को प्रजाप्रभुत्व द्वारा लागू करना संभव है यह सूचित करता है। समाजवाद शब्द 1976 के 42 में परिकरण में जोडा गया है । समाजवदी राष्ट्र निर्माण की बुनियाद राज्य निर्देशक तत्व 42 वे परिष्करण द्वारा जोडे गए हैं । इस प्रकार भू-सुधार तथा प्रगति दायक कार्यक्रम लागू हुए।

धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र : 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को संविधान के 42 वा परिष्करण के द्वारा लागू कर लिया गया है। सराकार ने कोई भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में स्वीकृत नही किया है। इसलिए भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। नागरिक किसी भी धर्म का आचरण करने, अनुकरण करने में स्वतंत्र है। इससे भारतीयों में सर्वधर्म समानता का देखी सकती है।

लोकतंत्रात्मक गणराज्य : लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की सुख सुविधा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। राष्ट्र की समस्याओं को चर्चा के द्वारा हल कर लिया जाता है। हर पाँच वर्ष में एक बार चलनेवाला सार्वत्रिक चुनाव (निर्वाचन) में मुक्त मतदान पद्दति हमारे लोकतंत्र को प्रतिबिंबित करती है। भारत के राष्ट्रपति को भी पाँच साल की अवधि के बाद निर्वाचन के द्वारा चयन किया जाना भी लोकतंत्रात्मक गणराज्य का द्योतक है।

भारत संविधान के प्रमुख लक्षण

लिखित और बृहत संविधान : भारत का संविधान लिखित रूप में है। सरकार के जो अंग है शासकांग कार्यागं न्यायांग की रचना अधिकार कार्यसीमा आदि का लिखित आधार है। मूलभूत अधिकार कर्तव्य, राज्य निर्देशकतत्व लिखित रूप में है। हमारे संविधान में मूलतः 22 अध्याय 8 अनुसूचि और 395 विधियाँ थी। कालांतर में अनेक परिष्करणों के कारण 25 अध्याय 12 अनुसूचि और 465 विधिवाला बृहत संविधान बना है।

©KTBS Not to be republished

अंशतः नवीन अशतः अनव्य संविधान : किसी भी देश का संविधान आसानी से परीष्करण किया जाता हो उसे नवीन अथवा सरल संविधान कहते हैं। संविधान को परिष्करण करने हेतु विशेष विधान जहाँ अपनाया जाता हो वह अनव्य अथवा कठिन संविधान कहलायेगा। भारत का संविधान ज्यादा कठिन भी नही ज्यादा सरल भी नही परंतु मिश्र गुणवाला है।

संसदीय सरकार पद्दति : हमारा संविधान संसदीय सरकार पद्दति को अवसर प्रदान किया है। लोगों से निर्वाचित संसद को परमाधिकार प्राप्त है। केंद्र और राज्यों में कार्यांग शासकांग पर निर्भर रहता है। मंत्रिमंडल शासकांग के विश्वास पर टिका रहता है। शासकांग का विश्वास खोते ही इस्तीफा देना पडता है।

गण / लोकतंत्र की व्यवस्था : संविधान में भारत को लोकतंत्रात्तमक देश कहा गया है। ऐसी व्यवस्था में आनुवंशिक रुप से कोई अधिकार प्राप्त नही करता। मगर इंगलैंड में यह पद्धति है। इसलिए इंगलैडं में लोकतंत्र की व्यवस्था होने पर भी वह लोकतंत्रात्मक देश नही है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति संविधान के नायक होने पर भी उन्हे निर्वाचन के द्वारा चयन किया जाता है। इसलिए भारत लोकतंत्रात्मक देश कहलाता है।

संयुक्त पद्धति : भारत में विविध प्रकार की भाषा, जाति, जनसमूह विशाल भू प्रदेश होने के कारण संविधान में संयुक्त पद्दति को मौका दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समान रुप से अधिकार का वितरण हुआ है। (केंद्र सूचि में 100 विषय राज्यसूचि में 61 विषय और समवर्ति सूचि में 52 विषयों के रुप में अधिकार का विभाजन हुआ है। इन दोनों सरकारों के बीच उत्पन्न विवादों का हल करने का अधिकार सर्वोच्य न्यायालय को प्राप्त है।

मूलभूत अधिकार : संविधान के द्वारा लोगों को प्रत्यक्ष रूप में प्रदत्त अधिकार ही मूलभूत अधिकार हैं। इन अधिकारों को देश के कोई भी कानूनी क्रम से केद्रं राज्य सरकार अथवा कोई भी अधीन संस्था के द्वारा छीना नही जा सकते। मूलभूत अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तब सर्वोच्य अथवा उच्य न्यायालय की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मूल अधिकारों को संविधान के तीसरे अध्याय में अपनाया गया है। वे हैं, लोगो को स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक अधिकार, संस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार तथा संविधान उपचारात्मक अधिकार। इन अधिकारों की रक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व सर्वोच्य न्यायालय पर है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को मूलभूत अधिकारों का रक्षक कहा जाता है।

मूलभूत कर्तव्य : राज्य के प्रति हमारे किये जाने वाले काम ही मूलभूत कर्तव्य है। इन्हे हमारे संविधान के 4 वी के मएफ अध्याय में 51 मएफ विधि में 11 मूलभूत कतव्यों को अपनाया गया है। 2002 में संविधान के 86 वा परिष्करण के द्वारा 6 से 18 साल की उम्र की सभी बच्चे और

© KTBS Not to be republished

पोषको को अनिवार्य शिक्षा दिलाने का अवसर प्रदान करनेवाला 11 वा कर्तव्य को भी सम्मिलित किया गया है।

राज्य निर्देशक तत्व : हमारे संविधान के चौथे अध्याय में राज्य निर्देशक तत्वों को अपनाया गया है। इन्हे ऐरिष संविधान से लिया गया है। सामाजिक और आर्थिक बृनियादि की स्थापना में ये सहायक है। सरकार के द्वारा इनका संचालन नही किया जाता है तो न्यायालय में प्रश्न नही कर सकते। फिर भी ये तत्व देश के प्रशाशन के मूल नियम कहलाते है। कानून की रचना करके इन्हें जारी करते वक्त सरकार को इनके बारे में अधिक ध्यान देना पडेगा।

स्वतंत्र और केंद्रीकृत न्यायांग व्यवस्था : हमारे न्यायांग में स्वतंत्र और केद्रीकृत व्यवस्था है। नागारिकों के अधिकारों की रक्षा करके निर्भिकता से काम करने की स्वतंत्रता न्यायालयों को प्रदान किया गया है। शासकांग और कार्यांग न्यायांग के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। स्वोंच्य न्यायालय सबसे ऊँचा है। उसके अधीन में उच्च न्यायालाय (High Court) और इतर अधीन न्यायालय कार्य करते है।

एक नागरिकता : लोगो में संकुचित प्रांतीय मनोभावना को नियंत्रण करके राष्ट्रीय भावना का विकास करने के लिए संविधान में अवसर प्रदान किया गया है। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में पैदा हो किसी प्रदेश में निवास करना हो, सबको एकरूपेण नागरीकता प्रदान करने का अधिकार संसद को है।

वयस्क मतदान पद्धति : हमारे संविधान में वयस्क मतदान पद्धति को अवसर प्रदान किया गया है। कोई भी तरतम के बिना 18 वर्ष से अधिक सब नाागरिकों को मतदान का अधिकर दिया गया है। यह परमाधिकार का संकेत है।

द्विसदन शासकांग : भारत के शासकांग को संसद कहते है। इस संसद में द्विसदन पद्दति है। निचला घर (लोकसभा) उच्च घर (राज्यसभा) होते है।

दलीय पद्धति : राजकीय प्रक्ष लोकतंत्र की बृनियाद मानी जाती है। भारत मे अनेक प्रकार के दल होने के करण बहुदलीय पद्दति आस्थित्व में है। सार्वत्रिक निर्वाचन मे बहुत प्राप्त दल अधिकार चलाता है तो दूसरे दल विपक्ष का स्थान ग्रहण करते है।

मूलभूत अधिकार और कर्तव्य : व्यक्तित्व विकसन की सहायता करनेवाले राजनैतिक और समाजिक वातावारण को मूलभूत अधिकार कहा जाता है। समाज में मानव नागरिक जीवन बिताने के लिए मूलभूत अधिकारों का होना आवश्यक है। लोकतंत्र के विकास में मूलभूत अधिकारों का होना आवश्यक है। लोकतंत्र के विकास में मूलभूत अधिकार अपना योगादान देते है। संविधान के तीसरे

©KTBS Not to be republished

अध्याय में 7 मूलभूत अधिकारों को लागू किया गया है। लेकिन संविधान के 44 वा परिष्करण के कारण जायदाद के अधिकार को रद्द किया गया है। हाल में 6 मूलभूत अधिकार मात्र है।

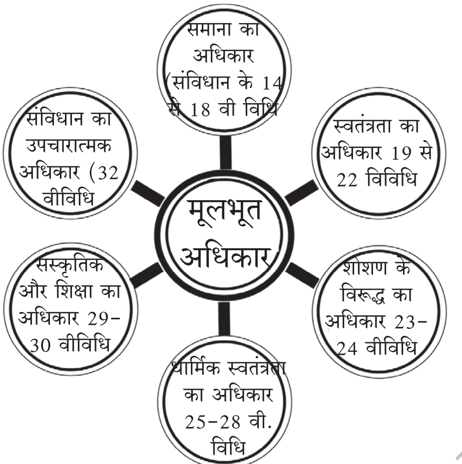

इसकी जानकारी आपको रहे :

1895 में राष्टीय कंग्रंस ने नागरीक अधिकारों के लिए आग्रह किया।

1895 में बाल गंगाधर तिलक अपने स्वराज्य बिल में अधिकारों के लिए आग्रह किया।

1925 में श्रीमति अनिबैसेंट कामन वेल्त आफ इंडिया बिल में व्यों की स्वतंत्रता,

आत्म साक्षी की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता कानून के समाने सब समान विचारों को प्रतिपादन किया।

1945 की रपट 1946 का केबिनेट मिषन मूलभूत अधिकारों का समर्थन किया।

समानता का अधिकार : लोकतंत्र में सफलता पाने के लिए इस अधिकार का होना अत्यावश्यक है। शासनात्तमक रूप से सामाजिक आर्थिक रुप से समानता प्रदान की गयी है। कानून के सामने सब समान है। कानून से बढकर कोई नही है। हर एक व्यक्ति को कानून के अधीन में रहना पडता है। जाति, धर्म, लिगं जन्मस्थान के आधार पर भेद-भाव नही कर सकते। सार्वजनिक स्थान, होटल, दुकान मनोरंजन के स्थान मंदिर आदि स्थानो में किसी व्यक्ति का प्रवेश निषेध करना नहीं चाहिए। सरकारी नौकरी में हर एक को समानता का अवसर दिया गया है। छुआछूत का आचरण नही करना चाहिए।

स्वतंत्रता का अधिकार : मूलभूत अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण है। इस अधिकार के अंतर्गत बोलना और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का अधिकार दिया गया है। शस्त्ररहित शांति से बैठक चलाने संघ संस्थाओं की स्थापना करने, भारत में सैर करने, निवास करने, किसी भी वृति को चुनने की स्वतंत्रता दी गयी है। नागरिको के लिए यह रक्षणत्मक अधिकार है। सकारण रहित किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नही कर सकते किसी भी कानून के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता का हरण नही किया जाता।

शोषण के विरुद्ध का अधिकार : शेाषण एक समाजिक पीडा है। इस पीडा के निर्मूलन के लिए शोषण के विरुद्ध का अधिकार को संविधान में स्थान दिया गया है, कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति बलहीनों को, गरीबों के वच्चों का शोषण नही कर सकता भिक्षाटन, देवदासी पद्दति, सति आचरण अनैतिक प्रक्रिया, जबरदस्ती काम करना आदि पर रोक लगाया गया है। 14 वर्ष से कम उम्र वाले वच्चों को कारखाना खनन आदि हानिकारक कामों पर नियुक्त नही कर सकता।

©KTBS Not to be republished

धार्मिक स्वतंक्षता का अधिकार : भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप मे स्वीकार नही किया है। नागरीक अपनी आत्मसाक्षी के अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकर करने पालन करने और प्रचार करने का अधिकार और स्वतत्रता रखता है। धार्मिक संस्थाओं के निर्वहण के लिए कर वसूल नही किया जा साकता। धार्मिक संस्थाओं को उपयोग राजनैतिक उद्देशयों के लिए नही किया जा सकता।

संस्कृति और शिक्षा का अधिकार : देश में निवास करनेवाले नागरिकों की अपनी, भाषा, लिपि, संस्कृति होती है। इनकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होता है। धार्मिक-भाषा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए इस प्रकार के अधिकार को संविधान में लागू किया गया। अल्पसंख्यक संस्था और राज्य का अनुदान पाकर चलनेवाली संस्थाओं में प्रवेश पर रोक लगा नही सकते।

ध्यान रखें

संविधान के 86 वाँ परीकरण करके 21 म ए म विधि के अनुसार 2002 में शिक्षप्रात्ती को अधिकार के रूप में गणना की गयी है। इस के अनुसार 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चो को राज्य सरकार के द्वारा ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जा रही है। कर्नाटक राज्य शिक्षाधिकार कायिदा (आर. टी.इ. 2009) को जारी किया है।

संविधान उपचारात्मक अधिकार : - मूलभूत अधिकारों की रक्षा का अवसर संविधान की 32 वीविधि में दिया गया है। संविधान का यह एक विशेष लक्षण है। इसलिए बी. आर. अंबेडकर इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहते है। मूलभूत अधिकारों की हानी किसी व्यक्ति केंद्र अथवा राज्य सरकार से होती है तो उनकी रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन डाल सकते है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को मूलभूत अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। न्यायालय म ूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए हुकमनामा आवेदन निम्नलिखित अंशो पर ले सकता है।

ए) बंदी प्रत्यक्षीकरण : बिना कारण किसी व्यक्ति को पुलिस बंद बनाती है तो उसके प्रति कोई भी रिहाई के लिए हुक्मनामा आवेदन कर सकते है। बंधित व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर न्यायालय के सामने हाजिर कराना होता है। (क्रिमिनल अपराधों के लिए यह हुकुमनामा आवेदन लागू नहीं होता)

बी) परमादेश : किसी भी अधिकारी अपने अधिकारो को चलाने से इनकार करेगा अथवा सार्वजनीक कर्तव्य पालन करने से इनकार करेगा और कोई अधीन न्यायलय अपने कर्तव्यों का पालन करने से इनकार करेगा तो उच्य अथवा सार्वोच्च न्यायालय द्वारा संबंधित लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए दिया जानेवाला आदेश परमादेश है।

क्रिया कलाप :

राज्य में स्थित मानव अधिकार आयोग के बारे में जानकारी संग्रह कीजिए। जब मानव अधिकार का उल्लंघन होता है तो आयोग के लिये जानेवाले निर्णयों को समाचार पत्रों में पढकर जानकारी लीजिए।

©KTBS Not to be republished

सि) निषेधाज्ञा : यह भी न्यायालय से संबधित हुक्नामा आवेदन है। अधीन न्यायालय अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर न्यायिक जाँच न करना अथवा निर्णयन देने के प्रति सवोच्च न्यायालय द्वारा दिया जानेवाला आदेश निषेधाज्ञा कहलाता है।

डी) उत्प्रेषण लेख (सर्षियोररी) : इस प्रकार के हुक्नामा के प्रकार अधिन न्यायालय अपनी अधिकार सीमा को पार करके फैसला देती है तो उसे रद्द करके तत्तसंबंधित मुकद्दमा को संबधित न्यायालयों में रवाना करने के लिए अधीन न्ययालायों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जाने वाला अदेश पत्र उत्प्रेषण लेख कहलाता है।

इ) को-वारंट (आज्ञापत्र) : कोई भी व्यक्ति गैर कानून से सरकारी पद को प्राप्त करता है तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध न्यायालयों में प्रशन करने को को-वारंट कहा जाता है।

सामाजिक रुप से जो नष्ट होते हैं ऐसे अधिकारों की रक्षा के लिए अथवा सार्वजनिक हित से संबंधित मुकद्दमा चलाया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण संबंधी सुरक्षा अधिकार सम्मानित जीवन यापन से संबंधित विषयों पर मुकद्दमा चलायी जा सकती है। संघ संस्था, व्यक्ति सामान्यतः ऐसे मुकद्दमा न्यायालय में लाते हैं। आजकल समूह माध्यमों के आधार पर न्यायालय स्वयंप्रेरित होकर सार्वजनिक हित संबंधी मुकद्दमा को चलाता है।

मूलभूत कर्तव्य :

अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। कर्तव्य रहित अधिकार का कोई मूल्य और महत्व नही होता। संविधान में 42 वा परीष्करण करके 4 मएफ अध्याय 51 मएफ विधि में 10 मूलभूत कर्तव्यों को मिलाया गया है। 2002 में 86 वा संविधान के परीष्करण के अनुसार 11 वा मूल- भूत कर्तव्य को भी मिलाया गाया है। वे निम्नलिखित है।

1) संविधान, राष्ट्रध्वज, और राष्ट्रगीत को गौरव देना।

2) स्वतंत्रता संग्राम के स्पूर्तिदायक आदर्शतत्वों का पालन करना।

3) भारत की ऐक्यता और अखंडता की रक्षा करना।

4) जरूरत पडने पर राष्ट्र की रक्षा करना, सेवा करना।

5) भारतीयों में समरसता भ्रातृत्व प्रे का विकास करना और स्त्रीयों को गौख देना।

6) संघटित संस्कृति और परंपरा का गौरव रखना, उसकी रक्षा करना।

7) वन, सरोवर, नदी, और वन्य मृगों की रक्षा करना, सेवा करना।

8) वैज्ञानिक और मानवीयता के गुणों की विवेचना करना, अपनी भावनाओं में सुधार करना।

©KTBS Not to be republished

9) सर्वजानिक जायदाद की रक्षा करना और आंहिसा मार्ग अपनाना।

10) व्यक्तिगत और सामूहिक क्रियाकलापों में निपुणता का प्रदर्शन करना राष्ट्र प्रगति के लिए प्रयास करना।

11) पिता अथवा अभिभावक 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र तक अपने वच्चे को शिक्षा प्रदान करना।

चर्चा कीजिए :
हम मूलभूत अधिकारों को उपयोग करने के जितने इच्छुक हैं। उससे भी ज्यादा मूलभूत अधिकारों कर्तव्यों को पालन करना है।

मूलभूत अधिकारों की तरह मूलभूत कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा सुरक्षा नही मिलती कर्तव्यों का उल्लंघन करनेवालो को कानून के अनुसार दंडित किया जाता है।

राज्य निर्देशक तत्व :- सुखी राज्य की परीकल्पना से राज्य निर्देशक तत्व को संविधान में अपनाया गया है। संविधान के चौथे भाग में 36 से 51 वे अधिनियम में यह स्पष्ट है। ये तत्व राज्य सरकार के द्वारा निर्वहण किये जानेवाले कर्यक्रमों की मार्गसूची कहलाते है हमारे संविधान के रचनाकार ऐरिष संविधान से प्रभावित होकर (सामाजिक निर्देशक तत्व) संविधान में लागू किये है। सरकार नागरिकों को अर्थिक, सामजिक, राजनैतिक न्याय दिलाने के उद्द्वेश से काम करता है। वे नैतिक बुनियादि तत्वों पर आधारित होते है। सरकार इन्हे (केंद्र- राज्य स्थानीय) कर्यरुप में नही लाता है तो न्यायालाय में प्रश्न नही कर सकते। ये तत्व समाजवादी उदारवादी और गाँधीवाद के तत्वों से बने हैं। कोई भी दल हो, व्यक्ति हो, अधिकार प्राप्त करने पर इन तत्वों को ध्यान में रखकर प्रशासन चलाना है। इसलिए इन तत्वों को मार्ग सूचि तत्व भी कहते है।

1) सब नागरिकों की जीविका के आवश्यक सुविधाओं को प्रदान करना।

2) सामुदायिक संपत्ती और उत्पादन संसाधन को कुछ ही लोगों के कब्जें में होने को रोकना।

3) स्त्री और पुरूषों को समान नौकरी समान वेतन प्रदान करना, कार्मिकों की योगक्षे रक्षा करना।

4) वृद्ध, रोगी, दुर्बल वर्गों के लोग और असमर्थो की सहायता करना।

5) पूरे देश में एक रूप की नागीरकरण और कानून जारी करना

6) छः वर्ष उम्र के सभी वच्चों को बालोद्यान और पाठशाला पूर्व शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करना

7) ऐतिहासिक स्मारक स्थानों की रक्षा करना।

8) न्यायांग को कार्यंग से अलग करना

©KTBS Not to be republished

9) अंतरराष्ट्रीय शांती, विदेशी नीति का पालन करना। लोगों की रक्षा करके विश्व कानून के प्रति आदर भाव पैदा करना।

10) ग्राम पंचायतों की स्थापना करना।

11) ग्रामीण और गृहोद्योगों को प्रोत्साहित करना ।

12) खेती और पशुपालन का वैज्ञानिक विकास करना।

13) मद्यपान निषेध करना ।

14) वैज्ञानिक आधार पर खेती-बाडी का विकास करना।

राज्य निर्देशक तत्वों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सुखी जीवन का इसमें लक्ष्य होता है। मूलभूत अधिकार व्यक्ति से संबंधित है तो निर्देशक तत्व समुदाय से संबंधित है। उपयुर्क्त तत्वों को केद्र और राज्य सरकार जारी करने का प्रयास कर रहे है। भारत के सर्वांगीण विकास के लिए ये तत्व मार्गदर्शी हैं।

©KTBS Not to be republished

अभ्यास

I. खाली जगहों को उचित शब्दों से भरिए :

1) राज्य में शासित होनेवाला मूल कानून __________ है।

2) नूतन संविधान रचना सभा __________ में हुयी।

3) संविधान रूपरेखा समिति के अध्यक्ष __________ थे।

4) हमारे संविधान में __________ सरकार पद्धति है।

5) जहाँ नागरिकों को परमाधिकार दिया गया है उसे __________ राज्य को कहते हैं।

6) हमारे संविधान में नागरिकों को __________ नागरिकता का अवसर प्रदान किया गया है।

7) संविधान के उपचारात्मक अधिकार को __________ वीं विधि में लागू किया है।

8) राज्य निर्देशक तत्व __________ संविधान से प्राप्त किये हैं।

II. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए :

1) नूतन संविधान रचना सभा के अध्यक्ष कौन थे?

2) संविधान को कब जारी किया गया?

3) भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या सम्मिलित हैं?

4) धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है?

5) हमारे संविधान के प्रमुख लक्षण क्या है?

6) संविधान में लागू किये हुये मूलभूत अधिकार कौन- से हैं?

7) मूलभूत कर्तव्यों के बारे में लिखिए ?

8) राज्य निर्देशक तत्त्व कौन - से हैं?

III. क्रियाकलाप :

1) संविधान रचना समिति में भाग लिये हुए प्रमुख व्यक्तियों के चित्र और विषयों का संग्रह कीजिए।

2) आप अपने मूलभूत अधिकारों की सूची बनाइए।

3) अपने मूलभूत कर्तव्यों की सूचि बनाइए।

4) पूरे देश में एक रूप की कानून की व्यवस्था जारी करने में होनेवाली असुविधाओं पर चर्चा कीजिए।

IV. परियोजना

1) कक्षाअध्यापक की सहायता से मूलभूत अधिकार और कर्तव्यों के बारे में निबंध तैयार करके चर्चा कीजिए।

©KTBS Not to be republished

अध्याय–2
केंद्र सरकार

इस अध्याय में निम्न लिकित अंशों की जानकारी पायेंगे।

- *केंद्र शासकांग की राज्यसभा, लोकसभा, रचना, सदस्यत्व की योग्यता और कार्य।*
- *केंद्र कार्यांग– राष्ट्रपति का चयन, क्षमता और अधिकार।*
- *प्रधानमंत्री और उनके कार्य।*

पिछले अध्याय में हमने अध्ययन किया है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व, स्वतंत्र, सामाजवादी, धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणरज्य है। इंग्लैंड और फ्रान्स में एकात्मक सरकार है। भारत अमेरिका के संयुक्त सरकार की व्यवस्था को स्वीकार किया है। अर्थात केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार है। अधिकार के बीच संविधानात्मक रूप से विभाजित हुआ है। राष्ट्रीय एकता और सुरक्ष की दृष्टि से केंद्र सरकार को अधिक अधिकार प्राप्त है। उसे शासकांग, कार्यगंग और न्यायांगों के द्वारा चलाता है।

केंद्र शासकांग

भारत में संसदीय सरकार पद्धति है। केंद्र शासकांग को संसद कहा जाता है। संविधान की 79 वी विधि संसद रचना करने का अवसर प्रदान करती है। संसद में द्विसदन पद्धति होती है। उच्चतम सदन को राज्यसभा निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है।

राज्य सभा

राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते है। 238 सदस्य राज्य और केंद्रीयशासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों से निर्वाचित होते हैं तो 12 सदस्य साहित्य कला, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष अनुभव प्राप्त लोगों को राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित हैं। इसलिए इसे प्रौढ सदन भी कहा जाता है।

अधिकार अवधि : राज्य सभा स्थाभी सदन है। लोकसभा की तरह इसका विसर्जन नहीं होता। लेकिन सदस्यों की अधिकार अवधि 6 वर्ष की होती है, हर 2 वर्ष की अवधि में हर वर्ष एक तिहाई सदस्य निवृत होते है। सदस्य अपने स्थान में आगे बढना नही चाहते तो सभापति को अपना इस्तीफा (त्याग पत्र) दे सकते हैं।

सदस्यों की अर्हताएँ :

1) भारत का नगरिक होना चाहिए।
2) 30 वर्ष से कम उम्र नहीं होनी चाहिए।

©KTBS Not to be republished

3) कानून के तहत दंडित किया गया न हो।

4) मानसिक रुप से अस्वस्थ न हो।

5) समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित अर्हता रहनी चाहिए।

उपराष्ट्रपति राज्य सभा के सभापति होते हैं । सदस्यों में किसी एक को उपसभापति बनाया जाता है। सभा का अधिवेशन चलने के लिए (एक बटा दस) (न्यूनतम 25 सदस्य) हाजरी अनिवार्य है। सत्र में न्यूनतम 2 बार अधिवेशन चलना चाहिए सदस्यों की माँग पर विशेष अधिवेशन चलाया जा सकता है।

लोकसभा :

लोकसभा के सदस्य जनता से प्रत्यक्ष रुप से चुने जाते है। इसलिए इसे जनता सदन भी कहा जाता है। यहाँ कुल सदस्यों की संख्या 545 है। 543 सदस्य सार्वत्रिक निर्वाचन से चुने जाते हैं शेष दोनों का आंग्लो-इंडियन को राष्ट्रपति नामनिर्देशित करते हैं। अनुसूचित जातिवालों को 79 स्थान और अनुसूचित जनजाती वालों को 41 स्थान आरक्षित किया गया है।

अधिकार अवधि : लोकसभा की प्रशासन अवधि 5 वर्ष की होती है। अवधि से पूर्व प्रधानी की सुझाव पर राष्ट्रपति लोकसभा का विसर्जन कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में इस अवधि को एक वर्ष तक विस्तरित जा सकता है।

सदस्यों की अर्हताएँ :

1) भारतीय नागरिक होना चाहिए।

2) 25 वर्ष की आयु पूर्ति किया हुआ हो ।

3) कोर्ह सरकारी नौकरी में न हो।

4) मानसिक अस्वस्थ न हो।

5) न्यायालय से दंडित किया गया न हो ।

6) समभ समय पर संसद के द्वारा निर्धारित अर्हता होनी चाहिए।

सभाध्यक्ष : लोकसभा में से किसी एक को सभापति के रुप में (स्पीकर) और एक को उपसभापति (डेप्यूटीस्पीकर) के रुप में चुना जाता है। सभापति के रुप में नियुक्त होने पर सदन में निष्पक्षता से कार्य करना पडता है। सभा की क्रियाकलापो का अध्यक्ष पद ग्रहण करके सदन में शांती, अनुशासन का पालन करना पडता है। सदन की चर्चा मतदान तथा निर्णय, विधियों के अनुसार सभा को आगे बढाने की जिम्मेदारी सभापति की होती है। नियमों की स्पस्टता तथा निर्णय सुनाने का अधिकार भी सभापति को प्राप्त है। सदन में सभी लोग (प्रधानमंत्री सहित) सभापति का आदर करना पडता है। शिष्टाचार विधेयक पर समान मात्रा में मत प्राप्त होने पर अपना निर्णायक मत चलाते हैं। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति क्रियाकलाप को संभालते हैं।

© KTBS Not to be republished

विपक्ष नायक की भूमिका आरै कार्य :

* प्रशासन चलानेवाला सरकार गलती करती है तो उन्हे दिखाना।
* सरकार की नीति नियमों का परामर्शन करना।
* सरकार, मन्त्रिमडंल आरै अधिकरियों को सचेत रना।
* विपक्षनायक का आदरणीय स्थान होता है।

> क्रिया कलाप :
>
> पाठशाला में यवुा ससंद स्पर्धा का आयोजन करके प्रधान मंत्री स्पीकर आरै विपक्ष नायक बनकर अनभुव प्राप्त कीजिए।

ससंद का अधिकार और कार्य :

काननू रचना करने का अधिकार ससंद को है। केंद्र सूचि विषयों से सबंधित काननू बनाने का अधिकार ससंद को है। वित्तीय विधये क सिर्प, लोक सभा में प्रस्ततु किया जाता है। शेष विधयेक किसी भी सदन में मडंन किया जा सकता है। लेकिन विधेयक का विषय फलदायक होना है तो चर्चा द्वारा उभय सदनों का अनुमोदन मिलना चाहिए। विधेयक सहमत प्राप्त करता है तब सभापति अपना निर्णायक मत चलाते है। विधेयक के बारे में सदनों के बीच मतभेद आता है तो राष्ट्रपति ससंद का संयुक्त अधिवशेन बुलाकर हल कर सकते हैं । सदनों की सम्मति होने पर उस विधेयक का राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद विधेयक को शासन रूप में जारी किया जाता है।

प्रशासनिक अधिकार : भारत में ससंदीय सरकार के होने के कारण प्रधानमंत्री आरै मंत्रिमंडल ही वास्तविक कार्यागं है। केंद्र मंत्रिमंडल संसद की जिम्मेदारियों पर निर्भर होकर काम करता है संसद को मंत्रिमंडल पर प्रश्न करने का अधिकार है इस प्रकार कार्यांग पर उसका नियत्रंण होता है। ससंद का विश्वास जब तक रहेगा तब तक मंत्रिमंडल का अधिकार होता है। विश्वास खो जाने के बाद मंत्रिमंडल अपना अधिकार खोते है। उन्हे इस्तीफा देना पडता है। कार्यांग पर, विशेष कर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को लोकसभा अपने नियत्रंण में रखता है । सरकार की नीति और उपलब्धियों के बारे में बहुसंख्य सदस्यों में विश्वास नहीं है तो सरकार (प्रधानमंत्री) और मंत्रिमंडल इस्तीफा देना पडता है ।

> क्रिया कलाप :
>
> दरू दशर्न में ससंद के कलापों का सीधा प्रसारण का वीक्षण करके निम्न विषयों पर टिप्पणी लिखिए।
>
> 1. सभाध्यक्ष की भूमिका।
> 2. विपक्ष की भूमिका
> 3. प्रशासन प्राप्त नायकों की भूमिका।

वित्तीय अधिकार : राष्ट्र के वित्त पर लोकसभा का पूर्ण अधिकार होता है। लोकसभा के अनुमोदन के बिना सरकार कोई वसूल नही कर सकती और खर्च करने का अधिकार भी उसे नही होता । वित्तीय विधेयक (आय-व्यय) को पहले लोकसभा में मंडन करने का नियम है। लोकसभा के अनुमोदन के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में विधेयक पर सलाहा सूचना देकर 14

©KTBS Not to be republished

दिन तक रोकने का अधिकार है। 14 दिन के बाद भी विधेयक को लौटाया नही गया तो उसे मान्य मानकर राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है।

न्यायांगाधिकार : राष्ट्रपति की जिस तरह पद से हटाया जाता वैसे ही सर्वोच्य, उच्य न्यायालय के न्यायाधीशों को भी पद से हटाने का अधिकार दोनो सदनों की है। न्यायालय से संबंधित कुछ खोज रपटों पर चर्चा करने का अधिकार उभय सदनों की है।

संविधान परिष्करण का अधिकार : संविधान परिष्करण का अधिकार भी समान रूप से उभय सदनों को हैं। परिष्करण से संबंधित विधेयक को पहले किसी भी सदन में मंडन किया जाता है। परिष्करण विधेयक को उभय सदनों की अनुमति अनिवार्य है। एक सदन से अंगीकृत होकर दूसरे सदन में तिरस्कृत होने पर संविधान परिष्करण असंभव है। कुछ संदर्भ में संविधान परीष्करण करते वक्त राज्यों के विधानसभाओं को सहमत को भी आहवश्यकता होती है।

Parliament

अन्य अधिकार

1. सर्वोच्य और उच्च न्यायालय के अधिकार सीमा से संबंधित कानून बनाना।
2. दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही अच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार।
3. नये राज्यों की सृष्टि, नाम परिवर्तन राज्यों की सीमारेखा निर्धारण।
4. लोक सेवा आयोग, वित्तीय आयोग, निवचिन आयोगों के रपट के बारे में चर्चा करना।
5. राष्ट्रीय आपात काल, राज्य आपत काल और वित्तीय अपात काल की परिस्थिति का अनुमोदन।

केंद्र शासकांग

केंद्र शासकाग के द्वारा बनाये गये कायदों की जारी करने का काम कार्यांग करता है। इसके द्वारा केंद्र सरकार के कार्यक्रम नीतियों को जारी भी करती है। इस कार्यांग में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल रहते हैं। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के शासकांग के नायक है तो प्रधान मंत्री और मंत्रिमंडल वास्तविक शासकांग हैं।

© KTBS Not to be republished

राष्ट्रपति

संविधान के 52 वीं विधि राष्ट्रपति स्थान का अवसर प्रदान करती है। भारत के राष्ट्रपति संविधान के नायक प्रथम नागरिक, शासकांग के मुखिया भी हैं और तीनों सेना बल के (वायुसेना, भूसेना, नौकासेना) के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। राष्ट्र का समस्त अधिकार इनसे संबंधित होता है। इनका स्थान सर्वोच्च होता है। उनके अधिकार को किसी भी न्यायालय में उनके विरुद्ध अपील नहीं की जाती। राष्ट्रपति पद पर काम करनेवाला व्यक्ति भारत का आदर्श नागरिक होना चाहिए।

राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति : संविधान के 54 और 55 को वी. विधि में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्वति को अपनाभी गयी है। राष्ट्रपति स्थान का अवसर प्रदान करती है। भारत के राष्ट्रपति संविधान के नायक प्रथम नागरिक, कार्यांग के मुखिया भी है। और तीनों सेना बल के (वायु सेना, भू सेना, नौका सेना) के सर्वेच्च कमांडर होते हैं। राष्ट्र का समस्त अधिकार इनसे संबंधित होता है। इनका स्थान सर्वोच्य होता है। उनके अधिकार को किसी भी न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील नही की जाती। राष्ट्रपति पद पर काम करने वाला व्यक्ति भारत का आदर्श नागरिक होना चाहिए।

महाभिदान

राष्ट्रपति संविधान के अविभाजित व्याक्ति है। संविधान के रक्षक भी हैं । कोई भी संविधान का उल्लघंन न करे ऐसा उन्हे सबको सभं ालना पडता है । यदि राष्ट्रपति ही सांविधानिक नियमों का उल्लघंन करेगे तो संविधान की 61 वीविधि के अनुसार उनके विरुद्द दोषारोपण किया जा सकता है। इसे ससंद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। 14 दिन पहले सूचना देकर चर्चा की तिथि को तय किया जाना चाहिए। इसके लिए सदन एक चौथाई सदस्यों का अवलंबन होना चाहिए। दोनो सदनो में चर्चा करक (दो तिहाई) सदस्यों के बहुमत प्राप्त होने पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। आज तक भारत में ऐसी घटना नही घटी है। इसे महाभिदान कहा जाता है।

अर्हता :

1. भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. 35 वर्ष की आयु से कम न हो ।
3. संसद सदस्यों को अहता होनी चाहिए।
4. किसी सरकारी नौकरी में न हो।

राष्ट्रपति भवन

राष्ट्रपति के अधिकार

कार्यपालिका संबंधी अधिकार : राष्ट्र का समस्त प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है। प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। पश्चात प्रधानमंत्री को सलाह के अनुसार शेष मंत्रियों की

©KTBS Not to be republished

नियुक्ति करते हैं। भारत के उच्च पद जैसे- अटार्नि जनरल, कंट्रोलर एंड आडिटर जनरल सर्वोच्च न्यायालाय के त्यायाधीश, उच्च न्यायालाय के न्यायाधीश राज्यपाल, वित्तीय आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य, केंद्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, निर्वाचन आयुत, रक्षणा दलों के सर्वोच्च कमांडर (प्रधान सेनापति) और विविध राष्ट्रों के लिए राजदूतों को नियुक्ति करने का अधिकार भी राष्ट्रपति की है। उसी प्रकार सांवैधानिक रूप से पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को हैं।

कानून संबंधी अधिकार : संसद को अधिवेशन के आमंत्रित करना विलंबन करना संयुक्त अधिवेशन में भाषण देना और लोकसभा का विसर्जन करना आदि अधिकार राष्ट्रपति की हैं। संसद के उभय सदनों के द्वारा अंगीकृत विधेयकें की अनुमति देने, पुन: परीशीलन करने, वापस भेजने, रोक लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। लोकसभा में दो आंग्लो इंडियन और राज्य साभा में 12 सदस्यों नामंकित को करने का अधिकार भी राष्ट्रपति रखते है। इन सभी कार्यों को प्रधान मंत्रिमंडल को सलाह के अनुसार राष्ट्रपति करते हैं।

न्याय संबंधी अधिकार : अपराधियों को न्यायालय द्वारा दिया जानेवाला दंड को कम करने, मृत्युदंड जैसे कठिण दंड को रद्द करने का अधिकार राष्ट्रपति को हैं। राष्ट्र से संबंधित कानूनी सलाहों को सर्वोच्च न्यायालय से पूछ सकते हैं।

वित्तीय अधिकार : राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वित्तीय विधेयक को संसद में मंडन नही कर सकता वित्तीय आयोग की रपट महालेखपाल और परिशोधक से प्राप्त रपट को संसद में चर्चा करने राष्ट्रपति सिफारिश करते है। संचित निधि राष्ट्रपति के नाम से होती है। सर्वोच्च न्यायाधीश लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों को इस निधि से वेतन दिया जाता है। कुलमिलाकर कह सकते है कि वित्तीय विधेयक उनकी अनुमति के बिना कायदा नहीं बन सकता।

सैनिक अधिकार : राष्ट्रपति समस्त सेना बल के सर्वोच्च कमांडर होते है। भूसेना, वायुसेना, और नौका सेना के प्रधान सेनापति को मंत्रिमंडल की सलाह पर वे नियुक्त करते है। संसद की अनुमति पर युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार भी इनकी है।

आपातकालीन अधिकार : मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति तीन संदर्भों में आपतकालीन परिस्थिति को जारी कर सकते हैं। 1) 352 बी. विधि के अनुसार राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति । 2) राज्य की आपातकालीन परिस्थिति (356 वी. विधि) 3) वित्तीय आपातकालीन परिस्थिति (360 वी. विधि) उपयुक्त आपाकालीन परिस्थिति (आकस्मिक संकट) की घोषण करने के एक मास के भीतर संसद का अनुमोदन पाना अनिवार्य है। हमारे संविधान के 18 वें अध्याय में तीन

चर्चा कीजिए :

कर्नाटक में राज्य आपात कालीन परिस्थिति जारी के संदर्भ में शिक्षकों के साथ चर्चा कीजिए।

©KTBS Not to be republished

प्रकार की आपातकालीन परिस्थिति घोषणा का अवसर प्रदान किया गया है।:

1. राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति (अधिनियम-352)

2. राज्य आपात कालीन परिस्थिति (अधिनियम-356)

3. वित्तीय आपातकालीन परिस्थिति (अधिनियम-360)

आपको ज्ञात रहे

1. **राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति (352 वी. विधि) :** देश के किसी भाग में या पूरे देश में युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण से कोई संकट आये अथवा आंतरिक कलह के कारण संकट आये तो आपातकालीन परीस्थिति की घोषणा कर सकते हैं। उदा: 1961, 1975 में.

2. **राज्य आपात कालीन परिस्थिति (356 वी. विधि) :** किसी राज्य के राज्यपाल की रपट के आधार पर अथवा अन्य कारण पर राज्य सरकार संबिधान के नियमों के अनुसार प्रशासन नही चलाता है तो 356 विधि का प्रयोग करके राष्ट्रपति आपात कालीन परीस्थिति की घोषणा कर सकते हैं। उदा कर्नाटक में 20 -01-2008 से 29-05- 2008 तक) राष्ट्रीय आरै राज्य आपातकालीन परिस्थिति की घोषणा के 6 मास के पहले निर्वाचन करना पडा है।

3. **वित्तीय आपातकालीन परिस्थिति (360 वी. विधि) :** देश की वित्तीय परिस्थिति संकट में पडने पर 360 विधि अनुसार आर्थिक अथवा वित्तीय आपतकालीन परिस्थिति की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन आज तक वित्तीय परिस्थिति की घोषणा नहीं हुई है।

विवेचनधिकार : राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर कुछ अधिकार चला सकते हैं। वे है:

1. लोकसभा के सार्वत्रिक निर्वाचन में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नही होता तब कोई भी पार्टी के नेता को सरकार की रचना के लिए आमंत्रित करने का अधिकार रखते हैं।

2. संसद से स्वीकृत विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाने पर उसे पुन:परीशीलन के लिए वापस भेज सकते हैं।

3. प्रधान मंत्री की सलाह पर लोकसभा का विसर्जन करने का अधिकार।

Not to be republished ©KTBS

हमारे राष्ट्रपति

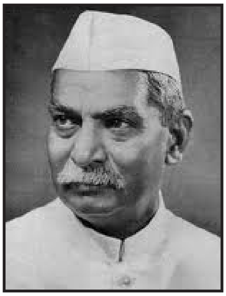

डॉ. राजेंद्र प्रसाद
1950-1962

डॉ. एस. राधाकृष्णन
1962-1967

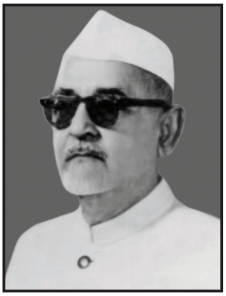

डॉ. ज़ाकीर हुसेन
1967-1969

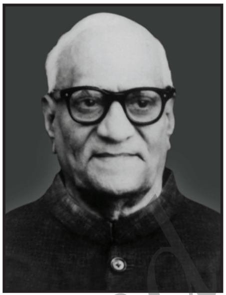

डॉ. वी.वी. गिरि
1969-1974

डॉ. फक्रुद्दीन अली अहमद्
1974-1977

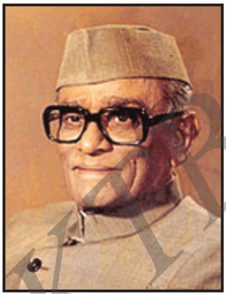

श्री नीलम संजीव रेड्डी
1977-1982

श्री ज्ञानी जैलसिंह
1982-1987

श्री आर. वेंकटरामन
1987-1992

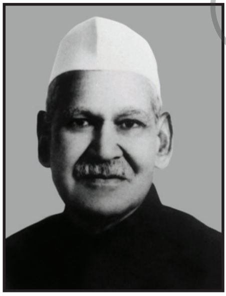

डॉ. शंकरदयाल शर्मा
1992-1997

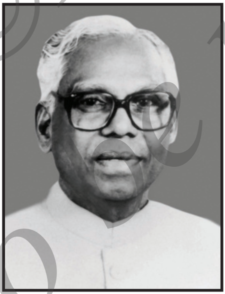

डॉ. के.आर. नारायण
1997-2002

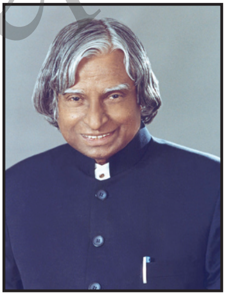

डॉ. ए.पि.जे. अब्दुल कलाम्
2002-2007

प्रतिभा पाटील
2007-2012

श्री प्रणब मुखर्जी
2012-2017

©KTBS Not to be republished

प्रधानमंत्री

राष्ट्रपति को प्रशासन में सलाह और सहयता करने प्रधानमत्री सहित मंत्रिमंडल को संविधान में अवसर प्रदान किया गया है। फिर भी प्रधानमंत्री अधिकार के केंद्रबिंदु माने जाते हैं। राष्ट्र के समस्त प्रशासन को चलाने का निर्वहण करने का अधिकार उन्हें है। राष्ट्रपति देश के नेता होंगे तो प्रधानमंत्री सरकार को नेता (नायक) है। लोकसभा का विश्वास जहाँ तक रहेगा तब तक ये अधिकार में रहेंगे।

प्रधान मंत्री के अधिकार

मंत्रियों को नियुक्ति, खातों का वितरण और मंत्रियों को पद से हटाने का अधिकार : प्रधानमत्री मंत्रिमंडल के मुखिया होते हैं। विविध मंत्रणालयों के लिए मंत्रियों को नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति सिफारिश करते हैं, खातों का वितरण करते है। खातों के वितरण करते वक्त प्रधानमंत्री को पूर्ण अधिकार रहता है। असमर्थ, कलंकित, विवादित मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटा सकते हैं।

मंत्रिमंडल का नायक : प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होती है। मंत्रिमंडल के क्रियाकलाप, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विषयो की चर्चा और निर्णय इन्ही की अध्यक्षता में लिया जायेगा। राष्टपति और मंत्रिमंडल दोनों के बीच में सेतु निर्माण करते हैं।

मंत्रिमंडल : मंत्रिमंडल सच्चा शासकांग है, 2 प्रकार के मंत्रिमंडल होते हैं। पहला-केंद्र मंत्रिमंडल, दूसरा-राज्य मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल की अधिकतम संख्या संसद के कुल सदस्यों में 15% होना चाहिए। इस मत्रिमंडल को दो प्रकार को जिम्मेदारियाँ होती हैं। प्रत्येक विभाग का मंत्री अपने खाते को सफलता- असफलता. का व्यक्तिगत जिम्मेदार होता है। मंत्रिमंडल अपने प्रशासन निर्वहण नीति निर्णय और कार्यक्रमों से संबंधित संसद का पूर्ण जिम्मेदार होता है। इसलिए मंत्रिमंडल संसद के विश्वास पर अवलंबित होता है। विश्वास खो जाने पर अविश्वास, प्रतिरोध (No Confidence Motion) परीशोध के द्वारा पद से हटाया जाता है।

संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था

हमारे देश में न्यायपालिका एक समान है। इसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमेरिका में केंद्र और राज्य के अलग अलग न्यायालयों की तरह न होकर पूरे देश में एक ही प्रचलित की व्यवस्था न्यायपालिका है। हमारा न्यायांग शासकांग और कार्यांगों से स्वतंत्र है। उच्च न्ययालय और अधीन न्यायालय सर्वोच्च न्यायालाय के अधीन में काम करते है। न्याय, संविधान, कानून संप्रदाय और पूर्वनिर्धारित विधि न्यायनिर्णय का आधारस्तंभ है। सर्वोच्च न्यायालय ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसका निर्णय ही अंतिम निर्णय है।

©KTBS Not to be republished

हमारे प्रधान मंत्री

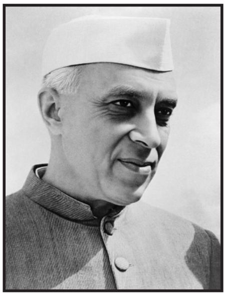

पंडित जवहरलाल नेहरु
1947–1964

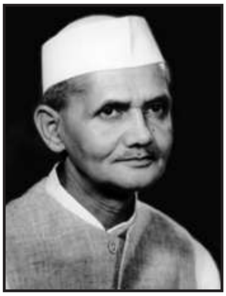

श्री लाल बहाद्दूर शास्त्री
1964–1966

श्रीमती इंदिरागांधी
1966–77, 1980–84

श्री मोरार्जी देसाई
1977–1979

श्री चरणसिंह
1979–1980

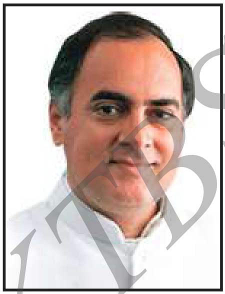

श्री राजीवगांधी
1984–89

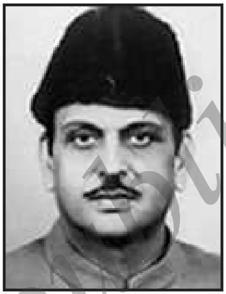

श्री वी. पी. सिंह
1989–1990

श्री चद्रं शखेर
1990 नवेंबर.–1991 जून

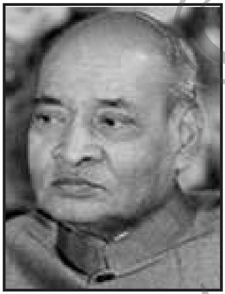

श्री पी.वी. नरसिंहराव
1991–1996

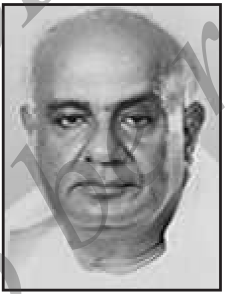

श्री एच. डी. देवेगौडा
1996 जून–1997 अप्रैल

श्री ऐ. के. गुजराल
1997 अप्रैल–1998 मार्च

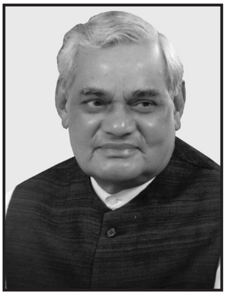

श्री अटल बिहारी वाजपेयी मई
मई 18, 1996–31, मई 1996
19 मार्च 1998, मई 2004

डॉ. मनमोहन सिंह
2004 – 2014

श्री नरेंद्र मोदी
2014 –

©KTBS
Not to be republished

आपको जानकारी रहे

अविश्वास प्रतिरोध : प्रशासन चलानेवाले प्रधानमंत्री और मंत्रीमंडल लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों का विश्वास खो जाने पर अथवा अनलंब वापस लेने पर प्रधानमंत्री और मंत्रीमंडल इस्तीफा देना पड़ता है। इसे अविश्वास प्रतिरोध कहा जाता है। प्रशासनिक पार्टी और सरकार के प्रति हमे विशाव्स नही है यह कारण देकर अधिकार से हटाने की प्रक्रिया (केद्र में लोकसभा सदस्य राज्य में विधानसभा के सदस्य) को अतिशवास प्रतिरोध कहते है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार की अधिकार अवधि लोकसभा और विधान सभा के विश्वास पर अवलंबित है। राज्यसभा सदस्या विधान परीषत् के सदस्यों को यह मौका दिया नही गया है। भारत के इतिहास में आज तक 34 अविश्वास प्रतिरोध पर निर्णय मंडन किया गया है।

अभ्यास

I. खाली जगहो को सार्थक शब्दों से भरिए.

1. भारत ____________ का सम्मिलित देश है।
2. केंद्र शासकांग को ____________ कहते हैं ।
3. राज्यसभा का पदनिमित्त सभापति ____________ होता है।
4. लोक सभा का सदस्य होने के लिए ____________ वर्ष आयुहोनी चाहिए।
5. तीनों सेना दलोंका सर्वोच्च कमांडर ____________ होता है ।
6. संविधान के ____________ और ____________ वें अधिनियम में राष्ट्रपति के चयन का विधान उल्लिखित है।
7. केंद्र लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष को ____________ नियुक्त करता है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए:

1. संसद के दोनों सदनों के बारे में लिखिए।
2. राज्य सभा की रचना का विवरण दीजिए।
3. लोकसभा के सदस्या बनने के लिए आवश्यक योग्यताओं को बताइए।
4. राष्ट्रपति चयन पद्धति का विवरण दीजिए।
5. प्रधानमंत्री के अधिकारों की सूची बनाइए।
6. केंद्र मंत्रिमंडल की रचना तथा उसके कर्तव्य का विवरण दीजिए।

III. क्रिया कलाप:

1. केंद्र संसद के समान अपने विद्यालय में उसके समान कृत्रिम संसद बनाइए।

IV. प्रदत्त कार्य- संसद भवन का चित्र तैयार कर विद्यालय में लगाइए।

©KTBS Not to be republished

अध्याय– 3

राज्य सरकार

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

- *राज्य शासकांग में विधानसभा, विधान परिषद, का स्वरूप और कार्य भार।*
- *राज्य कार्यागं में राज्यपाल, उनकी अर्हताएँ और कार्य।*
- *मुख्यमंत्री की नियुक्ति, कार्यभार।*
- *अधीन न्यायालयों के विविध स्तर और कार्य*
- *जनता न्यायालय का स्वरूप और उत्तरदायित्व।*

भारत 29 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों तथा दिल्ली राष्ट्र की राजधानी वाला संघराष्ट्र है। केंद्र सरकार की तरह राज्य भी शासनपालिका, कार्यपालिका रखता हैं। राज्यसूची में उल्लिखित विषयों के लिए कानून बनाकर उनको जारी करने का अधिकार राज्य को है। संसद की तरह राज्य में भी दो सदन हैं कुछ राज्यों में निचला सदन (विधानसभा) मात्र होता है। उच्चतम सदन (विधान परिषद) नहीं होता।

- संविधान की विधि 171 के अनुसार द्विसदन शासन पालिका वाले राज्य हैं।

याद रहे : कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश महाराष्ट्र, बिहार, जम्मूकश्मीर, तेलंगाना तमिलनाडु पश्चिम बंगाल, असम, अरूणाचल प्रदेशों में एक सदन मात्र है। (याद रखने का सरल उपाय KUMBJAT)

राज्य शासन पालिका :

राज्य शासन पालिका में राज्यपाल भी होते हैं। इसमें दो या एक सदन हो सकता है। उच्चतम सदन को विधान परिषद के नाम से निचले घर को विधानसभा के नाम से जाना जाता है। राज्य में विधानसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। विधान परिषद, विविध क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है।

विधानसभा (Assembly)

विधानसभा के सदस्यों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। उसी प्रकार विधान परिषद, सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधान सभा सदस्यों की होती है। किसी भी राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 500 से अधिक न हो। 60 से कम न हो। लेकिन छोटे राज्यों में सदस्यों की संख्या कम होती है। उदा. मिजोरम गोवा में 40 सदस्य है. कर्नाटक विधानसभा में

©KTBS Not to be republished

सदस्यों की संख्या 225 है। 224 सदस्य निर्वाचन के द्वारा नियुक्त होते हैं। एक आग्लो इंडियन को राज्यपाल नामांकित करते हैं।

विधान सौध

विधान सभा सदस्यों की योग्यातएँ :

1) वह भारतीय नागरिक हो। 2) उसकी आयु 25 वर्ष की हो 3) वह सरकारी नौकर न हो 4) वह अपराधी या न्यायालय से दंडित न हो। 5) मानसिक रुप से अस्वस्थ न हो 6) वह दिवालिया न हो। 7) संसद के द्वारा निर्धारित योग्यताएँ उस में हो ।

अधिकार अवधि : विधान सभा की अधिकार अवधि 5 वर्ष की है। अवधि के पूर्व भी मंत्रीमंडल के सलाह पर विभाजित भी किया जा सकता है । ऐसे अवसर पर राष्टपति राज्य का शासन चलाते हैं। सदस्यों को अपने पद आगे बढने की इच्छा न हो तो सभापति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं।

निर्वाचन में विजयी एक सदस्य को सभापति, दूसरे को उपसभापति के रूप में निर्वाचित किया जाता है। अधिवेशन उसकी अध्यक्षता में चलती है। सदन में शांति अनुशासन पालन करके सदन की गरिमा बढाने का उत्तर दायित्व सभापति पर होता है। अधिवेशन का आमत्रण, अग्रेषित करना सदस्यों की अधिकार की रक्षा करना, सदन में सममतों के होने पर निर्णायक मत दान करने का अधिकार भी सभापति का होता है।

अधिकार :

शासनपालिका के प्रशासनिक अधिकार : इसके पहले हम समझ चुके हैं कि राज्यसूची और समवर्ती सूची के विषयों पर प्रशासन करने के लिए का अधिकार विधान सभा को है। विधेयक कानून के रूप को प्राप्त करने दोनों सदनों की अनुमति की आवसश्यकता होती है। राज्यपाल के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। कुछ विधेयकों को राष्टपति की अनुमति हेतु रोका जा सकता है। .

क्रिया कलाप :

विधान सभा के अधिवेशन समय जाएँ और कार्यों का निरीक्षण करें। वहाँ होनेवाली चर्चाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

वित्तीय अधिकार : : वित्त व्यवस्था के विषय में विधान सभा को अधिक अधिकार प्राप्त है। वित्तीय विधेयक को पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। विधान सभा से अनुति प्राप्त विधेयक को

© KTBS Not to be republished

विधान परिषद में भेजा जाता है। विधेयक को तिरस्कार करने का अधिकार विधान परिषद को नहीं है। 14 दिनों तक उसको रोका जा सकता है।

कार्यपालिका पर नियत्रंण: राज्य कार्यपलिका विधान सभा का जिम्मेदार होता है। विधान सभा का विश्वास जब तक रहेगा तब तक मंत्रिमडल रहता है। विशवास खो जाने पर त्यागपत्र देना पडता है। मंत्रीमंडल और उसके सदस्यादि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से विधानसभा के उत्तरदायी होते हैं।

निर्वाचन के अधिकार : राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य सभापति, उपसभापति आदी को निर्वाचित करने का अधिकार विधानसभा को है।

अन्य कार्य केंद्र : संसद से संबंधित कुछ विधेयकों की चर्चा में विधानसभा अधिकार चलाता है। राज्यलोक सेवा आयोग की रपट पर चर्चा करने का अधिकार रखता है।

विधान परिषद (Vidhana Parishad)

राज्य शासन पालिका का उच्चतम सदन विधान परिषद है। इसमें सदस्यों की संख्या विधान सभा के सदस्यों की एक तिहाई संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। 60 सदस्यों से कम भी न होनी चाहिए। इसलिए कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं होता। कर्नाटक में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। ये सदस्य 5 क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करते है। विधान सभा के सदस्यों से, स्थानीय संस्थाओं से, स्नातक क्षेत्र से, शिक्षक क्षेत्र से, कुछ लोग होते है तो कुछ लोगो को कला, साहित्य शिक्षा, समाज सेवा, विज्ञान आदि क्षेत्रों से उनकी सेवा के आधार पर राज्यपाल नामांकित करते है। विधानपरिषद स्थायी होता है। हर दो वर्ष में अवधि पूर्ति किये हुए सदस्य निवृत होते हैं।

योग्यताएँ : 1) भारतीय नागरिक हो। 2) सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष का होना चाहिए 3) विधानसभा सदस्या की यो1 यताएँ होनी चाहिए। सदस्यों की अधिकारवधि 6 वर्ष है। इस सभा के एक तिहाई सदस्य हर दो साल में निवृत होते हैं। विधान परिषद अपने में ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन लेते है। सभापति की अध्यक्षता में सदन के सभी कार्य चलते हैं।

अधिकार

शासन संबंधी अधिकार : कानून बनाने का अधिकार विधान परिषद को भी है। सामान्य विधेयक को दोनो सदनों में पेश कर सकते है। एक संघटन से स्वीकृत विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। विधान परिषद विधेयक को तीन महीनों तक रोक सकता है। दोबारा उसे भेजने पर एक महाने के भीतर

©KTBS Not to be republished

स्वीकृती देनी पडती है। ऐसा नहीं हुआ तो दोनो सदनों से स्वीकृत मानकर राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाता है।

शासन की रचन प्रक्रिया :

> **क्रिया कलाप:**
>
> अपने गाँव/वार्ड के सदस्यों से अपने के लोकसभा सदस्यों तक के विविध जनप्रतिनिधियों के नामों की सूची बनाइए।

1. प्रथम प्रस्तुति सदन में विधेयक पेश करने से पूर्व उसको ऊँची आवाज में पढाजाता है।.
2. दुसरी प्रस्तुति में विधेयक इस पर चर्चा कर सकते हैं। अथवा विधेयक को संबंधित समिति को रवाना कर सकते हैं। समिति में दीर्घ समालोचना के बाद रपट तैयार करके सदन में वापस भेजा जाता है। सदन में रपट चर्चा करके अथवा मतदान द्वारा स्वीकृति दी जा सकती हैं। अथवा तिरस्कृत भी किया जाता है।
3. तीसरी प्रस्तुति में विधेयक पर मौखिक चर्चा की जाती है। तपश्चात दूसरे सदन में भेजा जाता है। उस सदन से भी स्वीकृति प्राप्त करने के वाद राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल उसे अनुति दे सकते हैं। राष्ट्रपति के हस्तक्षर के लिए रखा जासकता है।

वित्तीय अधिकार : वित्तीय अधिकार के मामलों में विधानसभा को सर्वाधिकार प्राप्त है। विधान परिषद 14 दिनों तक वित्तीयविधयेक को रोक सकता है। 14 दिनों से ज्यादा रोकता है तो दोनों सदनों से अनुति प्राप्त मानकार राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा।.

प्रशासन का अधिकार: प्रशासन पर इसका नियंत्रण कम है। सदस्य और मंत्रियों को प्रश्न पूछने के द्वारा जानकारी के सकते हैं। उत्तर तत्संबंधी होने पर मंत्री के त्यागपत्र के लिए दबाव डाला जा सकता है। अविश्वास निर्णय का मंडन नही करसकते।

चर्चा का अधिकार : सरकार के कार्यक्रम, नीति, निर्णय और विधेयक पर चर्चा की जा सकती है। प्रौढ सदन के कारण यहाँ की चर्चा गंभीर होती है।

राज्य कार्य पालिका

राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल आते हैं। संविधानात्मक रूप से राज्यपाल मुखिया है। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल ही वास्तविक शासकांग है । राज्यपाल स्वत: अपनी ओर से अथवा अधीन अधिकारियों के द्वारा अधिकार चला सकते हैं।–

राज्यपाल

प्रधानमंत्री और केंद्र मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते है। हर एक राज्य के लिए प्रत्येक राज्य के लिए प्रत्येक राज्यपाल के होने से संबंधित नियम है। लेकिन दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं।

©KTBS Not to be republished

योग्यता, अधिकार अवधि और वेतन: 1) भारतीय नागरिक हो । 2) 35 वर्ष से अधिक आपु हो। 3) किसी सरकारी नौकरी में न हो। 4) राज्य शासन पालिका अथवा सांसद न हो। 5) सदस्य अगर हैं तो राज्यपाल की नियुक्ति के बाद सदस्य पद से हटना पडता है। इनकी अधिकार अवधि 5 वर्ष है।

बदली राज्यपाल की नियुक्ति होने तक अधिकार चला सकते हैं । केंद्र मंत्रिमडंल की शिफारिस पर अवधि से पहले भी राष्ट्रपति उन्हे वापस बुला सकते है। ससंद के निणर्यानुसार इनका वतेन भत्ता तय होता है। बिना किराये का राजभवन इनको दिया जाता है। इनके अधिकार आरै कार्यो से संबंधित अपील न्यायालय में नही हो सकती। इन पर कोई क्रिमिनल, अपराध संबंधी मुकददमा नही चलता।

राज्यपाल के कार्य : कानूनन राज्यपाल को सभी अधिकार प्राप्त हैं । वास्तव में मुख्यमत्री सहित मंत्रिमडंल ही अधिकार चलाता है। राज्यपाल के कर्तव्य निम्नलिखित हैं।

कार्यपालिक के अधिकार : ये कार्यपालिका के मुखिया होते हैं । मुख्यमंत्री की शिफारिस पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ये लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष आरै सभी विश्वविध्यानिलयों के कुलपति भी है। विश्वविध्यानिलय के उपकुलपति आरै अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार इनकों है।

क्रिया कलाप

राज्य के आदेशों को राज्यपाल के आज्ञानुसार कर, राष्ट्रीय, आदेशों को राष्ट्रपति आज्ञानुसार कहकर जारी कहते हैं। क्यों ? शिक्षक के साथ चर्चा करे।

प्रशासनीय अधिकार : अधिवेशन बुलाना, आगे बढ़ाना और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा का विसर्जन करने का अधिकार इनकी है। विधान सभा के लिए एक सदस्य विधान परिषद के लिए एक तिहाई छ: सदस्यों को नियुक्ति करने का अधिकार इनको है, शासन पालिका द्वारा मान्य विधेयक पर हस्ताक्षर करना, रोकना, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजने का अधिकार भी इनको है।

वित्तीय अधिकार : राज्यपाल की अनुमति के बिना वित्तीय विधेयक को विधान सभा में पेश नहीं किया जाता है। राज्य वित्तीय योजना आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल को है। राज्य आपातनिधि इनके वश में रहती है। अकाल, प्रवाह, भूकंप आदि संकट काल की परिस्थिति का निर्वाह करके इस निधि से पैसा दे सकते हैं।

न्यायिक अधिकार : किसी अपराधी के दंड को कम करना माफ। ढरों कहते हैं। क्यों ? शिक्षक करना, आगेबढ़ाना अथवा दंड को बदलने का अधिकार इनको है । के साथ चक कर/ राज्य के वकील जनरल जिला न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार इन्हें है।

© KTBS Not to be republished

विवेचनाधिकार: राज्य के मुख्य मंत्री को नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का उपयोग राज्यपाल करते हैं। शासन पालिका द्वारा स्वीकृत विधेयक को राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए रोक रखना, राज्य में संवैधानिक समस्या अथवा विफलता हो पर राष्ट्रपति को उसकी रपट भेजकर राष्ट्रपति प्रशासन की माँग कर सकते है। अथवा मंत्रिमंडल को रद्द कर सकते हैं। विधानसभा का विसर्जन भी कर सकते हैं।

राज्य मंत्रिमंडल

हमारे संविधान में मुख्यमंत्री के नेतृत्व के मंत्रिमंडल के लिए अवसर प्रदान किया गया है। मत्रीम डल के लिए अवसर प्रदान किया गया है। मंत्रिमंडल राज्य विधान सभा का उत्तरदायी भी होता है। सरकारी नीतियों का निर्णय करना है। 2) राज्य बजट का प्रस्ताव तैयार करके शासनपालिका के सामने प्रस्तुत करना। 3) राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य लोकायुक्त आदि अधिकारियों को नियुक्त के लिए राज्यपाल की सिफारिश करना । 4) प्रत्येक मंत्री के अधीन विभाग से संबंधित कार्यनिर्वाह को देखभाल करना । 5) विविध विभागों के कार्यों का परिवीक्षण करना उनके बीच समन्वय स्थापित करना, आदि कार्यों को मंत्रिमंडल राज्य के वास्तविक कार्यग के रूप में करता है।

मुख्यमंत्री : मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया है। राज्य सरकार को उन्नति अथवा अवनति इनके व्यक्तित्व निर्भर पर है। राज्य का पूर्ण अधिकार इनके हाथों में होता है। में मंत्रिमंडल शासन अपने राज्य के अब तक के पालिका और बहुमत प्राप्त दल के नायक होते हैं। मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त होनेवाला राज्य शासनपालिका के किसी एक सदन का सदस्य अवश्य होना चाहिए। सदन का सदस्य न होने पर भी मुख्यमंत्री बन सकते है। लेकिन 6 महीने के भीतर किसी भी एक सदन को सदस्य प्राप्त करना आवश्यक है।

क्रिया कलाप

अपने राज्य के अब तक के मंत्रियों के नाम और उनकी कार्यावधि की एक सूची तैयार कीजिए।

मुख्यमंत्री के कार्य :

1) ये मंत्रियों की पट्टिका तैयार करके राज्यपाल से सिफारिश करते हैं।
2) ये मंत्रियों का खाता वितरण आरै बदलाव के लिए सिफारिश करते हैं ।
3) ये सरकार के प्रति निष्ठा न रखने वाले मंत्रिमंडल के विरूद्ध काम करनेवले, अपराधी मंत्रियों को पद से हटाने की राज्यपाल से सिफारिश करते हैं।
4) ये सरकार का मुखिया बनकर नीति निणर्य में प्रमखु भूमिका निभाते हैं।
5) ये मंत्रिमंडल का अध्यक्ष स्थान ग्रहण कर बैठ क बुलाना, आगे बढाना आदि अधिकार चलाते हैं।
6) ये विविध कार्यालयों की कार्यक्ष मता का परिवीक्षण करके उनके बीच समन्वय स्थापित करते हैं।

Not to be republished ©KTBS

7) ये अवधि से पूर्व विधानसभा का विसजर्न करन की राज्यपाल से सिफारिश कर सकते हैं।

8) ये राज्यपाल आरै मंत्रिमंडल के बीच सेतु के रूप में काम करते हैं।

9) ये राज्यपाल के सलाहकार के रूप में काम करते हुए विविध पदों की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं।.

अभ्यास

I. खाली जगहो को उचित शब्दों से भरिए।

1. भारत ____________राज्यों तथा ____________ केंद्रशासित प्रदेशों वाला देश है।
2. राज्य विधान सभा में एक आंग्लो इंडियन को ____________ नामांकित करते हैं।
3. कर्नाटक राज्य विधान परिषद् में ____________ सदस्य हैं।
4. राज्य मंत्रिमंडल __________ और ____________ से युक्त मुख्य कार्याग है।
5. राज्यपाल की नियुक्ति ____________ करता हैं।
6. राज्य के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति ____________ करते हैं।

II. निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर चर्चा कर लिखिए:

1. राज्य विधान सभा की रचना के बारे में लिखिए।
2. राज्य विधान परिषद के सदस्य किन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं?
3. राज्यपाल की योग्यता, अधिकार अवधि का विवरण दीजिए।
4. मुख्यमंत्री के बारे में एक टिप्पणी लिखिए।

III. क्रिया कलाप.

1. कर्नाटक की विधान सभा तथा विधान परिषद का दौराकर वहाँ के कार्य कलापों की जानकारी प्रप्त कीजिए।
2. राज्य शसन के समान अपने विद्यालय संसद की रचन कीजिए।

IV. प्रदत्त कार्य.

1. अपने क्षेत्र के शासक से मिलकर सदन के कार्य कलापों की चर्चा कीजिए।
2. अब तक के कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्रियों के छवि चित्र संग्रह कर अलबम तैयार कीजिए।

◈ ◈ ◈

©KTBS Not to be republished

समाजशास्त्र

अध्याय – 1

परिवार

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशो की जानकारी होगी –

- *परिवार का अर्थ*
- *परिवार के लक्षण*
- *परिवार के प्रकार*
- *अविभाज्य परिवार के लक्षण*

©KTBS Not to be republished

परिवार :

मानव अपनी कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से कुछ सामाजिक संस्थाओं की रचना करता है। ऐसी संस्थाओं में 'परिवार' सबसे प्रमुख है। परिवार अत्यंत छोटी सामाजिक संस्था है फिर भी यह समाज की मूल संस्था है। समाज के सभी कार्यकलापों का आयोजन परिवार के आधार पर ही होता है। अर्थात परिवार के सदस्य ही सामाजिक संस्था के सदस्य होते हैं। परिवार के लक्षणों को समझने के द्वारा परिवार का विवरण जानेंगे।

परिवार के अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं। फैमिली शब्द फैमुलस नामक लैटिन शब्द से आया है। फैमुलस का अर्थ है – अधिकार चलाना। प्राचीन काल में परिवार में पति-पत्नी और बच्चों के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी होते थे। आज अन्य बच्चों के बिना माता-पिता मात्र वास करनेवाले परिवार देखे जा सकते हैं।

परिवार के सदस्यों का आंतरिक संबंध एक ही खून के संबंध पर निर्धारित होता है। ये विवाह, रक्त संबंध, या उत्तारदायित्व द्वारा जुडे होते हैं। इस समूह के सदस्य एक ही घर में निवास करते हैं। पति-पत्नी, माता-पिता, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन के संबंधों से युक्त अपने स्थान के अनुकूल वे भूमिका निभाते हैं। और सामान्य संस्कृति की रचना में तल्लीन होते हैं। परिवार का अर्थ है – 'सामान्य रुप से लम्बे समय तक संतति सहित, संतति रहित, पति पत्नी का संघजीवी होना' माना जा सकता है। इसका प्रमुख आधार रक्त संबंध तथा भावनाएँ है। परिवार केवल संतानोत्पत्ति तथा पालन-पोषण ही नहीं करता बल्कि सामाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा अपने सदस्यों को विस्तृत समाज के सदस्य के रुप में तैयार करने में संलग्न रहता है। अर्थात सामाजिक प्रचलन, वेशभूषा, रहन-सहन, विचार-व्यवहार आदि विषयों को अधिकारपूर्वक परिवार निभाता है।

परिवार के लक्षण – परिवार के लक्षणों को जानने के द्वारा हम परिवार के महत्व को जानेंगे।

1)परिवार सार्वत्रिक/सर्वव्यापक है – विश्व के सभी समाजों में काल तथा प्रदेश के अनुरुप थोडा बहुत अंतर होने पर भी हम सभी समाजों मे परिवारों को देख सकते हैं। विवाह, पालन–पोषण, बंधुत्व, जायदाद, आदि संबंधी कुछ नियमो को ज्ञात कर परिवार उनका पालन करते आ रहे हैं। सामान्यतः तत्संबधी परिवार के सदस्य एक ही स्थान पर या प्रदेश में निवास करते हैं।

2)समाज के सभी क्रिया कलापों की मूल इकाई – किसी भी समाज की सामाजिक संस्थाओं के क्रियाकलाप का प्रारंभ परिवार से ही होता है। समाज के राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि क्रिया कलापों का जन्म परिवार से ही होता है। इसकी पृष्ठभूमि में सामुदायिक प्रमुख कार्यों (सामूहिक) के लिए परिवार अपने सदस्यों को भेजता था। आज के संकीर्ण समाज ने अपने कुछ कार्यों को समाज की अन्य संस्थाओं को करने के लिए स्वतंत्र कर दिया है।

3)कर्तव्य निरंतरता और सामाजिक जिम्मेदारी – समाज की अन्य संस्थाओं के साथ विविध संदर्भों में किस प्रकार व्यवहार करना है तथा किन जिम्मेदारियों को निभाना है आदि को परिवार अपने सदस्यों को सिखाता है। बच्चों को आस–पडोस के लोगों के साथ मिलजुल कर किस प्रकार रहना है, सिखाता है। इतना ही नहीं, कुछ सामाजिक जिम्मेदारियों को भी सिखाता है।

उदाहरण के लिए – सार्वजनिक पीने के पानी की व्यवस्था को कलुषित न होने देने के लिए सावधानी बरतने के लिए किन प्राथमिक जिम्मेदारियों को निभाना है, परिवार सिखाता है।

4)पालन–पोषण – परिवार प्राथमिक स्तरपर बच्चों के तत्संबंधी अधिकार तथा सीमाएँ निर्धारित करता है। साथ ही उनकी सुरक्षा करता है। बच्चे के लालन पालन तथा शिक्षा की दिशा का मार्ग प्रशस्त करता है। वृद्धावस्था में परिवार के बुजुर्गों (दादा–दादी, माता–पिता) की देखभाल, सेवा–सुश्रूषा तथा उनकी सुरक्षा करना तत्संबंधी परिवार का कर्तव्य है।

5)सामाजिक व्यवहार सिखाता है – सामाजिक विकास के स्तर में बाल्यावस्था और यौवनावस्था प्रमुख है। बच्चा परिवार में अपनी मातृभाषा पहले सीखता है। इसकी सहायता से प्रमुख सामाजिक विचारों मे आत्म सात करता है। परिवार के चारों ओर के सामाजिक वातावरण, परिस्थिति में पलनेवाले बच्चे उसके अनुरुप विशेषताओं को ग्रहण करते हैं। समवयस्क बच्चों के साथ, बडों के साथ, समूह में, विविध संदर्भों में किस प्रकार समायोजन करना है, यह परिवार सिखाता है। अर्थात सामाजिक व्यवहार, आवश्यकता, नियंत्रण आदि बच्चे पर परोक्ष रुप से प्रभाव डालते हैं। बाल्यावस्था, यौवनावस्था, प्रौढावस्था तथा वृद्धावस्था में स्नेह, स्वतंत्रता, सुरक्षा तथा अन्य व्यवहारों को परिवार ही सिखता है।

©KTBS Not to be republished

6)पीढियों की परंपरा ज्ञात कराता है – परिवार कई पीढियों पर टिका है। पीढियाँ रक्त संबंधियों को जोडती हैं, परिचित बनाती है। दादा–दादी, माता–पिता, बच्चों के संबंधो का विवरण देती है। दादा–दादी वरिष्ठ अभिभावक होते हैं। वे प्रथम पीढ़ी के हैं। माता–पिता अभिभावक हैं। ये दूसरी पीढी के हैं। बच्चे तीसरी पीढी के हैं, यह परिवार बताता है। इस प्रकार पीढियों का संबंध और परंपरा प्राथमिक रुप से परिवार से ही ज्ञात होती है।

1)माता–पिता तथा बच्चे जहाँ वास करते है वह परिवार दो पीढियों का परिवार कहलाता है।

2)दादा–दादी, माता–पिता और बच्चे जहाँ वास करते हैं। वह तीन पीढियों का परिवार है।

3)दादी–दादा, माता–पिता, बच्चे तथा नाती–पोते जहाँ साथ रहते है वह चार पीढ़ियों वाला परिवार है।

परिवार का प्रकार – परिवार में तत्संबंधी समुदाय तथा प्रदेश की अपनी ही पद्धति है। समाजशास्त्रज्ञों तथा मानवशास्त्रज्ञों ने परिवार को रचना के आधार पर परिवार के प्रकार बताए हैं। जैसा कि आप जानते हैं पीढियों के आधार पर परिवार जाने जाते हैं। पति–पत्नी के साथ रहनेवाले परिवार में पैदा होने वाले बच्चों के लिए वह केंद्र परिवार होता है। कई पीढियों के रक्त संबंधियों का एक साथ रहने वाला परिवार अविभाज्य (संयुक्त) परिवार कहलाता है।

विवाह पद्धति के आधार पर परिवार पद्धति का निर्णय लिया जा सकता है। इस आधार पर एक पत्नीत्व परिवार, बहुपत्नीत्व परिवार तथा बहुपतीत्व परिवार ये 3 प्रकार हैं –

(1) रक्त संबंधियों का परिवार,

(2) जीवनसाथी के निवास को आधार रख मातृभूमि परिवार और पितृभूमि परिवार,

(3) अधिकार केंद्र के आधार पर मातृ प्रधान और पितृ प्रधान परिवार।

इसी प्रकार वंश के आधार पर मातृवंशीय और पितृवंशीय परिवार का विभाजन हुआ हैं –

1) मातृ प्रधान परिवार - मातृ प्रधान परिवार में जायदाद पर अधिकार तथा उत्तराधिकार महिलाओं को रहता है। जायदाद माता से पुत्री को हस्तांतरित होता है। सामान्यतः माता ही परिवार की प्रमुख होती है। उसके नाम पर ही जायदाद संबंधी व्यवहार होते हैं। कर्नाटक के समुद्र तटीय प्रदेशों में एक समुदाय में मातृ प्रधान व्यवस्था आज भी देखी जा सकती है। इसी प्रकार केरल राज्य के मालाबार के नायर और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ आदिवासी समुदायों में मातृप्रधान परिवार देखे जा सकते हैं। संक्षेप में मातृप्रधान परिवार व्यवस्था से तात्पर्य महिला के अधिकार तथा महिला का अनुसरण करने वाले आनुवंशिक अधिकार एवं पद्धति को माता से बच्चों में इन गुणों का हस्तांतरित होना है।

©KTBS Not to be republished

2) पितृप्रधान परिवार - पितृप्रधान परिवार में पिता ही प्रमुख होता है। जायदाद संबंधी अधिकार तथा अन्य अधिकार पुरुष केंद्रित होते हैं। पितृप्रधान परिवार में विवाहित लडकियाँ पति के घर निवास करती हैं। इस परिवार व्यवस्था में परिवार के सबसे बडे (ज्येष्ठ) पुत्र को धार्मिक आचरण में प्रमुख स्थान मिलता है। पितृ प्रधान परिवार व्यवस्था यूनान, रोम, भारत तथा पडोसी चीन देश में प्राचीन काल से चली आ रही है।

3) आधुनिक एकाकी परिवार - परिवार की रचना और उसमें वास करने वाली पीढियों की संख्या के आधारपर परिवार को 'केंद्र परिवार', संयुक्त परिवार तथा विस्तृत परिवार के रुप में वर्गीकृत किया गया है। माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे मात्र जिस परिवार के सदस्य है। वह केंद्र परिवार कहलाता है। केंद्र परिवार आधुनिक समाज में अधिक हो गए हैं। वैयक्तिकता, वैयक्तिक संतोष, सुख जायदाद का अधिकार आदि आज के परिवर्तित सामाजिक मूल्य हैं। विज्ञान तथा तकनीकी के विकास, नगरीकरण, प्रजासत्तात्मकता और समानता का तत्व आदि अंश केंद्र परिवार में देखी जाने वाली विशेषताएँ ये हैं –

1) छोटा आकार

2) सरल सामाजिक नियंत्रण

3) आधुनिकता के प्रति लगाव

4) सदस्यों को अत्यधिक स्वतंत्रता

5) संकीर्णता

अविभक्त परिवार

Not to be republished ©KTBS

अविभाज्य (संयुक्त) परिवार - अविभाज्य परिवार में दादा-दादी, उनके बच्चे, नाती-पोते, पडपोते, कुछ परिवारों में इससे भी विस्तृत दो पीढियों से भी अधिक लोग वास करते हैं। ये सभी एक ही रसोई घर का बना खाना खाते हैं। सारा परिवार एक ही प्रकार के धार्मिक आचरण से बंधा होता है। अविभाज्य परिवार **सामान्यतः** रक्त संबंधियों का परिवार होता है।

अविभाज्य परिवार

अविभाज्य परिवार की विशेषताएँ -

1) बडा आकार - दो पीढियों से भी अधिक लोग एक परिवार से वास करने के कारण इस परिवार का आकार बडा होता है।

क्रिया कलाप

अपने दादा के काल का आपके संयुक्त परिवार के सदस्यों की संख्या (पुरुष-स्त्री) और उनके कार्य तथा जिम्मेदारियों के बारे में अपने पिता से जानकारी प्राप्त कीजिए।

2) सहकारिता एवं सहभागित्व - अविभाज्य परिवार में परस्पर सहयोग से दैनिक क्रिया कलापों सहित सभी कार्यों को करते हैं। परिवार का प्रमुख मुखिया का काम करने पर भी यह परिवार जनों के साथ मिल चर्चा कर कार्य का निर्णय लेता है। परिवार के सभी कार्य तथा आचरण परिवार के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। आयु, लिंग तथा श्रम के आधार पर कार्य विभाजन किया जाता है।

3) निवासस्थान और रसोई घर - अविभाज्य परिवार के सभी सदस्य एक ही छत के नीचे वास करते हैं। विविध कारणों (वृत्ति, मजदूरी, शिक्षा) से अलग अलग स्थानों पर जाकर रहने पर भी धार्मिक आचरण के संदर्भ में, त्योहारों में सभी मूल परिवार के साथ अपने संबंधो को और मजबूत बनाते दिखाई पडते हैं। इसके अतिरिक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही ररोई घर में भोजन तैयार कर खाना खाते हैं।

4) धर्म - संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही धर्म को मानते हैं और उसका आचरण करते हैं। इनका पूजा आचरण तथा विश्वास भी एक ही प्रकार होता है।

5) स्वयं में एक इकाई - अविभाज्य परिवार स्वयं में एक पूर्ण इकाई होता है। अपने परिवार के सदस्यों के लिए आवश्यक काफी सामग्री परिवार पूर्ण करता है या उपलब्ध कराता है।

6) अधिकार की संरचना - अविभाज्य परिवार का वरिष्ठ सदस्य रचना का अधिकार और जिम्मेदारी रखता है। इन्हें परिवार के संबंध में प्रमुख निर्णय लेने का अधिकार रहता है। अधिकार का हस्तांतरण भी सांप्रदायिक रुप से परिवार के वरिष्ठ जन के आधार पर हस्तांतरित होता है।

क्रियाकलाप - स्वयं कीजिए

अपने परदादा के काल से अब तक के वंशवृक्ष की रचना कीजिए। परिवार के वरिष्ठ के साथ चर्चा कर इसे पूरा कीजिए।

© KTBS Not to be republished

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरिए –

1. परिवार नामक शब्द लैटिन भाषा के ______________ शब्द से आया है।
2. समाज का जीवकोश _____________ है।
3. पिता ही परिवार का मुखिया हो तो वह परिवार _____________ कहलाता है।
4. केरल के मालाबार के नायर जनों में ___________ परिवार देखे जा सकते हैं।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए –

1. परिवार समाज की इकाई है। कैसे ?
2. परिवार के प्रकार के बारे में बताइए।
3. अविभाज्य (संयुक्त) परिवार से क्या तात्पर्य है ?
4. केंद्र परिवार किसे कहते हैं ?
5. परिवार के लक्षण (विशेषताएँ) कौन–कौन से हैं ?
6. व्यक्ति के सामाजिक विकास स्तर में परिवार की भूमिका बताइए।
7. संयुक्त परिवार की विशेषताएँ लिखिए।
8. विभक्त परिवार के दिन–बादिन बढने के कारण क्या हैं ?

III. क्रिया कलाप

1. विभक्त – अविभाज्य परिवारों की सुविधा – असुविधा के बारे में चर्चा कीजिए।
2. आदिवासी परिवार व्यवस्था के बारे में जानने के लिए आदिवासियों के स्थान पर जाइए।

IV. नियोजित कार्य

1. मातृप्रधान – पितृप्रधान परिवार की पद्धति के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त कीजिए।
2. अपने परदादा के काल से अब तक के वंश वृक्ष को परिवार के वरिष्ठ जन के साथ चर्चा कर तैयार कीजिए।

☆☆☆☆☆

Not to be republished ©KTBS

अध्याय 2

सामाजीकरण

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशो की जानकारी होगी –

- *सामाजीकरण का अर्थ*
- *सामाजीकरण के कार्य*
- *सामाजीकरण के साधन*
- *लिंग और सामाजीकरण*

सामाजीकरण का अर्थ - समाज का अस्तित्व व्यक्ति के सामूहिक जीवन से है। मानव सामाजिक प्राणी है। मानव शिशुरुप में जन्म लेते समय केवल एक जीव मात्र होता है। तत्पश्चात समाज के जीव के रुप में परिवर्तित होता है। शिशु के बालक रुप में विकसित होते समय ही सामाजिक व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया अर्थात सामाजिक व्यक्ति के रुप में परिवर्तित होने की क्रिया ही 'सामाजीकरण' कहलाती है। बालक के बात करने की शक्ति तथा सोचने की शक्ति मिलते ही समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क भी जुडता जाता है। अन्य लोगों के साथ बात चीत करने का प्रयास करते हैं। खेलने के द्वारा अपने निकट जनों का अनुसरण करना प्रारंभ करते हैं। इसीप्रकार वह धीरे-धीरे सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है। इर प्रक्रिया में व्यक्ति और सामाजिक अवलंबन देखा जा सकता है।

'सामाजीकरण' का अर्थ है – समाज के लोगों में परस्पर अवलंबन होकर वे सभी अपने अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को समझकर जीवन व्यतीत करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया।

सामाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली निरंतर सामाजिक क्रिया है। मानव को जन्म से अर्जित सहज प्रवृत्तियाँ सामाजिक व्यवहार को प्रभावित होकर सामाजिक वातावरण और परिस्थिति के अनुकूल स्वरुप ले लेती हैं। इतना ही नहीं सामाजिक व्यवहार को अपनाकर सामाजिक प्राणी के रुप में मानव भी परिवर्तित होता है। इसे ही सामाजीकरण कहा जाता है।

सामाजीकरण के कार्य –

1) मानव को सामाजिक प्राणी बनाता है।

2) विविध कौशलों को सीखने, अनुकरण तथा अपनाने का अवसर प्रदान करता है।

3) सामाजिक संबंधों को बनाता है और सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा और सहायता प्रदान करता है।

©KTBS Not to be republished

4) व्यक्तित्व विकास में सहायता करता है।

5) परंपरा को आगे बढाने में सहायक होता है।

सामाजीकरण के साधन – सामाजीकरण पर प्रभाव डालने वाले तत्व प्रमुख रुप से दो प्रकार के हैं। प्रथम है – आयु, अनुभव तथा बडों का प्रभाव। दूसरा है – समवयस्कों का प्रभाव। प्रथम भाग में माता–पिता, गुरु तथा बडे बुजुर्गों तथा अन्य जनों को जोडा जा सकता है तो दूसरे भाग में मित्र तथा समान आयु के लोग आते हैं। इस आधार पर निम्नलिखित तत्व सामाजीकरण की उपलब्धि कहे जा सकते हैं –

1) परिवार - बच्चे के सामाजीकरण में परिवार की भूमिका बडी महत्वपूर्ण है। माता–पिता बच्चे की सुरक्षा के लिए रक्त संबंधी होते हैं। 'माता ही बच्चे की प्रथम गुरु है' यह कहावत अक्षरशः सत्य है। माता पिता का चाल चलन, आचार–विचार, कार्य कलाप, व्यवहार आदि तत्व बच्चे के भावनात्मक विकास पर काफी प्रभाव डालते हैं। प्रेम, वात्सल्य, विश्वास, सहनशीलता, सहृदयता, सहयोग, आदि जीवन के मूल्यों को बच्चा घर पर ही सीखता है। परिवार की प्रशंसा, उसकी क्रियओं को प्रोत्साहन देती है। माता पिता आयु में अनुभवी, अधिकार में बडे होने के कारण बच्चे उनके साथ विनयपूर्वक पेश आते हैं। माता पिता के साथ रहने पर उनसे प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार बच्चों का मन सामाजीकरण से विकसित होता है और उत्साहित होता है। इसका आधार ही परिवार है।

2) समवयस्कों का समूह - सामाजीकरण का प्रमुख साधन समवयस्कों का समूह, सहपाठी, साथ खेलने वाले और मित्र वर्ग इस समूह में आता है। यह संबंध सहायता तथा परस्पर सामंजस्य पर आधारित है। इन्हें सामान्यतः एक ही आयु के होकर, अपने अभिभावकों तथा शिक्षकों से न प्राप्त सामाजिक व्यवहार के विषयों को मित्रों द्वारा बच्चा प्राप्त करता है। यह ज्ञान सामाजिक संबंधों तथा व्यवहार की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है।

3) धर्म - सामाजीकरण की प्रक्रिया में धर्म की भूमिका भी है। मानव द्वारा माने जानेवाला धर्म सामाजिक जीवन के लिए आदर्श नींव डालता है। नीतिपूर्ण जीवन जीने को सिखाता है। माता–पिता, गुरु, संबंधी, धार्मिक स्थानों पर जाते हैं और साथ ही विश्वास, पूजा, त्योहार, मेले, उत्सव आदि सामाजिक कार्यों और आचरण में भाग लेने के द्वारा धार्मिक क्रिया कलापों को बच्चों में आत्म सात कराते हैं। इसे सभी धर्म में भिन्न भिन्न तरीके से निभाया जाता है।

4) विद्यालय - बच्चे के सामाजीकरण में विद्यालय का स्थान महत्वपूर्ण है। विद्यालय में वे शिक्षा के प्रभाव, के साथ साथ सहपाठियों और मित्रों के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। शिक्षा से बच्चे का सामाजिक व्यवहार, ज्ञान तथा अनुभव स्वरुप लेता है। बच्चों की सुषुप्त शक्ति, सामर्थ्यो का विकास होता है। अपने जीवन को विशाल बनाकर सामाजिक जीवन के लिए तैयार करता है। बच्चे के सामाजीकरण में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

©KTBS Not to be republished

सच्चरित्रता, सद्भावना, समानता आदि गुण शिक्षकों के चाल चलन से अभिव्यक्त होकर बच्चों में प्रेम, विश्वास, सहनशीलता, मेलजोल का भाव, सहजीवन, सहृदयता आदि जीवनमूल्यों को आत्मसात करने योग्य बनाता है। साथ ही बच्चों को पाठ्येतर क्रिया कलापों, रचनात्मक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

आप सोचिए :

सामाजीकरण की पृष्ठ भूमि में बालक / बालिका के रुप में आपके द्वारा निभाए जानेवाले कार्यों के बारे में सोचें।

5) समूह / संचार माध्यम - आधुनिक समाज में समूह माध्यम सामाजीकरण के प्रमुख साधन के रुप में कार्य रत हैं। रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र, समाचार पत्र, दैनिकी, नाटक आदि समूह माध्यम साहित्य को काफी उपयोग किया जा रहा है। विज्ञापन, रेडियो कार्यक्रम, कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, नृत्यरुपक, संगीत, भित्तिपत्र, महान व्यक्तियों के विशेष कथन, अनुभव के वचन द्वारा हम काफी प्रभावित होते हैं।

चर्चा / वार्ता, कूटप्रश्न कार्यक्रम, परिचय, संवाद, विचार विनिमय, विविध स्थानों का अवलोकन, अन्वेषण आदि द्वारा समूह माध्यमों का उचित उपयोग हो रहा है। साथ ही उत्तम व्यक्तित्व का निर्माण करने में भी सहायक शैक्षिक महत्व के कार्यक्रम महत्वपूर्ण परिणाम सामाजिक व्यवहार पर पडते हैं।

क्रिया कलाप

अपने पडोसियों के साथ अपने घरेलू संबंधों का विश्लेषण कीजिए।

6) आस-पडोस - इसका तात्पर्य है आस-पास के लोग। यह सामुदायिक गुणों से युक्त छोटा समूह है। आस-पडोस आकार में छोटा होता है। यहाँ लोगों का परस्पर संबंध होता है। स्थानीय रुप से निवास करनेवाले लोगों को कई प्रकार से आवश्यक सहायता मिलती है। आस पडोस की भूमिका गाँव तथा शहर दोनों स्थानों पर देखी जा सकती है।

पडोसी लोग हमारे संकट, संतोष, समारोहों आदि में परस्पर मिलबाँट कर एक ही परिवार की तरह रहते हैं। इच्छा, आशा, त्योहार, मेले, विवाह, धार्मिक समारोह आदि समयों पर परस्पर मदद करते हैं। ग्रामीण वातावरण में कैसी भी परिस्थिति हो, पडोसी हमारी मदद करेंगे, इस भावना से जीवन व्यतीत करने वाले अधिक लोग हैं। किंतु नगरीय वातावरण में ऐसी भावनाओं का संकट, कष्ट की स्थिति में पडोसियों से उम्मीद की भावना कम होती है। सामान्यतः नगरों में पडोसियों के रुप में उनकी पहचान अपने लोग की बजाय वैयक्तिक रुप में अधिक होती है।

©KTBS Not to be republished

> **क्रिया कलाप**
>
> विशेष उपलब्धि प्राप्त महिलाओं के बारे में जानकारी संग्रह कीजिए।

लिंग और सामाजीकरण - जैसा कि हम जानते हैं सामाजीकरण प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। सामाजीकरण की प्रक्रिया सभी परिवारों में एक जैसी नहीं होती। जन्मदाता, आचार-विचार, शैक्षिक स्तर, आशाएं - आकाँक्षाएँ, अभिरुचि, प्रमुखता आदि सामाजीकरण की प्रक्रिया में जान कर या बिनाजाने भी जीवन मूल्यों को, आचार-विचारों को भिन्न भिन्न प्रकार से अपने बच्चों को लोग सिखाते रहते हैं। उदाहरण के लिए - बालक / बेटा बाहर से खेल कर देरी से घर आता है तो डाँटने के तरीके में तथा बालिका/बेटी देरी से घर लौटे तो उसे डाँटने के तरीके में फर्क देखा जा सकता है। सामान्यतः बेटे को 'आगए घर' कहा जाता है तो बेटी को 'इतनी देर क्यों लगा दी?- अंधेरा होने से पहले घर लौटना चाहिए' कहा जाता है। विशेषकर भारत में खाना बनाने तथा परिवार की सेवा के लिए बेटी से मदद की अपेक्षा रखी जाती है। किंतु बेटे से इसकी अपेक्षा नहीं रखते। इसी प्रकार बेटी को खेलने की गुडिया, तो बेटे को क्रिकेट का बल्ला दिया जाता है। इसी प्रकार भिन्न रुप से लिंग के अनुरुप सामाजिकरण की प्रक्रिया सामान्यतः चलती है। इसे 'अन्तर दिखाने वाला' सामाजीकरण कहते हैं।

आज के आधुनिक संकीर्ण समाज में महिलाओं को गणनीय स्थान प्राप्त हो रहा है। यह काल तथा देश के अनुरुप परिवर्तित होता रहा है। भारत में शिक्षा द्वारा महिलाएँ पराधीनता से मुक्त होकर नवीन स्थान पा रही हैं। पहले पुरुष मात्र कुछ अधिकारों को प्राप्त करते थे जिन्हें आज स्त्रियों भी प्राप्त कर रही हैं।

खानों की खुदाई का कार्य, इस्पात के कारखानों में कार्य, सुरंग (गुहा) बनाने का कार्य, समुद्र की गहराइयों से संसाधन निकालने का कार्य आदि कार्यक्षेत्रों में आज स्त्रियाँ अवसर प्राप्त कर रही हैं। चिकित्सा प्राप्ति, वकील वृत्ति, विश्व विद्यालय स्वर पर अनुसंधान, कारखानों का कार्य, सैनिक उद्यम, युद्ध संबंधी उपकरण के उत्पादन कार्यों में स्त्रियों भी भाग ले रही हैं। इस दिशा में पूर्व ही सामाजीकरण को प्रक्रिया समानता तथा समान अवसर प्राप्त करने की दृष्टि से प्रमुख रुप से हो रही है। विशेषतः स्वतंत्रता के बाद भारत में समानता के तत्व का अनुष्ठान, लडकियों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाया गया कदम - विशेष कार्यक्रम, आर्थिक प्रगति तथा नगरप्रदेशों की अभिवृद्धि, परिवर्तित सामाजिक भाव, सामाजीकरण में लिंग समानता लाने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

©KTBS Not to be republished

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए –

1. मानव की सामाजिक व्यक्ति बनने की प्रक्रिया ________________ कहलाती है।
2. माता ही बच्चे की प्रथम _______________ है।
3. सामाजीकरण का प्रमुख साधन _______________ है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चर्चा करके दीजिए –

1. सामाजीकरण में विद्यालय की भूमिका का विवरण दीजिए।
2. परिवार के सदस्यों के साथ बच्चा किन मूल्यों को सीखता है ?
3. सामाजीकरण की प्रक्रिया का महत्व समझाइए।
4. सामाजीकरण किसे सूचित करता है ? बताइए।
5. सामाजीकरण की प्रक्रिया में समूह माध्यम की भूमिका क्या है ? बताइए।
6. सामाजीकरण की प्रक्रिया में आस-पडोस की भूमिका का विवरण दीजिए।

III. क्रिया कलाप

1. सबके मिलजुल कर जीने में सामाजीकरण की भूमिका के संबंध में एक निबंध या चर्चा गोष्ठी का आयोजन कीजिए।
2. माध्यमों में सामाजीकरण संबंधी प्रसारित लेख-साक्ष्य चित्रों का संग्रहकर विवरण दीजिए।

IV. नियोजित कार्य

1. परिवार, विद्यालय, समूह माध्यम की सामाजीकरण प्रक्रिया का चित्र बनवाया जाए।

☆☆☆☆☆

©KTBS Not to be republished

भूगोल
अध्याय – 1
हमारा राज्य – कर्नाटक

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशो की जानकारी होगी –

- *अपने प्रांत की महानता और परम्पराओं के बारे में।*
- *कर्नाटक नामकरण की पृष्ठभूमि तथा इस राज्य की उत्पत्ति (स्वरूप)।*
- *कर्नाटक का भौगोलिक स्थान, विस्तार, थल एवं जल सीमा तथा पडोसी राज्य।*

पिछली कक्षा में प्राकृतिक भूगोल के बारेमें अध्ययन किया जा चुका है। अब अपने प्रांत कर्नाटक सम्बन्धी अध्ययन किया जा रहा है। कर्नाटक अपने आप में प्रमुख, महत्वपूर्ण तथा परंपरा युक्त राज्यों में से एक है। उत्तम स्थिति, विविध प्रकार के भू-स्वरूप रचना, पेड-पौधे और जानवार, विविध प्रकार की मिट्टी, नदियों का जाल, खनिज तथा जनजीवन के वैविध्य से समृद्ध प्रान्त है कर्नाटक। प्राकृतिक सौन्दर्य और वन्यजीवों से समृद्ध संसार की परम्पराओं में प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है।

नामकरण की पृष्ठ भूमिः कर्नाटक नाम प्राचीनकाल से ही प्रचलित है इसे करूनाडु (कर+नाडु अर्थात काली मिट्टी की भूमि) कहा जाता था। तमिल के शिलपाधिकारम नामक प्राचीन कृति में उल्लेखित करुनाट नामक शब्द से कर्नाटक नाम आया होगा। करुनाट से तात्पर्य - उन्नत अथ वा उच्चस्थान में स्थित भूमि। यह पहले कावेरी नदी से गोदावरी नदी तक फैला हुआ माना गया है। यह नृपतुंगा के दरबारी कवि श्री विजय द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ (लाक्षणिकग्रंथ) कविराजमार्ग में उल्लेखित है। स्वतंत्रता के बाद भारत अनेक राज्यों में बँट गया। मैसूरु राजा के अधिकार में दक्षिण के 9 जिलों से युक्त मैसूर राज्य सन् 1953 में प्रकाश में आया। तत्पश्चात भाषाई आधार पर प्रान्तों का बँटवारा हुआ। जिसमें बॉम्बे, हैदराबाद, मद्रास तथा कोडगु प्रांत बने। इन कन्नड भाषाई लोगों के आधार पर सन् 1956 नवम्बर 1 को विशाल मैसूरुराज्य प्रकाश में आया। इसकी याद में प्रतिवर्ष नवम्बर मास में राज्योत्सव मनाने की परम्परा चल पडी। कन्नड भाषियों के इच्छानुसार हमारे राज्य को कर्नाटक के नाम से सन् 1973, 1 नवम्बर को पुर्ननामकरण किया गया।

भौगोलिक स्थिति

भारतके 28 राज्यों में कर्नाटक एक है। यह भारत के दक्षिण में प्रायदीप के पश्चिमी मध्य भाग में स्थित है। यह '11^0-31^0 तथा 18^0-45^0 अक्षांश रेखाओं तथा 74^0- 12^0 और 78^0-40^0' पूर्व देशांतर रेखाओं के मध्य विस्तृत है। इस राज्य का फैलाव उत्तरी कोने में बीदर जिले के औराद तालुक से दक्षिणी छोर पर चामराजनगर जिले तक कुल 750 कि.मी. लम्बाई तक है।

पश्चिम से पूर्व को 400 कि.मी.तक विस्तृत है। कर्नाटक के पश्चिमी छोर पर उत्तर कन्नड जिले का कारवार तथा पूर्वी छोर पर कोलार जिले का मुलबागिलु तालुक है। कर्नाटक जल एवं थल सीमा युक्तहै। पश्चिम में अरब सागर, तो उत्तर में महाराष्ट्रपूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण तथा दक्षिणपूर्व में तमिलनाडु,

©KTBS Not to be republished

दक्षिण पश्चिय में केरल, उत्तर पश्चिम में गोवा राज्यों की सीमाएँ है। कर्नाटक राज्य का आकार 'काजु' जैसाहै।

विस्तार

कर्नाटक राज्य 1,91,791कि.मी क्षेत्रफल में विस्तृत है। विस्तार की दृष्टि से कर्नाटक भारत का आठवाँ बडा राज्य है। सन् 2011 की जनगणना कें अनुसार 6,11,30,704 जनसंख्या वाला यह राज्य भारत में नौवाँ स्थान पर है।भारत के कुल भौगोलिक विस्तार का 5.83 वें भाग पर कर्नाटक फैला हुआ है।

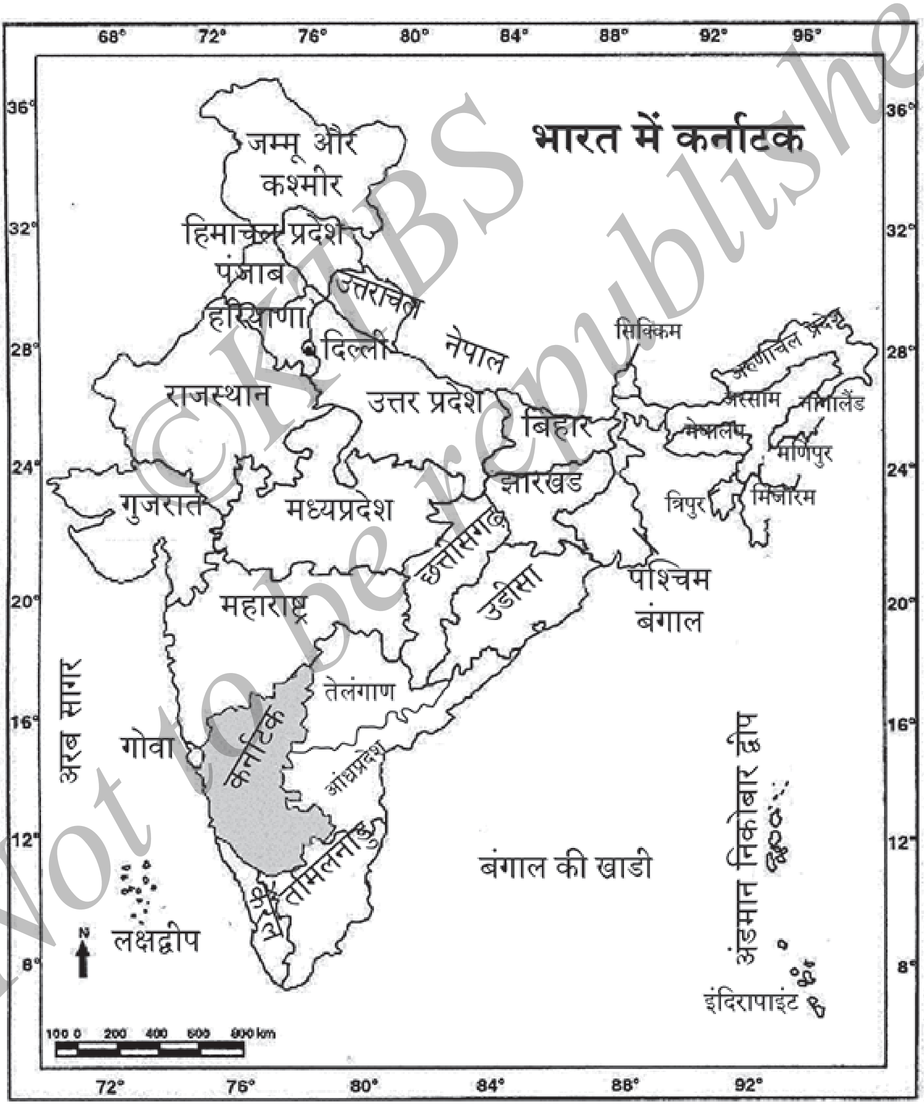

भारत में कर्नाटक का स्थानांकन

©KTBS Not to be republished

आज हमारे राज्य में 30 जिलेहैं । इनमें कुल 176 । तालुक, 747 कस्बे, 347 शहर और नगर तथा 27481 गाँव है। विस्तार की दृष्टिसे बेलगावी सबसे बडा और बेंगलूरु सबसे छोटा जिला है । बेंगलूरु कर्नाटक की राजधानी है । प्रशासनिक दृष्टि से कर्नाटक चार विभागों में बाँटा गया है । वे हैं - बेंगलूरु, मैसूरु. बेलगावी तथा कलबुरगि।

आपको ज्ञात रहे :

केन्द्र सरकर में विशिष्ट स्थान प्राप्तस्थान हैदराबाद तथा कर्नाटक के जिले बीदर, रायचूर, कलबुरगि, कोप्पल, यादगिरि, बल्लारी हैं ।

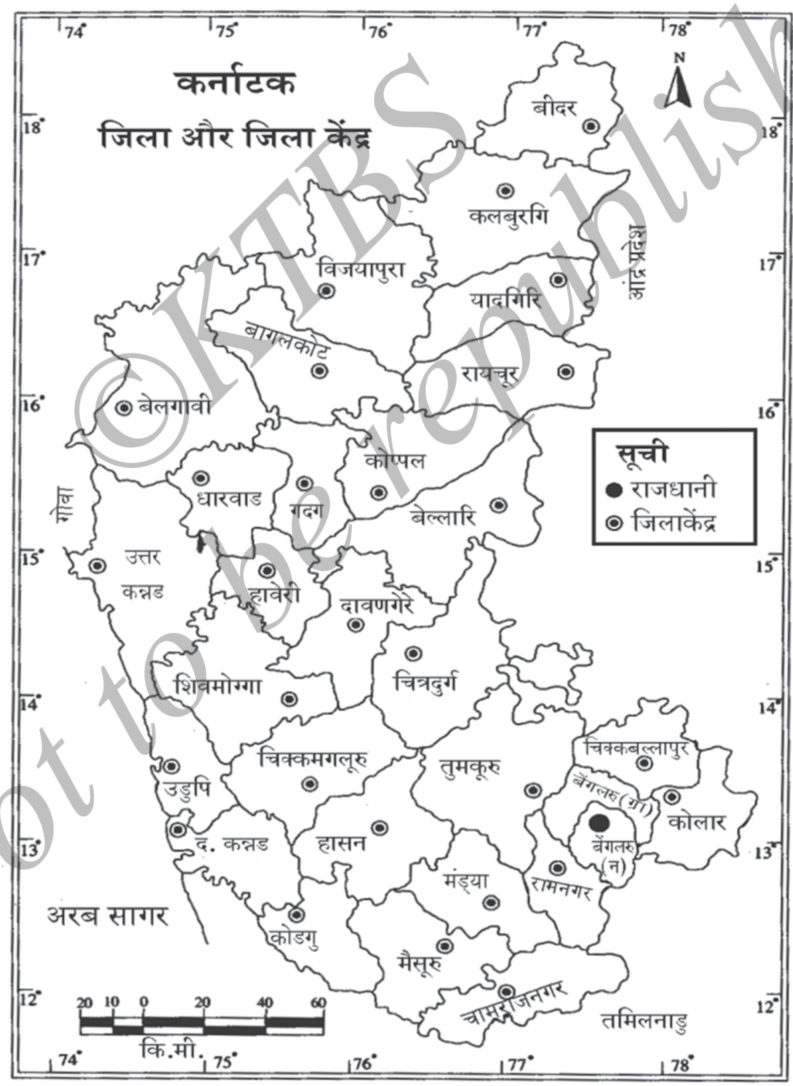

©KTBS Not to be republished

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों को पूर्ति सही शब्दों से कीजिए :

1) कन्नड राज्योत्सव को ____________ दिनाँक को मनाते हैं।

2) कर्नाटक इसका पुनः नामकरण सन् ____________ में हुआ।

3) कर्नाटक के पूर्वी भाग में ____________ राज्य है।

4) कर्नाटक का - जिला विस्तार की दृष्टि से बडा है।

5) कर्नाटक भारत के ____________ भाग में है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1) कर्नाटक राज्य के अक्षांश और देशातर रेखाओं के विस्तार को लिखिए।

2) अपने (कर्नाटक के) पडोसी राज्यों का नाम लिखिए।

3) कर्नाटक के चार प्रशासनिक विभाग कौन कौन से हैं ?

4) भारत में कर्नाटक का भौगोलिक स्थान क्या है?

III. क्रिया कलाप :

1) कर्नाटक का नक्शा/बनाकर उसके जिलों का नामांकन कीजिए और अक्षांश देशांतर रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए।

IV कार्य योजना (यौजना कार्य) :

1) अपने जिले/नगर का नक्शा बनाकर उसके अक्षांश देशांतर रेखाओं, पडोसी जिलों या अन्य प्रदेशों को अपने मार्गदर्शक की सहायता से प्रदर्शित कीजिए।

★★★★★

©KTBS
Not to be republished

आध्याय –2

कर्नाटक के प्राकृतिक विभाग

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशो की जानकारी होगी –

- *कर्नाटक की प्राकृतिक पृष्ठभूमि।*
- *कर्नाटक के प्राकृतिक विभाग।*
- *अपने राज्य के पहाड, उत्तुंग शिखर, आदि ।*

कर्नाटक भारत प्रायद्वीप का एक अंश होने के साथ-साथ विविध प्राकृतिक लक्षणों से परिपूर्ण है। इसका दक्षिणी भाग उतार चढाव युक्त भूमि है तो उत्तरी भाग विशाल मैदानी सीमा वाला है। समुद्र तटीय प्रदेश तथा पर्वतीय प्रदेशों की भूमि इसके विपरीत है। पूर्वी भाग साधा रण ढलवाँ तथा पश्चिमी क्षेत्र तीव्र ढलाऊ है। यत्र-तत्र लगातार पहाडी भूमि है। बीच-बीच में तराई का मैदान है। कहीं कहीं गुफाएँ भी है। राज्य का बहुत सा भाग समुद्र-स्तर से 450 से 900 मीटर ऊँचा है। कुछ भागों में यह ऊँचाई 1800 मीटर तक भी है।

भू रचना तथा बाहय – लक्षणों के आधार पर कर्नाटक के तीन प्रमुख प्राकृतिक विभाग किए जा सकते हैं। 1) समुद्र तटीय प्रदेश 2) पर्वतीय प्रदेश 3) मैदानी प्रदेश।

तटीय प्रदेश – भाषाई विभाजन के परिणामस्वरूप कर्नाटक राज्य समुद्री तट तथा तटीय मैदानी भाग से युक्त है। यह प्राकृतिक विभाग अरब सागर से पर्वतीय प्रदेशों वाला है, तो दक्षिण में मंगलूरु, उत्तर में कारवार तक 320 कि.मी. लम्बा तटीय मैदान है। इसकी चौडाई 12 से 64 कि.मी दक्षिणी भाग में तथा उत्तर में संकरा होते हुये ख़डे ढलाऊ भाग वाला है। समुद्र स्तर से इस भूमि की ऊँचाई 200 मीटर से अधिक है। यह भाग कर्नाटक का तटीय प्रदेश या केनरा तटीय भाग कहलाताहै। तटीय प्रदेशों के कटाव के कारण निर्मित इन भागों से हो कर कुछ नदियाँ तेजी से बहती है जो समुद्री ताल (अनूप, लैगून) का निर्माण करती हैं। किन्तु विशाल नदी मुहानों का निर्माण नहीं कर सकतीं।

तटीय प्रदेशों में अनेक बन्दरगाह हैं। उनमें नव मंगलूरु कर्नाटक का सबसे बडा बन्दरगाह है। भटकल, मलपे, कारवार, कुमटा, बेलेकेरे, तथा होन्नावर मछली पकडने के बन्दरगाह हैं। यहाँ स्थित अनेक सुन्दर समुद्री तट प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। उनमें मंगलूरु के निकट सोमेश्वर बीच (तट), पणंबूर, उल्लाल, उडुपि के निकट मलपे, कारवार, होन्नावार के निकट मुरूडेश्वर, मरवंते तथा गोकर्ण के निकट ओम बीच (तट) प्रमुख है।

इन समुद्र तटीय प्रदेशों के निकट अनेक छोटे-छोटे द्वीप भी हैं। उनमें सेन्ट मेरीस द्वीप (कोकोनट द्वीप) कारवार के निकट अंजा द्वीप, देवगढ, कांजीगुड्डा द्वीप आदि प्रमुख है। तटवर्ती प्रदेशों में लोगों की प्रमुख वृत्ति मत्स्यपालन है। इसके साथ साथ वे कृषि भी करते हैं। यहाँ काजू, नारियल, सुपारी,

©KTBS Not to be republished

इलाइची, धान जैसी प्रमुख फसलों की उपज की जाती है। दक्षिण कन्नड, उडुपि तथा उत्तर कन्नड तटवर्ती क्षेत्रों के प्रमुख जिले हैं।

2. पर्वतीय प्रदेश

> **ज्ञात रहे :**
> - *कर्नाटक का बृहत द्वार नवमंगलूरु बंदरगाह है ।*
> - *सेंटमेरीस द्वीप को स्थानीय लोग तोन्सेपार कहते है ।*
> - *मुरुडेश्वर के निकट नेत्राणी द्वीप है । यहाँ कबूतर अधिक होने के कारण इसे 'पिजन आइलैण्ड' कहा जाता है ।*

हमारे राज्य के पश्चिमी घाटों को ही पर्वतीय प्रदेश (मलेनाडु) कहा जाता है। इसे सहयाद्रि पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रदेश उत्तर दक्षिणी भाग में तटवर्ती प्रदेश में सामानांतर विस्तृत है। पश्चिमी भाग में खडी ढलान है। पूर्वी भाग की ओर क्रमश : ढलान बढती जाती है। इस कारण इन्हें घाट कहा जाता है। इस भाग की लम्बाई 650 कि.मी. तथा चौडाई 50 से 76 कि.मी.है। समुद्र तल से इसकी ऊँचाई 900 से 1500 मीटर है। यह घाट अरब सागर से चलने वाली मानसून हवाओं को रोककर 200 से.भी. से भी अधिक वर्षा प्रदान करता है। यहाँ का सबसे ऊँचा शिखर ''मुल्लयनगिरि'' तथा कुदुरेमुख, कल्हतगिरि, रुद्रगिरि, देविरम्मनगुड्डा आदि अन्य शिखर हैं । ये चिकमगलूर जिले में हैं । इसके अतिरिक्ति बल्लालरामन दुर्गा, मेर्तिगुड्डा, पुष्पगिरि, कोडचाद्रि, पश्चिमी घाट के अन्य उन्नत शिखर हैं । मुल्लयनगिरि की ऊँचाई 1913 मीटर है । यह राज्य का सर्वोच्च शिखर है ।कर्नाटक के पूर्वी मैदान से पश्चिमी घाट के पर तटवर्तीं मैदान की ओर जाने वाला मार्ग पर्वत घाटीय मार्ग कहलाता है । प्रमुख घाटी के मार्ग निम्नलिखित है । :

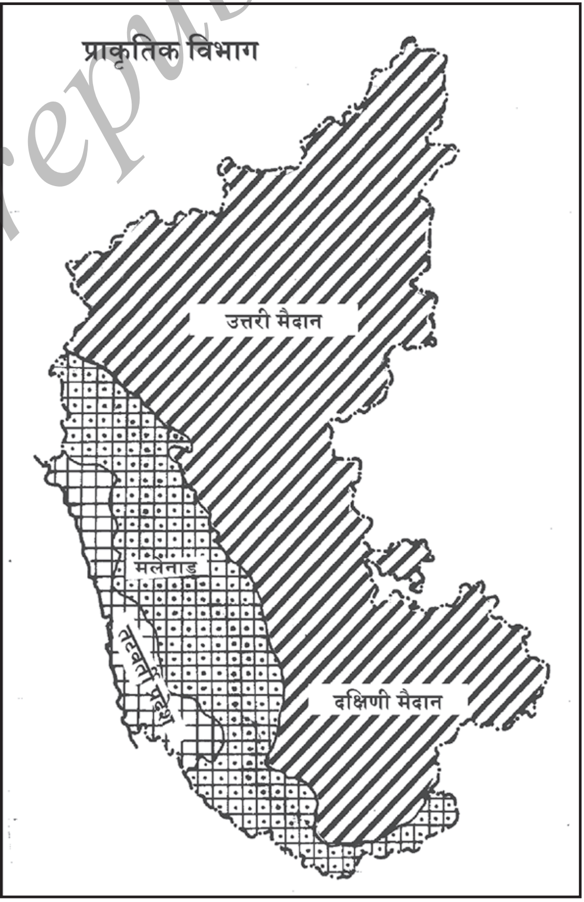

1. **चारमाडी घाटी :** मंगलूरु तथा चिक्कमगलूरु के मध्य सम्पर्क मार्ग,
2. **शिराडी घाटी :** हासन-सकलेशपुर-मंगलूरु के मध्य सप्पके मार्ग ।
3. **आगूंबे घाटी :** शिवमोग्गा तथा उडुपि के मध्य सम्पर्क मार्ग ।
4. **हुलिकल घाटी :** शिवमोग्गा-कुंदापुर के बीच सम्पर्क मार्ग ।

©KTBS Not to be republished

ये पहाडी प्रदेश अधिक वर्षा वाले सदाबहार हरित वन हैं तथा मनोहारी है। यहाँ कर्नाटक की कई नदियों का उद्गम होता है। ये नदियाँ यहाँ से ढलान की ओर तेजी से बहती हुयी अनेक जलप्रपातों का निर्माण करती है। भारत का सर्वोच्च जोग जल प्रपात (शरावती नदी) तथा ऊँचल्लि, मागोडु, गोकाक, शिवनसमुद्र, अब्बि जलप्रपात मुख प्रपातों में गिने जाते है। इसके साथ-साथ यहाँ कई घाटियों और गुफाओं का भी निर्माण हुआ है। यहाँ कॉफी, चाय, रबड के बागान, मसालों के पदार्थों को काफी उपज की जाती है। कॉफी के अत्यधिक उत्पादन के कारण चिकमगलूर को 'कॉफी प्रदेश' कहा जाताहै। कोडगु ज्ञात जिले में शीत जलवायु के कारणइसे कर्नाटक का कश्मीर कहा जाता है। यहाँ संतरेका उत्पादन अधिक होने के कारण इसे संतरा प्रदेश भी कहा जाता है। आज भी इन पहाडी प्रदेशों की रक्षा जीववैविध्य प्रदेश के तौर पर की जा रही है। हासन, कोडगु, शिवमोग्गा और चिकमगलूरु पहाडी प्रदेशों के जिले हैं।

> **ज्ञात रहे :**
> *बाबा बुडनगिरि का एक अन्य नाम चंद्रद्रोण पर्वत है*

3. मैदानी प्रदेश

पर्वतीय प्रदाश के पूर्वी भाग में मैदान भाग है। यह प्रदेशा कृष्णा, तुंगभद्रा तथा कावेरी नदीयो सेपरीपुर्ण है। सिरी ओट आपका जिलाकिस अनेक छोटे-बडे पहाडो की झाँकियाँ देखी जा सकती है। ये पहाडी के क्षेत्रपूर्व की ओर ढलाऊ होते जाते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर इनकी ऊँचाई बढ़ती जाती है। इस मैदानी भाग को दो भागों में विभक्त किया जाता है। 1) उत्तरी मैदान (1) दक्षिणी मैदान

> **ज्ञात रहे :**
> *आपका जिला किस प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत आता है । आपके जिले के पडोसी जिलों का नामांकन कीजिए और विशेष लक्षणों की सूची बनाइए ।*

(i) उत्तरीमैदान : यह काली मिट्टी का मैदानी प्रदेश है। तथा विस्तृत उपजाऊ भूमि वाला प्रदेश है। यह समुद्री स्तर से लगभग 365 से 610 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ-वहाँ पहाडी स्थानभी दिखाई पडते है। इनमें नरगुंदा पहाड, परसगड पहाड, इलकल पहाड प्रमुख हैं। सवदत्ती और बादामी के पूर्वी भाग में चूना-पत्थर से निर्मित कुछ भाग भूस्खलन के कारण काफी उतार चढाव वाले भाग हैं। लगभग 61 मीटर की ऊँचाई से गिरने वाली घटप्रभा नदी का गोकाक जल प्रपात यहाँ प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त छाया भगवती और सीगल जलप्रपात उत्तरी मैदानी भाग में है। बीदर, विजयापुरा, कलबुरगी यादगिरि, गदग, कोप्पला, रायचूर, बल्लारी, हावेरी, बागलकोट जिले और धारवाड तथा बेलगावी के कुछ भाग उत्तरी मैदान में आते हैं। गर्मियों (उष्णकाल) में अधिक गर्मी होने के कारण इसे गरम प्रदेश कहा जाता है। सूखी कृषि के अनाजों में ज्वार, बाजरा, मूंगफली, रूई, अनाजों की पैदावार होती है।

©KTBS Not to be republished

मुलय्यन गिरि

मधुगिरि एकशिला पहाड

(ii) दक्षिणी मैदान: यह उत्तर में तुंगभद्रा नदी के प्रांतीय भाग से दक्षिण के चामराज नगर जिले तक फैला हुआ है। यह काफी लाल मिट्टी वाला उपजाऊ भूमि वाला प्रायःद्वीप प्रदेश है। यह प्रदेश ऊँची नीची भूमियुक्त 900-975 मीटर ऊँचाई वाला भाग है। उत्तरी मैदान से पूर्व की ओर ढलाऊ हैं। यहा अनेक पहाड जैसे- नारायण दुर्गा, नंदी पहाड, शिवगंगा, सावन दुर्गा, मुख्य है। तुमकुरु जिला के मधुगिरि पहाड तो पूरे एशिया में अत्यंत ऊँचा एकशिला से निर्मित पहाड है। चिक्कबल्लापूर जिले का नंदी गिरिधाम, चन्नकेशव पहाड, कवले दुर्गा और स्कंधगिरि (हरिहरेश्वर पहाड) मंड्या जिले का आदिचुचनागिरि पहाड, चामराज नगर जिल का बिलिगिरिरंगा पहाड, मलैमहादेश्वर पहाड, गोपालस्वामी पहाड मैसूरु का चामुंडी पहाड प्रमुख है। ये प्रदेश वर्षायुक्त प्रदेश है। कावेरी, पालार, पेन्नार, यहाँ बहनेवाली प्रमुख नदियाँ है। रागी, धान, ईख (गन्ना), मूंगफली, शहतूत, फल-फूल आदि यहाँ की, प्रसुख उपज या खेती है। दावणगेरे, चित्रदुर्गा, तुमकूरु, कोलार, मंड्या, मैसूर, चामराज नगर जिले दक्षिणी मैदान में हैं।

क्रिया कलाप :

आपने जिले के प्राकृतिक वैविध्य के बारे में एक टिप्पणी लिखिए ।

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही शब्दों से कीजिए :

1) मल्पे के निकट ____________ द्वीप है।

2) सह्याद्रि नाम से ____________ को पुकारा जाता है।

3) आगुंबे घाटी _______ और ________स्थानों को जोडती है।

4) ''कर्नाटक का कश्मीर''____________जिले को कहा जाता है।

Not to be republished ©KTBS

II. निम्नलिखितप्रश्नोंकेउत्तरलिखिए :

1) कर्नाटक के प्रमुख प्राकृतिक विभागों का विवरण दीजिए।

2) पर्वतीय प्रदेश के लक्षण का विवरण दीजिए।

3) कर्नाटक के तटीय मैदानी भाग का विवरण दिजिए।

4) दक्षिणी मैदान के प्रमुख पहाडों के नाम लिखिए।

5) पश्चिमी घाट के प्रमुख घाटों को बताइए।

III. सहीजोडेबनाइए :

अ	आ
1) जोग जल प्रपात	अ) मंगलूरु
2) ओम (बीच) समुद्रीतट	क) उत्तरी मैदान
3) नंदी गिरिधाम	ज) शरावती नदी
4) एकशिला पहाड	प) गोकर्ण
5) गर्म प्रदेश	ब) चिक्कबल्लापुर
	म) मधुगिरि पहाड

IV. क्रिया– कलाप :

1) पर्वतीय प्रदेश और तटीय प्रदेशों के जिलों को कर्नाटक के नक्शे में नामांकित करें तथा कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपातों का चित्र संग्रह कीजिए।

V. प्रदत्त कार्य :

1) कर्नाटक के प्रसिद्ध पहाडों तथा गिरिधामों के बारे में जानकारी प्राप्त कर टिप्पणी लिखिए ।

2) कर्नाटक के जलप्रपात की सूची बनाकर उनके छवि चित्रों को संग्रह कीजिए।

☆☆☆☆☆

©KTBS Not to be republished

आध्याय -3

कर्नाटक की जलवायु मिट्टी, प्राकृतिक पेड-पौधे और जीव-जन्तु

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशो की जानकारी होगी -

- *कर्नाटक की जलवायु के प्रमुख लक्षण।*
- *कर्नाटक की मौसम सम्बंधी जलवायु, स्थिति।*
- *कर्नाटक की मौसमी वर्षा वितरण और परिणाम।*
- *कर्नाटक के मिट्टी के प्रकार और वितरण।*
- *कर्नाटक के प्राकृतिक पेड - पौधे, उसके प्रकार, वितरण और जीवजन्तु।*

कर्नाटक की जलवायु

कर्नाटक में उष्ण मंडल की मानसूनी जलवायु है। अधिक ताप और आद्रता युक्त गर्मी तथा शीत और शुष्क सर्दी का मौसम इस जलवायु के प्रमुख लक्षण हैं। फिर भी जलवायु में विविधता है। इस भौगोलिक स्थान में समुद्र की निकटता, भूस्वरुप, पेड-पौधे और मानसूनी हवाओं, उष्णांश औरवर्षा-का वितरण सम्पूर्ण राज्य में एक जैसा नहीं होता।

जलवायु की ऋतुएँ / मौसम : भारत के अनुसार कर्नाटक की वार्षिक जलवायु को चार भागों में बाँटा जा सकता है -

1) ग्रीष्म ऋतु (मार्च - मई)

2) वर्षा ऋतु (जून - सितंबर)

3) मानसूनी हवाओं का निर्गमन काल (अक्तूबर- नवंबर)

4) शीत ऋतु (दिसंबर - फरवरी)

ग्रीष्मऋतु : इस ऋतु में जलवायु अधिकता शुष्क और गर्मी से युक्त होती है। मार्च के महीने के बाद पूरे राज्य में उष्णता समान रुप से बढती है। अप्रैल-मई के महीने में वह गरिष्ठ स्तर (चरमसीमा) पर पहुँच जाती है। रायचूर में सामान्यत: प्रतिवर्ष 45.6 सेंटिग्रेड उष्णांश तापमान नापा गया यह हमारे राज्य का अधिक उष्णांश प्रदेश है। उत्तरी मैदान के अन्य जिलों में भी उष्णांश अधिक होता है। संक्षेप में इस अवधि में सम्पूर्ण कर्नाटक अधिक ताप युक्त होता है। उत्तरी मैदान में आद्रता का स्तर (सीमा) दक्षिणी मैदान से कम होता है। गर्मियों में आधिक बाष्पीकरण से वर्षा के बादल का निर्माण होता है। और इससे बिजली का चमकना, कडकना, बादल गरजना, कोलाहल युक्त बूँदाबाँदी वर्षा होती

© KTBS Not to be republished

है। कुछ स्थानों पर ओले भी पडते हैं। यह सामान्यत : दोपहार के समय थोडे समय के लिए होती है। यह वर्षा कहवा (कॉफी) के पौधे के फूल खिलने के लिए अनुकूल होती है इसलिए इसे कॉफी के फूल की वर्षा के नाम से जाना जाता है।

आम की फसल (उपज) के लिए भी अनुकूल होने के कारण इसे आम की पुकार (माविनहुयलू) भी कहा जाता है। इस काल में राज्य की कुल वर्षा का 7% भाग बरसता है।

वर्षा काल (ऋतु): इसे दक्षिण पश्चिमी हवाओं का काल कहा जाता है। अरब सागर से होकर चलने वाली आर्द्र हवाओं को पर्वतीय क्षेत्र के घाट रोककर अधिक वर्षा करते हैं। पूर्व की ओर जाते – जाते इस वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। इस प्रकार पूर्व का मैदान वर्षा युक्त प्रदेश के रुप में सामने आता है। आगुंबे अधिक वर्षा का स्थान है। इसे दक्षिण का चेरापूंजी कहा जाता है। भागमंडल और हुलिकल अन्य अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है। चित्रदुर्गा में चल्लकेरे के निकट नायकन हट्टी अत्यंत कम वर्षा वाला क्षेत्र हैं। इस समय पूरे राज्य में उष्णांश अधिक होता है और साथ ही आद्रता भी अधिक होती हैं। घने बादल घिरे होते है।

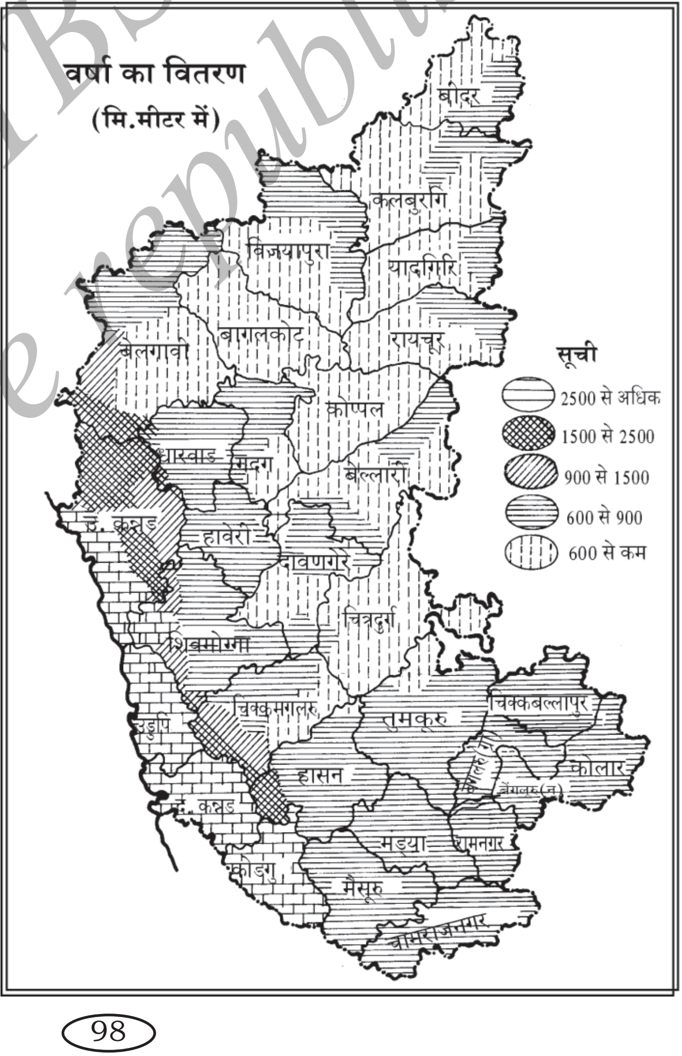

इस मौसम में कर्नाटक में 80 प्रतिशत वर्षा होती है। राज्य के खरीफ की फसल के लिए यह काल अनुकूल होता है।

मानसून हवाओं का निर्गमन काल – इसे उत्तरी-पूर्व मानसून हवाओं का काल भी कहा जाता है। उत्तरी भारत में उष्णांश कम होकर तापमान के दबाव के बढने से पश्चिमी दक्षिण मानसून हवाएँ उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर बहते हुए चली जाती हैं। भू-भाग से चलनेवाली

©KTBS
Not to be republished

ये हवाएँ वर्षा नहीं करती। लेकिन बंगाल की खाडी की ओर से बहने पर

यहाँ से आने वाली तूफानी हवाओं के प्रभाव से नवंबर - दिसंबर के महीनों में यहाँ वर्षा होती है । इस काल में वर्षा का 12 प्रतिशत भाग राज्य में बरसता है।

> ***क्रिया कलाप :***
> *ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु में सें आपको कौनसी ऋतु पसंद है और क्यों ? कारण भी बताए ।*

शीत काल : (ऋतु) इस काल में कम उष्णांश, कम आद्रता, कम वर्षा और स्वच्छ आकाश युक्त जलवायु होती है। उष्णाश लगभग 25 से 27 सेल्सियस तापमान होता है। जनवरी अत्यंत कम उष्णांश नापा जाने वाला महीना होता है। इस मास को कर्नाटक का प्रवास मास कहा जाता है। तब बेलगावी में उष्णांश कम से कम 6.7 सेल्सियस होता है। उत्तरी जिलों में निम्नतम कम उष्णांश होता है। उदा : विजयापुरा, कलबुरगी और बीदर में कभी-कभी प्रातःकाल कुहरा (कुहासा) भी छाया रहता है।

वर्षा का वितरण : पर्वतीय प्रदेश और तटीय प्रदेश अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। पूर्वी भाग के मैदानी भाग कम वर्षा वाले प्रदेश हैं। असंगत और असमान वर्षा के वितरण से राज्य में जब-तब अकाल और बाढ़ का प्रकोप होता है।

कर्नाटक को मिट्टियाँ

भूमि पर स्थित पतली परत ही मिट्टी है। कृषि के विकास के लिए उपजाऊ मिट्टी आवश्यक है। कर्नाटक में विविध प्रकार की मिट्टियाँ हैं। उन्हें चार प्रकारों में बाँटा गया है - 1) लाल मिट्टी 2) काली मिट्टी, 3) मखरैल मिट्टी 4) तटीय जलोढ़ मिट्टी।

1) लाल मिट्टी: यह ग्रेनाइट निर्मित लौह ऑक्साइड युकत होने के कारण यह लाल रंग का होताहै। इस मिट्टी में अधिक मात्रा में चूना और लवण के अंश और सावयव अंश कम होता है। बहुत हल्की पतली परत वाली यहा मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं है। आद्रता बनाए रखने की क्षमता इसमें कम है। इस मिट्टी में रागी, साँवाँ, बाजरा, ज्वार, तंबाकू, द्विदलधान्य, मूंगफली जैसे वर्षा पर आधारित फसलों की उपज की जा सकती है। सिंचाई की सुविधा के क्षेत्र में धान, ईख, आलू, सब्जियाँ, केला, नारियल, सुपारी आदि उत्पादन के लिए यह अनुकूल है। तुमकूरू, बैंगलूरु, रामनगर, चिकबल्लापुर, कोलार, चामराजनगर, मंड्या और मै सूरु जिलों में यह मिट्टी अधिकतम दिखाई देती है।

2) काली मिट्टी: यह बेसाल्ट पत्थर की शिथिल अवस्था से निर्मित है इसमें अधिक मात्रा में मेग्नीशियम, अल्युमीनियम और लौह आक्साइड होता है। इस प्रकार इसका रंग काला है। इसे मकाली मिट्टी अथवा काली रूई की मिट्टी (ब्लैक कोटन सॉयल) कहा जाता है। इस मिट्टी में अधिक दिनों तक आर्द्रता (नमी) को बनाए रखने की क्षमता है। इस मिट्टी में रुई, ज्वार, सूरजमुखी, मिर्च, मक्का,

©KTBS Not to be republished

आज, अनाज, ईख, प्याज और धान की उपज की जाती है। यह मिट्टी उत्तर कर्नाटक के जिलों में व्यापक रुप से देखी जा सकती है। धारवाड, गदग, बल्लारी, कोप्पल, कलबुरगी, यादगिरि.बागलकोटे, बेलगावी, चित्रदुर्गा तथा चामराजनगर जिलों में काली मिट्टी का विस्तार है।

3) जलोढ़ मिट्टी: अधिक उष्णांश और (लेटेराइट) अधिक वर्षा वाले भाग में इस प्रकार की मिट्टी पायी जाती है। पानी में गलने वाले- चूना और सिलिकेट वर्षा के पानी में मिलकर तली में मिट्टी केस्तर तक पहुँचता है। न गलने वाला लौह और अल्यूमीनियम ऊपरी सतह पर मुलायम होकर, गर्मी में सूख कर कठोर हो जाता है और लेटेराडट प्रस्तर बन जाता है। उसे भवन निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। इस मिट्टी में काजू, कहवा (कॉफी), चाय, इलाइची, कालीमिर्च, रबड, नारियल आदि फसलों की उपज की जाती है। उत्तर कन्नड, उडुपि, दक्षिणकन्नड, कोडगु, चिक्कमगलूरु, शिवमोग्गा, बेलगावी आदि पर्वतीय प्रदेशों के जिलोमें अधिकतर काली मिट्टी का विस्तार है।

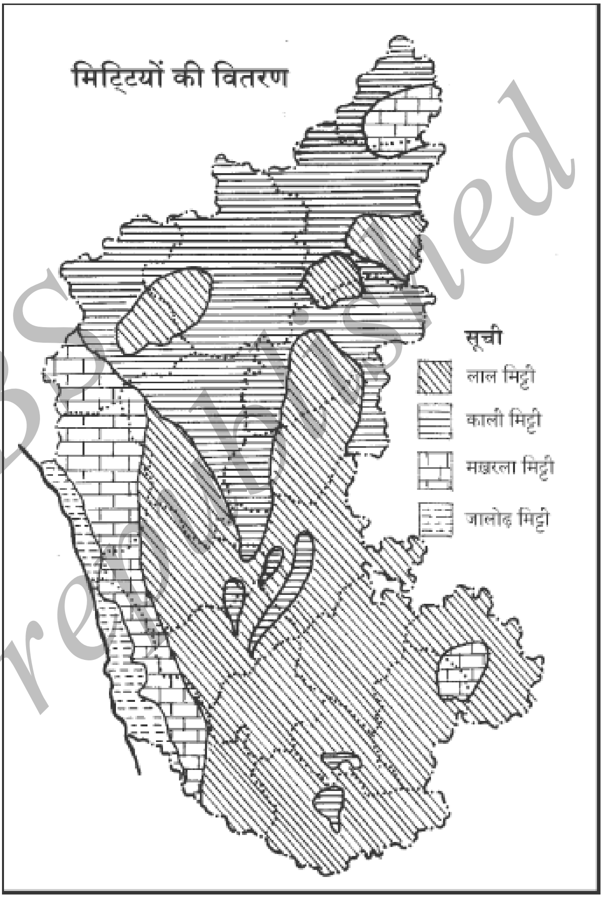

4) जलोढ मिट्टी: नदी, समुद्र की लहरों द्वारा (अल्यूवियल, कछारी) ढोकर लायी गई मिट्टी समुद्र तट पर एकत्र होकर इसका निर्माण करती है। इस प्रकार राज्यके तटीय- क्षेत्रों उडुपि, दक्षिण कन्नड और उत्तर कन्नड जिलों में यह मिट्टी देखी जा सकती है। इस में बालू और जलोढ़ मिट्टी के मिश्रण के साथा सडे-गले जैविकांश (पोटाश) समृद्द रूप से होते हैं । धान, काजू, नारियल, सुपारी, केला आदि की खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त है ।

प्राकृतिक पेड-पौधे

प्राकृतिक रूपसे उगनेवाले विविध पेड-पौधों के समुदाय को स्वाभाविक रुप से (प्राकृतिक) पेड-पौधे, कहा जाता है। कर्नाटक विविधता और समृद्ध वनस्पति संसाधन से युक्त है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में पेडपौधोंका महत्वपूर्ण स्थान है। पेड-पौधों से लकडी, हाथ की कारीगरी के

©KTBS Not to be republished

लिए कच्चा माल, ईंधन, जडी - बूटी, शहद, बाँस, बेंत आदि प्राप्त होता है। ये जंगल (कानन) जानवरों का निवास स्थान हैं। हाथी, चीता, शेर, बाघ, जंगली भैंस, हिरन, मोर कर्नाटक के जंगलों में ये जानवर देखे जा सकते हैं। इनसे मनोरंजन और प्रवास केंद्र का विकास होता है। पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रित करता है। कर्नाटक के जगलों में चंदन वृक्ष प्राप्त होते हैं। इनसे सुगंधित द्रव्य, सूक्ष्म कार्य के लिए कुशल उत्तम वस्तु, साबुन औ षधि आदि तैयार की जाती है। ये विश्व विख्यात होने के साथ साथ देश की अधिकतम माँग को ही पूरा नही करते बल्कि विदेशों को भी निर्यात किए जाते हैं। इसलिए कर्नाटक 'चंदन के प्रदेश' नाम से प्रख्यात है।

पेड-पौधों के प्रकार

वर्षा का अनुपात, भूमिका स्वरुप और मिट्टी के लक्षण के आधार पर कर्नाटक के पेड-पौधों का इस प्रकार विभाग किया जासकता है।- 1) सदाबहारी जंगल 2) पतझडी (पर्णपाती) पेड-पौधे,

3) मिश्रित जंगल 4) नाटे अथवा घास का मैदान (टुंड्रा)

1) सदाबहारी जंगल : मुख्यरूपसे 250 से. भी अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ऐसे जंगल पाएजाते हैं। अधिक वर्षा और अधिक गर्मी के कारण यहाँ वृक्ष ऊँचे और घने होते हैं। ये वन घने होने के साथ साथ यहाँ कुछ स्थानों पर सूर्य की किरणें भूमि तक नहीं पहुँच पाती। यहाँ मुख्य रुप से सीसम, सागौन, (नंदी) पुन्नाग, आदि ऊँचे ऊँचे वृक्ष पाए जाते हैं। पेडों के नीचे घनें झाड और पौधे उगते हैं। अनेक प्रकार के मसाले, लौंग, इलाइची, दालचीनी, औषधि के पौधे आदि बहुलता से उगते हैं। ऐसेवन उत्तर-कन्नड, उडुपी, दक्षिणकन्नड, शिवमोग्गा, हासन, चिक्कमगलूरु, चामाराजनगर, कूर्ग जिलों में देखे जा सकते हैं।

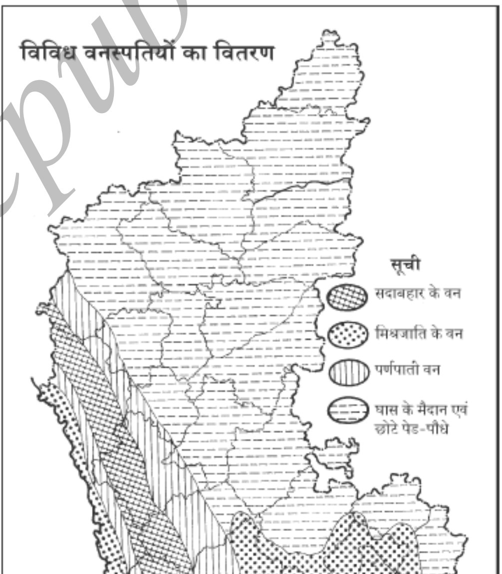

2) पर्णपाती वन : शरत ऋतु के बाद आर्द्रता(नमी) की कमी के कारण वृक्षों के पत्ते झडनेलगते हैं । इन्हें पर्णपाती (पत्तोंका झडना) वन कहा जाता है। 60-120 से भी अधिक वार्षिक वर्षा जहाँ होती है वहाँ ऐसे वृक्ष देखे जा सकते हैं। ऐसे वन चिकमगलूरु, मैसूरू, चामराजनगर, हासन जिलों के पूर्वी भाग, तुमकूरु, चिक्कबल्लापूर, कोलार के दक्षिणी भाग, मंड्या, रामनगर और बेंगलूरु

©KTBS Not to be republished

के ग्रामीण जिलों में दिखाई पडते हैं। सागौन, पुन्नाग, नीम, आम, कटहल, ढाक, बरगद चंदन और बाँस यहाँ पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं। ये बहुत घने वृक्ष नहीं होते हैं।

मिश्र– जाति के वन: सदाबहार और चौडे पत्तों वाले पर्णपाती वृक्षों वाले पेड–पौधों वाले क्षेत्र में ऐसे वन है। 120– 150 से मी. वाषिक वर्षा वाले क्षेत्र में ऐसे वृक्ष पाये जाते हैं। ऐसे वन उडुपि, दक्षिण कन्नड, उत्तर कन्नड के कुछ भागों में, कूर्ग के पूर्व भाग में तथा चिक्कमगलूरु, हासन और मैसूरु जिलो में देखे जा सकते हैं। सागौन, होने, देवदार, मत्ती, नन्दी, चंदन, कटहल, पलाश तथा कैस यहाँ के प्रमुख वृक्ष है।

घास का मैदान और छोटे– पेड–पौधे : कर्नाटकमें 60 से.मी. से भी कम वार्षिक वर्षा वाले प्रदेशों में ऐसे वृक्षों का वितरण है। वर्षा की कमी और शुष्क हवा के कारण नाटे (छोटे) पौधे और काँटेदार पौधेउगते हैं। उदाहरण के लिए करील, बबूल, बेल, खजूर, कुंती घास आदि। यहाँ वहाँ बरगद नीम, पीपल, ढाक जैसे वृक्ष मिलते हैं। ऐसेपैड–पौधेबीदर, कलबुरगी, यादगिरि, रायचूर, कोप्पल, विजयापुरा– बल्लारी, चित्रदुर्गा, इत्यादि जिलों में वितरित हैं।

तटीय प्रदेशों के निकट का नदी का डेल्टा (नदीमुखभूमि), अवशेष और रेत का किनारा, इन भागों में जडयुक्त पेड–पौधे हैं। ये खारे पाने में उगने की विशेषता रखते हैं इन्हे ही मैन्ग्रोव (कच्छ वनस्पति) कहा जाता है । ये इस राज्य में अति अल्प मात्रा में पाये जाये हैं।

लगभग 1400 मीटर से अधिक ऊँचे भाग में ठंडी जलवायु वाले स्थल कुद्रेमुख, बाबाबुडनगिरी, बिलिगिरि रंगा पहाड, कूर्ग का ब्रम्हगिरि श्रेणी का ढलाऊ भाग घास के मैदान से युक्त है । इनके ढलाऊ घाटी, प्रपात, झरनों से युक्त भागों में विशेष शोलाबन विस्तृतहै।

ज्ञात रहे :

- *बेंगलूरु के निकट रामो हल्लि में सबसे बडा बरगद का पेड है ।*
- *शिड्लघट्टा टी. वेंकटापुर के पास अंत्यंत बडा नीम का पेड है ।*
- *सवणूर के निकट बडा इमली का पेड है ।*

वनों का विस्तार

सभी प्रकार के वनों से युक्त कर्नाटक में ज्ञात वन प्रदेश का क्षेत्रफल 43.4 लाख क्षेत्रफल कि.मी.है। यह राज्य के भौगोलिक प्रदेश का 22.6 प्रतिशत हिस्सा है। भारत के समृद्द वन प्रदेशों वाले राज्यों मेंक नटिक 7 वाँ स्थान रखता है। उत्तर कन्नड अधिक वन प्रदेश वाला जिला है। इस के बाद शिवमोग्गा और चामाराजनगर क्रमश : द्वितीय और तृतीय स्थान रखते हैं। विजयापुरा अत्यंत कम वन प्रदेश वाला जिला है।

©KTBS Not to be republished

> ***ज्ञात रहे :***
>
> - कर्नाटक में पाँच प्रमुख बाघ संरक्षण क्षेत्र हैं बंडीपुर-नागर होले क्षेत्र, भद्रा, दांडेली, अंसी और बिलिगिरि रंगनाथ मंदिर क्षेत्र ।
> - कर्नाटक को प्रसिद्ध पक्षि धाम है - रंगनतिट्टु ।

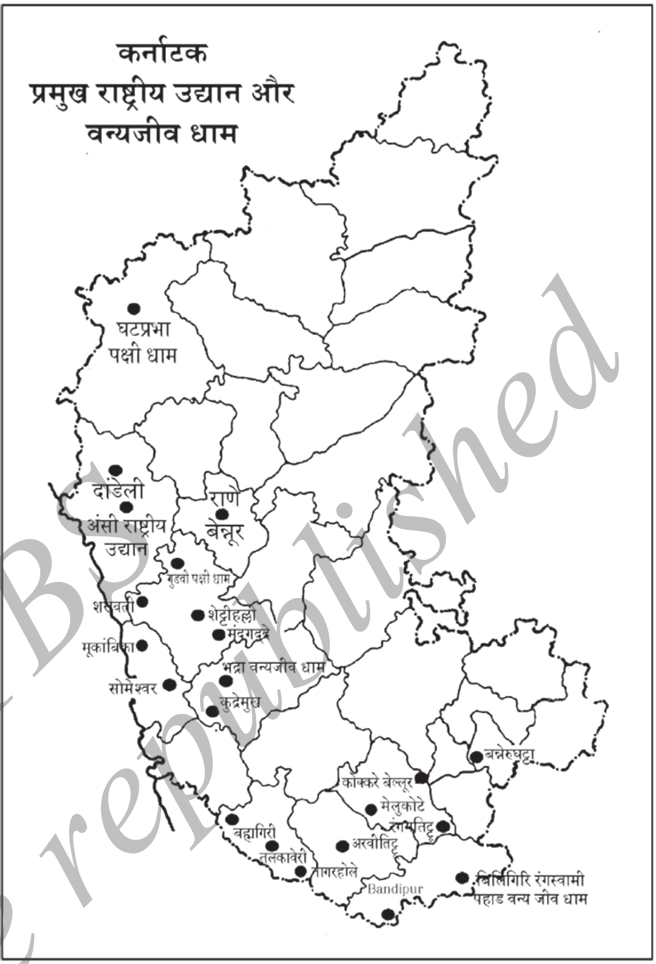

जीवजन्तु

कर्नाटक राज्य के वनस्पति और पेड -पौधे की मात्रा में ही वन्य जीव संपदा भी है । इसके लिए समृद्ध वन क्षेत्र प्रमुख कारण हैं । संपूर्ण विश्व के जीवजन्तु वैविध्य में कर्नाटक राज्य की सहयाद्रि पर्वत श्रेणी भी एकहै।आजकल उसे विश्व परंपरागत प्रदेश के नाम से घोषित किया गया है । भारत के कुल हाथियों का 25 प्रतिशत और बाघ का 10 प्रतिशत भाग हमारे कर्नाटक में है । इसके अतिरिक्त चीता, जंगलीसूअर, जंगली भैसा, बारहसिंघा हिरन, भालू, सेही (काँटेदार सूअर) यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं ।

साथ ही विविध प्रभेदों (प्रकार) के साँप और रंग-बिरंगे पक्षियों को भी देखा जा सकता है। पश्चिमी घाट के मध्य भाग में स्थित कर्नाटक का पहाडी भाग मात्र अपने में जैविक पारम्परिकता को बनाए हुए है । इस प्रकार इस भाग में वन्य प्राणी संकुल काफी मात्रा में देखा जा सकता है। वन्य प्राणियों के निवास (आधार) स्थान वाले राज्य वनप्रदेशों को 6 भागों (प्रदेशों) में बाँटा गया है । वे इसे प्रकार हैं - उत्तर कन्नड और बेलगावी के तटीय भाग, सहयाद्रि पर्वत श्रेणी, उदाहरण के लिए बाबाबुडनगिरि श्रेणी, बिलगिरिरंगा पहाड, मलै महादेश्वर पहाड इत्यादि से युक्त दक्षिणी मैदान, राणेबेन्नूर का उत्तरी मैदान प्रमुख वन्य जीव धाम है। आज कर्नाटक में 5 राष्ट्रीय उद्यान, 5 पक्षीधाम और लगभग 27 वन्य प्राणी धाम हैं ।

© KTBS Not to be republished

I. रिक्त स्थानों को पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए :

1) ग्रीष्म ऋतु (उष्ण काल)____________ महीने में होता है।
2) अत्यधिक वर्षा वाली ऋतु ____________ है।
3) उत्तर कर्नाटक में ____________ मिट्टी अधिक दिखाई देती है।
4) सदाबहार बन ____________ प्रदेशों में है।
5) अत्यधिक वन प्रदेश ____________ जिले में है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1) कर्नाटक के चार मौसम के नाम लिखिए।
2) कर्नाटक के वर्षाकाल के बारे में लिखिए।
3) कर्नाटक की मिट्टी के प्रकारों की जानकारी दीजिए।
4) कर्नाटक की मिट्टी के स्वाभाविक पेड-पौधों की जानकारी दीजिए।
5) हमारे वन प्रदेशों में स्थित प्रमुख वन्यजीवों के नाम लिखिए।

III. सही मिलान कोजिए :

अ	आ
1) आदिचुंचनगिरि	अ) पक्षीधाम
2) मंदगद्दे	क) राष्ट्रीय उद्यान वन
3) नागरहोले	ज) पर्णपाती वन
4) चंदनवृक्ष	प) मयूरधाम
	ब) लालमिट्टी

IV. क्रिया कलाप :

1) कर्नाटक के वन्य प्राणियों का चित्र संग्रह कर अलबम बनाइए। पक्षीधाम, वन्य जीव धामों की सूची तैयार कीजिए।

V. प्रदत्त कार्य :

1) अपने जिला में पाये जाने वाले वनस्पतियों के बारे में समूह चर्चा कीजिए।

☆☆☆☆☆

Not to be republished ©KTBS

आध्याय –4

कर्नाटक के जल संसाधन

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशो की जानकारी होगी –

- *कर्नाटक की प्रमुख नदियाँ*
- *कर्नाटक की सिंचाई के प्रकार*
- *जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्रो के महत्व की जानकरी ।*
- *कर्नाटक के प्रमुख बाँध*
- *कर्नाटक की नदियों का स्त्रोत और नदियों के जल संरक्षण का महत्व।*

कर्नाटक की नदियाँ

जल संसाधनों (स्त्रोतों) में नदियों के स्थान महत्वपूर्ण है। कर्नाटक की नदियाँ का जाल मुख्य रुप से पूर्व की ओर बहनेवाली नदियाँ और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ इन्हें दो विभागों में रखा जा सकता है –

ध्यान रखें :
कावेरी नदी अपने मार्ग में तीन जलप्रपातों– चुंचनकट्टे, शिवन समुद्र और होगेनकल तथा तीन द्वीपों का निर्माण करती है। (श्रीरंगपट्टण, शिवन समुद्र और श्रीरंगा)

क्या आप जानते हैं ?
- कूडल संगम क्षेत्र में मलप्रभा और कृष्णा नदियों का संगम है।
- कूडलि – तुंगा और भद्रा नदियों का संगम स्थल है।
- कृष्णराज सागर के पास हेमावती नदी कावेरी से जा मिलती है।

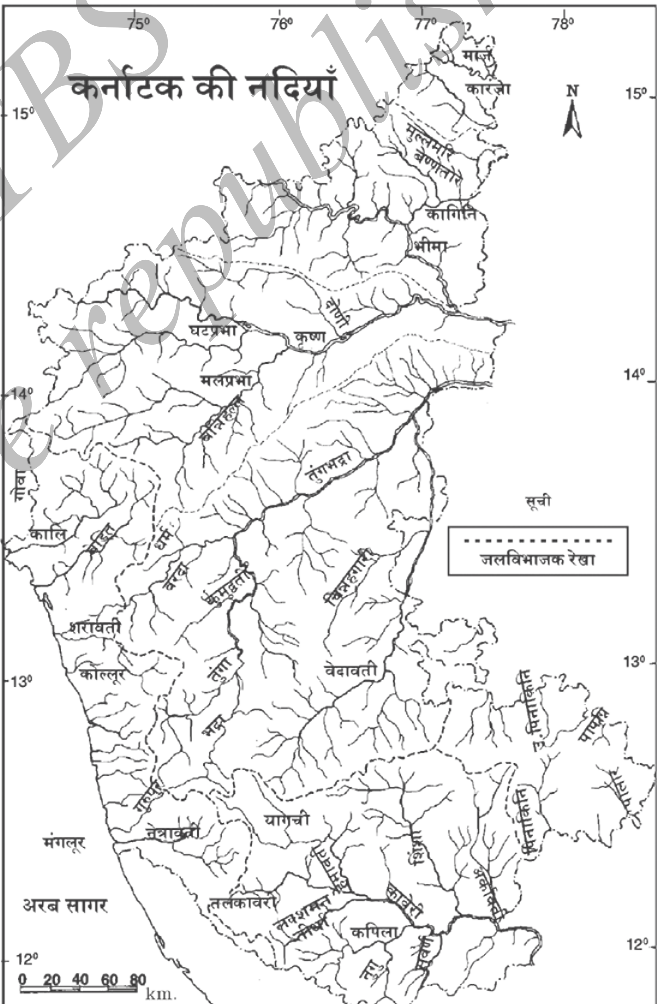

Not to be republished ©KTBS

1) पूर्वदिशा की ओर बहने वाली नदियाँ - कृष्ण, कवेरी, पेन्नार और पालार नदियाँ पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाडी में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ है। कृष्ण नदी दक्षिण भारत की दूसरी प्रमुख नदी है। महाबलेश्वर इसका उगम स्थल है लगभग 1392 कि. मी. लम्बाई में पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाडी में मिल जाती है। लेकिन यह कर्नाटक में 480 किमी. की दूरी तय करती है। भीमा, तुंगभद्रा, घटप्रभा और मलप्रभा इसकी उपनदियाँ है। व्यवस्था की दृष्टि से कृष्णा नदी उत्तर कर्नाटक के सिंचाई और जल विद्युत निर्माण (उत्पादन) के लिए बडी सहायक है।

> ***ज्ञात रहे :***
>
> पेन्नार नदी का एक नाम पिनाकिनी है ।
>
> तमिलनाडु में दक्षिण पेन्नार नदी को (दक्षिण पिनाकिनी) पोन्नैयार कहते हैं ।

कावेरी नदी कर्नाटक की सबसे प्रमुख नदी है। यह दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। कोडगु जिले का तलकावेरी नामक स्थान इसका उगम स्थल है। यहाँ से चलकर कर्नाटक और तमिलनाडु में पूर्व दिशा की ओर यह बहते हुए 804 कि.मी. की दूरी तयकर बंगाल खाडी में मिल जाती है। कर्नाटक में 380 कि.मी. तक बहती हैं। इस नदी की कई उपनदियाँ हैं। उदा - हेमावती, हारंगी, पीने का पानी की पूर्ति के यह नदी बहुत सहायक है। पेन्नार और पालार नदियाँ कोलार, तुमकुरू और बेंगलूरु जिले में बहती है और बाद में आंध्रप्रदेश तथा तमिलनाडु में प्रवेश करती है। उत्तर पेन्नार और दक्षिण पेन्नार दो अलग-अलग नदियाँ हैं।

2) पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ : इन नदियाँ का उगम स्थल पर्वतीय प्रदेश (मलेनाडु) है यहाँ से पश्चिम की ओर बहती हुयी, अरबसागर में जाकर मिलजाती है। उदा शरावती, काली, गंगावली (बेडती) नेत्रावती, वाराही, अघनाशिनी आदिये नदियाँ गहरे ढलान की ओर बहती हुयी जलप्रपात का निर्माण करती है। जल विद्युत उत्पादन में ये नदियाँ सहायक होती है। शरावती नदी द्वारा निर्मित जोग जलप्रपात विश्वविख्यात है। यह भारत का ऊँचा जल प्रपात (253 मी ऊँची) है। अन्य प्रमुख जल प्रपातों में गोकाक (घट प्रभा), बंडाजे (नेत्रावती) ऊंचली (अघनाशिनी) छाया भगवती (दोणी नर्दी), चुंचनकट्टे, शिम्षा, गगनचुक्की, भरचुक्की (कावेरी) मागोडु जलप्रपात (बेडती) आदि।

कर्नाटक की सिँचाई

कृषि हेतु कृत्रिमजल (नहरोंद्वारा) पूर्तिहीसिंचाई है। अकालिक और असमान वर्षा वितरण और कृषि विकास के लिए सिंचाई अत्यावश्यक है। कनटिक पुरातन (प्राचीन) काल से ही सिंचाई के विविध आयामों से व्यवसाय करने की परम्परा रही है। सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएँ, नहर, तालाब रहे हैं।

> ***ज्ञात रहे :***
>
> कर्नाटक के प्रमुख बड़े सरोवर मुदगद केरे, (सरोवर, कडूर के निकट) तोण्णूर केरे (पांडवपुर के निकट) हैरिगे केरे (हुणसूर) राम समुद्र केरे (चिक्कबल्लापुर), बैरसागर केरे (गुडिबंडे), कल्लंबेल्ला केरे (शिरा) बैरमंगल केरे (बिडदी) इत्यादि ।

© KTBS Not to be republished

पहले गाँवों में कुएँखोदकर सिंचाई की जाती थी। तत्पश्चात् व्यवसाय के लिए नहर बनाकर नदियों द्वारा जल आपूर्ति की जाने लगी। आज भी बड़े-बडे तालाब हैं। उदाहराण- दावणगेरे का शांति सागर, ग्यारहवीं, शताब्दी में खोदे गये कलबुर्गी जिले के कुएँ, विजयनगर शासन काल का तुंगभद्रा नहर, मैसूर महाराजा द्वारा निर्मित करवाया गया। वाणिविलास सागर, तथा कृष्णराज सागर बाँध कर्नाटक में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। आज राज्य में नदियों का जल तथा भूमिगत जल संपदा का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है। राज्य में कृषि योग्य भूमि का 26.2% प्रतिशत भाग सिंचाई की सुविधा से परिपूर्ण है। सिंचाई की दृष्टि से भारत में कर्नाटक का स्थान नौवाँ है।

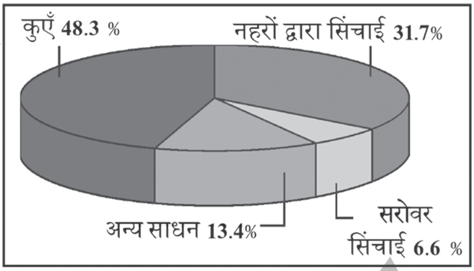

सिंचाई क्षेत्र का प्रतिशत अंश

ज्ञात रहे :

कर्नाटक का सर्वप्रथम जलाशय वाणी विलास सागर सन् 1907 में हिरियूर के निकट निर्मित किया था । इसे 'मारी कणिवे योजने' के नाम से जाना जाती है ।

रायचूर जिला सम्पूर्ण राज्य का सर्वाधिक नहर द्वारा सिंचाई का क्षेत्र है। तालाब द्वारा सिंचाई के प्रदेश सर्वाधिक शिवमोग्गा जिले में है। कुंओं द्वारा सिंचाई की सुविधा बेलगावी(बेलगाम) जिले में सर्वाधिक है। आजकल नलकूपों की संख्या अधिक हो गयी है। सिंचाई प्रदेशों में सर्वप्रथम स्थान बेलगावी जिले का और अंतिम स्थान कोडगु जिले का है।

राज्य के प्रमुख नहर सिचांई योजना के अंतर्गत कृष्णराज सागर बाँध, तुंगभद्रा, हेमावती, कबिनी, हारंगी, वाणविलास सागार (मारी नहर), कृष्णनदी का ऊपरीतट, आलमट्टी, नारायाणपुरा, मलप्रभा, कारंजा, बेण्णेतोरे योजना, हिप्परगी बाँध, भद्रा योजना आदि प्रमुख है।

जलविद्युत शक्ति (ऊर्जा)

भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन का श्रेय कर्नाटक को ही प्राप्त है। हमारे राज्य में एक तरफ कोयला और पेट्रेलियम की कमी है तो दूसरी तरफ जलशक्ति उत्पादन के कई मार्ग है। सर्वत्र तथा अधिक शक्ति पूर्ति के साधन को समृद्धता देने वाली नदियाँ कर्नाटक में स्थित है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में जलशक्ति सामर्थ्य की अधिकता है।

कोलार स्थित सोने की खान को विद्युतशक्ति की अपूर्ति के लिए सन् 1902 में शिवनसमुद्र के निकट विद्युत स्टेशन केन्द्र का कार्य आरंभ हुआ। यह योजना कावेरी नदी पर बनी है। इसके समीप ही राज्य की दूसरी जल विद्युत योजना सन् 1940 में शिम्षा नदी पर निर्मित की गई। अधिक विद्युत मांग की आपूर्ति के लिए शरावती नदी पर जोग जलप्रपात के निकष्ट 'महात्मागांधी' जल विद्युत योजना सन् 1947 में स्थापित की गई। इसके बाद पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अन्य कई जल विद्युत शक्ति

©KTBS Not to be republished

योजनाओं की अभिवृद्धि हुयी। परिणामत: कर्नाटक जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य है।

कर्नाटक की प्रमुख जल विद्युत योजनाएँ– शिवनसमुद्र, शिम्षा (कावेरी नदी), शरावती, लिंगनमक्की, गेरुसोप्पा और महात्मा गांधी जल विद्युत केन्द्र (शरावती नदी) सूपा, नागझरी, कद्रा और कोडसल्ली (काली नदी), वाराही और मारीकणिवे (नदी) भद्रा, तुंगभद्रा, घटप्रभा तथा आलमट्टी (कृष्ण नदी) योजनाएँ इन में प्रमुख हैं।

नदी जल विवाद

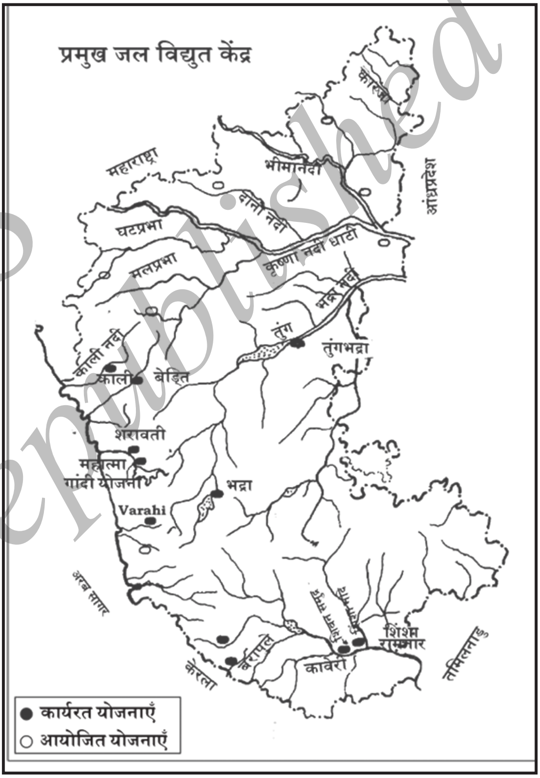

भारत में अनेक नदियाँ अन्तराज्यों में बहती हुयी जल आपूर्ति के लिए विवाद ग्रस्त है। उनमें कर्नाटक राज्य को कावेरी तथा कृष्ण नदी से जुडा विवाद भी एक है। कावेरी नदी का जल आपूर्ति सीम प्रदेश कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तथा पुदुचेरी राज्यों में फैला हुआ है। कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य जल बॅटवारा संबंधी विवाद एक शताब्दी से भी प्राचीन है। फिर भी यह आज की सबसे ज्वलंत समस्या है।

कृष्ण नदी भी विविध राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्रप्रदेश में बहती हुयी अन्तर्राज्यों की जल आपूर्ति करती है। यह भी कर्नाटक के नदी जल विवादों में से एक बन गई है। नदी जल–समझौता– भारत में अनेक नदियाँ कई–कई राज्यों से होकर मुजरती हैं। उदाहरण– कावेरी नदी– कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तथा पुदुचेरी राज्यों में बहती है। कृष्ण नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश में बहती है। इस प्रकार विविध राज्यों में नदियों का अंतर्गमन पारम्परिक निर्भरता एवं सामंजस्य को बढाता है। किन्तु कभी–कभी इनमें परस्पर विवाद का होना दुर्भाग्य की बात है।

अभ्यास

I. उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1) कावेरी नदी का उगम स्थल कोडगु जिले का ________________ नामक स्थान है।

2) प्रसिद्ध जोग जल प्रपात ________________ नदी पर निर्मित है।

©KTBS Not to be republished

3) कृष्ण राज सागर बाँध ________________ जिले में है।

4) कर्नाटक की प्रथम जल उत्पादन केंद्र योजना ________________ है।

5) आलमट्टी बाँध ________________ नदियों पर निर्मित है।

II. निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर दो- तीन वाक्यों में लिखिए :

1) कर्नाटक की प्रमुख नदियों का नाम वताइए।

2) कृष्णा नदी के बारे में टिप्पणी लिखिए।

3) कावेरी नदी की सहायक उपनदियों की सूची बनाइए।

4) कर्नाटक की सिंचाई के विविध प्रकार बताइए।

5) अपने राज्य के प्रमुख जलविद्युत उत्पादन केंद्रों का नाम बताइए।

6) नदियाँ किस प्रकार राज्यों के बीच समस्या पैदा करती हैं ?

III. सुमेलित कीजिए :

अ	आ
1) लिंगनमक्की बाँध	अ) जलविद्युत योजना
2) गगन चुक्की, भरचुक्की	क) नदी
3) वाणी विलास सागार	ज) काली नदी
4) नागझरी	प) कावेरी नदी
5) सूपा/पेन्नार	ब) शरावती
	म) मारीकणिवे

IV. क्रिया कलाप

1) कर्नाटक की नदियों और उनकी उपनदियों की सूची बनाइए।

2) कर्नाटक के प्रमुख जलविद्युत केद्रों की सूची बनाइए।

V. योजना / प्रदत्त कार्य -

1) अपने शहर / नगर की टंकियों के नाम जानिये।

2) अपने शहर के नजदीक के नदी, तालाब, सरोवर, सरिता का मुआयना अवसर मिलने पर करें और उसके सौंदर्यात्मक महत्व की चर्चा परस्पर करें।

☆☆☆☆☆

©KTBS Not to be republished

आध्याय –5

कर्नाटक की भू संपदा (सम्पत्ति)

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशो की जानकारी होगी –

- *कर्नाटक की भूमि तथा संपदा के उपयोग के विभिन्न तरीकों की जानाकारी।*
- *कृषि के विविध प्रकार और महत्व की जानकारी।*
- *कर्नाटक की प्रमुख उपज का महत्व और उत्पादन की जानकारी।*

कर्नाटक राज्य भौगोलिक दृष्टि से काफी समृद्ध राज्य है। यह प्राकृतिक वैविध्य, मिट्टी वनस्पति, खनिज, नदी और भूमिगत सम्पदा आदि से परिपूर्ण है ऐसे अमूल्य नैसर्गिक संसाधनों में भूमि अनमोल है। उसका सदुपयोग राज्य के विकास का सूचक होता है।

भूमि का उपयोग

भूमि का विविध उद्देश्यों के लिए उपयोग ही भू-उपयोग कहलाता है। इसमें कृषि योग्य भूमि, वनप्रदेश, बंजर भूमि, कृषि से अलग (निवासयोग्य भूमि) आवास, सडक, रेलमार्ग, चारागाह, बाँध, नहर इत्यादि का निर्माण प्रमुख है। भूमि का सही और उचित उपयोग आर्थिक विकास की बुनियाद है। कर्नाटक राज्य कुल 19.05 लाख हेक्टेयर भौगोलिक प्रदेश में विस्तृत है। यह निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों के लिए उपयोगी है।

कर्नाटक के भू उपयोग के नमूने

1. कृषियोग्य भूमि : कुल कृषि के लिए उपयोगी भूमि राज्य के सभी भागों में एक समान नहीं है। कलबुरगी जिले में राज्य का अत्यधिक भाग कृषि योग्य भूमिवाला है। अन्य स्थानों में बेलगावी, विजयापुरा, तुमकूरु रायचूर, बागलकोट, बल्लारी, चित्रदुर्ग और मैसूरु जिले आते हैं। तीव्र नागरीकरण से बेंगलूरु जिला निकृष्ट कृषि योग्य भूमि वाला है।

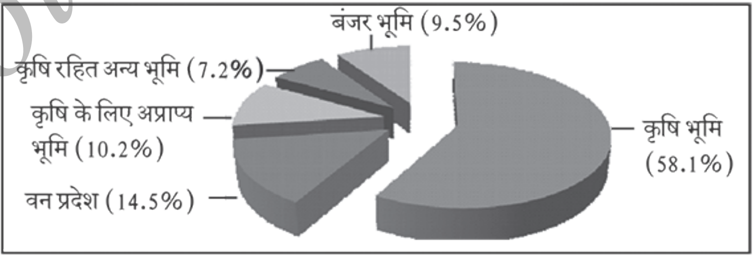

विविध भू-उपयोग के प्रतिशत भाग

Not to be republished ©KTBS

2) वनप्रदेश – उत्तर कन्नडजिले का अत्यधिक भाग वनप्रदेशयुक्त है। शिवमोग्गा, चामराजनगर, चिक्कमगलूरु, बेलगावी, दक्षिण कन्नड, उडुपि, बल्लारी जिलों में भी वन प्रदेश काफी मात्रा में देखे जा सकते हैं। बीजापुर जिलें में निकृष्ट (अत्यंतकम) वन प्रदेश हैं। बेंगलूरु ग्रामांतर, बेंगलूरु, रायचूर, बीदर और गदग जिलों में वन प्रदेश कम मात्रा में हैं।

3) कृषि के लिए अप्राप्य भूमि –यह व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य कई उद्देश्यों के लिए भूमि उपयोग के क्षेत्रों से युक्त भूमि है। रेलमार्ग, सडक, आवास, उद्योग धन्धों, सिंचाईयोजना इनमें प्रमुख है। आजकल आभिवृद्धि की दृष्टि से ऐसे भू-उपयोग तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें बेंगलूर नगर/जिला प्रथम स्थान पर है। शिवमोग्गा, तुमकुरू बेलगावी, बल्लारी, मैसूरु, दक्षिण कन्नड जिलों में भी यह अधिक है। परन्तु यह बीदर जिले में अत्यन्त कम तथा शेष जिलों में सीमित मात्रा में है।

4) कृषि रहित अन्य भूमि – इनके अन्तर्गत स्थायी चारागाह, वृक्ष और बाग-बगीचे आते हैं। ये शिवमोग्गा, तुमकुरू कोलार, चिक्कमगलूरु,और चित्रदुर्ग जिलों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। गदग, बगलकोट और धारवाड जिलों में निकृष्ट (कम) या ऐसी भूमि को सुधारकर कृषि हेतु उपयोगी

बनाया जा सकता है।

5) बंजर– भूमि: दो अथवा तीन वर्षों से भी अधिक काल तक निरंतर कृषि हीन भूमि को बंजर भूमि कहा जाता है। गुलबर्गा जिले में बंजर भूमि अधिक है। रायचूर, बेलगावी, विजयापुरा कोप्पल, तुमकुरू जिलों की गणना इसके बाद होती है। दक्षिण कन्नड, चिक्कमगलूरु, कोडगू, मैसूरु, उत्तर कन्नड और उडुपि जिलों में बंजर भूमि कम होने पर भी यहाँ इसका विस्तार बढ रहा है। ऐसी भूमि का सुधार किया जा सकता है।

व्यवसाय

भूमि की जोताई करके अनाज की उपज करने को व्यवसाय कहते हैं। इसके अतिरिक्त पशु पालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और रेशम उद्योग इन व्यवसायों के अंतर्गत शामिल है। कर्नाटक के 61.4% लोग ग्रामीण प्रदशों में रहते हैं। अत: उनका जीवन व्यवसाय पर ही अवलंबित है।

महत्व/ प्रमुखता : कर्नाटक के प्राचीन उद्योगों में व्यवसाय भी एक है। यहाँ जीवन आधारित मुख्य पेशा कृषि (उद्योग) है। यह हमारी राज्य को आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है। आर्थिक अभिवृद्धि भी व्यवसाय पर आधारित है। इससे जीवन यापन के लिए उद्योग प्राप्त होता है। लोगों को आहार, उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। व्यवासय राज्य की आय का अधार है। विदेशी विनिमय प्रदान करता है। कॉफी (कहवा), रेशम, मसाले, तम्बाकू , रुई आदि निर्यात होने वाले कृषि उत्पाद है। अन्य सहउद्योग के विकास में यातायात, बैंकिगं व्यवस्था, बीमा कंपनियाँ आदि के विकास के लिए भी यह सहायक है। यह राज्य की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

©KTBS Not to be republished

कृषि के प्रकार : कर्नाटक राज्य में भू-स्वामित्व (अधिकार) के साथ-साथ उपजाऊ, जलसुविधा, वर्षा की मात्रा, जलवायु, भू-स्वरूप, बाजार इनके अनुकूल विविध अनाजों की पैदावार की जानी है। इनके अनुरूप व्यवसय के प्रकारों को वर्गीकृत किया गया है। इनमें जीवनयापन संबंधी व्यवसाय, आदिप्रमुख है।

नहरों, सरोवरों और कुंओं द्वारा जल पूर्ति कर खेती करने की कृषि पद्धति को सिंचाई द्वारा खेती कहा जाताहै। धान, गन्ना सिंचाई खेती की प्रमुख पैदावर है। वर्षा पर निर्भर पैदावार को सूखी अथवा शुष्क खेती कहा जाता है।

कुछ विस्तृत उपजाऊ कृषि भूमिपर रुपया कमाने के उद्देश्य से वार्षिक फसल उगायी जाती है। इसे ही मआरोपित बागानफ व्यवसाय (प्लेन्टेशन) कहते हैं। उदा- कॉफी, चाय, रबड, कोको आदि। स्वदेशी उपयोग के अतिरिक्त विदेशी बाजारों को ध्यान में रखकर को जानेवाली पैदावर कृषि को मवाणिज्य व्यवसायफ कहते हैं। उदा- तंबाकू, रुई, जूट आदि। किसानों के जीवनयापन हेतु, (व्यापार हेतु नहीं) उगायी गई फसल (पैदावार) पद्दति कों जीवानाधार व्यवसाय कहते हैं।

आजकल मिश्र-फसल अधिक प्रचलित हो रही है। फसल की पैदावार के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन, रेशम उद्योग, भेड़-पालन, मुर्गी पालन- मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन आदि सहउद्योगों का निर्वाह करना मिश्र व्यवसाय कहलाता है।

कर्नाटक को प्रमुख उपज/पैदावार

जैसा कि पहले बताया जा चुका है व्यवसाय की विविध पद्धतियों के अनुसार कर्नाटक की उपज के प्रकारों में विविधता है। इसका प्रमुख कारण विविध भूस्वरुप, जलवायु, मिट्टी के प्रकार, सिंचाई की व्यवस्था, कृषि सम्बधी संप्रदाय, कृषि उत्पाद के लिए बाजार में माँग आदि है। कर्नाटक की फसलों का विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है।

आहार संबंधी फसल – धान, रागी, मक्का, द्विदल बीज धान्य तृणधान्य आदि वाणिज्यिक फसल के अन्तर्गत-रुई, तंबाकू, गन्ना, शहतूत आदि आते हैं। तैलीय बीज वाली फसलों में मूंगफली तिल, सूरजमुखी इत्यादि प्रमुख हैं। आरोपित फसलों में कॉफी (कहवा) नारियल, सुपारी, रबड, केला आदि प्रमुख है। इसके अतिरित कर्नाटक में विविध प्रकार की खेती और पुष्प उत्पादन भी किया जाता है। अब आगे कर्नाटक के प्रमुख फसलों के बारे में संक्षेप में जानेंगे।

कर्नाटक की विशेष उपज

नंजनगूडु के रसपूरित केले
ब्याडगी – मिर्च
तिपटूर – नारियल
मैसूरु – पान के पत्ते
बेंगलूरु – नीले अंगूर
देवनहल्ली – चकोता
ईरनगेरे – बैंगन
निप्पाणी – तम्बाकू

©KTBS Not to be republished

खाद्य पदार्थों को पैदावार

1. धान : यह कर्नाटक की प्रमुख खाद्य पैदावार है। राज्य के लोग चावल का उपयोग मुख्य खाद्य के रूप में करते है। कुल कृषि प्रदेश के 28.2% प्रतिशत भाग में धान की खेती की जाती है। सिंचाई, रासायनिक खाद और अधिक उत्पाद के लिए सँकर (मिश्र) बीज के उपयोग से धान की उपज में वृद्धि होती है।

> ***ज़ात रहे :***
>
> धान (पोयेसि) पिटाई, घास के वर्ग का पौधा हैं । इसका वैज्ञानिक नाम ओरैसा सटैवा है ।

धान उष्ण क्षेत्र की फसल है। इसकी पैदावार के लिए अधिक वर्षा और उष्णांश का होना आवश्यक है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की सुविधा को अति आवश्यकता है। धान की खेती के लिए समान भूमि चाहिए। उदा मैदानी भाग, उपजाऊ मिट्टी, जलोढ मिट्टी और चिकनी मिट्टी इसकी फसल केलिए बहुत उत्तम है। हरे पत्तों की खाद पत्ते, जैविक खाद और अधिक संख्या में मजदूर धान की खेती के लिए अनिवार्य है। लगभग 70% प्रतिशत भाग पर धान की फसल केलिए जून से अगस्त मास में बुवाई की जाती है। और नवंबर से दिसंबर मास में कटाई की जाती है। इसे खरीफ की फसल कहा जाता है। गर्मियों में भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध क्षेत्री में धान उगाए जाते हैं (फरवरी से जून) इसे रबी को फसल कहा जाता है। धान की खेती पर्वतीय प्रदेशों में विखेरकर तथा मैदान प्रदेशों में बुवाई द्वारा की जाती है।

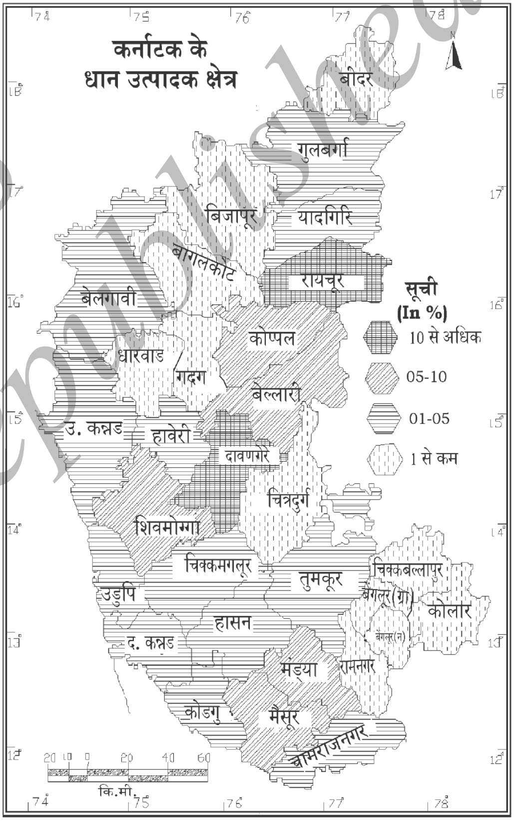

धान की पैदावार के प्रदेश : धान राज्य के सभी जिलों में उगाया जाता है। कृष्णा, तुगभद्रा घाटी और कावेरी नदी घाटी और तटीय प्रदेश धान की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। रायचूर जिला धान के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तत्पश्चात् दावाणगेरे, मैसूर, शिवमोगा, मंड्या, कोप्पल, उत्तर कन्नड, उडुपी दक्षिण कन्नड तथ गुलबर्गा जिले इन में प्रमुख हैं। राज्य के अन्य धान उत्पादक क्षेत्रों में- तुमकूर, हासन, चिक्कमगलूर, कोडगू और बेलगावी जिले आते हैं। सिंचाई द्वारा उत्पादित धान उत्तम स्तर का और मात्रा में भी अधिक होता है।

> ***आपके ज़ात रहे :***
>
> कलबुरगि-गुलबर्गा को तुवार का धान्यागार कहा जाता है ।

Not to be republished ©KTBS

2) ज्वार – धान के बाद ज्वार भी कर्नाटक की दूसरा प्रमुख उपज है। इससे पूर्व धान की फसल से अधिक ज्वार की फसल का क्षेत्र ही अधिक था। आजकल ज्वार उगाने के क्षेत्र कम हो गए हैं। कुल कृषि योग्य भूमि का 26% प्रतिशात भाग ज्वार की पैदावार के लिए प्रयोग किया जा रहा है। भारत में कर्नाटक प्रदेश ज्वार उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है।

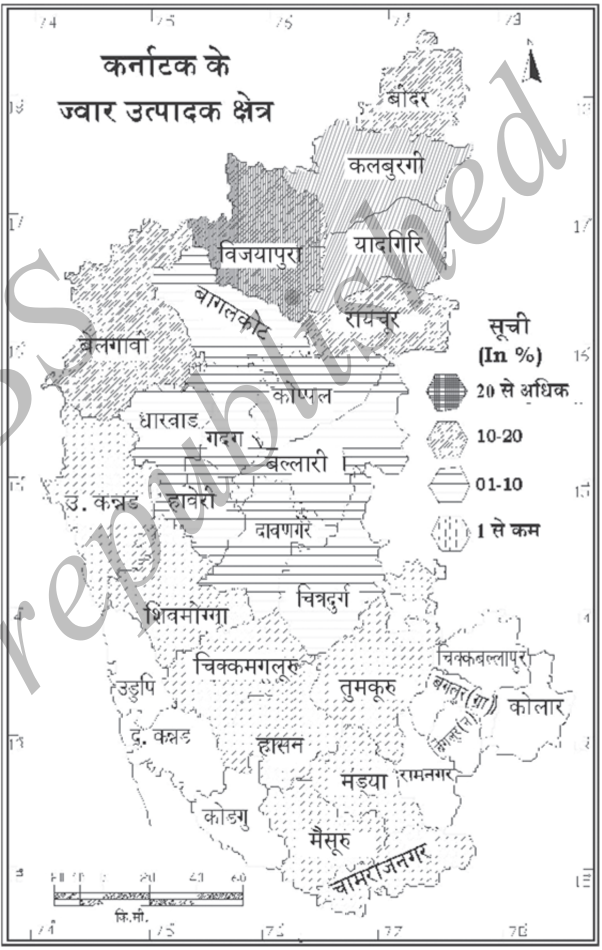

ज्वार उत्तर कर्नाटक के लोगों का प्रमुख खाद्य है। इसे अधिकतर रोटी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ज्वार केतने का प्रयोग पशुओं के लिए चारे के रुप में किया जाता है। दक्षिण कर्नाटक में ज्वार की कृषि जानवरों के चारे के लिए मात्र की जाती है।

यह भी घास-फूस की श्रेणी का पौधा है। इसे वैज्ञानिक रूप से सोगमि बल्गरे कहा जाता है। यह उष्ण क्षेत्र को पैदावार है। इसके पैदावार के लिए साधारण वर्षा, शुष्क वायु, काली, लाल तथा कछारी (जलाढ) मिट्टी काफी है। यह वर्षा आधारित उपज है। तथा उसी समय (वर्षा काल) इसकी बुवाई की जाती है। मुख्य रूप से यह दक्षिण पश्चिमी मानसून पर निर्भर पैदावार है। ज्वार-उत्पादन क्षेत्र - दक्षिण कर्नाटक के कुछ जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों में ज्वार की पैदावार होती है। विजयापुरा, बीदर, बलरी, बागकोट, रायचूर, बेलगावी, बीदर, बल्लारी, दावणगेरे, कोप्पल और गदग जिलों में ज्वार का अधिकतम उत्पादन होता है। विजयापुराजिला ज्वार के उत्पादन की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान रखता है। चित्रदुर्ग, शिवमोग्गा, चामराजनगर, हासन, तुमकुरू और मंड्रया जिलों में ज्वार की उपज, थोड़ी कम मात्रा में होती है।

3) रागी : यह उत्तम पौष्टिक तत्वों से युक्त खाद्यान्न है। इसका वैज्ञानिक (वनस्पति वर्गीय) नाम योलियुसिन कोराकना है। रागी से लौंदा, दलिया, रोटी, भुनाआटा, माल्ट, दोसा आदि खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। कर्नाटक में धान तथा ज्वार के बाद मुख्य खाद्यों में रागी की घास-फूस जानवरों के चारे के लिए उपयोग में लायी जाती है। इस अनाज का अधिक काल तक संग्रह किया जा सकता है।

©KTBS
Not to be republished

यह उष्ण क्षेत्र की फसल है। उष्णांश, अधिक साधारण वर्षा, लाल मिट्टी, जलोढ मिश्रित मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। यह अकाल में भी उगायी जाने वाली फसल है।

कुछ स्थानों पर सिंचाई पर आश्रित होकर रागी की फसल पायी जाती है। रागी को पैदावार के लिए बुबाई, निराई, कटाई तथा संग्रहण आदि के लिए अधिक संख्या में म जदूरों की आवश्यकता होती है। यह प्रमुख रुप से खरीफ की फसल है। गर्मियों में भी सिंचाई की सहायता से इसका उत्पादन किया जा सकता है।

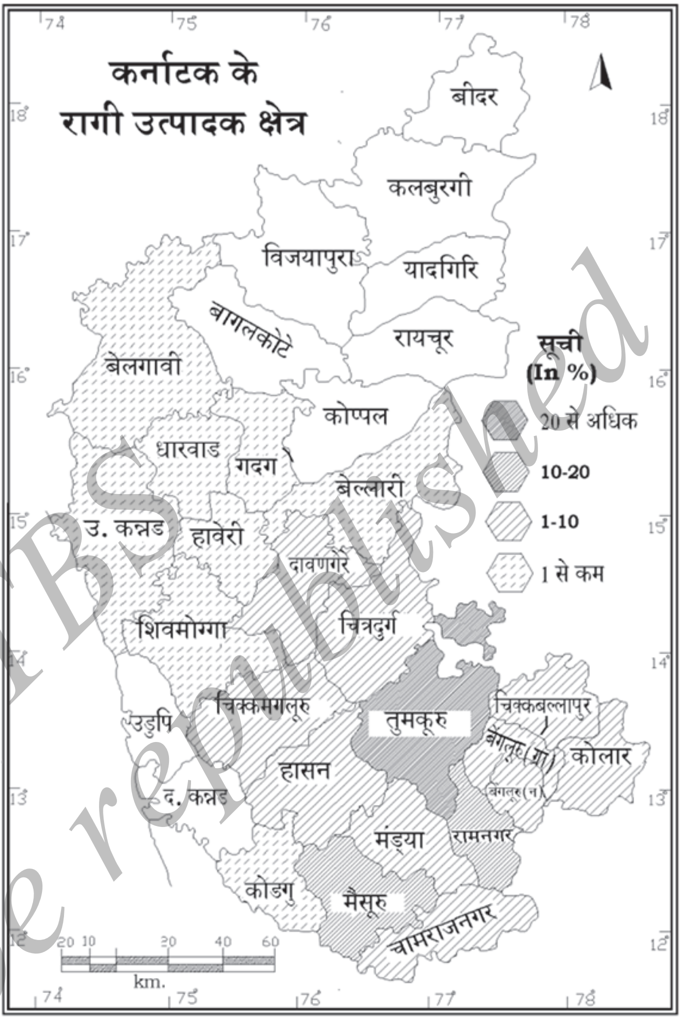

रागी उत्पाद क्षेत्र – रागी उत्पादन की दृष्टि से पूरे भारत में कर्नाटक का प्रथम स्थान है। रागी का उपयोग आजकल कम होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप रागी उत्पाद क्षेत्र भी कम होते जा रहे हैं। कुल कृषियोग्य भूमि 14% प्रतिशत भाग पर रागी की पैदावार की जाती है। दक्षिणी मैदानी भागों में रागी उत्पाद प्रदेश केंद्रीकृत हो गए हैं। यह प्राचीन मैसूर प्रांत की परंपरागत (सांप्रदायिक) उपज है। उत्तर कर्नाटक में ज्वार की प्रधानता है तो दक्षिण कर्नाटक में रागी की ही प्रधानता है। कर्नाटक में तुमकुरूअत्यधिक रागी उत्पादक क्षेत्र है। तत्पश्चात् रामनगर, हासन, मंड्या, बेंगलूरु ग्राम्य क्षेत्र कोलार, चिक्कबल्लापुर, शिवमोग्गा, चामराज नगर, चिक्कमगलूरु,तथा दावणगेरे क्षेत्र रागी उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं।

वाणिज्यिक फसल

1) गन्ना (ईख) : यह कर्नाटक की मुख्य वाणिज्य और औद्योगिक फसल है। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारत में कर्नाटक का स्थान चौथा है। यह उष्ण क्षेत्र की फसल है। अधिक उष्णांश और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों अथवा सिंचाई को व्यवस्था वाले क्षेत्रों में इसकी पैदावार होती है। गन्ने की पैदावार के लिए(रेत) बालूमिश्रित कछारी मिट्टी, लाल मिट्टी, उत्तम है।गन्ने की कटाई के तुरंत बाद उपयोग हेतु कारखानों को भेजना होता है। अत: उन्नत यातायात की सुविधा भी आवश्यक है।

©KTBS Not to be republished

यह भी घास फूस की श्रेणी का सस्य है। यह लगभग तीन मीटर ऊँचाई तक उगता है। इसका वैज्ञानिक नाम 'सख्यारम अफिसिनेरम' है। इसमें चीनी के अंश होने के कारण इसे गुड तथा शक्कर (चीनी) बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह बहुवार्षिक (वर्ष में कई बार) उपज होने के कारण इसके लिए सिंचाई की सुविधा का होना अनिवार्य है।

क्रिया कलाप:

अपने जिले की पैदावर आहार पदार्थ तथा वाणिज्य उपज की सूची बनाइए ।

गन्ना उत्पादक क्षेत्र : राज्य का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिला (क्षेत्र) बेलगावी है। आलमट्टी योजना द्वारा सिंचाई की सुविधा प्राप्त बागलकोट को द्वितीय स्थान प्राप्त है। मंड्या,मैसूरु, विजयापुरा, बीदर, बल्लारी, शिवमोग्गा, दावणगेरे, हासन, कोप्पल, हावेरी ये गन्ना उत्पादक अन्य क्षेत्र है। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से मंड्या स्वतंत्रता पूर्व से ही प्रसिद्ध स्थान है।

2) रूई – रूई (कपास) रेशेदार पैदावार है। रूई, कपडा उद्योग के लिए कच्चा माल है। साथ ही दरियाँर रस्सियाँ बिस्तर तकिए बनाने के लिए भी इनका उपयोग होता है। इसके बीज से खाद्य तेल का उत्पादन होता है। इसकी खली का उपयोग जानवरों के चारे के रूप में होता है।

यह उष्ण क्षेत्र का और उप उष्णमंडल की वाणिज्य उपज है। इसके लिए साधारण वर्षा, अधिक ताप और काली मिट्टी उत्तम है। हमारे राज्य में काफी दिनों से रूई (कपास) के प्रयोग का चलन है। लम्बा, मध्यम और छोटा सूत, रूई के प्रकार है। परन्तु कर्नाटक में अधिकतर मध्यम और छोटे तारों के सूत (रूई) का उपयोग होता है। रूई (कपास) की बुवाई कर्नाटक में अगस्त-सितंबर के महीनों में की जाती है। इसे वर्षा के समय में ही अधिकतर उगाया जाता है। सिंचाई की सहायता से भी (कपास) रुई उत्पादन होता है।

रुई (कपास) उत्पादन क्षेत्र : कर्नाटक राज्य में रुई उत्पद जिले हैं हावेरी, धारवाड, गदग, मैसूर, बल्लारी, रायचूर, कलबुरगी, बेलागवी, दावणगेरे, चित्रदुर्गा, कोप्पल, और विजयापुरा। इन में हावेरी जिला रूई उत्पादन के लिए राज्य में प्रथम स्थान रखता है। धारवाड जिला द्वितीय स्थान पाता है।

रुई को उपज में कोट और रोग नियंत्रण ही एक बड़ी समस्या है। रोग निरोधक और उत्तम श्रेणी की कृषि हेतु कृषि अनुसंधान संस्था इसकी अभिवृद्धि के प्रयास कर रही है, अत: आजकल रूई उत्पादन में वृद्धि और सुधार देखा जा रहा है।

तम्बाकू : यह 'निकोशियाना' वर्ग का पौधा है। इसमें 'निकोटिन' नामक मादक पदार्थ होता है। तम्बाकू का उपयोग धूम्रपान के लिए जैसे बीडी, सिगरेट, सिगार, सुंघनी (नसवार) इत्यादि तैयार करने के लिए किया जाता है। 17 वी. शताब्दि में पुर्तगलियों द्वारा तम्बाकू भारत लाया गया। तत्पश्चात् यह कर्नाटक में उगाया जाने लगा। अब तम्बाकू कर्नाटक के प्रमुख वाणिज्य उत्पादनों में से एक है। यह साधारण वर्षा और अधिक ताप वाले बालूमिश्रित मिट्टी वाले प्रदेशों में उगाया जाता है।

©KTBS Not to be republished

कर्नाटक में बीडी, तम्बाकू तथा चबाने के लिए प्रयुक्त तम्बाकू के लिए वर्जीनिया तम्बाकू का उत्पादन होता है। 'वर्जीनिया तम्बाकू उत्तम स्तर का तम्बाकू है और यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी अत्यधिक माँग है। इससे विदेशी विनिमय का अर्जन और राजस्व के रूप में राज्य के खजाने में काफी मात्रा में आय हो जाती है।

तम्बकू उत्पादक क्षेत्र : भारत के प्रमुख तम्बाकू उत्पादक क्षेत्रों में कर्नाटक का स्थान चौथा है। कर्नाटक में मैसूरु जिला तम्बाकू उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। हासन, शिवमोग्गा, कोडगु, बेलगावी, बल्लारी, चित्रदुर्गा, रायचूर, दावणगेरे, तुमकुरू गदग जिलों में भी तम्बकू उत्पादन होता है। बेलगावि जिले का 'निप्पाणी' स्थान देश के बीडी निर्माण के तम्बाकू बाजार में अत्यन्त प्रसिद्द है। कर्नाटक में उत्पादित तम्बाकू विश्वस्तर का होने के साथ- साथ अधिकतम निर्यात होता है।

कॉफी (कहवा) : कॉफी कर्नाटक का प्रसिद्द बागान और पेय पदार्थको पैदावर है। भारत में कॉफी उत्पादन की दृष्टि से कर्नाटक का पहला स्थान है। लगभग सन् 1670 में एक मुस्लिम फकीर बाबाबुडन ने कॉफी के पौधों को चिक्कमगलूरु की पहाडियों में लगाया। इस कारण आज उन पाहाडियों को 'बाबाबुडन गिरि कहा जाता है। परतु क्रमबद्द रूप से कॉफी की उपज सन् 1826 में ब्रिटिश शासन काल में प्रारंभ हुयी। और आज कर्नाटक में विस्तृत रूप से कॉफी के बागान देखे जा सकते हैं।

> ***क्रिया कलाप:***
>
> अपने विद्यालय में किसानों को बुलाकर उनके द्वारा उत्पन्न उपज विधान, उन्हें बेचने के बारे में बातचीत करें ।

कर्नाटक में कॉफी के दो प्रकार उत्पादित होते हैं- कॉफी अरेबिका ओर कॉफी रोबुस्टा। इनमें ओरबिका श्रेष्ठ स्तर का है और विश्व स्तर पर बाजार में इसकी माँग है। कॉफी उष्णमंडल के अधिक वर्षा वाले पहाडी ढलान वाले क्षेत्रों में उगाने वाली उपज है। एक प्रकार की सफेद मिट्टी मिश्रित मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। कॉफी के पौधों पर सूर्य को सीधी किरणें न पडें, इसके लिए बगल में छायादार पेड लगाने चाहिए। वर्षा का जल बहजाने की व्यवस्था हो। इन सभी अंशों से युक्त कर्नाटक के पर्वतीय प्रदेशों में कॉफी उत्पदन होता है।

काफी उत्पादन क्षेत्र - पूरे भारत के कॉफी उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत भाग कर्नाटक में उत्पन्न होता है। कोडगु जिला कॉफी उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। चिक्कमगलूरु, हासन प्रमुख क्षेत्र हैं। शिवमोग्गा, चामराजनगर और दक्षिण कन्नड जिलों में अल्पमात्र में कॉफी उत्पन्न की जाती है।

> ***क्रिया कलाप:***
>
> सावयव कृषि के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए ।

कर्नाटक में उत्पन्न कॉफी अतिउत्तम, स्वादिष्ट और ताजगी प्रदान करने के लिए प्रसिद्द है। इससे देश-विदेशों के बाजारों में कॉफी की बडी ऊँची माँग है। इससे कर्नाटक काफी की भूमि के नाम से प्रसिद्द है।

©KTBS Not to be republished

अभ्यस

I. उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

1) भूमि का विविध उद्देश्यों के लिए उपयोग ______________ कहलाता है।
2) अत्यधिक कृषि योग्य भूमि ______________ जिले में है।
3) 'सोगमिबल्लरे' खाद्य का वैज्ञानिक नाम ______________ है।
4) कर्नाटक के ______________ जिले में सर्वधिक गन्ना उगाया जाता है।
5) तम्बाकू में ______________ नामक मादक वस्तु होती है।

II. निम्ननिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए –

1) कर्नाटक के भू उपयोग का नमूना – समझाइए।
2) कर्नाटक में खेती की महत्ता पर एक टिप्पणी लिखिए।
3) सिंचाई द्वारा खेती से क्या तत्पर्य है? सिंचाई द्वारा होने वाली उपज के नाम लिखिए।
4) मिश्र खेती के मुख्य लक्षण क्या-क्या हैं?
5) रागी के उपयोग के बारे में लिखिए।

III. सुमेलित किजिए –

1) कॉफी (कहवा)	अ) वाणिज्या कृषि
2) रूई	क) मिश्र खेती
3) गन्ना (ईख)	ज) तंबाकू
4) निप्पाणी	प) रेशेदार खाद्य की खेती
5) भेड – पालन	ब) आरोपित बागान की कृषि
	म) वाणिज्यिक फसल

IV. क्रियाकलाप :

1) कर्नाटक में उत्पन्न विविध खाद्य और द्विदल अनाज का संग्रह कीजिए।
2) ज्वार, रागी आदि अनाज उत्पादन प्रदेशों को कर्नाटक के नक्शे में नामांकित कीजिए।

V. योजना / प्रदत्त कार्य :

1) अपने आवासीय क्षेत्र के निकट की जाने वाली खेती तथा उत्पाद के बारे में एक टिप्पणी लिखिए। तत्सम्बधी चित्रों का संग्रह कीजिए।

☆☆☆☆☆

Not to be republished ©KTBS

अर्थशास्त्र

अध्याय – 1

प्राकृतिक संसाधन

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी होगी –

- *संसाधनों का अर्थ और प्रकार*
- *संसाधन की कमी*
- *संसाधनों की सुरक्षा*
- *हमारे पर्यावरण के पदचिह्नों को कम करने के मार्ग।*

इसके पहले हमारी इच्छाएँ अधिक थी उनकी पूर्ति के लिए संसाधनों की कमी थी। यह एक समस्या बनी थीं। इसके बारे में जानकारी आपके प्राप्त की थी संसाधन का अर्थ अत्यंत व्यापक है। संसाधन में लोगों की आर्थिक प्रक्रिया से संबंधित उत्पादन, विनिमय और अनुभोग से संबंधित सारी चीजों को सूचित करती हैं। विविध संसाधनों में मानवोपयोगी संसाधन अत्यंत प्रमुख है। संसाधनों के बगेरे हम जी ही नहीं सकते। सूरज की किरणें, पानी, हवा , वन, मिट्टी, जैविक विविधता खनिज आदि मानव जीवन के लिए अत्यंत प्रमुख हैं। जागतिक आबादी सात करोड से अधिक होने के कारण अधिक लोगों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना मुश्किल हो रहा है। इस अध्याय में संसाधनों की कमी परिसर सुरक्षा और परिसर के पदचिह्नों के परिमाण को कम करने से संबंधित विचारों को समझेंगे।

> खाद्य और कृषि संगठन की रपट के अनुसार नगरावृत्त सभी अरण्य, कृषि और बंजर भूमि 50% प्रतिशत् परिवर्तित है। गत दशक में 130 दस लाख हेक्टेर बन का विनाश हुआ है (विश्व अरण्य स्थिति 2012 FAO)

संसाधन का अर्थ और प्रकार: प्राकृतिक रुपसे अपने मूल स्वरुप में प्राप्त वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। खाद्य पदार्थों को उगाने के लिए उपयुक्त मिट्टी और हमारे अनेक कार्यों के लिए मूल आधार पानी, और अन्य सेवा प्रदान करने के लिए पेड-पौधे, जीव जन्तुओं द्वारा साँस लेनेवाली वायु और अनेक उत्पादनों के कच्चा माल, खनिज, आदि संसाधन कहलाता है। इसके बिना हमारा जीवन आरामदायक नहीं होता।

प्राकृतिक संसाधनों को पुनर्निर्मित और समाप्त होनेवाले संसाधन के रुपमें वर्गीकृत करते हैं।

©KTBS Not to be republished

नवीनीकरण या पुनरुत्पत्ति संसाधन : कुछ संसाधन हमारे उपयोग करते करते वे अपने मूल स्वरुप को पुनः प्राप्त कर दुबारा हमारे प्रयोजन के लिए काम आते हैं। इन्हे पुनरुत्पत्ति संसाधन कहेंगे। इन्हे जैसे जैसे हम उपयोग करेंगे प्रकृति अपने आप इनकी वापस उत्पत्ति करती है। जैसे पानी, भूमि, वन, हवा सूरज का ताप आदि नवीकरण या पुनरुत्पत्ति संसाधन हैं।

समाप्त होनेवाले संसाधन : कुछ संसाधन हमारे उपयोग करते करते खाली हो जाते हैं। इनका निर्माण संभव नहीं है। जैसे-लौहखनिज, स्वर्ण, मैंगनीज, बॉक्सैट, खनिज, कोयला, पेट्रोलीयम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम, आदि ईंधनों का उपयोग करते करते समाप्त होता जाता है। इन्हें प्रकृति वापस पुनर्निर्माण नहीं करती इसलिए ये समाप्त होनेवाले संसाधन कहलायेंगे।

संसाधनों को जैविक और अजैविक संसाधन के रुप में वर्गिकृत किया जा सकता है जीवियों से प्राप्त संसाधन जैविक और निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त संसाधन को अजैविक संसाधन कहते हैं। पौधे और प्राणी जैविक संसाधन है तो पानी, मिट्टी, खनिज आदि अजैविक संसाधन हैं।

संसाधनों की कमी :

हमारी मूल आवश्यकताएँ जैसे-आहार, आवास, कपडा, आदि को विविध प्राकृतिक संसाधन जैसे हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राणी और वनस्पति संकुल आदि से पूरा कर लेते हैं। और कितने दिन तक हम इन अमूल्य संसाधनों का उपयोग करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं? बढ़ने वाली आबादी और औद्योगीकरण तथा नगरीकरण संसाधन की माँग को बढ़ाते है। विशेषकर सदा अधिक बढ़नेवाली मानव की इच्छा से संसाधन कम होते हैं। समाप्त होनेवाले संसाधनों की परिमिति निर्दिष्ट होती है और उनका उपयोग अधिक होते-होते उनकी मात्रा कम हो रही है। पुनर्निर्मित संसाधनों का उपयोग उनके उत्पादनों से अधिक हो रहा है। इसलिए संसाधन की कमी होती है इसके प्रमुख कारक अंश है -

1) **अधिक जनसंख्या :** अधिक मात्रा में बढनेवाली जनसंख्या के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था करना मुश्किल होता है इसके लिए अधिक जमीन की आवश्यकता होती है। इसलिए वनों को कृषि भूमि के रुप में, कृषि भूमि को आवास, वाणिज्यिक और औद्योगिक भूमि के रुप में परिवर्तित कर लिया जाता है।

2) **बढता औद्योगिकीकरण :** उद्योगों की संख्या के बढ़ते बढ़ते खनिज, कच्चा तेल और पानी को बाहर निकालने की क्रिया अधिक होने के कारण खान, तेलकूप, और जल के स्त्रोत समाप्त हो रहे हैं।

©KTBS Not to be republished

3) **विस्तरित हो रहे नगर प्रदेश:** एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश में अधिक लोग निवास करते हैं तो उसे 'नगर' कहते हैं। ऐसे प्रदेशों में सहज ही संसाधनों का उपयोग और त्याज्य उत्पादन की मात्रा भी अधिक होती है। इससे संसाधनों की और गुणवत्ता की कमी होती है। शुद्ध पानी भी गंदा होता है।

4) **वायु प्रदूषण :** जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, डीजल और पेट्रोल इनको जलाने से कार्बन डाइ आक्सैड, हैड्रोजन सल्फैड, धूल जैसे हानिकारक अंश वायु क्षेत्र में प्रवेश करके उसे मलिन बनाते हैं।

5) **जलप्रदूषण और भूस्खलन :** अस्पताल, उद्यम तथा मानवादि के त्याज्य पदार्थों को मैदानों में फेंकने से वहाँ की भूमि और पानी की उपयुक्तता कम होती है। कृषि तथा परिवार के कार्यकलापों के कारण जलप्रदूषण होता है। इसके कारण भूमि की उर्वरकता नष्ट होकर उत्पादन नष्ट होता है। इस प्रकार बढ़ती आबादी और प्रक्रिया संसाधन को कम करके गुणवत्ता को भी नष्ट करती है। निम्नलिखित अंशों से इसे रोका जा सकता है –

   i) संसाधनों के नवीन स्रोत की खोज।

   ii) कृत्रिम और समान वस्तु का आविष्कार (जैसे कोयले पर आधारित ईंधन के बदले में सौर तथा पवन शक्तिः डीजल के बदले एथनाल, लकडी के उपकरण के बजाय प्लास्टिक आदि)

   iii) संसाधन उपयोगिता की क्षमता को बढ़ाना (उदा – 2 स्ट्रोक इंजन के बदले 4 स्ट्रोक इंजन कम ईंधन से चलता है)

   iv) संसाधन के दुरुपयोग को रोकने के लिए तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा बनाए गए नियम।

   v) दैनिक जीवन में संसाधन की सुरक्षा, प्रदूषण कम करनेवाली चीजों का उपयोग करने के बारे में लोगों में जागृति लाना।

संसाधनों की सुरक्षा : संसाधनों के अधिक उपयोग में बढत मानव समाज की समस्या को गंभीर बनाती है। हमें पीने का पानी नहीं मिलता, शुद्ध हवा नहीं मिलती। अनेक संसाधन समाप्त हो सकते हैं। जीव संकुल का नाश होकर विश्व त्याज्य की संभावना बन सकती है। इससे बचने के लिए संसाधन की सुरक्षित करना आवश्यक है।

संसाधन सुरक्षा का मतलब है – उनके दुरुपयोग को कम करके न्यायोचित उपयोगिता को प्रोत्साहन करके परिसर और संसाधन के बीच संतुलन बनाना। मानव समुदाय की इस पीढी से आनेवाली पीढी भी संसाधन का उपयोग करे, ऐसा जैव क्षेत्र का निर्वाह कार्य। सुरक्षा प्राकृतिक संसाधनों के सही उपयोग से संबधित है। उनके दुरुपयोग, अपव्यय, अवनति को रोकने का मार्ग है। उनकी मात्रा को बढाकर गुणवत्ता लाना इसका प्रमुख कर्तव्य है।

©KTBS Not to be republished

संसाधन की सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। इसे सुगम कैसे बनाएँ? 4R तकनीकी के द्वारा असरदार बना सकते हैं। 4R क्या है? वे हैं - Reduce (संसाधन के उपयोग को घटाना), Reuse (दोबारा उपयोग करना), Recharge दोबारा काम में लाना अथवा Regenerate फिर निर्माण करना, Research (अनुसंधान करना) इनके बारे में जानेंगे।

1) **संसाधन का उपयोग कम करना** (Reduse)**:** संसाधनों का उपयोग कम मात्रा में करके उनके अपव्यय को रोकना, प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग प्रदूषण को रोक सकता है। उदाः हर बार मोटर बैक उपयोग करने के बदले साईकिल चलाना अथवा पैदल चलना। हर बार अपनी निजी गाड़ी में जाने के बजाय सार्वजनिक परिवहन को अपनाना। पेट्रोल और डीसेल को कम उपयोग करना। इससे वायु मालिन्य कम होता है।

2) **संसाधनों को पुनः उपयोग करना** (Reuse)**:** संसाधन सुरक्षा का यह सरल उपाय है। अनेक संसाधनों का उपयोग अलग अलग कार्य के लिए करना जैसे नहाये हुए पानी का उपयोग बाग बगीचे के लिए करना। उपयोग किसे हुए कागज को दुकान में अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना।

3) **संसाधनों को दोबारा उपयोग करना** (Recharge) **:** अपनी बुद्धिमता से संसाधनों को पुनः जीवन देकर अन्य कार्य के लिए उपयोग करना। अंर्तजल का पुर्नवीकरण जंगलों में पेड पौधों कि पुनः वृद्धि करना आदि।

4) **अनुसंधान** (Research) : खत्म होनेवाले संसाधनों के बदले नवीकरण करके अनुसंधान द्वारा निरंतर रुप से संसाधनों का उपयोग करना आदि।

क्रिया-कलापः अपने घर और पाठशाला में अपनाये जानेवाले 4R की सूची बनाइए।

निम्नलिखित अंश संसाधन की सुरक्षा के बारे में जानकारी देते हैं।

- वस्तुओं की खरीदारी कम करना (इसके पहले उपयोग किए हुए वस्तुओं के बदले नये वस्तुओं को खरीदने से पहले उनकी आवश्यकता के बारे में सोचिए)
- अनावश्यक पैकिंग को रोकना (उदाः बोतल का पानी खरीदने के बदले नल से पानी उपयोग करना।)
- लोहे के डिब्बे, पुराने सेल फोन और प्लास्टिक की बोतलों का पुनः उपयोग करना।
- पुनः उत्पादित पदार्थ से बनी चीजों को खरीदना।
- पर्यावरण को प्रदूषित किये बिना पानी और वायु का उपयोग।

©KTBS Not to be republished

- मिट्टी के घिसाव को रोकना।
- एक पेड को अनिवार्य रुप से काटने पर उसके बदले एक पौधे को उगाना।
- निजी वाहन का कम उपयोग करके सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना।
- घरों में ईंधन बचाना (उदाः आवश्यकता न रहने पर लाइट न जलाना)

इसी प्रकार सुरक्षित संसाधन पद्धति को अनेक राष्ट्र अपना कर सुस्थिर अभिवृद्धि के तत्व को अपनाने का सार्थक प्रयत्न कर रहे हैं। आगे आनेवाली पीढी को भी संसाधन को बचाने हेतु न्यायोचित संसाधन का उपयोग, सुरक्षा तथा उनकी गुणवत्ता को बनाए रखना आवश्यक है। हमारे जीवित पर्यावरण के चिह्नों को कम करना –

मानव समाज पृथ्वी के परिसर पर कितना दबाव डाल रहा है ? उसके मापन का कोई उपकरण है? वैल्ड लाइफ फंड (WWF) संस्था 'जीव परिसर पदचिह्न' नामक साधन को तैयार कर उसके द्वारा एक राष्ट्र अथवा किसी राष्ट्र के व्यक्ति द्वारा उपयोग करनेवाले संसाधन और त्याज्य उत्पादनों के परिमाण द्वारा परिसर पर होनेवाले दबाव का मापन कर रहा है। एक व्यक्ति प्रस्तुत तकनीकी का उपयोग करते हुए कितनी मात्रा में भौतिक प्रदेश का उपयोग करके जीविका चलाता है इसे सूचित करने के साधन को परिसर पदचिह्न कहा जाता है। वह भौतिक प्रदेश एक व्यक्ति के आवश्यक भोजन, पानी, ईंधन, कपडा और इमारत निर्माण के उपकरण, उत्पादन, जैविक प्रदेश का उपयोग व्यक्ति से निर्मित त्याज्य को सहने का प्रदेश भी होता है। अर्थात एक व्यक्ति की पृथ्वी पर जैविक क्षमता की माँग को परिसर द्वारा पदचिह्न को मापा जा सकता है।

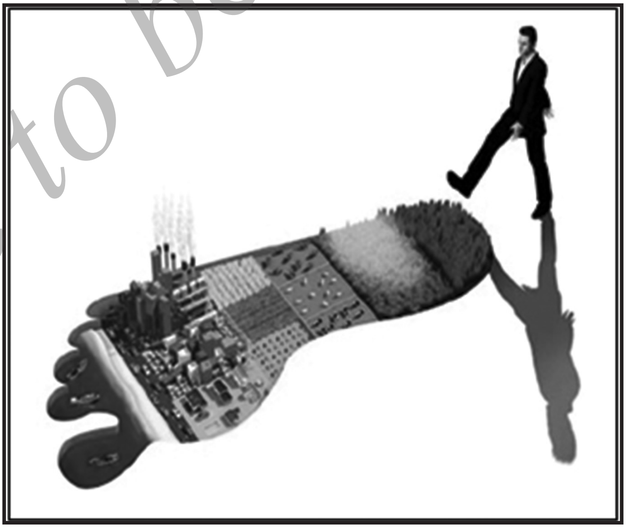

© KTBS Not to be republished

यह संस्था इस पद्चिह्न को 'उस देश में उपयोग करनेवाले भोजन, कपडा, लकडी को उत्पादन करने के लिए अपनाये जानेवाले कृषि भूमि, जानवर, मत्स्यापालन के उपयोगी भूमि ईंधन के उपयोग से निकलनेवाले त्याज्य को सहने की जमीन मूल सुविधा की कुल जमीन की मात्रा' के रुप में गणना करना माना जाता है।

वही संस्था अपने 2014 के लीविंग प्लानेट रिपोर्ट मे 2010 के साल में कुल सार्वभौमिक जीव परिसर के पद चिह्न की मात्रा को 1801 शत करोड हेक्टेर अथवा प्रत्येक व्यक्ति को 2.6 हेक्टेर के रुप में अंदाजा लगाया है। लेकिन पृथ्वी का जैविक सामर्थ्य 12 सौकरोड हेक्टेर प्रत्येक को 1.7 हेक्टेर मात्र है। इसका मतलब 18 शत करोड भू प्रदेश की आवश्यकता है 12 शत करोड मात्रा है मतलब 2010 में मानव प्राकृतिक संसाधन को पृथ्वी से अधिक 50% उपयोग करते रहेंगे तो कुछ ही दशकों में पृथ्वी के सामर्थ्य से ज्यादा उपयोग करके पृथ्वी की नवीकरण की सीमा पार करते है आगे हमारी जीविका के लिए ऐसी पाँच भूमि की आवश्यकता होगी ऐसा अंदाजा लगाया गया है। उसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे जीवन शैली में बदलाव लाकर जीने की संसाधनों का जागरुकता से उपयोग करने का स्पष्ट संदेश मिलता है।

प्रत्येक व्यक्ति का अपना परिसर पदचिह्न होता है। पदचिह्न की बढत की देन दे रहे है। इस पदचिह्न को कम करने के लिए हमें पहला कदम उठाना चाहिए। इसके बारे में स्वयं हमे जानकर दूसरों को जानकारी देने से इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। उदा-त्याज्य वस्तुओं का पुनर्नवीकरण प्रारंभ करके अपने घरवालों को उसके बारे में जानकारी देने पर वे भी उसे अपनायेंगे।

आपके परिसर पदाचिह्न कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं ?

भोजन

- स्थानीय खाद्य पदार्थों की खरीदी।
- बगीचा बनाना (अपने से होनेवाले खाद्य, परिवहन प्रदूषण, रसायनिक खाद का उपयोग करना, पाकेट का उपयोग कम करें)
- दुकान के लिए घर से थैली लेकर जाएँ।
- कम मात्रा में संस्करित खाद्यों का उपयोग।
- फल के रस के पैकेट की बजाय फल खरीदना।
- मांस और डेरी के उत्पन्न को कम करके प्रोटिन पा सकते हैं।
- बाहर से भोजन खरीदने के बदले घर में ही तैयार करें।

©KTBS Not to be republished

ईंधन / बिजली

- उपयोग के बाद सभी लाइट बंद करें।
- रात में वातानूकूल यंत्र को बंद रखें।
- घर से बाहर खुली हवा में आए और ईंधन बचाएँ।
- कार / घर को ठंडा या गरम करते वक्त खिडकी / दरवाजे बंद रखे।

परिवहन :

- विद्यालय पैदल जाएँ।
- सार्वजनिक यातायात का उपयोग करें।
- बाहर जाते वक्त दूर चलते वक्त काफिले/कारपूल का उपयोग करें।

कम मात्रा में त्याज्य संग्रह करना

- कम पैकेज के वस्तु का उपयोग करें।
- बिना आवश्यकता के थैले का उपयोग न करें।
- पुनर्निर्मित वस्तु का उपयोग करें।
- टूटे सामान जोडकर ठीक करें।
- पुनः पुनः उपयोग करनेवाले चीजों का उपयोग करना चाहिए।

पानी

- दाँत माँजते वक्त नल बंद करें।
- नालों में विषकारी पदार्थ न फेंके।
- बर्तन और कपडे धाने के यंत्र को पूरा भरकर करके उपयोग करें।
- शौचालय में ईंट को रखने से अधिक पानी बचा सकते हैं।
- भारतीय विविध शौचालय का अधिक उपयोग करें।

समुदाय

- समुदाय के लोगों को परिसर पदचिह्न के बारे में जानकारी दें।

© KTBS Not to be republished

● स्थानीय जल स्रोत को सुरक्षित करके शुद्ध रखें ऐसे संघ के सदस्य बनिए।

● पुनर्निर्माण कार्य में सहयोग दे।

● आपके स्कूल के ईंधन का लेखा करें किन उपक्रमों के द्वारा बिजली, पैसा बचा सकते हैं, सोचिए।

● विद्यालय के पद्‌चिह्न जानने की कोशिश करें।

(www.myfootprint.org अंतर्जल से अधिक जानकारी इकट्‌ठा करें।

इस प्रकार सरल कार्यक्रमों से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए महात्मा गाँधी ने कहा है दूसरों में दिखाई देनेवाले परिवर्तन को स्वयं करें ।

> "सब लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए पृथ्वी पर सब कुछ है।
> किंतु लालच के लिए नही।"
>
> – महात्मा गाँधी जी

©KTBS Not to be republished

अभ्यास

I. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरिए।

1. प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के ______________ हैं।
2. निश्चित अवधि में ____________ संसाधन का पुनर्निर्माण होता है।
3. लौह खनिज ____________ संसाधन है।
4. संसाधन की आवश्यकता उसके उत्पादन से अधिक होती है तो __________ होता है।
5. आगे की पीढी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु होनेवाली अभिवृद्धि _________ अभिवृद्धि कहलाती है।
6. 2010 में मानव अपनी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ___________ पृथ्वी का उपयोग करते थे।

II. निम्न लिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए

1. प्राकृतिक संसाधन का अर्थ क्या है ?

2. नवीनीकरण के दो संसाधनों का नाम लिखिए।

3. जैविक संसाधन के दो उदाहरण दीजिए।

4. संरक्षण का अर्थ क्या है ?

5. जीव परिसर पदचिह्न का अर्थ लिखिए।

6. पुनर्निर्माण का अर्थ क्या है ?

III. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर पाँच छः वाक्यों में लिखिए।

1. नवीकरण होनेवाले तथा समाप्त होनेवाले संसाधनों का अंतर समझाइए।

2. संसाधन की कमी अधिक होने के क्या कारण हैं ?

3. 4R क्या हैं? संक्षेप में लिखिए।

4. अपने घर और विद्यालय में ईंधन बचत के लिए किन उपक्रमों को अपनायेगें ?

5. जीव परिसर पदचिह्न को कम करने के लिए किन उपक्रमों को अपनाते हैं ?

IV. परियोजना

1. अपने दैनिक जीवन संबंधी वस्तु की सूची बनाइए और 4R के आधार पर वर्गीकरण कीजिए।

V. क्रिया – कलाप

1. अपने स्कूल के ईंधन का लेखा तैयार करे ईंधन का उपयोग कैसे और कहाँ करके बचत की जा सकती है
इसे पहचानिए।

★★★★★

©KTBS Not to be republished

अध्याय – 2

भारत के मानव संसाधन

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशो की जानकारी होगी –

- *मानव संसाधन का अर्थ और महत्व*
- *भारत की जनसंख्या के लक्षण साक्षरता दर लिंग अनुपात, नगर-ग्रामीण और आयु पर आधारित बँटवारा और सांद्रता*
- *जन संख्या परिवर्तन की परिकल्पना*
- *संतानोत्पत्ति स्वास्थ्य और जनसंख्या की गुणवत्ता सुधार से संबंधित कारण*

© KTBS Not to be republished

प्राकृतिक संसाधन की तरह मानव संसाधन भी देश की जायदाद है। एक देश में निकस करनेवाले लोग वहाँ की जनसंख्या है। उनमे बूढ़े बच्चे वयस्क और बुजुर्ग नागरिक होते हैं 14 वर्ष से कम आयुवाले बच्चे 15 वर्ष की आयु से अधिक 60 वर्ष की आयु से कम के लोगों को वयस्क और 60 वर्ष की आयु से अधिक जिन्हे बुजुर्ग नागरिकों के रुप में पहचाना गया है। कमाने की क्षमता वयस्कों में होती है। यही लोग देश की संपत्ति कहलाते हैं। प्रस्तुत देश में उत्पादन ज्ञान, कौशल और सामर्थ्य प्राप्त, कमाने वाले लोगों को 'मानव संसाधन' कहते हैं। आज भारत में युवा लोगों के अधिक होने के कारण उन्हें 'मानव संसाधन' कहा जाता है। कमानेवालों की संख्या अधिक है।

मानव संसाधन को योग्य शिक्षा, प्रशिक्षण, और स्वास्थ्य सुरक्षा दें तो मानव पूंजी के रुप में वे परिवर्तित होते हैं। राष्ट्रीय आय की बढत होती है। सामाजिक परिवर्तन संभव है। खर्च करेंगे तो वे देश की आय बढाते हैं। सामजिक देन अधिक होती है। इसलिए सरकार अपने नागरिकों को शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने की कोशिश करती है।

संसाधन के रुप में लोग

शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त नागरिक स्वस्थ लोग कमाने की शक्ति रखनेवाले लोगों को हम देख सकते हैं। इनसे राष्ट्र की आय बढ़ती है। कमानेवाले लोग देश के मानव संसाधन है। पदार्थ सेवा उत्पादन में प्राकृतिक संपदा और भौतिक पूंजी से अधिक शक्ति मानव संसाधन में होती है। उत्पादन के लिए ज्ञान और श्रम मानव संसाधन प्रदान करता है। कृषि, उद्यम, और सेवा के विविध क्षेत्रों में कमानेवालों को श्रम शक्ति की आपूर्ति करता है। मानव पूंजी अनुसंधान द्वारा जन समुदाय को अधिक सुविधाएँ देता है। हमें प्राप्त बिजली, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल वाहन आदि मानव पूंजी की देन है।

अधिक समय तक भारत में अधिक जनसंख्या को हानिकारक माना जाता था। चीन की आर्थिक उन्नति के बाद मानव संसाधन को संसाधन के रूप में देखा जा रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा प्रशिक्षण देकर जनसंख्या को देश के संसाधन के रुप में परिवर्तित किया जा रहा है। फिर भी देश की आबादी का सीमित होना अच्छा है।

भारत जनसंख्या के लक्षण

इन्हे जानें

- साक्षरों की संख्या अधिक होने से गरीबों की संख्या कम होती है।
- महिला शिक्षण अधिक होने से जनन दर कम होता है।
- कृषक को शिक्षा देने से कृषि उत्पादन अधिक होता है।
- व्यक्ति का शिक्षा स्तर अधिक होने से उसकी आमदनी बढ़ती है।

जनसंख्या के लक्षण उसका विस्तार, संरचना सांद्रता गुणवत्ता इत्यादि से संबंधित अंश है। कोई भी देश के जनसंख्या संबंधी समस्याओं की जानकारी के लिए इन लक्षणों की पहचान आवश्यक है (प्रत्येक नागरिक के बारे में जानकारी) हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है। 2011 में जनगणना की गयी है। उसके अनुसार जन संख्या के लक्षण निम्नलिखित है।

1. **अधिक विस्तार क्षिप्र विकास** : 2011 में 121.1 करोड जनसंख्या प्राप्त भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा राष्ट्र माना जाता है (जनसंख्या में) विश्व का हर छठा नागरिक भारतीय होता है। जनसंख्या के 1.8 प्रतिशत के दर के कारण प्रतिवर्ष आस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर भारत में होते है। इससे उसके विस्तार की पहचान हमें करलेनी चाहिए। इसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 2022 तक हम विश्व में अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र होंगे।

2. **जनसंख्या परिवर्तन का दूसरा स्तर :** भारत हाल ही में जनसंख्या परिवर्तन के दूसरे स्तर पर है मरण दर (प्रति हजार लोगों के मृत्यु के बाद लोगों की मात्रा) कम होकर जनन दर (प्रति हजार बच्चों के जन्म की मात्रा) आज भी अधिक है। वर्ष 2010 में जनन दर 22.1 है मरण दर 7.2 थी अर्थात प्रति वर्ष हजार जनसंख्या में 15 से अधिक संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इसे बहुत अधिक माना जा रहा है।

3. **क्षिप्र गति से बढ़नेवाली घनत्व :** एक कि.मी. प्रदेश में निवास करनेवाले लोगों की लगभग जनसंख्या का घनत्व कही जाती है। एक देश के कुल जनसंख्या को वहाँ के कुल घनत्व का हिसाब लगाया जाता है। 2011 मे भारत की जनघनत्व 382 और इतर राष्ट्रों से अधिक माना जाता है। भारत विश्व के 2.4 भू प्रदेश को प्राप्त है उसमें 16.7 लोगों से पूर्ण है।

©KTBS Not to be republished

4. **प्रतिकूल लिंग अनुपात :** प्रति हजार पुरुषों के बाद स्त्री संख्या का लिंग अनुपात 2011 के जनगणना के आधार पर भारत में लिंग अनुपात सिर्फ 943 है। यह महिला सबलीकरण और स्वास्थ्यदायक सामाजिक अभिवृद्धि की दृष्टि से प्रतिकूल है।

5. **कम आयुवालों की बहुलता की संरचना :** भारत की जनसंख्या संरचना में कम उम्रवाले मतलब 0-14 बच्चों की मात्रा अधिक है। 2011 के जनगणना के अनुसार इस आयु की जनसंख्या 30.7% थी। यह अवलंबित लोगों की अधिकता को दर्शाता है। जनन दर नियंत्रण कर के द्वारा इसे कम किया जाता है।

6. **अधिक ग्रामीण जनसंख्या :** एक देश के नगर - ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात इस देश के औद्योगिकरण की सूची के रुप में गणना की जाती है। भारत की जनसंख्या प्रमुख रुप से ग्रामीण भाग में निवास करती है। 2011 में 68.8% लोग ग्रामवासी थे। यह भारत में नगरीकरण की कमी को दर्शाता है।

7. **जनसंख्या के गुणवत्ता की कमी :** जनसंख्या की गुणवत्ता को वहाँ की शिक्षा कौशल और स्वास्थ्य से मापा जाता है। साक्षर दर कौशल प्राप्ति और निरीक्षित जीवितावधि से नापा जाता है।

(अ) साक्षर दर की कमी : सौ प्रतिशत साक्षर भारत में प्राप्त नही है। पढ़ना लिखना जाननेवालों के प्रतिशत दर को साक्षर दर कहते हैं। 2011 में भारत में 74% मात्र लोग पढ़ना लिखना जानते थे। महिलाओं का साक्षर स्तर भी कम है। सिर्फ 65% महिलाएँ साक्षर थीं।

(आ) अल्प मात्रा की शिक्षा और प्रशिक्षण : भारत में 20-25 उम्रवालों में उन्नत शिक्षा प्राप्त करनेवालों की संख्या 20.4 मात्र है। प्रगतिशील राष्ट्र की तुलना में यह बहुत कम है सवा प्रतिशत मात्र है। वैद्यों की संख्या 0.7 है तो इंजनीयरों की मात्रा 21%, मात्र है।

(इ) जीवन अवधि की कमी : एक व्यक्ति की लगभग औसत जीने की अवधि को जीवन अवधि कहा जाता है। भारत में 2013 में केवल 65.8% मात्र है। अन्य देशों की तुलना में यह कम है।

8. **कमानेवाले लोगों की कमी :** कुल जनसंख्या से काम करनेवालों की संख्या को विभाजन करने से कमानेवालों का दर प्राप्त होता है। 2011 में केवल 39.8 लोग मात्र कमानेवाले थे। काम न करनेवालों की संख्या, कमानेवालों की संख्या की कमी को दर्शाता है।

9. **अधिक जनसंख्या :** खाद्य पदार्थों की उत्पादन अधिक होने पर भी देश की गरीबी, भूख, अपौष्टिकता, बेरोजगारी कम व्यक्ति आय आदि को देखने पर अधिक जनसंख्या के बारे में जानकारी मिलती है। यह उनकी धारणाशक्ति से अधिक बढ़ चुकी है।

©KTBS Not to be republished

जनसंख्या परिवर्तन : आर्थिक अभिवृद्धि और जनसंख्या के विकास क बीच का संबंध निकट होता है। आर्थिक अभिवृद्धि होते होते जनसंख्या कम होती है। इसे जनसंख्यिकी परिवर्तन कहा जाता है। जनसंख्यि की परिवर्तन सिद्धांत द्वारा विवरण मिलता है। देश की आर्थिक अभिवृद्धि तीन स्तरों या अवस्थाओं से आगे बढ़ता है। वे है पिछडे लोगों की अवस्था, विकासशील लोगों की अवस्था और विकसित लोगों की अवस्था।

1. **पिछडेलोगों की अवस्था :** एक देश आर्थिक रुप से पिछडा होता है तो वहाँ की गरीबी, बेरोजगारी अधिक होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी, लोगों का अंधानुकरण, जनन-मरण दर की अधिकता जनसंख्या विकास का स्तर कम होता है।

2. **विकासशील लोगों का स्तर :** पिछडा देश आर्थिक अभिवृद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करता है सरकार पहले लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा देता है। संक्रामक रोगों पर नियंत्रण किया जाता है। इससे मरण दर कम होती है। लेकिन जनन दर अधिक होकर वह धीरे धीरे कम होता है। वर्तमान स्थिति में भारत में जनन दर अधिक और मरणदर भारत में कम है।

3. **विकसित लोगों का स्तर :** आर्थिक प्रक्रिया को अधिक बढ़ावा देकर देश विकसित होता है। उस देश के लोग साक्षर एवं ज्ञानी होते हैं। सबको स्वास्थ्य और शिक्षा प्राप्त होती है। इस अवस्था में देश में जनन और मरण दर दोनों कम रहते हैं। जनसंख्या विकास दर कम होता है। देश पिछडेपन से आर्थिक अभिवृद्धि प्राप्त करके विकसित राष्ट्र बनता है। वहाँ की जनसंख्या विकास में परिवर्तन आता है। इस प्रकार अभिवृद्धि प्राप्त करने के द्वारा जनसंख्यिकी विकास को नियंत्रित कर सकते हैं।

याद रहें :

पिछडा देश - जनन दर और मरण दर अधिक होकर जनसंख्या विकास कम रहता है।

विकासशील देश : जनन दर अधिक और मरण दर कम रहता है। जनसंख्या विकास दर ज्यादा रहता है।

विकसित देश : जनन और मरण दर कम रहता है। जनसंख्या विकास दर कम रहता है।

संतानोत्पत्ति स्वास्थ्य और जनसंख्या का गुणस्तर

स्वस्थ्य मानव का मुख्य सामाजिक मूल सुविधा है। उत्तम स्वास्थ्य और लोगों का जीवनस्तर की गुणवत्ता उस देश के कार्य दक्षता के गुणस्तर को सूचित करती है। आर्थिक अभिवृद्धि को प्राप्त करने के लिए वहाँ की लोगों के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने की आवश्यकता होती है।

संतानोत्पत्ति मानव का प्रधान लक्षण होता है। जनसंख्या का गुणस्तर बहुधा वहाँ के स्वास्थ्य पर

© KTBS Not to be republished

निर्भर रहता है। स्वस्थ बच्चे स्वास्थ वयस्क बनकर देश के विकास में सहायक होते हैं। गर्भावस्था से जन्म देने तक स्वास्थ्य और पौष्टिकता परध्यान देना पड़ता है। जन्म के बाद शिशु और माँ को सुरक्षा देनी पड़ती है। स्वस्थता से आगे बच्चे स्वस्थ नागरिक होते हैं। रोगों के नियंत्रण के लिए वैद्यकीय चिकित्सा और पौष्टिकता को प्रदान करना पडता है।

इसलिए आज सभी सरकार इस पर अधिक ध्यान देते है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं से जन्म दर (मात्रा) कम होती है। शिशु और जननी की सुरक्षा से जनसंख्या नियंत्रण भी होता है। गर्भिणी और शिशु माता की सुरक्षा के लिए अनेक स्वास्थ कार्यक्रम अपनाये जाते हैं। इससे जननी का मरण दर कम होता है।

भारत में 1997-98 में जननियों का मरण दर 398 था (हर 1000 सजीव बच्चों की जनन में मरनेवाली गर्भवतियों की संख्या) उपरोक्त कहे गये सुरक्षा कार्यों के कारण 2012 में 167 तक पहुँचा है। इसी प्रकार शिशु मरण दर (हर 1000 सजीव बच्चों में मरनेवाले 1 वर्ष वायु के बच्चों की संख्या) 1990 में 80% था 2012 तक 47% पर पहुँचा है। उसी प्रकार बच्चों का मरण दर (हर 1000 बच्चों में मरनवाले पाँच साल की बच्चों की संख्या) 1991 में 115 था 2010 में यह 59 तक आ पहुँचा है।

पौष्टिकता की स्थिति में भारत में शोचनीय है। अधिक संख्या में बच्चे अपौष्टिकता से तडपकर मर रहे हैं। जनसंख्या अध्ययन की अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा के अनुसार 2008-09 में 40% बच्चे कम वजन के थे। उसी प्रकार गर्भवती स्त्री रक्तहीनता से तडप रही हैं।

ध्यान रहें :

UNICEF के अनुसार पाँच साल की आयु के भीतर के बच्चों की मरण दर में भारत का स्थान वरिष्ठतम् है। उनमें आधा से आधा से ज्यादा बच्चे अपौष्टिकता से मर रहे हैं यह स्थिति केवल पाँच राष्ट्रों में देखी जाती है। भारत, नैजीरिया, कांगो, पाकिस्तान, और चीन इसमें भारत की मात्रा 22% है तो नैजिरिया को 13% प्राप्त है।

भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लोगों को सुरक्षा कुटुंब कल्याण पौष्टिकता को प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। सुविधा रहित गरीबी, पहाडी लोगों की सुरक्षा संबंध में अधिक ध्यान देता है। पिछले छः दशकों में व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएँ को देकर गुणस्तर / गुणवत्ता बढाने का प्रयास किया जा रहा है।

लोगों के जीवनस्तर में भी सरकार के इन कार्यों से गुणवत्ता आयी है। निरीक्षित जीवन अवधि शिशु मरण की मात्रा कम हुई है। जीवन अवधि की दर अधिक हुई है। मरनेवाले बच्चों की संख्या बहुत कम हुई है।

हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान द्वारा भारत सरकार ने जननी और शिशुओं के मरण दर को

©KTBS Not to be republished

कम करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाया है उनमें प्रमुख है -

1. जननी सुरक्षा योजना के द्वारा जन्म देने की प्रक्रिया को सांस्थिक बनाकर प्रोत्साहन देन। कर्नाटक सरकार 24×7 मुफ्त अंबुलैन्स की व्यवस्था से संस्थिक जन्म देने की क्रिया को प्रोत्साहित करती है।
2. स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल को उत्तम बनाकर जन्म देनेवाली जननी और बच्चों की सुरक्षा सुविधाओं को दिया जा रहा है।
3. आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जा रही है।
4. स्वास्थ्य तथा पोषण से संबंधित शिक्षा के द्वारा लौहांशयुक्त पौष्टिक भोजन देने की क्रिया।
5. सार्वत्रिक टीका लगाने की योजना से पोलियो जैसे रोगों से बच्चों को मुक्त करने का कार्यक्रम।
6. गर्भिणी स्त्री और बच्चों को पौष्टिक भोजन देकर अपौष्टिकता को दूर करने का कार्य

समग्र शिशु अभिवृद्धि आदि।

इन सभी कार्यक्रमों से बच्चों के स्वास्थ्य और जननियों की सुरक्षा की जा रही है।

स्वास्थ्य संकेत :

एक देश के लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति को समझने के लिए सूचक का उपयोग करते हैं। वे हैं - निरीक्षित जीवन अवधि दर, शिशु मरण दर, और मातृ मरण दर।

निरीक्षित जीवन अवधि दर : जनम लेने वाले प्रत्येक बच्चे के जीवित रहने का अंदाजा लगाना।

शिशु मरण दर : प्रत्येक हजार जन्मलेनेवाले शिशु में एक साल के भीतर मरनेवाले शिशु की लगभग (औसत) संख्या।

बच्चों का मरण दर : प्रत्येक हजार जन्म लेनेवाले बच्चों में एक साल की आयु के भीतर मरनेवालों में जन्म देनेवाली महिलाओं में मरनेवाली माताओं की औसत संख्या।

अभ्यास

I. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरिए।

1. प्रस्तुत स्थित देश का उत्पादन ज्ञान, कौशल और सामर्थ्य प्राप्त कमानेवाले लोगों को ______________ कहते हैं।
2. 2011 में भारत का लिंग अनुपात ____________ था ।
3. भारत में जनगणना ____________ वर्ष में एक बार होती है।
4. एक देश की जनसंख्या का गुणस्तर __________ और __________ पर अवलंबित होता है।

©KTBS Not to be republished

5. एक वर्ष में जन्मलेनेवाले प्रत्येक हजार बच्चों में मरनेवाले बच्चों की औसत संख्या को ________ कहते हैं।

6. भारत मे जनन दर अधिक होकर मरण दर कम होने से जनसंख्या विकास दर ____________ होता है।

II. निम्न लिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए

1. कमानेवाले लोग किसे कहा जाता है ?
2. मानव संसाधन का मतलब क्या है ?
3. 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है ?
4. जनन दर किसे कहते हैं ?
5. 2011 में जनन दर 22 और मरण दर 6 है तो जनसंख्या विकास दर पहचानिए।
6. 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है ?
7. विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या विकास दर कम होती है ? क्यों ?

III. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर पाँच छः वाक्यों में लिखिए।

1. जनघनत्व क्या है ? एक देश की जनघनत्व को कैसे हिसाब लगाया जाता है ?
2. उत्पादनांगो में मानव पूंजी को श्रेष्ठ माना क्यों जाता है ?
3. मानव पूंजी के निरुपण में शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या महत्व है ?
4. विकासशील राष्ट्रों में मात्र जनसंख्या विकास अधिक रहता है क्यों ?
5. जनसंख्या के गुणस्तर को अधिक बढ़ाने के लिए कौन से कार्यक्रमों को अपनाएँगे।

IV. परियोजना

1. किसी एक गाँव में जाकर वहाँ की जनसंख्या की गणना कीजिए उनमें स्त्री और पुरुषों की संख्या का विभाजन करके लिंग अनुपात पहचानिए।

★★★★★

©KTBS Not to be republished

व्यावहारिक अध्ययन

आध्याय–1

व्यावहारिक प्रबंधन

इस पाठ मे निम्नालिखित अंशो को जानकारी प्राप्त करेंगे

- *व्यावहारिक प्रबंधन का अर्थ*
- *व्यावहारिक प्रबंधन के सिद्धांत*
- *निर्धारित कौशल और प्रक्रिया*
- *प्रबंधन का कार्यक्षेत्र तथा सीमा*

©KTBS Not to be republished

व्यवहार प्रबंधन प्रत्येक संस्था के लिए आवश्यक है । वह छोटी हो या बडी, लाभ सहित हो या लाभरहित, उत्पादन संस्थाओं के लिए हो या अनुत्पादन संस्था के लिए, परन्तु व्यवहार होता है।

प्रबंधन का अर्थ और परिभाषा : प्रबंधन का अर्थ अलग-अलग प्रकार से उपयोग किया जाता है। सामान्यत: प्रबंधन का अर्थ एक संस्था को प्रक्रियाओं को संभालने की व्यवस्था के लिए किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र अथवा ज्ञान की शाखा के रूप में भी प्रबंधन शब्द का उपयोग किया जाता है। जे एल हेन्स के अनुसार प्रबंधन दूसरों से काम कराने का कौशल है। जार्ज टेरी के अनुसार प्रबंधन लोंगों का और संमाधनों का उपयोग करके संस्था के उद्देश्य और इच्छा की पूर्ति करने का संघटन है। क्रियाशीलता और नियंत्रणों से युक्त एक अलग प्रक्रिया है।

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि प्रबंधन संस्था के पूर्वनिधारित लक्ष्यों की आपूर्ति के लिए लोगों के प्रयासों को समन्वय करना और संयोजन की शैली में निर्देशन के द्वारा काम कराने को प्रक्रिया है। प्रबंधन का अर्थ है -योजना संघटन कर्मचारियों की आपूर्ति निर्देशन संयोजन और नियंत्रण जैसा प्रमुख कार्यों को करता है।

प्रबंधन के तत्व (Principles of Management): एक व्यवहार संस्था को सरलता से और दक्षता से चलाना हो तो कुछ तत्वों को अपनाने की आवश्यकता होती है। हेनरी फयोल ने निम्नलिखित तत्वों के सूचित किया है।

1) कार्यविभाजन : कर्मचारियों के कार्यों कों व्यवस्थित रूप से विभाजित करना चाहिए। इससे उत्पादन बढ़ता है। अधिक लाभ प्राप्त करते है। उत्पादन में होनेवाले नुकसान से भी बच सकते है। इस तत्व को सभी संस्था के विभागों में अपना सकते है।

2) अधिकार और उत्तरदायित्व : यह तत्व अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। ये दोनो अंश अधिकार चलानेवाले अधिकारी और नौकरों को जिम्मेदारी से संबंधित है। इन अंशो से अधिकारी की बुद्दिमता वर्तमान अनुभव, पूर्व अनुभव, नैतिक गुण आदि का सम्मिलन होता है।

3) अनुशासन : इस तत्व से अधिकारी और नौकर वर्गों के बीचवाले कार्यप्रवर्तक गुण प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंबित होता है। ये गुण संघटन की उपलब्धियों की आपूर्ति करते है। वरिष्ठ अधिकारियों में अनुशासन, स्पष्टटता और निष्पक्षपात के गुण हो। यह न्याययुत दंड देते वक्त भी हों।

4) एकरूपता की आज्ञा : इस तत्व के अनुसार नौकर को अपने किसी एक वरिष्ठ अधिकारी की आज्ञा पालन करने के लिए सूचित किया जाता है।

5) एकरूपवाला आदेश : इस तत्व के अनुसार एक ही उद्‌देश्य से युक्त अनेक सामूहिक क्रियाकलापों के लिए एक रूप आदेश देने को कहा जाता है।

6) निजहित और सामन्यहितों को अधीनता : इस प्रबंधन के द्वारा एक व्यक्ति की निजीहित मतभेद सामान्य लक्षयों को पहुँच के लिए प्रतिबंधक न होने के बारे में समझाता है।

7) केंद्रीकृत व्यवस्था : इस तत्व के अनुसार अधिकार केंद्रीकृत होकर व्यापार संघटन के लिए लाभदायक हो।

8) श्रेणीकृत अवस्था : इस तत्व के अनुसार प्रत्येक संघटन में अधिकार वर्ग की श्रेणी हो। इस श्रेणी से अधिकारी वर्ग और अधीन नौकरों के बीच स्पष्टता रहे।

9) समानता : इस तत्व के अनुसार अधिकारी और नौकर वर्गों के बीच समझौता सहकारिता और समानता का होना अवाश्यक है।

10) नौकरों को अधिकाराावधि को स्थिरता : व्यावहारिक संधटन नौकरों को दिये जानेवाले नौकरी में स्थिरता के सिद्दांत का पालन करें। नौकरी में अस्थिरता संघटन में फूट पैदा करता है। नौकरों को शीघ्र नै।ाकरी से निकालमा भी खराब संघटन को पैदा करता है।

11) नेतृत्व : संघटन का नेतृत्व संतोषप्रद हो। प्रबंधन की मूल व्यवस्था को पूर्णरूपेण उत्तम दिशा की ओर ले जानेवाला हो।

12) सांघिक शक्ति : इस तत्व के अनुसार व्यावहारिक संघटन में सब नौकरों में संघभाव होना चाहिए। सांघिक शक्ति के द्वारा अपने व्यक्तिगत कार्यों में लगे रहे।

13) नौकरों का वेतन : नौकरों को दिया जानेवाला वेतन न्याययुत हो। नौकरों को वेतन से संतुष्टि मिले ।

© KTBS Not to be republished

प्रबंधन की कार्यसीमा : प्रबंधन दूसरों से काम कराने की प्रक्रिया से संबंधित है। दूसरों से काम कराते वक्त प्रबंधन के क्रियाकलापों का व्यवस्थित रूप से अनुसरण करना पडता है। इन क्रमबद्ध प्रक्रियाओं का निर्वहण प्रबंधन की कार्यसीमा कहलाती है।

प्रबंधन कार्यों को विविध क्षेत्रों के द्वारा निर्वाह करना पड़ता है। जो निम्नलिखित है।

1) योजना (Planning) 2) संघटन (Organising)

3) कर्मचारी की आपूर्ति (Staffing) 4) निर्देशन (Directing)

5) संयोजन (Co- ordinating) 6) नियत्रंण (Controlling)

1) योजना : प्रबंधन क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण है। योजना का अर्थ है कि एक निर्दिष्ट अवधि के कार्यों की रूपरेख तैयार करना। योजना को प्रक्रिया संस्था के उद्देश्य निर्णय, नीति कार्यतंत्र कार्यक्रम आदि विशिष्ट गुणों से युक्त होता है।

2) संघटन : मानव और भौतिक शक्तियों को एकत्रित करने का काम संघटन कहलाता है। यंत्रोंपकरणों को मानव संसाधन के साथ मिलाकर संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करना संघटन का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रतिनिधि को नियुक्ति करके दफ्तरों के प्रतिनिधियों को आवश्यक भौतिक सुविधाओं को देकर अनेक अवस्था में काम करनेवालों के बीच समन्वय स्थापित करना संघटन का मुख्य उद्देश्य होता है।

3) कर्मचारियों को आपूति : यह अंश संघटन के लिए आवश्यक नौकरों को नियुक्ति, चयन स्थानीकरण प्रशिक्षण और उनकी प्रगति से संबधित है।

4) निर्देशन : यह अंश संस्था की लक्ष्य प्राप्ति के लिए नौकरों को सूचना देना, मार्गदर्शन करना, कार्यवाही करने के कामों से संबंधित है। अधीन अवस्था में काम करनेवालों को सूचना और आदेश देकर उनका अनुपालन किया जाता है।

5) संयोजन : यह अंश अपेक्षित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विविध विभागों के विशेषज्ञों को एकत्रित करके काम करने से संबंधित है।

6) नियंत्रण: यह अंश संघटन के प्रमुख कार्यों से संबंधित है। व्यावहारिक प्रबंधन के सभी प्रक्रियाओं में इसका उपयोग होता है। संस्था के प्रत्येक प्रबंधक अथवा प्रतिनिधि इससे हमेशा जुड़े होते है। इस अंश के मुख्य उद्द्देश्य निम्नलिखित हैं।

ए) संस्था में अनुशासन का वातावरण निर्माण करके सब कार्य को सुचारू रूप से समाक्षैते के साथ चलने में मदद करना।

Not to be republished ©KTBS

बी) पूर्वयोजनानुसार प्रक्रियाओं के अनुरुप तथा निरंतर क्रिया कलापो में वृद्धि करना।

सी) संस्था की दक्षता को बढ़ाना।

संघटन कार्यक्षेत्र का निर्णय

कार्यकौशल और कार्यनिर्णय लेना भी व्यावहारिक संघटन का महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया मानी जाती है। यह अनेक क्रियाकलापों में सक्रीयता के उद्देश्य से काम करता है।

निर्णय लेने की आवश्यकता (Dicision making**) :** प्रत्येक संघटन का अपना लक्ष्य और उद्देश्य होता है। इनकी आपूर्ति के लिए वह निर्णय लेना पड़ता है। हर छोटे विषय में भी अनेक विकल्प होते है। उदाहरण के पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रवाना करना पडता है। उन वस्तुओं को अथवा पदोर्थों को आयात करने के लिए लारी, रेल, अथवा हवाई जवाजों की आवश्यकता पडती है। इनमें अत्यंत उचित और कम खर्चवाला और सुरक्षित हो उसका चयन किया जाता है। इस चयन को निर्णय लेना कहा जाता है। इस प्रकार के निर्णय व्यवहार में महत्वपूर्ण होते है। व्यावहारिक दृष्टि से उचित निर्णय लेना समर्थ प्रक्रिया मानी जाती है। आजकल भारत में अनेक विकासशील व्यवहार संघटनों का प्रवेश हुआ है। आगामी दिनों में और भी अधिक सांस्थिक मूल्यों के संस्थाओं का प्रवेश होता है। इस प्रकार योजनाबद्ध विश्लेषण संघटनों की अधिक आवस्यकता है। इसलिए निर्णय लेने में सुधार की आवश्यकता है। विशाल दृष्टि से निर्णयों को दो भागों में विभाजन कर सकते है।

(1) व्यक्तिगत निर्णय

(2) सामूहिक निर्णय

एकस्वामित्व के छोटे व्यवहार संघटनों में एक व्यक्ति निर्णय लेता है। इसे व्यक्तिगत निर्णय कहते हैं, ये निर्णय व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर होते हैं।

एक समूह के द्वारा लिये जानेवाले निर्णय सामूहिक निर्णय कहलाते है। साझेदारी संस्था सहकार संघो के निर्णय सामूहिक निर्णय कहलाते हैं।

निर्णय के मूल सिद्दांन्त :

- लक्ष्यों की स्थिरता
- निर्दिष्ट लक्ष्य
- पर्याय निर्णयों को ढूंढना
- योजनाओं का विकास करना।
- विवेचनाधीन तर्कबद्ध योजना
- परीस्थिति को समझना

Not to be republished ©KTBS

- मूल्यांकन

निर्णय लेने का महत्व : व्यावहारिक संघटनों को संस्थाओं का हल अच्छे निर्णय लेने के द्वारा किया जाता है। अच्छे निर्णय से अधिक लाभ होता है। कोई भी संघटन सुचारू रूप से चलता है। गलत निर्णय संघटनों को हानि पहुँचाते है। निर्णय लेने से पूर्व इन पर ध्यान देना आवश्यक है। वे हैंसंदर्भ, अनुभव, विवेचना, दृढविश्वास, धैर्य और स्पष्टता। कोई भी समस्या का हल निकालने के लिए अच्छे निर्णयों के द्वारा मात्र संभव है। निर्णय लेते वक्त इन निम्नलिखित आशों को पालन करता है।

- समस्या का विश्लेशण (Analysing the problem)
- योजना की रूपरेखा और कार्यन्वयन
- धैर्य और संयम बनाये रखना
- पूर्व विचार
- विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता।

अभ्यास

I. एक वाक्य में उत्तर लिखिए

1. प्रबंधन किसे कहते हैं ?
2. निर्णय लेना क्या है ?
3. व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय किसे कहते हैं ?
4. प्रबंधन के तत्वों में अधिकार और उत्तरदायित्व के तत्व क्या हैं?

II. दो- तीन वाक्यो में उत्तर लिखिए

1. हेनरी फयोल के अनुसार प्रबंधन के तत्व कौन-से हैं ?
2. प्रबंधन के कार्य क्या हैं ?
3. अधिकार और जिम्मेदारी श्रेणीकृत और केंद्रीकृत तत्वों को व्यावहरिक संस्था के साथ मिलाकर लिखिए।
4. व्यावहारिक प्रबंधन में निर्णय लेने का महत्व क्या है
5. निर्णय प्रक्रिया के मूल तत्वों को लिखिए।

©KTBS Not to be republished

6. निर्णय लेते वक्त किन अंशों पर ध्यान देना पड़ता है ?

7. प्रबंधन क्षेत्र में योजना और संघटन का पात्र क्या है?

8. नियंत्रण प्रबंधन कार्य में क्यों मुख्य है?

9. नियणत्र के प्रमुख उद्देश्य कौन- से हैं ?

10. निर्देशन और समझौते व्यावहारिक प्रबंधन में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं ?

III. प्रक्रिया.

1. अपने पडोस के किसी एकस्वामित्व के व्यापारी से मुलाकात करके निर्णय लेने के संबंध की जानकारी प्राप्त कीजिए। और वे दैनिक निर्णय किस प्रकार लेते हैं. जानकर एक निबंध लिखिए।

★★★★★

©KTBS Not to be republished